लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

(पन्द्रहवां सत्र)

7th Lok Sabha

(खंड 49 में अंक 1 से 10 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपए

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

मंगलवार, 24 जुलाई, 1984/2 श्रावण, 1906 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

विषय सूची, पृष्ठ (iii), 'श्री राम नगीना मिश्रा' के स्थान पर 'श्री राम नगीना मिश्र' पढ़िए।

विषय सूची, पृष्ठ iii), श्री पीतावम्र सिह' के स्थान पर 'श्री पीताम्बर सिह' पढ़िए।

पृष्ठ 1, पंक्ति नीचे से, 'श्री मनीराम ब्रागड़ी' के स्थान पर 'श्री मनीराम बागड़ी पढ़िए।

पृष्ठ 2, पंक्ति नीचे से, 'पि' को लोक करें।

पृष्ठ 2, नीचे से पंक्ति 2 'स्वामी इन्द्रदेश' के स्थान पर 'स्वामी इन्द्रवेश' पढ़िए।

पृष्ठ 7, पंक्ति 10, 'श्री आरीफ मोहम्द खां' के स्थान पर 'श्री आरिफ मोहम्मद खां' पढ़िए।

पृष्ठ 8, पंक्ति 12, श्री आरिफ मोहम्द खां' के स्थान पर 'श्री आरिफ मोहम्मद खां' पढ़िए।

पृष्ठ 15, पंक्ति 22, श्री मेरावदन के० गधवी, के स्थान पर 'श्री भेरावदन के० गधावी' पढ़िए।

पृष्ठ 16, पंक्ति 19 तथा पृष्ठ 20, पंक्ति 2, 'श्री जार्ज फर्नाडिस' के स्थान पर 'श्री जार्ज फर्नान्डीस' पढ़िए।

पृष्ठ 21, पंक्ति 23, 'श्री जोबियर अराकल' के स्थान पर 'श्री जेवियर अराकल' पढ़िए।

पृष्ठ 22, पंक्ति 19, 'पचार' के स्थान पर 'प्रचार' पढिए।

पृष्ठ 22, पंक्ति 21, 'श्री बापू साहिब परुलेकर' के स्थान पर, श्री बाबू साहिब परुलेकर' पढ़िए।

पृष्ठ 24, पंक्ति 21, 'श्री के० 'रामामूर्ति' के स्थान पर 'श्री के० राममूर्ति' पढ़िए।

पृष्ठ 27, पंक्ति 6, 'श्री बी० एन० गाडगील' के स्थान पर 'श्री बी० एन० गाडगिल' पढ़िये।

पृष्ठ 31, पंक्ति 7, 'संभादित' के स्थान पर 'संभाबित' पढ़िये।

पृष्ठ 31 'पंक्ति 8, श्री ए० लीलालोहितदसन नाडार' के स्थान पर 'श्री ए० नीलालोहित दसन नाडार' पढ़िये।

पृष्ठ 34, पंक्ति नीचे से 7, 'श्री बे० टी कोलराम' के स्थान पर 'श्री के० टी० कोसलराम' पढ़िए।

पुष्ठ 39, पंक्ति 14, पबर्ततीय, के स्थान पर 'पर्वतीय' पढ़िए।

पृष्ठ 43, पंक्ति 4, 'विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री' के स्थान पर 'विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री' पढ़िए।

पृष्ठ 45, पंक्ति 13, 'उत्पादन' के स्थान पर ' उत्पादन पढ़िये ।

पृष्ठ, 46 पंक्ति 10, 'श्री बाबूराम पराजये' के स्थान पर 'श्री बाबूराम परांजपे पढ़िए ।

पृष्ठ 48, पंक्ति नीचे से 6, 'लक्ष्ल और वास्तबिक के स्थान पर 'लक्ष्य और वास्तविक पढ़िए ।

पृष्ठ 49, पंक्ति नीचे से 11, 'श्री चित्त महाता' के स्थान पर 'श्री चित्त महाटा पढ़िये ।

पृष्ठ 50, पंक्ति नीचे से 2, 'श्री मनोरंजन भक्त के स्थान पर 'श्री मनोरंजन भक्त पढ़िए ।

पृष्ठ 53, पंक्ति नीचे से 3 अं० प्र० संख्या '226' के स्थान पर '228' पढिए ।

पृष्ठ 56, पंक्ति 16 'प्राकृत्तिक' के स्थान पर 'प्राकृतिक' पढ़िए ।

पृष्ठ 57 पंक्ति, 22, 'सावबों' के स्थान पर ,सातबीं पढ़िए ।

पृष्ठ 57 पंक्ति 23, 'श्री लक्ष्मण मल्लिक' के स्थान पर 'श्री लक्ष्मण मलिक पढ़िए ।

पृष्ठ 58, पंक्ति 18, 'यिभाग' के स्थान पर 'विभाग' पढ़िए ।

पृष्ठ 59, अंतिम पंक्ति, 'श्री सन्तोष मोहन देव' के स्थान पर 'श्री संतोष मोहन देव' पढिए ।

पृष्ठ 60, अंतिम पंक्ति, 'श्री वो० एन० गाडगिल' के स्थान पर 'श्री बी० एन० गाडगिल पढ़िए ।'

पृष्ठ 61, पंक्ति 7, "श्री छीतू भाई गमित' के स्थान पर 'श्री छीतू भाई गामित पढ़िए ।

पृष्ठ 62, पक्ति 13, 'जैययपुर' के स्थान पर 'श्री 'जयपोर पढ़िए ।

पृष्ठ 63, पंक्ति 20, पेट्रोलियन' के स्थान पर 'पैट्रोलियम'पढ़िए ।

पृष्ठ 64, पंक्ति 12, 'लन्त्रालय' के स्थान पर 'मन्त्रालय' पढ़िए ।

पृष्ठ 65, पंक्ति 7, 'श्री गागो शंकर मिश्र' के स्थान पर 'श्री गार्गी शंकर मिश्र' पढ़िए ।

पृष्ठ 69, पंक्ति 3, प्रसारण मंत्रालय के राज्य भंत्री' के स्थान पर 'प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री पढ़िए ।

पृष्ठ 73, पंक्ति 15, 'श्री नोरेन घोष' के स्थान पर 'श्री नीरेन घोष पढ़िए ।

पृष्ठ 75, पंक्ति नीचे 3, 'हेमवती नन्दन बहुगुणा' से पूर्व 'श्री' अंतः स्थापित करिये ।

पृष्ठ 76, पक्ति 7, सूक्ष्माउरंग' के स्थान पर 'सूक्ष्म तरंगों' पढ़िए ।

पृष्ठ 80, पंक्ति 24, अं० प्र० संख्या '265' के स्थान पर '264' पढ़िए ।

पृष्ठ 81, पंक्ति 9, अं० प्र० संख्या '255' के स्थान पर '265' पढ़िए और 'श्री भाउससाहिब थोरट' के स्थान पर 'श्री भाउसाहिव थोरट' पढ़िए ।

पृष्ठ 83, पंक्ति 11, 'वारणसी' के स्थान पर वाराणसी पढ़िए ।

पृष्ठ 85, पंक्ति नीचे से 2, 'प्रो० अजित कुमार महता' के स्थान पर 'प्रो० अजित कुमार मेहता, पढ़िए ।

पृष्ठ 89, पंक्ति 18, 'श्री चित्त महब्दा' के स्थान पर ' श्री चित्त महाटा' पढ़िए ।

पृष्ठ 95, पंक्ति नीचे से 3, 'श्री बी० बी० देसाई' के स्थान पर 'श्री बी० वी० देसाई' पढ़िए ।

पृष्ठ 101, पंक्ति 16, 'गैर-सरकार' के स्थान पर 'गैर सरकारी' पढ़िए ।

पृष्ठ 102, पंक्ति 11, 'उर्बरक मंत्री' के स्थान पर 'उर्वरक मंत्री' पढ़िए ।

पृष्ठ 108, पंक्ति नीचे से 7, '293; श्री प्रो० पी० जे० कुरियन' के स्थान पर '292. 'प्रो० पी० जे० कुरियन' पढ़िये ।

पृष्ठ 111, पंक्ति 10, 'ऊर्ला' के स्थान पर 'ऊर्जा' पढ़िए ।

पृष्ठ 112, पंक्ति 19, 'श्री नित्यानन्द मिश्र' के स्थान पर 'श्री नित्यानन्द मिश्र' पढ़िए ।

पृष्ठ 117, पंक्ति नीचे से 10, 'श्री चित्त नहाटा' के स्थान पर 'श्री चित्त महाटा' पढ़िए ।

पृष्ठ 118, पंक्ति नीचे से 2, 'विदेशी से बातचीत' के स्थान पर 'विदेशों से बातचीत' पढ़िये ।

पृष्ठ 118, पंक्ति अंतिम, 'श्री के० मालव्वा' के स्थान पर ' श्री के० मालन्ना' पढ़िए ।

पृष्ठ 119, पंक्ति 11, 'श्री केपूर भूषण' के स्थान पर 'श्री केयूर भूषण' पढ़िये ।

पृष्ठ 120, पंक्ति नीचे से 5-6 'श्री एच० के भगत' के स्थान पर 'श्री एच० के० एल० भगत' पढ़िये ।

पृष्ठ 121, प्रथम पंक्ति 'रिंगल चेनल' के स्थान पर 'सिंगल चैनल' पढ़िए ।

पृष्ठ 132, पंक्ति 10 पृष्ठ 138, पंक्ति 23, 'श्री आरीफ मोहम्मद खां' के स्थान पर श्री आरिफ मोहम्मद खां' पढ़िए ।

पृष्ठ 133, पंक्ति 10 'कार्रत' के स्थान पर 'कार्यरत' पढ़िए ।

पृष्ठ 140, पंक्ति नीचे से 7, 'श्री बाबूसाब परुलेकर' के स्थान पर 'श्री बाबूसाहिब परुलेकर' पढ़िए ।

पृष्ठ 141, पंक्ति 11, 'श्री के० रामामूर्ति' के स्थान पर 'श्री के० राममूर्ति' पढ़िए ।

पृष्ठ 150, पंक्ति 11, 'कार्य' के बाद 'की' का लोप करिये तथा पंक्ति 12, 'सन्कल्पों' के स्थान पर 'संकल्पों पढ़िए ।

पृष्ठ 152, पंक्ति नीचे से 3, 'औद्यागिक' के स्थान पर 'औद्योगिक' पढ़िए ।

पृष्ठ 156, पंक्ति 6, 'टेलीफोन वा' के स्थान पर 'टेलीफोन सेवा' पढ़िए ।

पृष्ठ 156, पंक्ति 7 'श्री नवीन रावपी' के स्थान पर 'श्री नवीन रावणी, पढ़िए ।

पृष्ठ 157, पंक्ति 10, 'रियाती' के स्थान पर 'रयायती' पढ़िए ।

पृस्ठ 157, पंक्ति 11, 'अ प्र० संख्या '452 के स्थान पर '352' पढ़िए ।

पृष्ठ 160, पंक्ति 17, 'जाटिया' के स्थान पर 'जटिया' पढ़िए ।

पृष्ठ 164, पंक्ति नीचे से 9, 'श्री गागी शंकर मिश्र' के स्थान पर श्री गार्गी शंकर मिश्र पढ़िए ।

पृ० 178, पंक्ति नीचे से 8, 'श्री जी० बाई० कृष्णन' के स्थान पर 'श्री जी० बाई० कृष्णन पढ़िए ।

पृ० 187, पंक्ति नीचे से 4, 'श्री बी० एन० गाडबिल' के स्थान पर 'श्री बी० एन० गाडगिल' पढ़िए ।

पृ० 190, पंक्ति 3, तथा 15, 'श्री बासदेव आचार्य' के स्थान पर 'श्री बसुदेव आचार्य' पढ़िये ।

पृ० 193, पंक्ति 2, 'उर्वंबक मन्त्री' के स्थान पर 'उर्वरक मन्त्री' पढ़िए ।

पृ० 193, पंक्ति 8, 'आयवत' के स्थान पर 'आयात' पढ़िए ।

पृ० 198, पंक्ति 21, 'श्री बी० डी० सिंह' के स्थान पर 'श्री बी० डी० सिंह' पढ़िए ।

पृष्ठ 199, पंक्ति 8, 'श्री हरिहर सरन' के स्थान पर 'श्री हरिहर सोरन' पढ़िए।

पृष्ठ 200, पंक्ति 7, 'श्री जगपाल सिंह कश्वप' के स्थान पर 'श्री जयपाल सिंह कश्यप' पढ़िये।

पृष्ठ 209, अंतिम पंक्ति तथा पृ० 210, पंक्ति 16, 'श्री बनवारी लाल बेखा' के स्थान पर 'श्री बनवारी लाले वेरवा' पढ़िए।

पृ० 221, पंक्ति 19, 'कोयले, के पश्चात् 'के' अंतः स्थापित करिये।

पृ० 226, प्रथम पंक्ति, 'पेट्रोलियम कर विभाग' के स्थान पर 'पेट्रोलियम विभाग' पढ़िए।

पृ० 227 'पंक्ति 14, 'कनकत्ता' के स्थान पर 'कलकत्ता' पढ़िए।

पृ० 230, पंक्ति 10, 'श्री वृद्धि चन्द्र जैना' के स्थान पर 'श्री बृद्धि चन्द्र जैन' पढ़िए।

पृष्ठ 232, पंक्ति 4, 'होने बाला नहीं, शब्दों का लोप करिये।

पृ० 233, अंतिम पंक्ति 'अध्य महोदय' के स्थान पर 'अध्यक्ष महोदय, पढ़िए।

पृ० 238, पंक्ति 1 'प्रो० सैकुद्धीन सोज' के स्थान पर 'प्रो० सैफुद्दीन सोज' पढ़िए।

पृ० 238, पंक्ति 12, 'प्रमिवेदन' के स्थान पर 'प्रतिवेदन' पढ़िए। तथा पंक्ति 15, 'एल० टी० 8400/85' के स्थान पर '8400/84' पढ़िए।

पृ० 244, पंक्ति 13, 'के बहार' के स्थान पर 'से बाहर' पढ़िये।

पृ० 245, पंक्ति 13, 'क्या' के पश्चात् 'कर' अंतः स्थापित करिये।

पृ० 248, पंक्ति 10, 'कृष्णा' के स्थान पर 'कृष्ण' पढ़िये।

पृ० 249, पंक्ति नीचे से 11, 'श्री कमलानाथ' के स्थान पर 'श्री कमल नाथ' पढ़िए।

पृ० 261, पंक्ति 1, 'श्री नीलालोहिलदनस नाडार' के स्थान पर 'श्री नीलालोहितदसन नाडार' पढिए।

पृष्ठ 263, पंक्ति 8, 'सत्यरमथ चक्रवर्ती' के स्थान पर 'श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती' पढ़िए।

पृ० 266, पंक्ति 7, व 10, 'मध्यावन भोजन' के स्थान पर 'मध्याह्न भोजन' पढ़िए।

पृ० 270, पंक्ति 12, 'हाल्दार' के स्थान पर 'हाल्दर' पढ़िए।

पृ० 288, पंक्ति 18, 'बैंकटसुब्बय्य' के स्थान पर 'वेंकटसुब्बय्या' पढ़िए।

पृ० 299, पंक्ति 8, 'श्री एन० के० शजबलकर' के स्थान पर 'श्री एन० के० शेजवलकर' पढ़िए।

पृ० 302, पंक्ति 20, [महाराज ा ज] के स्थान पर 'महाराजगंज' पढ़िए।

पृ० 334, पंक्ति 4, 'प्रस्ताव' के स्थान पर 'प्रस्ताव' पढ़िए।

विषय-सूची

अंक 2, मंगलवार, 24 जुलाई, 1984/2 श्रावण, 1906 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	2—22
*तारांकित प्रश्न संख्या : 21, 22, 32; और 23	2—29
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	22—238
तारांकित प्रश्न संख्या : 24 से 31 और 33 से 40	22—34
अतारांकित प्रश्न संख्या : 213 से 293, 295 से 305, 307, 308 और 310 से 432	38—230
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	238—242
विधेयकों पर अनुमति	242
कार्य मंत्रणा समिति	244
63 वां प्रतिवेदन	
संपदा शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1984—पुरः स्थापित	248
नियम 377 के अधीन मामले	248—253
(एक) ताजमहल को प्रदूषण तथा क्षति से बचाने हेतु कदम उठाने के लिए वास्तुविद विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने की आवश्यकता	248
श्री राजेश कुमार सिंह	
(दो) ग्वालियर क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल करने की आवश्यकता	249
श्री माधव राव सिन्धिया	
(तीन) भाटक नियंत्रण अधिनियम के उपबंधों को लागू करने की आवश्यकता	249
श्री कमल नाथ	
(चार) जबलपुर में एक स्टीलयार्ड की मांग	250
श्री बाबूराव परांजपे	

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(पांच) पश्चिम बंगाल के बाढ़ पीड़ितलोगों के पुनर्वास तथा उन्हें राहत पहुंचाने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय अनुदान देने की आवश्यकता श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	250
(छः) महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों के गैर-सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रावेशिक-शुल्क लिये जाने पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता श्रीमती प्रमिला दंडवते	251
(सात) गेहूं के लिए शाहजहांपुर और उत्तर प्रदेश के अन्य भागों में भंडारण सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता श्री जितेन्द्र प्रसाद	251
(आठ) खाड़ी के देशों में काम कर रहे भारतीयों, विशेषकर मलयालियों, की समस्याएं श्री वी० एस० वियजराघवन	252
पंजाब आन्दोलन सम्बन्धी "श्वेत-पत्र" पर चर्चा	253
श्री पी० वी० नरसिंह राव	253
श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती	255
श्री ए० के० सेन	266
स्वामी इन्द्रवेश	276
श्री बी० आर० भगत	280
प्रो० मधु दंडवते	283
श्री मनीराम बागड़ी	295
लेवी चीनी समान कीमत निधि (संशोधन) विधेयक, 1984 विचार करने का प्रस्ताव	297
श्री भागवत झा आजाद	298
श्री सत्यगोपाल मिश्र	300
श्री कृष्ण प्रताप सिंह	302
श्री जगपाल सिंह	303
श्री गिरधारी लाल व्यास	304
श्री राम विलास पासवान	308
श्री बालासाहिब विखे पाटिल	309
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	310

विषय	पृष्ठ
प्रो० सत्य देव सिंह	312
श्री एम० कंडास्वामी	313
श्री राम नगीना मिश्रा	315
श्री पीताम्बर सिंह	317
श्री राम प्यारे पनिका	320
श्री हरीश कुमार गंगवार	320
खण्ड 2 से 8 और खन्ड।	334
पारित करने का प्रस्ताव	
श्री भागवत झा आजाद	327
श्री अब्दुल रशीद काबुली	334
श्री रामावतार शास्त्री	335—336

लोक सभा

मंगलवार, 24 जुलाई, 1984/2 श्रावण, 1906 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भाखड़ा नगर को दोबारा कट डाउन कर दिया गया है ।

प्रो० मधु दंडवते : ये शान्ति की वजह से बड़े बेचैन हैं, सर ।

अध्यक्ष महोदय : कहीं उसी के लिए तो नहीं खड़े हो गए हैं ।

श्री मनीराम बागड़ी : मैं उसी के लिए खड़ा हुआ हूं कि भाखड़ा नहर को दोबारा कट-डाउन कर दिया गया है । अध्यक्ष जी आप देखिए···

अध्यक्ष महोदय : मैंने कल भी और आज भी उस पर विचार किया है ···

श्री मनीराम बागड़ी : मैंने इस सम्बन्ध में आपको लिखकर दिया है···

अध्यक्ष महोदय : आपका 388 का नोटिस मैंने अलाव नहीं किया है···

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, यह बड़ा गम्भीर मामला है और इसको आपका देखना चाहिए···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कल भी बहुत कुछ हुआ, यदि आप आज भी वही करना चाहते हैं तो मैं अभी क्वैचन-आवर को बंद करवा देता हूं ।

श्री मनीराम बागड़ी : उसके कारण हम बड़े दुखी हो रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप दुखी हो रहे हैं तो उसका क्वैश्चन आवर से कोई मतलब नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : मेरी रिक्वैस्ट है कि आप इस पर इसी वक्त डिस्कशन की आज्ञा दें।

अध्यक्ष महोदय : यह तो डिस्कशन के लिए आज ही आ रहा है। यदि आप नियमों को पढ़ें तो विधि यह कहती है कि मुझे अगर पता भी हो कि यह सब्जैक्ट आने वाला है तो भी मैं उसकी आज्ञा नहीं दे सकता।

श्री मनीराम बागड़ी : जो सरकार भाखड़ा की सही तरीके से रक्षा नहीं कर सकती··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन दूसरी तरफ किसी आने वाले सब्जैक्ट को भी मैं ऐसे नहीं ले सकता। फिर यह तो आज ही आ रहा है।

श्री मनीराम बागड़ी : फिर आप जीरो-आवर के बाद तो इजाजत दोगे या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आज ही कर रहा हूं और इसके बाद उसी पर डिस्कशन हो रही है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आज तो श्वेत-पत्र पर चर्चा होने वाली है, उसमें भाखड़ा नहर का मामला कैसे बीच में आ गया।

अध्यक्ष महोदय : पंजाब और हरियाणा का उससे ही तो सम्बन्ध है, वही तो दोनों राज्यों में है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उस समय अगर उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए तो वह कहेंगे कि इस नहर का श्वेत-पत्र से कोई सम्बन्ध नहीं है, इसको आप बीच में कहां बहा रहे हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : बाजपेयी जी ने बिल्कुल ठीक कहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप निश्चित रहिए, उस समय मैं ही बैठा रहूंगा।

स्वामी इन्द्रवेश जी।

श्री जगपाल सिंह।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अश्लील वीडियो पि कैसेट के दिखाने पर प्रतिबन्ध

*21. **स्वामी इन्द्रवेश** :

श्री जगपाल सिंह : क्या सूचना और प्रशारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का अश्लील वीडियो कैसेट को दिखाने पर प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था करने के लिए संसद में एक विधेयक प्रस्तुत करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस विधेयक को कब तक पुरस्थापित किये जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं । अप्रमाणित वीडियो कैसेटों, जिनमें अश्लील फिल्में शामिल हैं, का लोक प्रदर्शन चलचित्र अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत पहले ही संज्ञेय अपराध है । इसके अलावा, अश्लील सामग्री को रखना भी भारतीय दंड संहिता की धारा 292 के अंतर्गत अपराध है । इसलिए इस पर रोक लगाने के लिए संसद में विधेयक लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री जगपाल सिंह : अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे ओरिजिनल प्रश्न को काट कर उसका स्वरूप ही बदल दिया गया है । मेरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार अश्लील वीडियो कैसेटों के बढ़ते हुए प्रचार एवं अवैध धंधे पर पाबन्दी लगाने के सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यवाही कर रही है इस देश में जहां अवैध हथियारों के आने से देश की एकता की और अखण्डता को खतरा पैदा हो रहा है, वहीं अवैध अश्लील वीडियो कैसेट आने से भी खतरा पैदा हो रहा है । अध्यक्ष जी, जैसा आप जानते हैं और अखबारों में भी इसकी चर्चा हुई है कि भिण्डरावाले के विदेशों में भरे हुए कैसेट इस देश में भारी मात्रा में आ रहे हैं और बाजारों में बिक रहे हैं परन्तु हमारी सरकार आंख बंद किए हुए बैठी है और उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है । 1950 ऐक्ट, जिसका जिक्र मंत्री जी ने किया, उसके माध्यम से आपने अब तक कितनी अवैध वीडियो कैसेट्स विक्रेताओं के खिलाफ कार्यवाही की ?

दूसरे यह कि आप कुछ फिल्म स्टार्स की फिल्मों के वीडियो कैसेट्स भरने पर चिन्तित हैं, पिछले दिनों अखबारों में आया कि श्री राजीव गांधी ने कहा कि अमिताभ बच्चन की फिल्मों के कैसेट नहीं भरे जायेंगे और जो ऐसा करेगा उसके खिलाफ कार्यवाही होगी । मैं जानना चाहता हूं कि इसी तरह की कार्यवाही और अभिनेताओं की फिल्मों के वीडियो कैसेट बनाने वाले अपराधियों के खिलाफ आपने कोई कार्यवाही की, मुकदमा चलाया ?

श्री एच० के० एल० भगत : माननीय सदस्य ने वीडियो पाइरेसी के खिलाफ जो चिन्ता व्यक्त की है मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं और सरकार खुद महसूस करती है कि इससे बहुत नुकसान हो रहा है और सरकार इसके खिलाफ इसी सेशन में कनून में संशोधन लाना चाहती है, कापी राइट ऐक्ट और सिनेमाटोग्राफ ऐक्ट में जिससे ज्यादा सजा दी जाय । इसकी तफसील में मैं इस वक्त नहीं जाना चाहता, लेकिन दोनों कानूनों में हम तरमीम करना चाहते हैं और उसके लिये बिल इसी सैशन में लायेंगे । वीडियो पाइरेसी से बहुत नुक्सान हो रहा है फिल्म इंडस्ट्री को तथा

अन्य बहुत सी चीजों का भी नुकसान हो रहा है और सरकार उसके बारे में स्वयं चिन्तित है । विडियो पीरेसी हमारे मुल्क में ही नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों में भी यह बीमारी फैली हुई है ।

दूसरी बात माननीय सदस्य ने कही कि राजीव गांधी जी के कहने से कुछ इंस्ट्रक्शन्स दिये गये हैं । मैं उनको बताना चाहता हूं कि न उन्होंने कोई इंस्ट्रक्शन्स दिये हैं और न हमने दिये, न अमिताभ बच्चन की फिल्मों के बारे में कोई इंस्ट्रक्शनस दिये और न हम दे सकते हैं । पता नहीं कहां से माननीय सदस्य ने बिल्कुल मनगढ़न्त कहानी कह दी । मैं बहुत आदर के साथ उनको बताना चाहता हूं कि जहां तक इसके खिलाफ ऐक्शन लेने की बात है, ऐक्शन लिया जाय, और जो मौजूदा कानून है, जैसा मैंने पहले सवाल के जवाब में कहा है, आज के कानून में भी वीडियो फिल्म अगर कोई पब्लिक्ली दिखाए तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है सिनेमा टाग्राफ ऐक्ट में । इसमें कार्यवाही करने का अधिकार राज्य सरकारों का है । हमने राज्य सरकारों को लिखा है, सूचना सचिवों की मीटिंग की है, मैंने स्वयं मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा, और खास करके ओबसीन पोस्टर्स के बारे में लिखा, सारी राज्य सरकारों को कहा गया । कुछ जगह राज्य सरकारों ने कार्यवाही की है, जिनका ब्यौरा इस समय मेरे पास नहीं है । लेकिन मैं माननीय सदस्य से पूरा सहमत हूं और सरकार चिन्तित है कि अपनी बहुत सी चिजों को कायम रखने के लिये, मौरल और कल्चरल वैल्यूज को कायम रखने के लिए और फिल्म इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देने के लिए । साथ ही जो देश के अच्छे गायक हैं, सौंग्स हैं तथा अन्य बहुत सी चीजों की पाइरेसी से बड़ा नुकशान पहुंच रहा है और सरकार उस दिशा में कार्यवाही भी कर रही है । हमने फिल्म इंडस्ट्री को भी लिखा है कि आप अपनी मारकेटिंग स्ट्रेटजी को चेंज और रिवाइज करें । सरकार इस तरफ भी ध्यान दे रही है कि सौशल और कल्चरल लाइफ पर औथेन्टिकेटड कैसेट्स मुल्क में बनाये जायें, प्राइवेट लोग भी बनायें ताकि अगर कैसेट्स की लोगों को जरूरत है तो चोरी किए हुए की बजाय जैनुइन कैसेट् इस्तेमाल हो सकें।

श्री जगपाल सिंह : अध्यक्ष जी, देश में अभी तक वी० सी० आर० का निर्माण नहीं हो रहा अकेले दिल्ली में करीब 1 लाख से ज्यादा वी० सी० आर० हैं, दूसरे शहरों की मैं बात नहीं करता । जब आपके यहां वी० सी० आर० निर्माण नहीं होते विदेशों से जो इम्पोर्ट करने की आप इजाजत देते हैं इसके चलते आप अवैध वीडियो कैसेट्स नहीं रोक पायेंगे, लोग चोरी छिपे उनको खरीदेंगे । दूसरे हमारे देश की इकोनामी का सवाल है । हम अपनी विदेशी मुद्रा विलासिता की चीजों पर खर्च कर रहे हैं और उसका आयात कर रहे हैं .....

मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि भविष्य में जब तक देश में वी सी आर का निर्माण नहीं होता है, क्या वह इसके इम्पोर्ट पर प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं या नहीं ?

श्री एच० के० एल० भगत : पहला उनका कहना यह है कि दिल्ली में एक लाख वी सी आर हैं । यह मुझे मालूम नहीं कि एक लाख हैं या नहीं, ना मैं इम्पोर्ट करता हूं और न मंगवाता हूं, ना मुझे इसके बारे में पता है । मेरे मन्त्रालय का भी ...(व्यवधान)

श्री जगपाल सिंह : इसकी तस्करी हो रही है और आपके पास रिपोर्ट नहीं है ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आपको यह नहीं मालूम है कि दिल्ली में कितने वी० सी० आर० हैं ?

श्री एच० के० एल० भगत : जितने ऐसे अवैध काम यहां हो रहे हैं, शायद आपको इसकी ज्यादा बेहतर जानकारी हो, लेकिन मेरा कहना यह है कि जहां तक वी० सी० आर० के इम्पोर्ट करनेका सवाल है, वह मेरा मन्त्रालय इन्फार्मेशन एंड ब्राडकास्टिंग इसको डील नहीं करता है, दूसरी मिनिस्ट्री डील करती है । जो बात आपने कही है; और ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है; यह भी मैं कबूल नहीं करता कि सब कुछ हो रहा है । जो भावनाएं आपने व्यक्त की हैं, आप उन्हें कंसर्न्ड मिनिस्टर कह दें, आप चाहेंगे तो मैं भी कह दूंगा ।

श्री सुनील मैत्रा : उनका कहना यह है कि उनके मन्त्रालय का वी० सी० आर० से कोई संबंध नहीं है । किन्तु उनके मन्त्रालय का इससे गहरा सम्बन्ध है ।

श्री जगपाल सिंह : वी० सी० आर० के बारे में उन्होंने जवाब दिया है इनका मन्त्रालय कंसर्न्ड कैसे नहीं है ? इनके पास रिपोर्ट होनी चाहिए ।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं कह रहा हूं कि वी० सी० आर० को आयात करने की अनुमति इस मन्त्रालय द्वारा नहीं दी जाती । यह काम अन्य मन्त्रालय कर रहे हैं ।

श्री जगपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप क्वैश्चन का जवाब नहीं दिलायेंगे तो कैसे होगा ?

अध्यक्ष महोदय : मैं उनकी बात समझता हूं । आप मेरे साथ बहस नहीं कर सकते । श्री जगपाल सिंह, आप अनावश्यक रूप से ये बातें मुझे कह रहे हैं ।

श्री जगपाल सिंह : इनके मन्त्रालय का सम्बन्ध वी० सी० आर० से होना चाहिए या नहीं, इस पर कार्यवाही की जाए ।

प्रो० मधु दण्डवते : वह अपनी अनाभिज्ञता जिरह कर रहे हैं । यह उनका मौलिक अधिकार है ।

अध्यक्ष महोदय : ज्ञान और अनभिज्ञता दोनों ही मौलिक अधिकार हैं ।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : मैं मानती हूं कि बीडियो पायरेसी आप रोक नहीं सकते क्योंकि बहुत जगह वीडियो गये हैं और जिस प्रकार की फिल्में उन पर दिखाई जाती हैं, उस पर जिस प्रकार की चिन्ता श्री जगपाल सिंह जी ने व्यक्त की है; मैं उससे सहमत हूं । अगर आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते तो मेरा दूसरा सवाल यह है कि मैग्जीन्स में और दूसरे एडवर्टाइजमैंट्स में इतने गन्दे प्रकार से बहिनों का जो प्रदर्शन किया जाता है उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं ? वह तो आपके हाथ में अधिकार है । कई मैग्जींस ऐसे हैं, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहती, उनमें खास पैसेज ऐसे होते हैं जिसमें बहिनों के नंगे चित्र दिखाये जाते हैं ।

एक माननीय सदस्य : सूर्य मैग्जीन ?

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : सूर्य ही क्यों, इलस्टेट्ड वीकली में इस प्रकार के पिक्चर्स आते हैं ।

मेरा कहना है कि आप इसे सिर्फ स्टेट गवर्नमैंट पर ही मत छोड़िये, सेन्ट्रल गवर्नमैंट का कानून बनाइये । जो चीजें पिक्चर में नहीं दिखाते हैं, लेकिन ऐसे गन्दे पोस्टर बनाकर लोगों के सामने रखे जाते हैं कि कहा नहीं जा सकता । कुछ ऐसे मैग्जीन्स हैं जिसमें लास्ट पेज पर बहिनों को नंगा चित्र रहता है । ऐसे मैग्जींस के खिलाफ कुछ कानूनी कार्यवाही करने के लिए आप इन सारी चीजों पर कोई बिल लाने के लिए तैयार हैं ?

श्री एच० के० एल० भगत : मैं ओनरेबल मेम्बर की इस बात से सहमत हूं कि किसी मैग्जीन में किसी प्रकार की ओबससीनिटी महिला के बारे में खासतौर से नहीं आनी चाहिए । जो बात उन्होंने कही है वह सही है । मैं भी उसके खिलाफ हूं । यह बात वह मेरे नोटिस में लाई थीं, मैंने इसके बारे में उनको सलाह दी थी कि जो भी स्पैसेफिक बात हो, किसी मैग्जीन के बारे में कहना चाहती हों, वह कहें । उसके लिए आज के कानून में ओबसीनिटी के बारे में इन्डियन पीनल कोड और दूसरे कानूनों में व्यवस्था है और उसको इम्पलीमैंट करने की अथौरिटी है । उसका अधिकार सेंट्रल गवर्नमैंट के पास भी है, स्टेट गवर्नमैंट के पास भी है । उनको कहना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : वह पहले कह चुकी हैं ।

श्री एच० के० एल० भगत : वह कह रही हैं कि इसके बारे में कोई सेंट्रल कानून बनाना चाहती है या नहीं ? यह बात मैं अभी इस समय कुछ नहीं कह सकता क्योंकि सारा मामला राज्य सरकारों से भी संबंधित है । कल सवाल आ सकता है कि राज्य सरकारों के साथ सख्ती की गई है । इसलिए जो सुझाव दिया है, मैं उस पर अभी कुछ नहीं कह सकता ।

श्री हरीश कुमार गंगवार : अध्यक्ष महोदय, ऐसे तो गवर्नमैंट की पूरी जिम्मेदारी होती है और मन्त्री जी यह बात कह कर नहीं बच सकते हैं कि इतना हिस्सा दूसरी मिनिस्ट्री का है । यह सामूहिक जिम्मेदारी है पूरी गवर्नमैंट की । मंत्री जी ने जवाब दिया है कि उन्हें जानकारी नहीं है । मैं यह जानकारी भी देना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वी० डी० ओ०, वी० सी० आर० यह सब सिंगापुर से यहां रोजाना लाए जा रहे हैं हवाई जहाजों से ? क्या इस बात की जानकारी है कि सिंगापुर से आते हैं, जापान के मेक के होते हैं और यहां बाजार में बिक जाते हैं । एक एक लड़का उसमें दुगुना मुनाफा कमाता है । ये सब लड़के आजकल यह धन्धा कर रहे हैं । इससे हमारे देश की एकोनामी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है । ज्यादातर ये लड़के आप की ही शरण लेते हैं; आप की ही तरफ के होते हैं । क्या इस बात की जानकारी करके या अगर जानकारी है तो क्या इस व्यापार को बंद कराएंगे ? निश्चित सूचना मैं दे रहा हूं । हर लड़के को देख लीजिए, सिंगापुर जा रहा है, लौटकर एक वी० डी०

मो०, वी० सी० आर० लेकर आता है और दुगुने पैसे पर बेचता है। इस तरह से वह एक कमाई कर रहा है। इससे हमारे देश को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, तो क्या आप इस को बन्द करायेंगे ?

श्री एच० के० एल०भगत : यह मैं मानता हूं कि सरकार की जिम्मेदारी क्लेक्टिव है। जो जो कुछ होगा उसका मैं बराबर जिम्मेदार हूं। सरकार के किसी भी शोवे के मामले से बचने की कोशिश मैं नहीं कर रहा हूं और न मैं बचना चाहता हूं। एक बात जो उन्होंने कही कि यह धन्धा हो रहा है, यह मेरी जानकारी में नहीं है। आप जानकारी दे रहे हैं, उसके बारे में एक बात तो मैं सफाई से कहना चाहता हूं कि यह कहना कि हम करवा रहे हैं या हमारी तरफ से हो रहा है यह बिल्कुल गलत बात है। यह बिल्कुल पोलिटिकली मोटिवेटेंड स्टेटमैंट है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई इस तरह का गलत धन्धा नहीं कर रहे हैं। हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है। अगर कोई स्पेसिफिक इन्फार्मेशन उनके पास है तो ऐंटी स्मग्लिंग आर्गेनाइजेशन को, मिनिस्ट्री आफ कमर्स को इत्तिला दीजिए, उनको लिखिए की कौन कर रहा है कैसे कर रहा है। अगर आपके पास वाकफियत हैं, सोर्सिज हैं, नालेज है तो उनको खबर दीजिए, वह कार्यवाही करेंगे।''' (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल सिंह कश्यप, नेक्स्ट क्वेश्चन।

'''(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मेरा 32 नम्बर का सवाल सेम है, दोनों को एक साथ कर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप को एतराज नहीं है और मंत्री जी को एतराज नहीं है तो जोड़ देते हैं। एनर्जी मिनिस्टर साहब बतायें, अगर उनको एतराज न हो तो दोनों को जोड़ दें।

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरीफ मोहम्द खां) : प्रश्न संख्या 32 देश में विद्युत की अत्याधिक कमी से संबंधित है और प्रश्न संख्या 22 एन० टी० पी० सी० द्वारा विद्युत संयंत्र स्थापित करने के संबंध में है। यह आप पर निर्भर है।

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : यदि आप दोनों प्रश्नों को एक साथ मिलाना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है ?

श्री राम लाल राही : 32 से पहले 26 नम्बर का सवाल आ जाता है।

अध्यक्ष महोदय : राही साहब, इसको बारात नहीं बनाया जा सकता।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर आप पीछे आने वाले सवाल जोड़ेंगे तो पहले आने वाले सारे सवाल रह जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप एतराज करते हैं तो रोक देते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नहीं, इनको तो जोड़ दीजिए।

बिजली की कमी को पूरा करने के लिए 500 मेगावाट के एकक स्थापित करने का प्रस्ताव

*22. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार देश में बिजली की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से 500 मेगावाट की क्षमता के दस एकक स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इन एककों की स्थापना किन स्थानों पर की जाएगी तथा उन पर प्रति-वर्ष कितनी धनराशि व्यय होगी ;

(ग) क्या बिजली उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई अन्य ठोस कदम भी उठाए जायेंगे ताकि कृषकों को कम से कम 10 घंटे तक बिजली दी जा सके ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्द खां) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को केन्द्रीय क्षेत्र में 500-500 मेगावाट के दस यूनिट स्थापित करने का कार्य सौंपा गया है। इस परियोजनाओं के स्थल और किए जाने वाले व्यय के बारे में ब्यौरा संलग्न उपाबंध में दिया गया है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, फरक्का सुपर ताप-विद्युत परियोजना के विस्तार चरण में 2×500 मेगावाट की यूनिटें और तलचेर सुपर ताप-विद्युत परियोजना के चरण-I में 2×500 मेगावाट की यूनिटें प्रतिष्ठापित करने का भी प्रस्ताव रखता है।

विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए किए गए उपाय ये हैं : (क) वर्तमान क्षमता से उत्पादन में वृद्धि करना, और (ख) अतिरिक्त क्षमता को शीघ्र प्रतिष्ठापित करना। इसके परिणामस्वरूप अप्रैल-जून, 1984 में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में विद्युत उत्पादन में 15·7% की वृद्धि हुई। 1984-85 के लिए कुल मिलाकर 154 बिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन करने और 3899 मेगावाट की नई उत्पादन क्षमता जोड़े जाने का कार्यक्रम है। विद्यमान ताप-विद्युत यूनिटों के नवीकरण और आधुनिकीकरण संबंधी कार्य भी हाथ में लिये जा रहे हैं। इससे विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों से विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि होने की आशा है। विभिन्न विद्युत केन्द्रों को पुनः सशक्त बनाने के लिए, कोयले की सप्लाई की गुणवत्ता में सुधार करने, फुटकर पुर्जों की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने; तथा तकनीकी कौशल को उन्नत करने का बहूद्देश्यीय

कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। जल विद्युत परियोजनाओं को भी शीघ्र चालू किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों से आने वाले समय में विद्युत की उपलब्धता में सुधार होने की आशा है। विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि हो जाने से कृषि क्षेत्र को विद्युत की सप्लाई में प्राथमिकता के आधार पर सुधार किया जायेगा।

उपाबन्ध

1. परियोजना का स्थल	सिंगरौली सु० ता० वि० परि०	कोरबा सु० ता० वि० परि०	रामागुण्डम सु० ता० वि० परि०	रिहन्द सु०ता० वि० परि० (चरण-1)
2. अनुमोदित क्षमता (मोगावाट)	2000	2100	2100	1000
3. 500 मेगावाट के यूनिटों की संख्या	2	3	3	2
4. मार्च, 1984 तक व्यय (करोड़ रुपये) (अनन्तिम)	119·06	133·62	65·70	127·63
5. वर्ष वार शेष व्यय (करोड़ रुपये) (प्रत्याशित)				
1984-85	132·57	148·69	59·60	180·57
1985-86	162·73	187·30	124·90	264·45
1986-87	143·63	186·32	285·80	292·00
1987-88	67·43	153·28	239·60	174·65
1988-89	14·94	94·05	119·30	95·45
1989-90		62·26	42·00	25·00
1990-91		4·08	15·28	2·37

देश में बिजली की आवश्यकता तथा बिजली का उत्पादन

*32. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :**

श्री राम विलास पासवान †: क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय देश में बिजली की उत्यधिक कमी है ;

(ख) क्या इस समय देश में अनुमानतः बिजली की कितनी आवश्यकता है तथा बिजली का कुल वार्षिक उत्पादन कितना है ;

(ग) क्या सरकार द्वारा कमी को पूरा करने के लिए कोई प्रयास किये जा रहे हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या इस प्रयोजन हेतु कोई विशेष निधि आबंटित की गई है ; और

(ङ) देश बिजली की आवश्यकता के सम्बन्ध में कब तक आत्म-निर्भर हो जायेगा ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) देश में विद्युत की कमी है ।

(ख) लगभग 156 बिलियन यूनिट की सकल आवश्यकता की तुलना में 1983-84 के दौरान ऊर्जा का कुल उत्पादन लगभग 140 बिलियन यूनिट था ।

(ग) देश में विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए किए जा रहे उपायों में निम्न-लिखित शामिल हैं : (1) मौजूदा उत्पादन क्षमता के बेहतर समुपयोजन के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के भ्रमणशील दल/कृत्तिक बल नियमित रूप से ताप-विद्युत केन्द्रों का दौरा करते हैं और उत्पादन में सुधार लाने के लिए समयबद्ध कार्यवाही योजना तैयार करते है ।

(2) निमाणाधीन परियोजनाओं को शीघ्र चालू करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण निर्माण गतिविधियों की समुचित मानीटरिंग करता है तथा निर्माताओं/सप्लाईकर्ताओं द्वारा उप-स्कर की समय पर डिलीवरी में भी सहायता करता है ।

(घ) ताप-विद्युत केन्द्रों/यूनिटों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक नवीकरण तथा आधुनिकीकरण स्कीम का प्रस्ताव किया गया है जिस पर 500 करोड़ रुपये व्यय होगा ।

(ङ) विद्युत की आवश्यकता और उपलब्धता के बीच अन्तर को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं । तदनुसार, 1979-80 में छठी योजना के प्रारम्भ से पूर्व विद्युत की जो कमी 16% थी, उसे 1983-84 में कम करके 10.8% कर किया गया है । विद्युत उप-लब्धता में और वृद्धि करने की योजना है ताकि आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके परन्तु इसकी समय-सीमा साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : मन्त्री जी ने उत्तर सभा पटल पर रखा है । इस समय बिजली

का संकट पूरे देश में है। उद्योगों में और खास तौर से कृषि क्षेत्र में ज्यादा परेशानी है। लोगों को कई-कई हफ्ते तक बिजली नहीं मिल पाती है।

यह आप जो ताप यूनिट्स का निर्माण कर रहे हैं और दूसरे जितने भी ऊर्जा के साधन हैं, विशेष रूप से बिजली पैदा करने के, उनके द्वारा, आज देश में जो वर्तमान बिजली की आवश्यकत है या भविष्य में जो आवश्यकता होगी, उसको पूरा करने में कब तक समर्थ हो सकेंगे ? आज जो उपभोक्ता उम्मीदवारी की लाइन लगाए हुए बैठे हैं उनको आपकी यह यूनिट्स कबतक पूरी क्षमता के साथ बिजली उपलब्ध कर सकेंगी ? इसके साथ ही साथ आप यह भी बताने की कृपा करें कि इस समय देश की बिजली की क्या आवश्यकता है और भविष्य में, अगले दो चार पांच साल में क्या आवश्यकता होगी।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन्, बुनियादी तौर पर बिजली की व्यवस्था करना और बिजली उपलब्ध कराना, राज्य सरकारों का काम है। राज्य सरकारों के प्रयासों को सप्लीमेन्ट करने के लिए, उनकी मदद करने की नीयत से, केन्द्रीय सरकार ने सेक्टर में सुपर थर्मल पावर स्टेशन लगाने का निर्णय लिया और वह इसलिए लिया कि बिजली की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जा सके। लेकिन यह कहना, कि कितने दिनों में, जो कुल मांग है उसको पूरा किया जा सकेगा, अभी सम्भव नहीं हो सकेगा क्योंकि यह कई बातों पर निर्भर करता है जिसमें संसाधनों की उपलब्धि आदि शामिल हैं। (**व्यवधान**) बिजली की जो आवश्यकता है वह ऐसा नहीं है कि जिसको आप छोटा करके बता दें। बुनियादी तौर पर यह कैपिटल इंटेंसिव इण्डस्ट्री है, जिसके लिए बहुत संसाधनों की आवश्यकता होती है। हम मानते हैं कि यह एक वाइटल इनपुट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इनपुट है इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बिजली उपलब्ध कराई जाए। (**व्यवधान**)

श्रीमन्, छठी योजना शुरू होने से पहले पावर शार्टेज 16 परसेंट थी जिसको 1983-84 में 10.8 परसेंट पर ले आया गया है। योजना के अनुसार हम आशा करते हैं आने वाले सालों में इस पावर शार्टेज को और भी कम किया जा सकेगा।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : माननीय मंत्री जी ने बताया है कि पावर का, बिजली काबड़ा महत्व है, देश के उत्थान के लिए उसकी बड़ी आवश्यकता है। किन्तु राज्यों में जितनी विजली का उत्पादन होना चाहिए वह नहीं हो रहा है, बहुत कम बिजली उत्पादित की जा रही है। क्या केन्द्रीय सर ार बिजली का केन्द्रीयकरण करने के लिए कोई कदम उठाएगी ताकि सारे देश के लिए एक नीति हो और बिजली का उत्पादन बढ़ाया जा सके ? क्या देश में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो बिजली की उत्पादन क्षमता को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं और उससे बिजली के उत्पादन में कमी आई है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य बिजली को केन्द्रीय सूची में ाने की बात कह रहे हैं। इस सम्बन्ध में राज्याध्यक्ष कमेटी ने अपनी संस्तुतियां की हैं और हमारे मन्त्रालय से संबंधित जो पांलमेंट की कंसल्टेटिव कमेटी है उसमें भी माननीय सदस्यों ने अपनी राय

व्यक्त की थी कि बिजली को केन्द्रीय सूची में लाया जाए। उसके तुरन्त बाद राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में भी इस मामले पर विचार किया गया परन्तु प्रदेश सरकारों के प्रतिनिधियों की तरफ से इस बारे में कोई फेवरेबल रेस्पांस नहीं मिला। हमारे सामने दोनों ही मत हैं और सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते लेकिन यह दोनों ही मत सरकार के सामने हैं।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने कहा है :

"1983-84 के दौरान ऊर्जा का कुल उत्पादन लगभग 140 बिलियन यूनिट रहा जबकि मांग लगभग 156 बिलियन यूनिट थी।"

इसका मतलब यह है कि आप यह मानकर चलते हैं कि यदि 156 बिलियन यूनिट्स का बिजली का उत्पादन हो जाए तो सारे देश की बिजली की आवश्यकता पूरी हो जायेगी जबकि इस समय 140 बिलियन यूनिट्स का उत्पादन हो रहा है यानि 16 बिलियन यूनिट्स की और आवश्यकता है। जहां तक मेरी जानकारी है, उसके मुताबिक अभी भी गांवों में किसानों को 6 घंटे भी बिजली उपलब्ध नहीं हो रही है। बिहार में तीन-चार सौ मेगावाट का उत्पादन हो रहा है जबकि मैं समझता हूं चार हजार मेगावाट भी उत्पादन हो जाये तो भी वह कम होगा। पता नहीं किसने आपको यह स्टैटिस्टिक्स दे दी कि 156 बिलियन यूनिट्स की आवश्यकता होगी। देश को अन्धेरे में रखने के लिए हमारे घर में दिया जल जाए, देश में दिया जल जल जाये, किसने आपको बताया है और किस आधार पर बनाया है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : अध्यक्ष महोदय, क्या सिर्फ मुझे यह जबाव देना है कि किसने बनाया है ? यह विशेषज्ञों ने बनाया है।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष जी, विशेषज्ञ जवाब नहीं दे रहे हैं। यह रिसपांसिबिलिटी मिनिस्टर की है। आप अध्यक्ष हैं, हमारी रक्षा कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आपने पूछा है कि किसने बनाया है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन्, टैक्नीकल मामलों में निश्चित ही विशेषज्ञों की राय महत्व रखती है, जिन्होंने उस क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की है, जिनका उसमें एक्सीपीरियेंस है और हम केवल विद्युत लगाने, विद्युत उपलब्ध कराने के बारे में ही नहीं सोचते हैं, बल्कि डिमाण्ड मैनेजमैंट की जो कल्पना है, जो सिद्धांत है, उसको ध्यान में रखते हुए सारे आंकड़े बनाये जाते हैं। आप सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा। आप सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि किसने बनाया है, श्रीमन्, मैं बता देता हूं।···(व्यवधान)···

श्री सुनील मैत्रा : वे किसी भी संयंत्र विशेष की स्थापित क्षमता 'मेगावाट' में बताते हैं और जब उत्पादन के आंकड़े देते हैं तो वह 'मिलियन' यूनिट में दिए जाते हैं। क्या आप कृपया उन्हें कहेंगे कि वह हमें बताये कि एक मेगावाट में कितने मिलियन यूनिट होते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आपने मेरे माध्यम से उनसे एक सा ही प्रश्न पूछा है ।

डा० कृपा सिंधु भोई : आप केवल विपक्ष के सदस्यों को ही अनुमति दे रहे हैं । आप हमें कोई मौका नहीं दे रहे···**(व्यवधान)**···

अध्यक्ष महोदय : जो भी सदस्य पहले प्रश्न पूछता है, उसे दो प्रश्न पूछने का अधिकार है ।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मेरा सीधा सा प्रश्न है । मैं मन्त्री महोदय से यह पूछ रहा था कि विशेषज्ञों ने आपको सलाह दी हो या महाविशेषज्ञों ने सलाह दी हो—सरकार का जवाब क्या है ? क्या सरकार यह समझती है कि देश में बिजली की आवश्यकता सिर्फ 156 बिलियन यूनिट्स है ?

अध्यक्ष महोदय : राम विलास जी, जिस प्रश्न का जवाब दिया जा रहा है, यह सरकार का जवाब है जो अपनी विशेषज्ञों की राय के मुताबिक ठीक समझते हैं दिया है । आप इसको दो हिस्सों में क्यों बांट रहे हैं ?

श्री राम विलास पासवान : मैं नहीं बांट रहा हूं, मेरा आरोप है कि सरकार गलत जवाब दे रही है । मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं—मंत्री महोदय सदन को फिर से एशोर करें कि आवश्यकता 156 बिलियन यूनिट्स की है या इससे अधिक है ?

अध्यक्ष महोदय : इनकी राय में 156 बिलियन यूनिट्स कम हैं । क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि वास्तव में आवश्यकता इतनी है, ज्यादा नहीं है ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : 1983-84 में आवश्यकता 156 बिलियन यूनिट्स की थी, हम ऐसा मानते हैं । राम विलास पासवान जी को अधिकार है कि वह जो चाहें मत रखें, लेकिन जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनके परामर्श से हमने अपने सामने यही लक्ष्य निर्धारित किया है ।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । मेरे पहले प्रश्न का उत्तर मंत्री महोदय ने नहीं दिया है, फिर भी मैं दूसरा प्रश्न यह पूछता हूं—गांवों में किसानों को कितने परसेन्ट और कितने घंटे बिजली मिल रही है । मैं पार्टिकुलरली बिहार, यू० पी० और बंगाल के बारे में जानना चाहता हूं कि कितने घंटे मिल रही है ?

श्री आरिफ मोहम्द खां : प्रदेश सरकारों से उपलब्ध सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 7 घंटे, बिहार 6 घन्टे

श्री रामावतार शास्त्री : बिल्कुल गलत है, एक घन्टा भी नहीं मिलती है ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : आप मुझे कहने दें, उसके बाद जब आप खड़े हों तो अपनी बात कहें कि गलत है । लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया है—यह सूचना हमें राज्य सरकारों द्वारा

उपलब्ध कराई गई है । यदि माननीय सदस्य कहेंगे कि यह सूचना सही नहीं है तो हम राज्य सरकारी की जानकारी में लायेंगे और कहेंगे कि वे इसकी जांच करके बतलायें···

अध्यक्ष महोदय : आप उनको कह ही दें कि यह ठीक नहीं है ।

श्री राम विलास पासवान : मंत्री महोदय कहते हैं कि 24 घंटे में 6 घटे बिजली मिलती है···

अध्यक्ष महोदय : आप मोनोपोलाइज करने की कोशिश करते हैं, यह गलत बात है । मैंने तो खुद आपकी बात को ज्यादा असरदार तरीके से कह दिया है । आप जो करना चाहते थे, वह मैं पहले ही कर चुका हूं । लेकिन फिर भी यदि आप एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं तो वह गलत है ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : अध्यक्ष महोदय, मुझ से यू० पी०, बिहार और वेस्ट बंगाल के बारे में पूछा गया था । मैंने बतलाया कि उत्तर प्रदेश में 7 घन्टे, बिहार में 6 घन्टे और वेस्ट बंगाल की सरकार ने सूचना उपलब्ध कराई है कि वहां किसी किस्म का कोई कट नहीं है, 24 घंटे बिजली मिलती है । ···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत अधिक समय लेते हैं । यदि आप इस तरह करेंगे तो मैं आपके प्रश्न रोक दूंगा । एकाधिकार जमाने का प्रयत्न मत कीजिए । अन्य सदस्यों को भी यह अधिकार प्राप्त है । यह आपकी बहुत खराब बात है । मैं यह समझ नहीं पाया हूं···(**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : वह सही जबाव नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप मुझे कह रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने भी यही कहा है । यह राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर कहा गया है । और मैं भी कहता हूं कि राज्य सरकारों के लिए यह ठीक नहीं वह इस तरह गलत उत्तर दें । मैंने यही कहा है । मुझें निश्चित जानकारी है लेकिन यह कोई तरीका नहीं है ।

श्री रामविलास पासवान : मंत्री महोदय को झूठ बोलने का अधिकार नहीं है ।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में राणा प्रताप सागर एटामिक प्लांट कैनेडियन टैकनालाजी से स्थापित किया गया था, उसके निरन्तर खराब होने से पूरी-की-पूरी अर्थ-व्यवस्था चौपट हो रही है । मैं आपसे पूछना चाहती हूं । निकट भविष्य में उस स्थान पर, जो कोटा के निकट है और रावत-भाटा के नाम से जाना जाता है, क्या कोई अन्य यूनिट स्थापित करने का सरकार का विचार है ? वे दोनों एटामिक यूनिटस बराबर खराब रहते हैं, एक सप्ताह भी नहीं चल पाते हैं, इससे राजस्थान की स्थिति बहुत खराब हो गई है । क्या मन्त्री महोदय इसका जवाब देंगे कि वहां पर कोई अन्य यूनिट लगायेंगे ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : इस वक मेरे लिए यह कहना संभव नहीं है लेकिन मैं इसकी सूचना माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दूंगा ।

डा० कृपा सिंधु भोई : हमारे देश में ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता, मेगावाट में, कितनी है ? एन० टी० पी० सी० और राज्य सरकारें कितनी क्षमता का उपयोग करते हैं ? उड़ीसा में स्थापित क्षमता 1,200 मेगावाट है जिसमें से 920 मेगावाट पन बिजली है, जो मौसम पर निर्भर करती है । इसी कारण से उड़ीसा सरकार ने केन्द्र सरकार को पिछले 4-5 वर्षों में कई बार ब्रज नगर में 840 मेगावाट का तथा तालचेर में 2000 मेगावाट के ताप विद्युत इकाईयां स्थापित करने के लिए कहा है । श्रीमती गांधी ने सदन में कहा था कि हम पन बिजली की बजाय ताप विद्युत का उत्पादन करेंगे ताकि बिना किसी बाधा के नियमित रूप से बिजली की पूर्ति होती रहे । इसकी क्या स्थिति है ?

अध्यक्ष महोदय : आप इन प्रश्नों में से एक का उत्तर दे सकते हैं ।

श्री आरीफ मोहम्मद खां : छठी योजना के आरम्भ में स्थापित क्षमता 28,000 मेगावार थी । हमें आशा है कि छठी योजना के अन्त तक कुल स्थापित क्षमता 43,000 तक हो जायेगी ।

जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है, सुपर ताप विद्युत केन्द्र के सम्बन्ध में प्रस्ताव 30-4-84 को प्राप्त हुआ था और सी० ई० ए० द्वारा तकनीकी आर्थिक स्वीकृति के लिए अवगत कराया जा रहा है ।

डा० कृपा सिन्धु भोई : मुझे मन्त्री महोदय से यह उत्तर मिला है कि ताप विद्युत केन्द्र ...तक पूरा हो जायेगा ।

श्री आरीफ मोहम्मद खां : अन्य ताप विद्युत केन्द्रों के बारे में मेरे पास सूचना नहीं है । मैं जानकारी दे दूंगा ।

श्री मेरावदन के० गधावी : क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में स्थापित क्षमता का वास्तविक उपयोग केवल 40-50 प्रतिशत तक है और गुजरात में यह 60 प्रतिशत या 65 प्रतिशत है ? क्या यह भी सच है कि 'भेल' द्वारा सप्लाई किए गए कुछ जेनरेटिंग सैट ठीक काम नहीं कर रहे हैं और इसलिए राज्यो में जेनेरेटिंग सैट आयात करने के लिए कहा है, जिससे इन्कार किया गया है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यह सच है कि हर राज्य और हर केन्द्र में संयंत्र भार भिन्न-भिन्न होता है और हम राज्य सरकारों तथा राज्य विद्युय बोर्डों को यह कहते रहते हैं कि वे अपने संयंत्र का भार और क्षमता के उपयोग में सुधार लाने के लिए कदम उठाएं । यह भी सही है कि कुछ राज्य विद्युत बोर्डों ने मशीनों में कुछ पुर्जो को शिकायत की है, जब कभी हमें ऐसी शिकायतें मिलती हैं, इसके समाधान के लिए 'भेल' के साथ बातचीत की जाती है ।

श्री ए० के० राय : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि हाल ही के वर्षों में विद्युत संयंत्रों की क्षमता के कुल उपयोग में वृद्धि हुई है। यदि हां तो उसके कारण क्या है।

दूसरे, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि आप तथाकथित ताप विद्युत संयंत्रों में 500 मेगावाट के जेनरेटर लगाने जा रहे हैं। यदि हां तो इन 500 मेगावाट जेनेरेटरों को कौन बनाएगा और क्या क्षमता के कम उपयोग का उच्च क्षमता वाले जेनेरेटर प्रतिष्ठापित करने से कोई सम्बन्ध है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, यह सच है कि संयंत्र का भार क्षमता उपयोग कम हो गया था और 1976-77 में यह एक रिकार्ड था। 1980 के बाद इसमें पुनः वृद्धि होनी आरम्भ हुई।

श्री ए० के० राय : मेरा प्रश्न सीधा है कि क्या हाल ही के पिछले दो वर्षों में इसमें कमी आई है ? क्या पिछले दो वर्षों में यह 40-70 प्रतिशत से कम होकर 37 प्रतिशत रह गई है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय 1983-84 में यह 47.9 प्रतिशत थी जबकि लक्ष्य 51 प्रतिशत था। 1983 84 में ताप विद्युत केन्द्रों का भार लक्ष्य से कम होने के कई कारण थे जैसे-नए एककों की स्थिरीकरण में लम्बा समय लगना, दीर्घावधि तक विद्युत सप्लाई न करना, अर्प्याप्त विद्युत, निकास, व्यवस्थित मांग का अभाव, सभी कार्य पूरा होने से पहले इकाइयों का समकालीकरण आदि। उसके लिए ये कारण जिम्मेदार थे। यह पिछले वर्षों की तुलना में 1983-84 में कुछ कम था।

श्री जार्ज फर्नांडिस: अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि बिहार का काटिका बिजली घर जो 1982 के मार्च महीने में कमीशन होना चाहिए था जो अब 1984 के मध्य तक भी पूरा नहीं हुआ है। इस सवाल को बार बार इस सदन में छेड़ा गया है। पहले जो मन्त्री महोनय थे, उनसे भी पूछा था। क्या इसकी यह वजह है कि इस काम को जनता सरकार के कार्यकाल में शुरू किया गया। क्या इसलिए इस काम में ढील दी जा रही है ? (**व्यवधान**)

इस बिजली घर के निर्माण के लिए पैसे की जो आपूर्ति होनी चाहिए, वह नहीं की गई। हर प्रकार की हरकतें निर्माण करने में की गई। कई बार उत्तरी बिहार के किसानों और लोगों ने इस बिजली घर को बनाने के लिए संघर्ष चलाया। लेकिन सात साल होने के बाद भी इसको पूरा नहीं किया गया है। तो मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस बिजली घर को कब तक आप कमीशन करने जा रहे हैं ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन् यह बिजली घर सेंट्रल सेक्टर के अन्तर्गत नहीं है। यह बिहार सरकार का बिजली घर है। वैसे तो इसके लिए अग्रिम सूचना की आवश्यकता थी। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, बी एच ई एल ने बिहार सरकार को आश्वासन दिया है कि शायद इसी नवम्बर तक वे इसको पूरा कर देंगे।

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम पर विधि आयोग की रिपोर्ट

*23. **श्री सूरज भान** † :

श्री अटल विहारी वाजपेयी : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम; 1925 की कुछ धाराओं को महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण पाया है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उनका विचार इस सत्र के दौरान, सम्बन्धित अधिनियम के सम्बन्ध में उपयुक्त संशोधन लाने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) विधि आयोग ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम. 1925 के पुनरीक्षण पर विचार करने का कार्य आरम्भ कर दिया है और उसने इस विषय पर तैयार किए गए कार्यकरण पत्र पर टीका-टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

श्री सूरज भान : अध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष में महिलाओं का बहुत ऊंचा स्थान रहा है। एक तरफ तो यह पोजीशन थी कि महिला के बगैर कोई यज्ञ या हवन पूरा नहीं समझा जाता था। पुरुषों के नाम के साथ जब तक महिला का नाम न जुड़ जाय तब तक नाम नहीं लिया जाता था, जैसे—राधाकृष्ण, सीताराम···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आजकल तो आफिस में भी काम नहीं करते।·····(व्यवधान)

श्री सूरज भान : शास्त्रों में तो यहां तक भी लिखा गया कि "ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी"। बदकिस्मती से यह पोजीशन आज भी चल रही है। ····· ·····(व्याधान)

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, ये कौन से शास्त्र की बात कर रहे हैं। यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते, तत्र रमन्ते देवता :···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ये हैं नहले पर दहला।···(व्यवधान)

श्री सूरज भान : आज जहां विधान में आर्टिकल 16 (1) और 16 (2) में यह लिखा है कि सैक्स के आधार पर कोई डिस्क्रीमिनेशन नहीं होगा वहीं इन्डियन सक्सेशन एक्ट के सैक्शन 7, 15, 22, 42-46 और 60 में महिलाओं के साथ पूरा डिस्क्रीमिनेशन किया गया है। इसीलिए,

लां कमीशन ने शायद वर्किंग पेपर तैयार किया है। कृपया वह पेपर एम० पीज को सकलेट करवा दीजिए।

स्टेटसमैन, 20, जून अखबार में जो लिखा है, वह बताना चाहता हूं।

"इसमें अन्य भेदमूलक वर्गों को अछूता रखा है। आयोग की अपनी स्वीकारोक्ति में इसका कारण जनमत के भड़कने का डर बताया गया है जो कि किसी मूलभूत परिवर्तन के लिए अनुकूल नहीं होगा।"

महिलाओं की प्रतिष्ठा सम्बन्धी समिति को एक प्रतिवेदन दिया है 1975 का प्रतिवेदन पृष्ठ 362 में कहा गया है :

"कि संरक्षण को प्रश्न का निर्धारण बच्चे के हित की दृष्टि से किया जाना चाहिए न कि माता या पिता के पूर्व अधिकार की दृष्टि से।"

संयुक्त राष्ट्र संघ आयोग ने महिलाओं की प्रतिष्ठा संबंधी चार सुझाव दिए हैं—

(1) महिलाओं के सभी अधिकार और कर्त्तव्य समान हैं।

मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय के पास भी किताब है। यू० एन० कमीशन की जो चारों रिकमन्डेशन्स हैं, क्या आप उसको इम्पलीमेंट करेंगे और जो ला कमीशन ने वर्किंग पेपर में पब्लिक ओपीनीयन के डर की वजह से जिन चीजों को टच नहीं किया है, उनको भी परव्य में लाकर कांप्रीहेंसिव अमेडमेंट करेंगे ताकि औरतों को पूरा बराबर का दर्जा मिल सके ?

श्री जगन्नाथ कौशल : मैंने अपने जवाब में कहा है कि लां कमीशन ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। ला कमीशन ने तो सिर्फ एक वर्किंग पेपर तैयार किया है जिस पर पब्लिक ओपीनीयन के लिए मुख्तलिफ लोगों से कमेंट्स मांगे हैं और कमेंट्स मांगने की लास्ट डेट 30 जून 1984 थी। इसलिए अभी ला कमीशन किसी नतीजे पर नहीं पहुचा है। मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि आपको कुछ बता सकूं। जब ला कमीशन की रिकमन्डेशन्स आयेंगी तब हम बता सकेंगे कि किसको मानने जा रहे हैं और किसको नहीं ?···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : एडवान्स में प्रामिस कर दीजिए।···(**व्यवधान**)

श्री सूरज भान : मैंने कहा था कि ला कमीशन का वर्किंग पेपट अधूरा है। आज के हिन्दुस्तान टाइम्स में जो कुछ छपा है, वह मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं क्योंकि, सुप्रीम कोर्ट ने आपसे पूछा है। "उच्चतम न्यायालय ने संघ सरकार से यह बताने के लिए कहा कि, बहुविवाह, तलाक, दत्तक ग्रहण, उत्तराधिकार आदि से संबंधित मुस्लिम वैयक्तिक कानून को असंवैधानिक करार कर रद्द क्यों नहीं कर दिया जाना चाहिए। उसमें डायरैक्टिव प्रिंसिपल्स का हवाला देकर कहा गया है और तीन हफ्ते में रिपोर्ट मांगी गई है। क्या माननीय मंत्री जी इस सदन को कान्फीडैंस में लेंगे और बतायेंगे कि इस बारे में वे सुप्रीम कोर्ट को क्या राय देने वाले

हैं।

श्री जगन्नाथ कौशल : जो प्रश्न आपने किया है, उसका ला कमीशन की रिपोर्ट से कोई ताल्लक नहीं है।

श्री सूरज भान : यह प्रश्न वीमैन के बारे में है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह महिलाओं के साथ भेदभाव का मामला है। अध्यक्ष महोदय, क्या हर कानून में संशोधन के लिए ला कमीशन की सिफारिश होना जरूरी है। इस सरकार का अपना कोई दिमाग नहीं है कि उसमें परिवर्तन करे। अध्यक्ष महोदय, उत्तराधिकार का कानून अंग्रेजों के द्वारा 1925 में बनाया गया था और इस समय 1984 चल रहा है। अंग्रेजों ने अपने देश में उस कानून को बदल दिया, मगर हम उनके कानून से अपने देश में बंधे हुए हैं। आखिर ला कमीशन की सिफारिशों के लिए रूकने की क्या जरूरत है। वर्तमान उत्तराधिकार कानून के अन्तर्गत किसी बच्चे की नागरिकता या राष्ट्रीयता तय करने में मां का कोई हाथ नहीं है। यदि कोई बच्चा बालिग हो और उसकी सम्पत्ति का मामला तय करना हो तो शादी कर लेने पर उसका फैसला पिता करेगा। यदि पिता नहीं करता है तो उसका निर्णय हाई कोर्ट करेगा। मां को उसमें कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। आखिर यह भेदभाव का कानून कब तक हमारे देश में चलता रहेगा। इस देश की प्रधानमन्त्री एक महिला हैं, मगर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव जारी है। इसलिए आप ला कमीशन की आड़ मत लीजिए। यह सरकार अपने दिमाग को काम में लाकर 1925 के दकियानूसी, पुराने और रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक उत्तराधिकार के कानून में संशोधन के प्रस्ताव को लेकर क्यों नहीं आ रही।

(व्यवधान)

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : दिमाग की बात उस वक्त क्यों नहीं की जब यहां दिमाग वालों की जनता पार्टी की सरकार थी।

(श्री जगन्नाथ कौशल) : स्पीकर सहाब, मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है कि यहां क्वैश्चन तक ही बात कन्फाइन रखनी चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : आप देखें कि मन्त्री महोदय क्या कह रहे हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मिनिस्टर साहब को ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो भी प्रश्न पूछा, पता नहीं आपने मेरे प्रश्न को सुना या नहीं, लेकिन वह प्रश्न की परिधि के भीतर था। **(व्यवधान)**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : जो कुछ मन्त्री जी ने कहा है, उसको सदन की कार्यवाही में से निकाल बाहर कर देना चाहिए।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : यह आप पर आक्षेप कर रहे हैं, सर ।

श्री जार्ज फर्नांडीस : उन्हें अपनी शब्द वापिस लेने चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : यदि उनका कथन अश्लील या अनपार्लियामेंटरी होगा तो उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा । बताइये, उसमें क्या है ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : उन्होंने इस सदन की गरिमा पर हमला किया है ।

अध्यक्ष महोदय : बताइए कैसे ?

श्री जगन्नाथ कौशल : इसमें पार्लियामेंटरी और अश्लीलता का प्रश्न ही नहीं है । स्पीकर साहब, मैं निहायत विनम्रता के साथ फिर कहना चाहूंगा कि मुझे अब तक समझ में नहीं आया कि ऐसी कौन सी बात है जिस पर मेरे दोस्त इतने नाराज हो गए । मैंने तो सिर्फ एक ही बात कही थी । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बीच में क्यों बोल रहे हैं, सुनने तो दीजिए ।

श्री जगन्नाथ कौशल : इस वक्त मेरे सामने यह प्रश्न था कि औरतों के खिलाफ डिस्क्रीमिनेशन के सम्बन्ध में क्या ला कमीशन ने कोई निर्णय ले लिया है ताकि उस भेदभाव को दूर किया जा सके, जिसके उत्तर में मैंने यही कहा कि ऐसा कोई निर्णय अभी तक लिया गया है । जहां तक बाजपेयी जी के प्रश्न का सम्बन्ध है, उनका अभिप्राय यह है कि जब तक उनका निर्णय न आये, उससे पहले ही हमें इण्डियन सक्सैशन एक्ट में संशोधन ले आना चाहिए । हमको अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए जबकि इन्होंने अपना दिमाग 1977 और 1978 में इस्तेमाल नहीं किया । मेरी समझ में नहीं आता कि ये सारी बातें इस प्रश्न से कैसे पैदा होती हैं । मैं एक बार फिर बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि जब ला कमीशन इण्डियन सक्सैशन एक्ट को एग्जामिन कर रहा है और उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचेगा तो उसके बाद आप सब से मश्वरा किया जाएगा जो देश का निर्णय होगा उसके मुताबिक कानून में संशोधन किया जायगा ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अध्ययक्ष महोदय, आप जरा सवाल देख लीजिए, केवल ला कमीशन की सिफारिश तक ही सीमित नहीं है :

उनका विचार (ग) क्या इस सत्र के दौरान सम्बन्धित अधिनियम के में, उपयुक्त संशोधन लाने का है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं यही कह रहा हूं । उनका जबाव यह है कि उनके आने के बाद में ही हम करेंगे ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : यही मैंने पूछा है कि उनके आने के बाद तक रुकने की क्या

जरूरत है ? 1977 में हमारा दिमाग तो नहीं था, लेकिन अगर आप हमारे ही दिमाग का परिचय देने वाले हैं तो जो हमारा हाल 1980 में हुआ था, वही आपका 1984 में होगा ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय वाजपेयी जी के कहने का मतलब इतना ही है कि अमल यहां रहती है, वहां रहने पर अकल कम हो जाती है ।

श्री वसन्त साठे : अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि देश की औरतों का दिमाग इनसे ज्यादा अच्छा है ।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : अध्यक्ष जी यह बात सही है कि जब हमें संविधान में समान अधिकार मिला हुआ है तो जो उत्ताधिकार से संबंधित काननू है जिसमें बच्चे के या प्रोपर्टी के मामले में स्त्री के लिए कोई अधिकार नहीं है, चाहे देर आयद दुरुस्त आयद, कोई बात नहीं, वाजपेयी जी जब हुकूमत में थे बहुत सी चीजें ऐसी करी तब उन्हें होश ही कहां रहता था, लेकिन हम होश में हैं । मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार कोई संविधान या कानून के अन्तर्गत इस तरह से संशोधन करना चाहती हे कि पति की प्रोपर्टी में भी स्त्री का हक हो और बच्चों के मामले में या उत्तराधिकार के मामले में भी उन बच्चों के लिए और उस उत्तराधिकार में भी स्त्री बराबर की हिस्सेदार हो सके, ऐसा कोई कानून में संशोधन करने का विचार है ?

श्री जगन्नाथ कौशल : माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि हिन्दू सक्सेशन ऐक्ट में यह सब चीजें आलरेडी प्रोवाइ हो चुकी हैं और 1956 में हो चुकी हैं ।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : शादी के बाद पति की प्रोपर्टी में आधा हिस्सा होना चाहिए ।

श्री मनीराम बागड़ी : वह नारी की बात कर रही हैं और मन्त्री जी सिर्फ हिन्दू नारी की बात कर रहे हैं । आप भारत की नारी की वात बतायें न कि हिन्दू नारी की ।

अध्यक्ष महोदय : यह बात तो कानूनी है । माननीय बागड़ी जी का नुक्ता बड़ा जोरदार है ।

श्री जोबियर अराकल : महोदय, विधि आयोग ने ऐसे ही महत्वपूर्ण अधिनियमों में कुछ भेदमूलक खंडों में संशोधनों की सिफारिश की है । उदाहरण के लिए, भारतीय तलाक अधिनियम में, ईसाई संप्रदाय, विशेषकर उस संप्रदाय की महिलाओं के साथ बहुत भेदभाव किया जाता है और विधि आयोग ने ठीक ही कहा है कि भारतीय तलाक अधिनियम में से भेदमूलक खंड भी हटाए जाने चाहिए । यह मामला इस सदन में कई बार उठाया गया है और माननीय मन्त्री ने यह कहा है कि इस संबंध में कदम उठाए जायेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार भारतीय तलाक अधिनियम में संशोधन सदन के समक्ष कब तक प्रस्तुत करेगी ताकि पति एवं पत्नि दोनों को समान अधिकार दिए जा सकें तथा उनके साथ न्याय किया जा सके ?

श्री जगन्नाथ कौशल : ला कमीशन की जो रिर्पोटस है वह विचारधीन है। जब उन पर फाइनल ओपीनियम हो जाएगी तो मैं हाउस के सामने आऊंगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

इलेक्ट्रानिक मतदान मशीन पद्धति आरम्भ करना

*24. **श्री के० मालन्ना** :

श्री कमल नाथ : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्वाचन आयोग ने निर्वाचनों के लिए इलेक्ट्रानिक मतदान मशीन पद्धति आरम्भ करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां तो इस संबन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जी हां।

(ख) सरकार का यह विचार रहा है कि राज्य विधान सभाओं और संसद् के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए मशीनों का उपयोग करने और ऐसे उपयोग के लिए दिधि में संशोधन करने के प्रश्न पर तभी विचार किया जाएगा जब जनता मशीनों द्वारा मतदान करने की पद्धति से अवगत हो जाए तथा इस बारे में सामान्य स्वीकृति भी हो जाए कि मतदान की ऐसी पद्धति का दुरुपयोग करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इस विषय पर पुनर्विचार करने के लिए निर्वाचन आयोग के अनुरोध की समीक्षा की जा रही है।

मीडिया (प्रचार माध्यमों) में कार्यरत लोगों के प्रति सरकार का रवैया

*25. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** :

श्री बापू साहिब परुलेकर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल यूनियन आफ जर्नलिस्ट्रस ने यह आरोप लगाया है कि सरकार मीडिया में कार्यरत लोगों के प्रति भेदभाव पूर्ण रवैया अपना रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में लगाये गये आरोप किस प्रकार के हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) जी, हां

(ख) आरोप मोटे तौर पर सरकारी रूप से प्रायोजित यात्राओं को कवर करने के लिए पत्रकारों के चयन में किए गए कथित भेदभाव से संबंधित हैं।

(ग) सरकारी रूप से प्रयोजित यात्राओं को और कवर करने के लिए पत्रकारों का चयन अविभेदी आधार पर किया जाता है यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाता है कि प्रेस के विभिन्न वर्गों, विशेषकर भाषाई और क्षेत्रीय समाचारपत्रों, को यथासंभव प्रर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो।

बिजली उत्पादन में वृद्धि करने हेतु उठाये जाने वाले कदम

*26. **श्री रामलाल राही** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब हरियाणा और दिल्ली के व्यापार मंडल द्वारा यह आशंका व्यक्त की गई है कि यदि बिजली उत्पादन के संबंध में तत्काल उपाय नहीं किये जाते हैं तो समस्त उत्तर भारत को गम्भीर बिजली संकट का सामना करना पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या बिजली उत्पादन में वृद्धि न होने पर इसका औद्योगिक और कृषि विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबन्ध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) उत्तरी क्षेत्र में विद्युत की स्थिति के बारे में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के व्यापार मंडल द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है।

विद्युत शक्ति संरचना का एक आधार भूत भाग है और इसको पर्याप्त सप्लाई औद्योगिक और कृषि विकास कार्यक्रमों के साथ परस्पर जुड़ी है।

छठी पंचवर्षीय योजना में उत्तरी क्षेत्र में 5172 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का विचार है। योजना के पहले 4 वर्षों में कुल 3082 मेगावाट क्षमता जोड़ी गई है। 1984-85 के चालू वर्ष के दौरान 760 मेगावाट की क्षमता चालू किए जाने के लक्ष्य है। छठी योजना के अन्त में इस क्षेत्र में प्रतिष्ठापित क्षमता 11929 मेगावाट होने की आशा है।

उन यूनिटों के अतिरिक्त जिन्हें इसी वर्ष में चालू करने का कार्यक्रम है, उत्तरी क्षेत्र में कुल 11015 मेगावाट क्षमता की स्कीमें विभिन्न चरणों में क्रियान्वित की जा रही हैं। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 3744 मेगावाट की क्षमता की वृद्धि करने के लिए स्कीमों को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत कर दिया है। उत्तरोत्तर नई स्कीमों को चालू करने से विद्युत सप्लाई की स्थिति में पर्याप्त सुधार हो जाएगा।

साथ ही राज्य बिजली बोर्डों को अपने-अपने संबंधित राज्यों में मौजूदा विद्युत संयंत्रों से अधिकतम विद्युक उत्पादन करने के लिए कारगर उपाय करने की सलाह दी गई है।

चालू वर्ष के दौरान कच्चे तेल का आयात

*27. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

श्रीमती विद्या चेन्नुपति : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष के दौरान कच्चे तेल के आयात बिल में लगभग 400 करोड़. रु० की वृद्धि होने का अनुमान है जैसा कि 1 जून, 1984 के इण्डियन एक्सप्रेस के दिल्ली संस्करण में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) 1983-84 के दौरान 3,290 करोड़ रुपये की लागत पर 13.8 मिलियन मी० टन खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादनों की मात्रा का आयात किया गया था।

1984-85 में 3,660 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर खनिज तेल तथा उत्पादों के आयत का अनुमानित स्तर 12.9 मिलियन मी० टन होगा।

तथापि यह अनुमान लगाया गया है कि बम्बई हाई खनिज तेल का निर्यात जो 1983-84 में 5 मिलियन मी० टन है और जिसका मूल्य 1110 करोड़ रुपये है बढ़ कर 1984-85 में (7.7 मि.मी.टन हो जायेगा) जिसका मूल्य 1800 करोड़ रुपये होगा।

यद्यपि 1984-85 में आयातों का स्तर 1983-84 की तुलना में कम होगा, तथापि उच्चतर आयात बिल होने का कारण अधिकांश रूप से रुपया-डालर परिवर्तन दर में परिवर्तन होता तथा पेट्रोलियम उत्पादों के उच्चर मूल्य बताये गये है।

केन्द्रीय बिजली घरों से विभिन्न राज्यों को सप्लाई की जाने वाली बिजली की दरों में समानता

*29. **श्री के रामामूर्ति** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित बिजली घरों से विभिन्न राज्यों को सप्लाई की जाने वाली बिजली की दरों में असमान्ता को न्यूनतम करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(ख) विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय योजनाओं से बिजली आबंटित करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तैयार किये गये फार्मूले का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों से, जिनका स्वरूप क्षेत्रीय होता है, क्षेत्र के राज्यों को विद्युत का आबंटन निम्नलिखित फार्मूले के अनुसार किया जाता है :—

(1) समय-समय पर क्षेत्र में लाभ प्राप्त करने वाले अलग-अलग राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 15% विद्युत केन्द्र के नियंत्रण में अनाबंटित रखी जाती है।

(2) 10% विद्युत उस राज्य को आबंटित की जाती है, जिसमें परियोजना स्थित है।

(3) शेष 75 प्रतिशत विद्युत का आबंटन लाभ प्राप्त करने वाले राज्यों को (इसमें वह राज्य भी शामिल होता है जिसमें परियोजना स्थित है) लाभ प्राप्त करने वाले राज्यों को केन्द्रीय योजना सहायता तथा पांच वर्ष के दौरान इन राज्यों में ऊर्जा की खपत के अनुसार किया जाता है।

जल विद्युत परियोजनाओं के मामले में परियोजना वाले राज्य को, ऊपर उल्लिखित विद्युत के 10 प्रतिशत अधिक आबंटन के अतिरिक्त, जल विद्युत केन्द्रों द्वारा उत्पादित बिजली का 1.5 पैसे प्रति यूनिट की दर से भुगतान किया जाता है।

केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों का निर्माण क्षेत्र के सभी राज्यों को लाभ देने के लिए क्षेत्रीय विद्युत केन्द्रों के रूप में किया गया है। तदनुसार, क्षेत्र में लाभ प्राप्त करने वाले सभी राज्यों को केन्द्र सरकार के केन्द्र द्वारा उत्पादित विद्युत एक समान टैरिफ पर सप्लाई की जाती है। ऐसे सिद्धान्तों के सम्बन्ध में कोई अन्तःक्षेत्रीय विषमता नहीं है, जिन पर टैरिफ निर्धारित किया जाता है, वे सभी क्षेत्रों पर समान रूप से लागू होते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में टैरिफ में भिन्नता के मुख्य कारण परियोजनाओं की लागतों में विभिन्नता, सम्बद्ध परिषण प्रणालियां ईंधन की लागतें तथा कुछ प्रचालन संबंधी पैरामीटर हैं।

उर्वरक कारखानों को बिजली की सप्लाई

*29. **श्री अमर सिंह राठवा :**

श्री उत्तम राठौर : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1983-84 में बिजली की कमी का उर्वरकों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा था,

(ख) यदि हां, तो बिजली के संकट से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले उर्वरक कारखानों के नाम क्या हैं, और

(ग) उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने हेतु उर्वरक कारखानों को वर्ष 1984-85 में पर्याप्त बिजली सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी हां ।

(ख) मद्रास, टूटी को रिन (तमिलनाडु), राउरकेला, तालचर (उड़ीसा), उद्योगमण्डल, कोचिन (केरल), और मंगलौर (कर्नाटक) स्थित उर्वरक संयंत्र संबंधित राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा 1983-84 के दौरान लगाई गई पावर की कटौतियों/प्रतिबंधों से गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे ।

(ग) दीर्घकालीन उपचारी उपाय के रूप में, गंभीर तथा बारम्बार पावर समस्याओं का सामना करने वाले एककों में या तो कैपटिव पावर संयंत्र 'स्थापित किए जा रहे हैं या उनकी योजना बनाई है । महत्वपूर्ण उपकरणों की गंभीर पावर अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कुछ एककों को, कम क्षमता वाले गैस टरबाइन भी स्वीकृत किए गए हैं ।

राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे उर्वरक उद्योग को एक विशेष श्रेणी माने और उर्वरक संयंत्रों को पावर की कटौतियों/पाबन्धियों से मुक्त रखें ।

फिल्मों के आयात पर प्रतिबन्ध

*30. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार विदेशों से फिल्मों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब से और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन देशों के लिये यह प्रतिबन्ध लागू होगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विभिन्न टेलीकाम सर्किलों/टेलीफोन विभागों को "स्टोर्स" की सप्लाई

*31. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **संचार** मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न टेलीकाम सर्किलों/टेलीफोम विभागों को लाइन सामग्री तथा स्विच उपकरण सहित "स्टोर्स" की सप्लाई में सुधार करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं क्योंकि वे इनकी भारी कमी महसूस कर रहे हैं :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उत्तर-पश्चिम सर्किल के प्रत्येक घटक राज्य को 1 अप्रैल, 1984 से 30 जून, 1984 तक (अर्थात् पहली तिमाही) कितनी मात्रा में "स्टोर्स" आबंटित किये गये ; और

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में किसी प्रकार की भारी कमी की पुनरावृत्ति न हो ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगील) : (क) जी हां ।

(ख) महाप्रबंधक, दूरसंचार स्टोर ने लाइन सामग्री की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई करने के लिए अनेकों नए विक्रेताओं से बातचीत की । परिणाम-स्वरूप, लाइन सामग्री की अब सामान्यतः कोई कमी नहीं है । इसी प्रकार मैसर्स आई०टी०आई० से स्विचन उपस्करों की सप्लाई प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है तथा कुछ उपस्कर आयात भी किए जा रहे है । इलेक्ट्रनिक स्विचन उपस्कर की पांच-पांच लाख लाइनों की विनिर्माण क्षमता की दो नई फैक्टरियां भी स्थापित की जा रही हैं ।

1984-85 की पहली तिमाही में उत्तर पश्चिम सर्किल को आवंटित लाइन सामग्री का ब्यौरा संलग्न विवरण-एक में दिया गया है । साज-समान का आवंटन सर्किल जिले द्वारा भेजे गए पूर्वानुमान के आधार पर किया जाता है, जो इस साज-सामान को अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले डिवीजनों को उनकी मांग के आधार पर आगे वितरित करता है । पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश उत्तर पश्चिम सर्किल के अन्तर्गत आते हैं तथा इस सर्किल में स्थित विभिन्न डिवीजनों को आवंटन महाप्रबंधक, उत्तर पश्चिम सर्किल, अम्बाला द्वारा किया जाता है । इन राज्यों में स्थित डिवीजनों को महाप्रबंधक, दूरसंचार, अम्बाला द्वारा 1984-85 की पहली तिमाही के दौरानजो साज-सामान सप्लाई किया गया, वह संलग्न विवरण-दो में दिया गया है । इस अवधि, अर्थात् 1984-85 की पहली तिमाही के दौरान उत्तर पश्चिम सर्किल को कोई स्विचन उपस्कर करने की योजना नहीं थी ।

(ग) आवंटन को देखते हुए विभिन्न फील्ड यूनिटों को साज-सामान की सप्लाई डाक-तार निदेशालय द्वारा केन्द्रीय रूप से की जाती है । विभिन्न स्रोतों से लाईन सामग्री की पर्याप्त मात्रा प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की गई है ताकि फील्ड यूनिटों में इन मदों की कोई कमी न आने पाए । इसके अलावा, समूचे देश में साज-सामान की वितरण प्रक्रिया को कारगर बनायाजा रहा है ताकि सप्लाई में कोई असंतुलनन आने पाए ।

विवरण-एक

1984 की पहली तिमाही के दौरान उत्तर पश्चिम सर्किल के लिए आवंटित लाइन सामग्री

1. ट्यूब ए-8	15000
2. ट्यूब बी-8	18000

3. ट्यूब सी-8	4250
4. सॉकेट बी	16000
5. सॉकेट सी	4250
6. ब्रेकेट 4 डब्ल्यू तार	14250
7. ब्रेकेट 4 डब्ल्यू तार	15000
8. ब्रेकेट 8 डब्ल्यू एनसीजे	120
9. बैंक यूए-I	12200
10. बैंक यूए-II	4180
11. बैंक यूबी-I	4500
12. बैंक यूबी-II	3000
13. बैंक यूसी-I	2300
14. बैंक यूसी-II	1000
15. सैंडल ए	18800
16. सैंडल बा	6250
17. इन्स्यूलेट-टर डी एस लार्ज	44000
18. इन्स्यूलेटर डी एस स्माल	35000
19. स्टाल्क फोन	25000
20. स्टाल्क टेलीग्राम	38400
21. वायर 3.5 मि०मी० मी० टन०	325 मी० टन०
22. वायर जी 12 मि० मी०	45 मी० टन०

विवरण-दो

1.4.84 से 30.6.84 तक आवंटित लाइन सामग्री

क्र०सं०	सामग्री का नाम	पंजाब	हिमाचल-प्रदेश	हरियाणा
1.	ट्यूब ए-8	823	397	1191

1	2	3	4	5
2.	ट्यूब बी-8	762	390	1734
3.	ट्यूब सी-8	91	60	329
4.	सॉकेट-बी	343	420	1502
5.	सॉकेट-सी	132	31	210
6.	ब्रेकेट 4 डब्ल्यू टेलीग्राफ	50	408	690
7.	ब्रेकेट 4 डब्ल्यू फोन	383	100	965
8.	ब्रेकेट 8 डब्ल्यू एनसीजे	30	35	20
9.	यू बैंक ओल साइज	1007	1339	2391
10.	सैडल ए	2236	2050	1474
11.	सैडल बी	110	423	417
12.	इन्स्यूलेटर डी एस लार्ज	1600	300	2480
13.	इन्स्यूलेटर डी एस स्माल	2000	350	2680
14.	स्टाल्क फोन	1290	2390	5622
15.	स्टाल्क टेलीग्राफ	200	—	12
16.	जी आई वायर 300 एलबी एस (3.55 मि० मी०) 5000 कि० ग्रा०	5000 कि.ग्रा.	23160 कि.ग्रा.	5890 कि.ग्रा.
17.	जी आई वायर 2 मि०मी०	4000 कि.ग्रा.	7328 कि.ग्रा.	21620 कि.ग्रा.
18.	ड्रॉप वायर	शून्य	22.6 कि.मी.	12 कि.मी.

गैस पर आधारित उर्वरक परियोजनाओं के लिए आशय पत्रों को मंजूरी

*33. **श्री भीमसिंह :**

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रति वर्ष 1350 टन उत्पादन क्षमता वाली गैस पर आधारित 6

बड़ी परियोजनाओं को आशय पत्र मंजूर करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं के लिए आशयपत्र मंजूर करने में कितना समय लगेगा ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी हां ।

(ख) प्रत्येक संयंत्र के स्थान स्वामित्व, क्षमता तथा अनुमोदित लागत के ब्यौरे संलग्न विवरण पत्र में दिए गए हैं ।

(ग) मैसर्स इण्डो गल्फ फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स कार्पोरेशन लि० (आई. डी. एफ. सी.) तथा मै० इण्डियन फार्मस फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लि० (इफको) को आशयपत्र पहले ही जारी कर दिए गए हैं । मै० नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० (एन. एफ. एल.) ने पहले ही विजयपुर, गुना, मध्य प्रदेश में परियोजना का कार्यान्वयन आरम्भ कर दिया है । शेष कम्पनियों के लिए आशयपत्र जारी करना जांच प्रक्रिया की अग्रिम अवस्था में है और उनके शीघ्र ही जारी किए जाने की संभावना है ।

विवरण

क्रमांक स्थान	स्वामित्व	परियोजना की अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)	कार्यान्वयन के आरंभ होने की तारीख
1. विजयपुर, गुना जिला मध्य प्रदेश	नेशनल फर्टि० लि० (एन० एफ० एल०)	587.1	1-6-84 (सम्भावित)
2. जगदीशपुर, सुलतानपुर जिला उत्तर प्रदेश	इण्डो गल्फ. फर्टि. एण्ड कैमि. लि.	662.60	1-10-84 (सम्भावित)
3. आंवला, बरेली, जिला उत्तर प्रदेश	इण्डियन फार्मस फर्टि. कोपरेटिव लि. (इफको)	732.0	1-10-85 (सम्भावित)
4. विपोला ग्राम स्वाई माधोपुर राजस्थान	जुआरी एग्रो कैमि. लि.	6^9.5	1-4-85 (सम्भावित)
5. बबराला, बदायूं जिला, उत्तर प्रदेश	टाटा कैमि. लि.	600.0	1-10-85 (सम्भावित)

1	2	3	4	5
6.	शाहजहांपुर जिला उत्तर प्रदेश	श्रीराम फर्टि. एण्ड कैमि.	741.99	1-4-86 (सम्भावित)

(1) उपर्युक्त प्रत्येक संयंत्र की 1350 टन प्रति टन अमोनिया तथा 2200 टन प्रतिदिन यूरिया की क्षमता का प्रस्ताव है।

(2) संयंत्रों के कार्य आरम्भ होने के 39-42 महीनों में चालू होने की संभावना है।

सातवीं योजना के लिए संभावित "प्लांट लोड फैक्टर" के लक्ष्य

*34. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के लिए संभावित "प्लांट लोड फैक्टर" (पी० एल० एफ०) के लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं, और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या अन्तिम निर्णय किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 1977 से पी० एल० एफ० में कमी होती जा रही है; और

(ग) क्या सातवीं योजना में पन-बिजली परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है जिससे आठवीं योजना तक ताप बिजली और पन-बिजली क्षमता के बीच असंतुलन को दूर किया जा सके ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) संयंत्र भार अनुपात में 1977-78 और उसके बाद से गिरावट आनी शुरू हो गई थी परन्तु 1981-82 में गिरावट की यह प्रवृत्ति उल्टी हो गई थी। 1981-82 में यह बढ़कर 46.8%, 1982-83 में 49.8% और 1983-84 में 47.9% हो गया था।

(ग) देश में जल विद्युत के विकास की गति में तेजी लाने के लिए सातवीं योजना में बड़ी मात्रा में जल विद्युत कार्यक्रम शामिल किए जाने का प्रस्ताव है।

ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों सम्बन्धी आयोग द्वारा बनाई गई योजनाएं

*35. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :**

श्री राम स्वरूप राम : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों सम्बन्धी आयोग ने नए स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करने के

लिए कोई परियोजनाएं बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उन्हें कब क्रियान्वित किया जाएगा; और

(ग) इन स्रोतों से कितनी ऊर्जा प्राप्त होने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी शिव शंकर) : (क) और (ख) जी हां। छठी योजना के दौरान जो योजनाएं और कार्यक्रम कार्यान्वियन के अधीन हैं उनके साथ-साथ बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना, उन्नत प्रकार के चूल्हों का प्रचार एवं प्रसार, और तापीय ऊर्जा का उपयोग, प्रकाश वोल्टिक युक्तियों और प्रणालियों का विकास एवं प्रयोग, बायोमास का उत्पादन, परिवर्तन और प्रयोग, शहरी कूड़े-करकट् का उपयोग और ऊर्जा प्रयोजन के लिए उसका बहिःस्राव, वायु ऊर्जा तथा ग्रामीण नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों का उपयोग आदि सभी बातें सम्मिलित हैं। सातवीं योजना अवधि के लिए योजनाएं और कार्यक्रम एक विस्तृत पैमाने पर कार्यकारी दल द्वारा गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर बनाए जा रहे हैं।

(ग) ऊर्जा के नए स्रोतों का विकास प्रारम्भिक स्तर पर है। इन स्रोतों से प्रगतिपूर्ण उपलब्धि की आशा की जाती है और कुछ अध्ययनों के अनुसार सदी के अन्त तक नए स्रोत कुल ऊर्जा का 20 प्रतिशत और उससे भी अधिक ऊर्जा सप्लाई कर सकते हैं।

वीडियो के अनधिकृत निर्माण सम्बन्धी अपराध के लिए दंड

*36. **श्री अर्जुन सेठी :**

श्री एन० ई० होरो : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वीडियो के अनधिकृत निर्माण सम्बन्धी अपराध के लिए अनिवार्य न्यूनतम सजा निर्धारित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबन्ध में ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) कापीराइट अधिनियम, 1957 तथा चलचित्र अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत वीडियो पाइरेसी से सम्बन्धित अपराधों के लिए दंडों को बढ़ाने के लिए इन अधिनियमों में संशोधन करने के प्रस्ताव हैं। इन दोनों अधिनियमों में संशोधन से संबंधित प्रस्तावों में कारावास तथा जुर्माने के रूप में न्यूनतत दंडों के लिए प्रावधान शामिल हैं चलचित्रिकी फिल्मों से सम्बन्धित कापीराइट सहित कापीराइट के अतिलंघन के लिए कापीराइट अधिनियम, 1957 तथा अप्रमाणित वीडियो फिल्मों के प्रदर्शन के लिए चलचित्र अधिनियम, 1952।

देश में बंधुआ मजदूरों का पता लगाने तथा उनके पुनर्वास के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना

*37. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के विभिन्न भागों में बंधुआ मजदूरों का पता लगाने तथा उनके पुनर्वास के लिए, समस्या-ग्रस्त क्षेत्रों में विशेष न्यायाधिकरण स्थापित करने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो बाल श्रम और उनके पुनर्वास के विशेष संदर्भ में इन न्यायाधिकरणों के क्षेत्राधिकार का ब्यौरा क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ताप-बिजली संयंत्रों का नवीकरण तथा आधुनिकीकरण

*38. **श्री के० लकप्पा :**

श्री धर्मदास शास्त्री : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 500 करोड़ रुपये की लागत से समस्त देश के ताप बिजली संयंत्रों का नवीकरण और आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं तथा उन बिजली संयंत्रों के नाम तथा स्थान क्या हैं जिनको इस प्रकार प्रस्ताव में सम्मिलित किया गया है;

(ग) क्या वित्त मंत्रालय यह सुझाव देता रहा है कि लागत केन्द्र तथा राज्यों, दोनों के द्वारा वहन की जानी चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां ।

(ख) ऐसे पुराने और अन्य प्रकार की कमी वाले ताप विद्युत केन्द्रों/यूनिटों का नवीकरण तथा आधुनिकीकरण करने के लिए प्रस्ताव है, जिनको तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर पुनः मरम्मत की जा सकती है । इस प्रस्ताव में केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम के अनुमोदित हो जाने के बाद तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने के बाद स्कीम के अन्तर्गत आने वाली स्कीमों के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय लिया जा सका है । जिस पर तीन वर्ष की अवधि

में 500 करोड़ रु० लागत आने का अनुमान है । यह उम्मीद की जाती है कि स्कीम के क्रियान्वित हो जाने पर, प्रति वर्ष 7000 मिलियन यूनिट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन होगी ।

(ग) जी, नहीं । वित्त व्यवस्था के ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में चूल्हा गैस सिलेंडर भरने के संयंत्रों की स्थापना

*39. **श्री शिव चरण वर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में अब तक चूल्हा गैस सिलेंडर भरने के कितने संयंत्र स्थापित किए गए तथा उनकी वर्तमान क्षमता कितनी है;

(ख) क्या उपरोक्त क्षेत्रों में पेट्रोलियम गैस की मांग वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा पश्चिम बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोई संयंत्र स्थापित किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कठिनाइयां हैं और इसको कब तक स्थापित किया जायेगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तीन; कानपुर, इलाहाबाद, तथा बरौनी में जिनकी वार्षिक क्षमता क्रमशः 24,000, 25,000, तथा 20,000 एन. टी. है ।

(ख) और (ग) चालू वर्ष में इन क्षेत्रों में नया बाटलिंग संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना नहीं है; तथापि, बाद के वर्षों के दौरान, नये संयंत्र स्थापित करने तथा विद्यमान संयंत्रों का विस्तार करने की योजनाएं तैयार की जा रही हैं ।

गैर-सरकारी क्षेत्र में ताप बिजली घरों तथा निजी उपयोग वाले बिजली घरों की अनुमति तथा उनकी उत्पादन क्षमता

*40. **श्री के० टी० कोसल्यराम** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र में (राज्यवार) कितने बिजली घरों की स्थापना की अनुमति दी गई है और उत्पादन क्षमता क्या है ; और

(ख) उद्योगों द्वारा निजी उपयोग के कितने केप्टिव बिजली घरों की स्थापना करने की अनुमति दी गई है और इस कार्य के लिए कितने जैनरेटरों का आयात करने की अनुमति दी गई है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर : (क) और (ख) प्राइवेट क्षेत्र में निम्नलिखित ताप विद्युत केन्द्र प्रचालित किए जा रहे हैं :—

विद्युत केन्द्र	उत्पादन क्षमता
1. **महाराष्ट्र**	
ट्राम्बे ताप विद्युत केन्द्र	837·5
2. **गुजरात**	
अहमदाबाद इलेक्ट्रिक कं०	271·1
3. **पश्चिम बंगाल**	
कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कं०	508

उपर्युक्त के अलावा, प्रतिस्थापन यूनिट के रूप में अहमदाबाद इलेक्ट्रिक कं० को 110 मेगा० की एक यूनिट, कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० के टोटागढ़ ताप विद्युत केन्द्र में 60 मेगा० की एक यूनिट क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है। 500 मेगा० की एक और यूनिट प्रतिष्ठापित करने के लिए मै० टाटा इलेक्ट्रिक कं का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया है। कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० के दक्षिणी उत्पादन केन्द्र में प्रतिस्थापना हेतु 2 × 67·5 मेगा० के यूनिट प्रतिष्ठापित करने के प्रस्ताव को जून, 1983 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी—आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

1980-81 से लेकर कुल 2846 मेगा० के केप्टिव विद्युत संयंत्र प्रतिष्ठापित करने के लिए 48 औद्योगिक यूनिटों को अनुमति दी गई है, जिनमें से 26 औद्योगिक यूनिटों ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुत किए गए अपने मूल प्रस्तावों में आयातित उपस्कर प्रतिष्ठापित करने की परिकल्पना की थी, जैसा कि संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

1980-81 से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा सिफारिश किए गए प्रस्तावों की सूची

उत्तरी क्षेत्र

क्रम सं०	यूनिट का नाम	क्षमता (मेगावाट)	अभियुक्तियां
1.	मैसर्स रेणुसागर पावर कम्पनी 1 × 67·5 मे० वा०	67·5	
2.	मैसर्स एच० जेड० एल०, देबारी—1 × 15	15	आयातित
3.	मैसर्स एच० सी० एल०, खेतडी—2 × 10	20	आयातित
4.	मैसर्स डी० सी० एम०, कोटा—1 × 10	10	

5. मैसर्स इन्डियन एक्सप्लोसिव्स—1×12	12	आयातित
6. मैसर्स एन० एफ० एल०, पानीपत—30	30	स्वदेशी
7. मैसर्स एन० एफ० एल०, भटिंडा—30	30	स्वदेशी
8. मैसर्स पंजाब कोनकास्ट स्टील लि०=1×15	15	स्वदेशी
9. मैसे एच० जेड० एल०, चित्तौड़गढ़—3×30	90	
जोड़ :	289·5 मेगावाट	

2. पश्चिम क्षेत्र

1. मैसर्स बालको कोरबा—4×67·5	270·0	
2. मैसर्स एस० ए० आई० एल०, भिलाई 3×60	180	
3. मैसर्स ओ० एन० जी० सी०, उरण 2×20	40	आयातित
4. मैसर्स बी० पी० सी० एल०, माहुल 2×10	20	आयातित
मैसर्स सी० ओ० आई०, नीमच 1×5	5	आयातित
5. मैसर्स एच० पी० सी० एल०, बम्बई 3×10	30	आयातित
6. मैसर्स के० बी० सी० एल०, हजारिया 2×15	30	
7. मैसर्स आर० सी० एफ०, थाल 2×15	30	
8. मैसर्स एच० सी० ओ० एल०, रासायनी 1×5·7	5·7	
9. मैसर्स जी० एन० एफ० सी० लि० 2×25	50	
10. मैसर्स आई० पी० सी० एल०, बड़ौदा 2×28	56	आयातित
11. मैसर्स नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स, नेफा नगर 1×10	10	
जोड़	726·7 मेगावाट	

3. दक्षिणी क्षेत्र

1. मैसर्स सलेम स्टील संयंत्र 1×6

1.	2.	3.	4.
2.	मैसर्स सी० सी० आई०, तंदुर और वेर्राकुंताले 2×5 मेगावाट	10	आयातित
3.	मैसर्स इण्डियन रेयन, गुलमर्ग 1×12	12	
4.	मैसर्स विजाग स्टील प्लांट 3×60	180	
5.	मै० मद्रास फर्टिलाइजर—1×2·5	2.5	आयातित विद्युत विभाग ने मार्च, 1983 में सिफारिश की थी)
6.	मै० एस० पी० आई० सी० तूतीकोरिन —18	18	—वही—
7.	मै० हैवी वाटर प्लांट मंगेर— 3×30	90	
8.	कैमिकल्स एंड प्लास्टिक इण्डिया लि0	4·8	आयातित
9.	मंगलौर कैमिकल्स एन्ड फर्टिलाइजर—5×6·5	32·5	—वही—
10.	मै० मद्रास रिफाइनरीज—10	10	—वही—
11.	एन्नौर पारमफोस प्लांट आफ ई० आई० डी०	1	—वही—
	पैरीं—1×1050 किलो०	1050 किलो0	—वहीं—
	जोड़ :	366·8	
4.	पूर्वी क्षेत्र		
1.	मै० नेलको तलचेर—5×120	600	
2.	मै० एच० एस० एल०-दुर्गापुर 2×60	120	आयातित
3.	मै० एस० ए० आई० एल०-बोकारो—3×60	180	—वही
4.	मै० एस० ए० आई० एल० रूड़केला—2×60	120	—वही—
5.	मै० एच० डी० सी०-रांची—2×10	20	
6.	मै० इण्डियन मैटल्स एण्ड फ़ेररो अलायस 4×30	120	आयातित

1	2	7	4
7.	मै० एच० पी० सी०-हलदिया—1×15—2×15	45	
8.	मै० एच० पी० सी० बरौनी—1×2·5—1×16	18·5	आयातित
9.	मै० एच० पी० सी०-दुर्गापुर—1÷15	15	
10.	मै० एच० पी० सी०-नामरूप—1×27	27	आयातित
11.	मै० एफ० सी० आई०-तलचेर—2×30+1×30	60	—वही—
	(जी टी)	30	
12.	मै० एफ० सी० आई०-पारादीप—2×12·5	25	
13.	मै० सी० आई० एल०-चुलमाड़ी—2×10	20	
14.	मै० सी० आई० एल०-कट्टरा —2×10 कारगिल	20	
15.	मै० सी० आई० एल०-भूनडीह—2×10	20	
	जोड़	:1440·5	
5.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र		
1.	मैं० ओ० आई० एल-०दलीजन—1×7·5 (वेस्ट हीट यूनिट)	7.5	आयातित
2.	मै० ओ० एन० सी० जी० टी० सैट्स—5×3	15	आयातित
	जोड़ :	22.5 मेगा०	

दुर्गापुर तथा बांसवाडा के आदिवासी जिलों को दूरदर्शन तथा रेडियो सुविधा

213. **श्री भीखा भाई :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का समस्त भारत में दूरदर्शन की व्यवस्था करने तथा दुर्गापुर और बांसवाड़ा के आदिवासी जिलों में रेडियो सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन सुविधाओं की उदयपुरके लिए व्यवस्था की गई है ; और

(ग) आदिवासी लोगों को इस सुविधा से वंचित रखने के क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) पश्चिम बंगाल के बर्द्धान जिले में दुर्गापुर शहर को आसनसोल के 10 किलोवाट के ट्रांसमीटर के चालू योजना के दौरान पूरी शक्ति पर चालू हो जाने पर दूरदर्शन सेवा उपलब्ध होने की उम्मीद है। जहां तक रेडियो के संबंध है, इस जिले को आकाशवाणी, कलकत्ता द्वारा कवर किया जा रहा है।

राजस्थान के बांसवाड़ा जिले को छठी योजना के अन्त में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध होने की उम्मीद नहीं है। तथापि, इस जिले को इन्दौर के आकाशवाणी केन्द्र द्वारा कवर किया जा रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) 90 आदिवासी जिलों को दूरदर्शन सेवा उपलब्ध होगी, क्योंकि अनुमोदित छठी योजना में, 1984-85 के दौरान उच्च शक्ति (10 किलोवाट) वाले 26 ट्रांसमीटर तथा अल्प शक्ति (100 वाट) वाले 118 ट्रांसमीटर लगाने का प्रस्ताव है।

जहां तक रेडियो का संबंध है, कवरेज 119 जिलों को उपलब्ध है। छठी योजना के अन्त तक इन जिलों की संख्या बढ़कर 122 हो जाएगी।

डूंगरपुर और बांसवाड़ा के पिछड़े, पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों में टेलीफोन सेवा

214. **श्री भीखा भाई** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री महोदय ने डूंगरपुर और बांसवाड़ा के पिछड़े पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों में टेलीफोन सेवा की वांछनियता का जायजा लेने के लिए वहां का दौरा नहीं किया है ;

(ख) क्या उन्होंने किसी वरिष्ठ अधिकारी को वहां का दौरा करने और सार्वजदिक टेलीफोन की दयनीय दशा देखने का काम सौंपा है ; और

(ग) क्या यह सच है कि सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों से संबंधित एक्सचेंस वर्ष में छ महीने से ज्यादा समय तक लगभग खराब पड़े रहते हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी हां।

(ख) एक निदेशक स्तर का दूरसंचार अधिकारी इस क्षेत्र में नियुक्त किया गया है जिसका मुख्यालय उदयपुर है। यह अधिकारी और मडल इन्जीनियर तार, उदयपुर इन जिलों में संस्थापित सार्वजनिक टेलीफोन घरों का नियमित रूप से निरीक्षण कर रहे हैं।

(ग) जी नहीं। फिर भी टेलीफोन घरों और टेलीफोन एक्सचेंजों के कार्यकरण में अभी सुधार किए जाने की गुंजाइश है।

डूंगरपुर और बांसवाडा जिलों में टेलीफोन सेवा

215. **श्री भीखा भाई** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डूंगरपुर और बांसवाडा के आदिवासी जिलों का नये आपरेटरों के प्रशिक्षण केन्द्र माना जाता है क्योंकि यहां केवल भर्ती किये गये लोगों को ही भेजा जाता है ; और

(ख) क्या यह सच है कि उन क्षेत्रों में यह सेवा असंतोषजनक होने के कारण टेलीफोन उपभोक्ताओं ने अपने कनेक्शन कटवा दिए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी नहीं । कार्यरत कर्मचारियों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

	कुल कर्मचारी	एक वर्ष से कम सेवा वाले कर्मचारी
डूंगरपुर	50	7
बांसवाड़ा	94	17

(ख) जी नहीं । अब तक इस प्रकार का कोई मामला जानकारी में नहीं आया है ।

गोरखपुर, उ० प्र० में डाकघरों, ऊप-डाकघरों का खोला जाना और सार्वजनिक टेलीफोन लगाना

216. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में । 1 अप्रैल, 1980 से 30 जून, 1984 के दौरान कितने डाकघर और उप-डाकघर खोले गए तथा कितने सार्वजनिक टेलीफोन लगाए गए और ये किन-किन स्थानों में खोले गए तथा लगाए गए; और

(ख) उस जिले में, 1984 से 31 मार्च, 1985 तक की अवधि के दौरान कितने डाकघर और उप डाकघर खोलने तथा कितने सार्वजनिक टेलीफोन लगाने का विचार है और इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. एन. गाडगिल) : 01.4.80 से 30.9.84 की अवधि के बीच उत्तर-प्रदेश के गोरखपुर जिले में 17 डाकघर, एक उपाडाकघर और 4 सार्वजनिक टेलीफोनघर खोले गए । ब्यौरे "एक" संलग्न विवरण-एक में दिये गए हैं ।

(ख) 01.7.1984 से 31.3.1985 की अवधि के बीच 4 डाकघर, 4 उप-डाकघर,

और 10 सार्वजनिक टेलीफोनघर खोले जाने की योजना है। ब्यौरे संलग्न विवरण-दो में दिए गए हैं।

विवरण-एक

01.4.80 से 30.6 84 की अवधि के बीच गोरखपुर जिले में खोले गए शाखा डाकघरों, उप-डाकघरों और सार्वजनिक टेलीफोनघरों के नाम :

शाखा डाकघर	उप-डाकघर	सार्वजनिक टेलीफोन
1. जगदीर	1. नई परियोजना हवाई अड्डा	1. हवाई अड्डा गोरखपुर
2. भीति		2. सुमेरसागर
3. तियार		3. वागपुर
4. नेवास		4. सोभरसा बुर्जुर्ग
5. उज्जारपुर		
6. ओसियाकरताहरी		
7. बेल्कुर		
8. थुसवाकलां		
9. मुडार		
10. करजाही		
11. बरलारपुर		
12. गोशाला		
13. बोलियाराजा		
14. गाजपुर		
15. अवधपुर		
16. नद्दआबाजार		
17. संलदाह उर्फ कवालदाह		

विवरण-दो

शाखा डाकघर	उप-डाकघर	सार्वजनिक टेलीफोनघर
1. हरपुर पकड़ी	1. निजामपुर	1. अशोकनगर
2. राजाबाड़ी	2. कृष्णानगर	2. शिवपुरी कालोनी
3. चकडाह	3. सूराकुण्ड कालोनी	3. जटेपुर उत्तरी
4. पटरा	4. इंडस्ट्रियल स्टेट	4. काजीपुर खुर्द
		5. दाउदपुर
		6. धर्मशाला बाजार
		7. सिविल कोर्ट
		8. नवसार
		9. भीतिरावत
		10. परमेश्वर पुर

कम्पनियों की लागत/लेखा परीक्षा

217. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री उपभोक्ता उन्मुखी उद्योग के लागत लेखा परीक्षा के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त के बारे में 27 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5113 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 233 ख के अधीन जब लागत लेखा परीक्षा का आदेश जारी किया जाता है तब समय-समय पर कौन से विशिष्ट मानदण्ड अपनाये जाते हैं और जब आवश्यक समझा जाता है लागत लेखा परीक्षा के आदेश किन-किन कारणों से जारी किए जाते हैं जैसा कि पिछली प्रक्रिया से पता चलता है;

(ख) वर्ष 1980 और वर्ष 1984 के बीच जिन कम्पनियों के सम्बन्ध में लागत लेखा परीक्षा के आदेश जारी किए गए हैं, उनके नाम क्या हैं और प्रत्येक मामले में लागत लेखा परीक्षा के आदेश जिन कारणों से जारी किए गए हैं तथा प्रत्येक मामले में लागत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन किस तारीख को भेजे गए :

(ग) लागत लेखा परीक्षा के माध्यम से उसके सम्बन्धित उत्पाद-लागत और वित्तीय मामलों की जांच दिए जाने का प्रायोजन क्या है; और

(घ) किस-किस कम्पनियों/उद्योगों पर कम्पनी अधिनियम के लागत लेखा परीक्षा उपलब्ध लागू होते हैं और क्या उपभोक्ता संगठनों से शिकायतें मिलने पर लागत लेखा परीक्षा के आदेश जारी दिए जा सकते हैं ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) कम्पनी अधिनियम की धारा 209 (1) (घ) के अन्तर्गत लाई गई प्रत्येक कम्पनी के, 1967 में उसके पुर:स्थापन के पश्चात प्रथम बार लागत लेखा परीक्षा के आदेश दिए गए थे। प्रारम्भिक अवस्थाओं में, व्यक्तिगत कम्पनियों के लघु सीमा क्षेत्र पर लेखा परीक्षा पर ध्यान देते हुए सामान्यत: जब तक लागत लेखा पद्धति को स्थिर नहीं किया गया तब तक वर्ष के बाद वर्ष में ये दोहराये जाते रहे। 1979 से सीमा क्षेत्र की वृद्धि के साथ लागत लेखा परीक्षा की समय अन्तराल पर पुनरावृत्ति का आदेश केवल उन मामलों में जहां पद्धति में सामग्री की कमियों की जानकारी मिली थी आदेश दिया गया था। तथापि सीमेन्ट, जूट, पेपर और भारी मात्रा में औषधि से सम्बन्धित बहुसंख्यक कम्पनियों के सम्बन्ध में, तीन साल की अवधि तक लगातार लेखा परीक्षा का आदेश देने की नीति का पालन किया गया था।

वर्ष 1982 से विभिन्न श्रेणी में आने वाली कम्पनियां परिवर्ती समय के अन्तराल पर क्रमानुसार लागत लेखा परीक्षा के अधीन हैं।

(ख) संकलनरूप में ये आंकड़े उपलब्ध नहीं, हैं और ना ही यह विधि के अन्तर्गत उस रूप में रखना अपेक्षित है। इस सूचना को संकलित करने के प्रयास प्राप्त लाभों के समानुपातिक नहीं होंगे फिर भी यदि माननीय सदस्य किसी विशेष कम्पनी के विषय में सूचना चाहते हैं तो वह प्रस्तुत की जा सकती है।

(ग) उत्पाद लागत और वित्तीय मामलों के लागत लेखा परीक्षकों के द्वारा प्रमाणित आंकड़े और सूचना लागत लेखा परीक्षा नियम, 1968 के उपबन्धों के अन्तर्गत लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में प्रस्तुत की गयी है। ये ब्यौरे कम्पनी के प्रबन्ध एवं सरकार के लिए, जहां इनका सम्भावित प्रयोग किया जा सके सूचना के लिए है।

(घ) लागत लेखा अभिलेखा नियम की धारा 209 (1) (घ) के अन्तर्गत अपने वाली कम्पनियों के वर्गों को जिनकी समय-समय पर अधिसूचित किया गया है, संलग्न विवरण में दिखाया गया है।

धारा 233 (ख) के अन्तर्गत लागत लेखा परीक्षा इन श्रेणियों से सम्बन्धित कम्पनियों पर लागू होती है। उपभोक्ता संगठनों से प्राप्त शिकायतों पर भी लागत लेखा परीक्षा के आदेश देते समय विचार किया जा सकता है।

विवरण

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (घ) के अन्तर्गत लागत लेखा (अभिलेख) नियम के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों के वर्ग ।

क्रम संख्या	वर्ग	प्रकाशित मूल नियम (जी० एस० आर० संख्या)	(तारीख को)	वह तारीख जिसको प्रवृत्त हुए
1	2	3	4	5
1.	सीमेन्ट	1402	12-9-67	1-1-67
2.	साईकल्स	311	2-3-67	1-4-67
3.	रबड़ टायर्स एण्ड ट्यूब्स	1260	1-08-67	1-10-67
4.	कास्टिक सोडा	1261	11-8-67	1-10-67
5.	कमरा एयरकन्डीशनर्स	1447	1-9-67	1-10-67
6.	रेफ्रिजरेटर्स	1448	18-9-67	1-10-67
7.	आटोमोबाइल बैटरीज	1467	20-9-67	1-1-68
8.	इलैक्ट्रिक लैम्पस	1503	27-9-67	1-168
9.	इलैक्ट्रिक फैनस	2298	15-9-69	1-1-70
10.	इलैक्ट्रिक मोटर्स	2574	24-10-69	1-1-70
11.	मोटर व्हीकल्स	1465	17-5-69	1-1-70
12.	ट्रैक्टर्स	1700	28-6-71	1-1-71
13.	अल्युमीनियम	334	25-2-72	1-4-72
14.	वनस्पति	1529	27-11-72	1-1-73
15.	भारी मात्रा में औषधि	130 (अ)	14-3-74	1-4-74
16.	चीनी	982	4-9-74	1-10-74
17.	शिशु दुग्ध आहार	701 (अ)	27-12-74	1-1-75

1	2	3	4	5
18.	जूट का सामान	590 (अ)	29-12-75	1-1-76
19.	औद्योगिक एल्कोहल	594 (अ)	30-13-75	1-1-76
20.	कागज	601 (अ)	31-12-75	1-1-76
21.	रैयन	606	20-4-76	1-5-76
22.	डाइज	605	22-4-76	1-5-76
23.	सोडा राख	1750	29-5-76	1-6-76
24.	नायलोन	157 (अ)	1-4-77	1-4-77
25.	पोलिस्टर	126 (क)	24-3-77	1-4-77
26.	काटन टैक्सटाइल्स	417 (अ)	31-6-77	1-7-77
27.	ड्राई बैटरी सेल	45 (अ)	31-1-79	1-2-79
28.	सल्फ्यूरिक एसिड	395 (अ)	4-7-80	1-8-80
29.	स्टील ट्यूब्स एण्ड पाइप्स	506	26-5-84	26-5-84

जीवन रक्षक औषधियों का उत्पादन

218. **श्री बाला साहिब बिखे पाटिल** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर सरकारी क्षेत्र में कंपनियों के जीवन रक्षक औषधियों के उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में वृद्धि दर क्या है,

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार की औषधियों का सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के द्वारा उत्पादन कराने के लिए कोई कदम उठाए हैं ताकि बाजार में न केवल उनकी निरन्तर आपूर्ति बल्कि कम मूल्य को भी सुनिश्चित किया जा सके और निर्धन व्यक्तियों को भी कठिनाई न हो, और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) निजी क्षेत्र में जीवन रक्षक

औषधों सहित वल्क औषधों के उत्पादन में 1979-80 में 167 करोड़ रुपये के उत्पादन से 1982-83 में 258 करोड़ रु० तक वृद्धि हुई है ।

(ग) और (घ) सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम एन्टीबायोटिक्स, सल्फा औषधों, टी०बी० निरोधी औषधों कुष्ठ निरोधी औषधों एन्टी-हाइपरटेन्सिव औषधों सेरा और वैक्सीनस जैसी जीवन रक्षक औषधों का निर्माण कर रहे हैं । जहां कहीं औषधों की कमी ध्यान में आई तो वह मुख्यत: स्थानीय प्रकृति की अथवा ब्राण्ड औषधों की थी जिनके लिये समान औषधें उपलब्ध हैं । औषधों के मूल्य पर औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1979 के अन्तर्गत कानूनी नियंत्रण रखा जाता है ।

टेलीफोन की बुकिंग के लिये विभिन्न श्रेणियों में प्रारम्भिक जमा धनराशि

219. **श्री बाबूराम पराजपे** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओ० वाई० टी० सामान्य, विशेष आदि वैसी विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत टेलीफोन उपभोक्ताओं से कितनी-कितनी प्रारंभिक जमा राशियां ली जाती हैं ;

(ख) टेलीफोन विभाग के पास टेलीफोन उपभोक्ताओं से इन सभी श्रेणियों के अन्तर्गत जमा राशियां इकट्ठी हो गयी हैं और इस धन का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है ?

(ग) प्रत्येक उपभोक्ता को दूसरी जमा राशियों पर दिया जाने वाला ब्याज की बाजार दर कितनी है और उपभोक्ता को सिक्यूरिटी के रूप में जमा धनराशि पर इससे पूर्व ब्याज की अदायगी किस तरह की गई है । उनके खाते में जमा की गई है उपभोक्ताओं का हिसाब करते समय उसमें ब्याज दे दिया गया है और यदि कोई ब्याज नहीं दिया गया है तो उसके कारण क्या हैं ; और

(घ) इस प्रकार जमा धनराशियों की अदायगी लोटाने, ब्याज की अदायगी करने और अदायगी न करने संबंधी सांबिधिक नियमों, विनियमों और आदेशों का ब्यौरा क्या है और क्या वह इसकी एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल : (क) विभिन्न श्रेणियों में नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आवेदनों पर लिये जाने वाले अग्रिम का ब्यौरा अनुबंध "क" में दिया गया है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया) देखिए संख्या एल० टी० 8453 84]

(ख) मुख्य शीर्ष डाक तार जमा-टेलीफोन आवेदन पर जमा···

1983-84 तक

ओ वाई टी	60.67 करोड़ रु०
गैर ओ वाई टी	93.50 करोड़ रु०
योग	154,17 करोड़ रु०

यह जमा भारत सरकार के जमा का ही एक भाग है । जैसे ही कनेक्शन दिए जाते है, संबंधित जमा डाक तार को अन्तरित कर दिया जाता है और इसका विभाग के आंतरिक स्रोतों के भाग के बतौर अपने पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग किया जा रहा है ।

(ग) नए टेलीफोन कनेक्शनों के अग्रिम जमा करने की तारीख से और टेलीफोन कनेक्शन की स्थापना होने की तारीख से एक दिन पहले तक की अवधि के लिए दिया जायगा । इस जमा पर ब्याज की दर वही होगी, जो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा एक वर्ष के सावधि जमा पर दी जाती है । ब्याज का परिकलन जमा की तारीख को लागू दर से महीनों की पूर्ण संख्या के लिए किया जायगा । अग्रिम जमा और उस पर अर्जित ब्याज को प्रतिभूति जमा, संस्थापन शुल्क, देय अग्रिम किराए के प्रभार के बतौर समायोजित किया जाता है और शेष को टेलीफोन कनेक्शन स्थापित करने के बाद पहले और उसके बाद के बिलों में समायोजित किया जाता है ।

ब्याज की दर मार्केट रेट आफ इंटरेस्ट से सम्बन्ध नहीं है ।

संस्थापित टेलीफोन के लिए गए प्रतिभूति जमा और उपभोक्ता द्वारा देय शुल्क पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता ।

(घ) संबंधित नियम भारतीय तार अधिनियम की धारा 7 की व्यवस्थाओं के अधीन बनाए गए हैं । संबंधित नियमों के उद्धरण, जो अग्रिम जमा को विनियमित करते है, अनुबंध "ख" और "ग" में दिए गए हैं जो सभा पटल पर रखे गए हैं ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 8463/84)

गत तीन वर्षों के दौरान कोयले का निर्यात

220. **श्री नवीन रावणी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले का निर्यात किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो 1980-81, 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के वर्षों में कोयले का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और किस-किस देश को निर्यात किया गया ;

(ग) कोयले की किन-किन किस्मों का निर्यात किया जा रहा है ;

(घ) क्या यह सच है कि कोयले का निर्यात प्रति वर्ष कम हो रहा है ; और

(ड़) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (ड़) कोल इंडिया लि० कुछ पड़ोसी देशों की थोड़ी मात्रा में अकोककर कोयला और कोक उत्पादनों का निर्यात कर रहा है। इस प्रकार निर्यात किया गया कोयला और वे देश जिन्हें निर्यात किया गया निम्नलिखित हैं :—

(लाख टनों में)

देश	निर्यात की गई मात्रा			
	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
बंगलादेश	0.84	0.97	0.60	0.30
बर्मा	—	0.05	0.15	—
नेपाल	0.23	0.32	0.42	0.35
भूटान	0.05	0.22	0.19	0.19
श्री लंका	—	0.07	0.08	—
दक्षिणी कोरिया	—	—	0.08	—
	1.12	1.63	1.52	0.44

वर्ष 1981-82 और 1982-83 के दौरान निर्यात वर्ष 1980-81 के निर्यात से अधिक था परन्तु 1983-84 के दौरान निर्यात तीसरी योजना अवधि के पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए निर्यात से कम था। निर्यात की मात्रा विदेशों से हुई मांग और निर्यात के लिए अपेक्षित ग्रेड के कोयले की उपलब्धता के अनुसार बदलती रही है।

बिजली उत्पादन का लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन

221. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80 में बिजली का कुल उत्पादन कितना था और छठी योजना के पहले तीन वर्षों के बाद वर्ष 1982-83 के लिए बिजली उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे तथा वास्तविक बिजली उत्पादन कितना हुआ ;

(ख) सरकार को बिजली के उत्पादन में कमी होने के कारण कृषि के क्षेत्र में हुए नुकसान

सहित औद्योगिक उत्पादन और राजस्व में अनुमानतः कुल कितना नुकसान हुआ ; और

(ग) वर्ष 1983-84 के लिए बिजली उत्पादन के क्या लक्ष्य हैं और वास्तविक बिजली उत्पादन कितना हुआ है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री : (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) वर्ष 1979-80 में में देश में कुल विद्युत उत्पादन 104432 मिलियन यूनिट था 132000 मिलियन यूनिट के लक्ष्य की तुलना में 1982-83 के दौरान ऊर्जा उत्पादन 131558 मिलियन यूनिट था। वर्ष 1979-80 में हुए विद्युत उत्पादन की तुलना में वर्ष 1982-83 के दौरान कुल विद्युत उत्पादन में 24.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ख) वर्ष 1979-80 के दौरान 16.1प्रतिशत कमी की तुलना में वर्ष 1982-83 के दौरान देश में विद्युत को कमी 9.2प्रतिशत रह गई थी। विद्युत सप्लाई के मामले में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई है। विद्युत की कमी औद्योगिक अथवा कृषि उत्पादन में होने वाली हानि के लिए जिम्मेदार पहलुओं में से एक है। विद्युत की कमी के कारण उद्योग और कृषि के उत्पादन में होने वाली हानि का निर्धारण करने के लिए राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद अध्ययन कर रही है।

(ग) 144325 मिलियन यूनिट के लक्ष्य की तुलना में 1983-84 के दौरान ऊर्जा उत्पादन 129986 मिलियन यूनिट था।

पाकिस्तान के साथ रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों तथा फिल्मों का आदान-प्रदान

222. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**
श्री चित्त महाता : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना, रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों और फिल्मों के आदान-प्रदान के क्षेत्र में पाकिस्तान के साथ सहयोग के सम्बन्ध में कोई विचार-विमर्श हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) और (ख) जी, हां। रेडियो और दूरदर्शन कार्यक्रमों के क्षेत्र में आदान-प्रदान की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है। सूचना, सामाजिक विज्ञान, संस्कृति और खेल कूद के क्षेत्र में आदान-प्रदानों को सुगम बनाने के लिए भारत-पाक संयुक्त आयोग द्वारा भारत-पाक उप-आयोग का गठन किया गया है। उप आयोग की बैठकें हुई हैं और उसने आदान-प्रदानों में गति लाने तथा दो देशों के बीच पत्रकारों तथा रेडियो और टेलीविजन कार्मिकों द्वारा यात्राओं को कवर करने के लिए सहयोग के क्षेत्रों का विस्तार करने के उद्देश्य से सहयोग के क्षेत्रों को अन्तिम

रूप दे दिया है। हाल ही में एक प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान की यात्रा की है। और इस बात पर परस्पर सहमति हुई कि दूरदर्शन और रेडियो कार्यक्रमों के संयुक्त निर्माण तथा सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर प्रगति मानिटर करने के लिए सरकारी स्तर पर नियमित बैठकों की संभावना का पता लगाया जायगा।

बम्बई और मद्रास में भारत पार सूक्ष्म तरंग सम्पर्क स्थापित करना

223. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कॉमनवेल्थ केबल्स का गल्फ केबल्स के साथ परस्पर सम्पर्क स्थापित करने के लिए, बम्बई और मद्रास में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का "भारत पार सूक्ष्म तरंग सम्पर्क" स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सूक्ष्म तरंग सम्पर्क सम्भवतः कब तक स्थापित कर दिया जाएगा और यह कब से कार्य करने लगेगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (वी० एन० गाडगिल) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्ताव विचाराधीन है।

सार्वजनिक क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र के विद्युत संयंत्रों की क्षमता दर और उपयोग

224. **श्री सूरज भान** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक ताप, पन बिजली, डीजल और परमाणु विद्युत उत्पादन संयंत्र की पारित क्षमता कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में प्रत्येक की वस्तुतः कितनी-कितनी क्षमता का उपयोग किया गया है ;

(ख) वर्ष 1976 में प्रत्येक मामले में क्षमता संबंधी स्थिति क्या थी ; और

(ग) देश में गैर-सरकारी क्षेत्र में चल रहे प्रथम पांच विद्युत उत्पादन संयंत्रों के नाम क्या हैं, प्रत्येक की क्षमता दर कितनी है और इन अवधियों के दौरान तथा वर्ष 1976 में उसकी क्षमताओं का वस्तुतः कितना-कितना उपयोग किया गया ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री : (**श्री आरिफ मोहम्मद खाँ**) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में सरकारी विभागों द्वारा भविष्य निधि के नियमों का उल्लंघन

225. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में सरकारी विभागों द्वारा भविष्य निधि नियमों का गंभीर उल्लंघन करके कामगारों को उनके वैधानिक अधिकारों से वंचित रखे जाने की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो दोषी विभागों के नाम क्या हैं और क्या ऐसे दोषी विभागों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही की जाती है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में सरकारी कारखानों/प्रतिष्ठानों, जो कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अधीन आते हैं, के कर्मचारी सरकारी नियमों के के अन्तर्गत सामान्य भविष्य निधि और पेंशन संबंधी लाभों को प्राप्त कर रहे हैं और इन्हें कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैराग्राफ 27 के अन्तर्गत छूट प्राप्त है । इन परिस्थितियों में, सरकारी कारखानों/प्रतिष्ठानों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत भविष्य निधि अंशदानों का भुगसान न करने का प्रश्न नहीं उठता ।

पानीपत टेलीफोन एक्सचेंज के अन्तर्गत टेलीफोन के लिए प्रतीक्षा सूची

226. **श्री मनमोहन टुडू** : क्या **संचार** मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1984 को पानीपत टेलीफोन एक्सचेंज (हरियाणा) के अन्तर्गत टेलीफोन के लिए प्रतीक्षा सूची का ब्यौरा क्या है;

(ख) एक्सचेंज द्वारा पंजीकरण की किस तारीख तक टेलीफोन दे दिए गए हैं और प्रतीक्षा सूची में दर्ज सभी व्यक्तियों को टेलीफोन देने के लिए निर्धारित तारीख क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि पानीपत क्षेत्र में अधिकांश टेलीफोन लाइनें आम तौर पर खराब रहती हैं और प्रायः गलत नम्बर मिलते हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं और टेलीफोन एक्सचेज तंत्र के कार्यकरण को सुधारने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) पानीपत टेलीफोन एक्चेंज (हरियाणा) में 30-6-1984 को टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

क्र० सं०	श्रेणी	प्रतीक्षा सूची	अद्यतन आवेदन पत्र कब से लंबित पड़ा है उसकी तारीख
1.	ओ० वाई० टी०	38	23-3-1984
2.	विशेष	189	07-4-1980
3.	सामान्य	554	23-7-1979

(ख) विभिन्न श्रेणियों के टेलीफोन कनेक्शनों को उपरोक्त (क) में दी गई तारीख तक निपटा दिया गया है। वर्तमान प्रतीक्षा सूची के मार्च, 1988 तक निपटा दिए जाने की आशा है।

(ग) जी नहीं। फिर भी, इस प्रकार के कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें गलत नम्बर मिल जाते हैं।

(घ) स्विचस उपस्कर और बाह्य प्लांट में दोष के कारण कार्य-निष्पादन में कमी आ जाती है। इस एक्सचेंज के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।

विदेश जाने वाले भारतीयों के लिए उत्प्रवास औपचारिकताओं को सरल बनाना

227. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों को जाने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए उत्प्रवास औपचारिकताओं सम्बन्धी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या सरकार को उत्प्रवास सम्बन्धी वर्तमान नियमों और औपचारिकताओं के कारण असली पर्यटकों को होने वाली कठिनाई की जानकारी है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विदेश जाने वाले भारतीय पर्यटकों को पर्यटकों को पहले होने वाली मुसीबतों को देखते हुए, उत्प्रवास जांच शर्त को आस्थगित करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(I) निम्नलिखित के लिए शपथ-पत्र देने की शर्त समाप्त कर दी गई है :—

(i) पाकिस्तान और बंगला देश जाने वाले पर्यटकों के लिए,

(ii) उन पुरुष/महिला पर्यटकों के लिए जिनकी आयु क्रमशः 55/50 वर्ष से अधिक है ;

(iii) छात्रवृति या पर्याप्त विदेशी मुद्रा के साथ या प्रायोजित आधार पर उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में जाने वाले 21 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए, और

(iv) मां-बाप के साथ जाने वाले उन आश्रित बच्चों के लिए जिन्हें उत्प्रवास अनुमति मिल चुकी है,

(2) ट्रेवल एजेन्टों द्वारा, जो कि पंजीकृत भर्ता एजेन्ट भी हैं, हज और उमराह जाने वाले तीर्थ यात्रियों की ओर से एक ही शपथ-पत्र दायर कर सकते हैं ।

(3) निम्नलिखित वर्गों के पासपोर्ट धारियों को पासपोर्ट जारी करने की प्रारम्भिक अवस्था में "उत्प्रवास जांच आवश्यक नहीं" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है :—

(i) सभी इंजीनियरी समुद्री कैडेट प्रशिक्षणार्थी जिनके पास "सी० डी० सी०" योग्यता नहीं है ।

(ii) वे पासपोर्ट धारी जिनके पास ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और पश्चिम यूरोपीय देशों के लिए उत्प्रवास बीजा हैं और जो स्थाई रूप से बस गए हैं ।

(iii) वे अनिवासी भारतीय, जिनकी यात्रा किसी विदेशी देश से शुरू और समाप्त होती है और जिनके पास वापसी टिकट है ।

(iv) वे पासपोर्ट धारी जिनके पास विवाह के लिए प्रवेश प्रमाण-पत्र हैं या जो अपने मां-बाप के पास जाने के इच्छुक हैं या जिनके पास रोजगार वीजा है ।

(v) सभी प्रत्यायित पत्रकार जो आयकर नहीं देते हैं मगर जिनके पास पत्रकारिता में व्यावसायिक डिग्री है ।

(iv) वे अनिवासी भारतीय जो तीन साल या इससे अधिक अवधि के लिए भारत से बाहर रहे हैं ।

मध्य प्रदेश में भारतीय तेल पैट्रोलियम उत्पाद डिपू

226. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में भारतीय तेल निगम के पेट्रोलियम उत्पाद डिपुओं की स्थापना के लिए किन-किन स्थलों का सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) उक्त डिपुओं की स्थापना के लिए अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में भावी कार्यक्रम क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड ने मध्य प्रदेश में सागर, उज्जैन, सिंगरौली, मंगलियागांव तथा भिटोली में प्रारंभिक सर्वेक्षण आयोजित किए हैं ।

(ख) सागर, उज्जैन, सिंगरौली तथा मंगलियागांव के संबंध में विस्तृत प्रस्तावों को तेल उद्योग द्वारा तैयार किया जा रहा है । भिटोनी के मामले में भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार से सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है ।

चालू वित्त वर्ष में तेल शोधक कारखाने स्थापित करने का प्रताव

229. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास चालू वित्त वर्ष में कुछ तेल शोधक कारखाने स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तेल शोधक कारखाने लगाने के कितने प्रस्तावों को इस वर्ष के दौरान सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है; और

(ग) ये तेल शोधक कारखाने कौन-कौन से स्थानों पर लगाए जायेंगे ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) हरियाणा में करनाल में 6 मि० मी० टन प्रतिवर्ष क्षमता की रिफाइनरी स्थापित करने के प्रस्ताव को सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने स्वीकृति दे दी है ।

टेली विजन निर्माताओं द्वारा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार संबंधी शिकायतें

230. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री टेलीविजन निर्माताओं द्वारा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार की शिकायतों के बारे में 20 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4428 और 28 फरवरी, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 476 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार और अधीक्षक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा टेलीविजन उद्योग के बारे में 5 दिसम्बर, 1983 को 'कंज्यूमर्स ग्रुप वायस' द्वारा दर्ज की गई अवरोधक व्यापारिक व्यवहार की शिकायत की आरम्भिक जांच में अनावश्यक विलंब किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी शिकायतों की जांच में अनावश्यक विलंब से शिकायतों का

उद्देश्य ही समाप्त नहीं हो जाता और अवरोधक तथा अनुचित व्यापार पुनरावृत्ति होती है और एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के कानूनी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती; और

(ग) इस मामले में प्रारंभिक जांच कब तक पूरी हो जाएगी और अधिनियम के अन्तर्गत कब तक जांच शुरू होगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क), (ख) तथा (ग) दिनांक 5-12-1983 को शिकायत प्राप्त होने पर, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने इस मामले में जांच निदेशक को आरंभिक जांच करने और अपनी रिपोर्ट 2 मार्च, 1984 तक या उससे पूर्व प्रस्तुत करने के लिए 2-1-1984 को आदेश दिया। क्योंकि जांच में सारे देश में फैले 100 टी० वी० निर्माता कम्पनियों/व्यापारियों के रिकार्ड का परीक्षण करना था इसलिए आयोग ने जांच निदेशक के अनुरोध पर 31-5-1984 तक जांच पूरी करने तथा फिर उसे 31 अगस्त, 1984 तक पूरी करने के लिए समय बढ़ा दिया।

जांच की जटिलता और एकत्र की जाने वाली अपेक्षित सूचना की अधिक मात्रा पर विचार करते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि आरंभिक जांच को पूर्ण करने में आयोग की तरफ से अनुचित विलम्ब हुआ है।

निकटतम संबंधी को गैस कनेक्शन का अन्तरण

231. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई व्यक्ति अपने निकटतम सम्बन्धी को अपनी गैस कनेक्शन अन्तरित कर सकता है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए क्या प्रक्रिया बनाई गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस पहलु पर विचार करेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क), (ख) और (ग) वर्तमान प्रचलित नीति के अनुसार, गैस कनेक्शन धारी की मृत्यु हो जाने की अवस्था को छोड़कर, किसी ग्राहक द्वारा अपने निकटतम संबंधी को गैस कनेक्सन का अन्तरण करना अनुमेय नहीं है। ऐसे मामले में गैस कनेक्शन का अन्तरण उसकी विधवा/वारिस को उसकी विधवा अथवा उसके वारिस द्वारा एक मृत्यु प्रमाण-पत्र तथा शपथ-पत्र प्रस्तुत करने पर, जिसमें यह बताया गया हो कि वे मृतक के उत्तराधिकारी है, कनेक्शन अन्तरित किया जा सकता है। कुछ परिस्थितियों में भी, एक ग्राहक अपने कनेक्शन को वापस कर सकता है, और इसके बदले में, निकटतम सम्बन्धियों सहित, अन्यों को एक नया कनेक्शन दिया जा सकता है।

डाक मोहरों में सुधार करने के लिए कार्यवाही

232. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार डाक मोहरों, जैसे पोस्ट करने की तारीख, वितरण की तारीख, पंजीकरण आदि, में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ;

(ख) यदि यह भी सच है कि आज कल मोहरों की छाप न तो स्पष्ट होती है और न ही पूरी और साथ ही डाक कर्मचारियों को यह मोहरें लगाने में काफी समय लग जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडविल) : (क) सरकार ने अलीगढ़ इनडीस्ट्रअल स्टैंप और सील-को-आपरेटिव सोसाइटी को विभागीय बनाने और उपयुक्त सामग्री और वेहतर नक्कासी करके स्टैंप की किस्म में सुधार लाने का प्रस्ताव किया है ।

(ख) कुछ मामलों में स्टैंप की छाप स्पष्ट नहीं होती ।

(ग) अधीनस्थ यूनिटों को इस आशय के अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि मुहर स्टैंप की नियमिय रूप से सफाई करके और आवश्यक होने पर टूटी-फूटी स्टैंप की बदलने की व्यवस्था करके डाक-छाप में सुधार किया जाए । जैसा कि ऊपर (क) में उल्लेख किया गया है, बेहतर किस्म की स्टैंप से छाप स्पष्ट हो सकेगी ।

तेल तथा प्राकृत्तिक गैस आयोग द्वारा तेल हेतु तट पर छिद्रण में विशेषज्ञता प्राप्ति करने हेतु निविदायें आमंत्रित किया जाना

233. **श्री गुफरान आजम** :

डा० वसन्त कुमार पण्डित : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने तेल हेतु तट पर छिद्रण में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की थीं ;

(ख) क्या अनेक भारतीय कंपनियों अथवा फर्मों ने भी विदेशी कंपनियों, विशेषकर अमरीकी कंपनियों के सहयोग से यह कार्य करने के लिए निविदाएं भेजी थीं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और ब्यौरा क्या है और ऐसी निविदायें भेजने वालों के नाम क्या हैं और उनके संयुक्त उद्यम संबंधी यदि कोई शर्तें हों, तो वे क्या हैं ; और

(घ) वर्तमान निविदा प्रेषकों के मामलों पर विचार करने से पहले, इस कार्य के लिए अन्य विकसित पश्चिमी देश/यूरोपीय देशों से भी ऐसी और अधिक निविदायें आमंत्रित करने के लिए और क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गो शंकर मिश्र) : (क) और (ख) जी, नहीं। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने 25-2-84 को प्रैस में केवल एक अग्रिम नोटिस जारी किया था जिसमें तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की व्यधन गतिविधियों में भारतीय उद्यमियों को आमंत्रित किया गया था। भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी साझेदार जिसका वे चयन करना चाहती हैं के बारे में कोई प्रतिबंध नहीं लगाये गये थे। बोली विवरण बैठक में 53 पार्टियों द्वारा भाग लिया गया। इस कंपनियों में से 36 कंपनियों ने अपने विदेशी सहयोगियों के नाम बता दिये थे जिसमें से अधिकाश अमरीका के थे। 17 कंपनियों द्वारा अभी अपने सहयोगियों को चुनाव किया जाना था। निविदायें बाद में आंमत्रित की जायेंगी।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

मै. फिजर लि० द्वारा कैप्सूल भरने की मशीन को चालू करना

234. **श्री रेणुपद दास** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने मैसर्स फिजर लि० को कैप्सूल भरने की नई आयतित मशीन को चालू न करने की हिदायत दी थी।

(ख) क्या उक्त कंपनी ने इन हिदायतों का पालन किया है, और

(ग) कंपनी द्वारा सरकार के निर्देश का पालन न करने की स्थिति में उक्त कंपनी को मशीन चालू करने से रोकने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) मै. फाईजर ने सूचित किया है कि 3 पुरानी कैप्स्यूलेशन मशीनों को क्या बंद कर के नई कैप्स्यूलेशन मशीन आरम्भ कर दी गई है तथा नई मशीन के आरम्भ होने से उनकी स्थापित कैप्स्यूलेशन क्षमता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कंपनी ने यह भी सूचित किया है कि मशीन को कामगारों के साथ समझौता होने पर चालू किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में अतिरिक्त उर्वरक एककों की स्थापना

235. **श्री लक्ष्मण मल्लिक** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान अतिरिक्त उर्वरक क्षमता स्थापित करने का महत्वकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में इस समय कार्य कर रहे उर्वरक संयंत्रों की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) तथा (ख) उर्वरकों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने हेतु उर्वरकों के देशी उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक बृहत कार्यक्रम शुरू किया गया है। स्थापनाधीन पर्याप्त नई उर्वरक क्षमता के अतिरिक्त छः और बृहत नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के साथ उर्वरकों की मांग तथा देशी उत्पादन में अन्तर की प्रतिशतता को काफी कम किए जाने की संभावता है।

(ग) उर्वरकों की वर्तमान स्थापित क्षमता 51.95 लाख टन नाइट्रोजन तथा 14-80 लाख टन पी 2 ओ 5 है।

मैसर्स सुरजीत फ्यूल डिपो के पास 1980, 1981, 1982, 1983 और 1984 के दौरान रसोई गैस कनेक्शनों के लिए पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या और दिए गए कनेक्शन

236. **श्री भीखा भाई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स सुरजीत फ्यूल डिपो, सैक्टर 1/1, आर के पुरम, नई दिल्ली-22 के पास 1980 1981, 1982, 1983 और 1984 के दौरान खाना पकाने की गैस के लिए कितने व्यक्तियों को पंजीकृत किया गया कृपया उक्त वर्षों के लिए पंजीकृत उपभोक्ताओं की एक सूची दीजिए ; और

(ख) वर्ष-वार कितने कनेक्शन दिए गए। कृपया उपरोक्त भाग "क" में उल्लिखित सूची के संदर्भ में दिए गए कनेक्शनों की एक सूची दीजिए ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) मैसर्स सुरजीत फयूल डिपो 1/1 आर के पुरम नई दिल्ली के पास 1980 और उससे आगे के वर्षों के दौरान एल० पी० जी० के कनेक्शन देने के लिए पंजीकृत किये गये व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है :-

1980	1981	1982	1983	1984	योग
1012	606	797	744	406	3565
				(30.6.84)	

उपर्युक्त पंजीकृत व्यक्तियों की सूची संलग्न नहीं की गयी है।

(ख) मैसर्स सुरजीत फयूल डिपो को उपर्युक्त बुकिंग के प्रति कोई नया कनेक्शन रिलीज नहीं किया गया है, क्योंकि वितरक को पहले ही अधिकतम कनेक्शन रिलीज किए गए प्रवेशी हैं। फिर भी वितरक ने /"टी" वाऊचरों पर आने वाले व्यक्तियों और प्राथमिकता के आधार पर निम्नलिखित कनेक्शन रिलीज किये थे :

वर्ष	प्रवेशी टी० वी०	प्राथमिकता
1980	208	2
1981	259	2
1982	732	1
1983	878	228
1984 (30.6.84)	450	114
	2527	347

शाहदरा, दिल्ली की कालोनियों में डाकघर

237. **श्री केयूर भूषण** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि शाहदरा, दिल्ली-110053 में गौतम पुरी, शास्त्री पार्क, कैथवाड़ा नया उसमानपुर, पुराना उसमानपुर, जगजीत नगर, करतार नगर और विजय नगर कालोनियों में एक भी डाकघर नहीं है जिनके कारण इन कालोनियों के निवासियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में इन कालोनियों में नए डाकघर खोलने का है, और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी नहीं ! नया उसमानपुर और जगजीत नगर कालोनियों में पहले से ही दो डाक घर कार्य कर रहे हैं ! शास्त्री नगर में डाकघर खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया गया, परन्तु विभागीय मानदन्डों के अनुसार इसका औचित्य नहीं पाया गया !

(ख) और (ग) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता ।

पूर्वोत्तर भारत में दूरदर्शन तंत्र का प्रसार

238. **श्री पीयूष तिरकी** :

श्री सन्तोष मोहन देव : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पूर्वोत्तर भारत में दूरदर्शन तंत्र के प्रसार के लिए 35 करोड़ रुपए आवंटित करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रसार योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) परियोजना कब तक पूरी हो जायगी ; और

(ग) क्या इससे पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, जलपईगुड़ी और कूचबिहार जिले और सिक्कम राज्य लाभान्वित होंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सन्सदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) जी, हां । उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में दूरदर्शन सेवा के विस्तार की योगना, जिसमें सिल्चर, डिबूगढ़ और तुरा में 10 किलोवाट के तीन दूरदर्शन ट्रांसमीटरों शिलांग, कोहिमा, इम्फाल, इटानगर और ऐजवाल में सीमित कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं के साथ 1 किलोवाट के पांच दूरदर्शन ट्रांसमीटरों अल्प शक्ति वाले 6 प्रेषण केन्द्रों तथा गोहाटी में एक कार्यक्रम निर्माण और पोषण केन्द्र की स्थापना की व्यवस्था है, को सरकार द्वारा 36.43 करोड़ रुपए के परिव्यय पर स्वीकृत किया गया है ।

(ग) योजना के मुख्य भाग के 1985-86 के अन्त तक मुकम्मल हो जाने की उम्मीद है ।

(घ) जी, नहीं । तथापि, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, जलपाउगुड़ी और कूच बिहार जिलों को कुर्सियांग में स्थापित किए जा रहे दूरदर्शन ट्रांसमीटर से दूरदर्शन सेवा उपलब्ध होने की उम्मीद है । गंगतोक में अल्प शक्ति वाला एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर पहले ही स्थापित किया जा चुका है ।

खराब टेलीफोनों के बारे में शिकायतें

239. श्री के० ए० राजन : क्या सन्चार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पी० बी० एस० सहित खराब टेलीफोनों के सम्बन्ध में और विशेषरूप से दिल्ली गेट एक्सचेंज के बारे में शिकायतों के सम्बन्ध में उन्हें मई और जून 1984 के दौरान संसद सदस्यों से कितने पत्र मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो पत्रों में उल्लिखित प्रत्येक शिकायत के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या पी० टी० एक्स० और टेलीफोनों को ठीक कर दिया गया है और सम्बन्ध व्यक्तियों को उत्तर भेज दिया गया है ?

सन्चार मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जहां तक दिल्ली टेली-

फोन जिले का सम्बन्ध है , दिल्ली गेट एक्सचेंज के टेलीफोन और पी बी एक्स/पी ए बी एक्स के बारे में दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ख) और (ग) एक मामले में दोषों को दूर किया जा चुका है । दोषयुक्त पी ए बी एक्स से सम्बन्धित शिकायत की जांच की जा रही है और दोषों को दूर करने तथा अन्तिम जवाब भेजने के लिए कार्रवाई की जा रही है ।

समझौते के माध्यम से विवादों को निपटाने के लिये विधिक सहायता उपलब्ध कराना

240. **श्री छोटू भाई वसावा** : क्या **विधि न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केंद्रीय सरकार भी विवादों के पक्षकारों के बीच समझौता कराकर विवादों को निपटाने के लिए विधिक सहायता उपलब्ध करा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या मापदण्ड है तथा इस प्रकार के मामलों में किस प्रवर्ग के लोगों को यह विधिक सहाययता दी जा रही है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त की गई विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति ने विवादों के निर्धन पक्षकारों के बीच समझौता कराकर विवादों को दिपटाने के लिए कुछ चुने हुए ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक सहायता शिविर आयोजित करने के लिए राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों के लिए आदर्श स्कीमें तैयार की हैं । किसी विधिक सहायता शिविर को आयो- जित करने के लिए समिति द्वारा दिया जाने वाला सहायता अनुदान 3,500/-रु० से अधिक नहीं होता है ।

(ख) ऐसे व्यक्ति, जिनकी आय सभी स्रोतों से 6001-रु० प्रति वर्ष से अधिक नहीं है, विधिक नहीं है, विधिक सहायता के लिए पात्र हैं । किन्तु आय से सम्बन्धित परिसीमा उन विवादों के मामलों में लागू होती हैं जहां पक्षकारों में से एक पक्षकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति और यायावर जाति का है या कोई महिला या बालक है ।

दक्षिण दिल्ली की शान्तिनिकेतन कालोनी में टेलीफोन सेवा

241. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **सन्चार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि कि राजधानी में मानसून की वर्षा शुरू होने से पहले ही दक्षिण दिल्ली की शांतिनिकेतन कालोनी मे बिछाए गए टेलीफोन के बिलों में भारी दोष उत्पन्न हो गए हैं, जिसके परिणामस्वरुप जून में तथा जुलाई के आरम्भ में अनेक टेलीफोन कई दिनों तक निष्क्रिय रहे , जिससे सम्बन्धित उपभोक्ताओं को काफी कठिनाई हुई और उनके टेलीफोन सम्बन्धी व्यापार सम्बन्धों को धक्का पहुंचा ;

(ख) यदि हां, तो क्या केबिल बिछाने सम्बन्धी कार्य की कुछ विशेषज्ञों द्वारा जांच कराए जाने के आदेश दिए गए हैं और उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ;

(ग) क्या टेली फोन विभाग के पास ऐसे दोषों का पता लगाने के लिए कोई आधुनिक उपकरण या गैजेट नहीं है तथा खुदाई करने से बरसात के मौसम में समस्या और बढ़ जाएगी ; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार लाने के लिए उनके द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है, ताकि असहाय उपभोक्ताओं को कई-कई दिनों तक लगातार टेलीफोन खराब बने रहने की स्थिति से बचाया जा सके ?

सन्चार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जैययपुर से तालचेर तक 400 के. वी. ट्रांसमिशन लाइन

242. **श्री के. प्रधानी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नेशलन हाइड्री इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा उड़ीसा में जैयपुर से तालचेर तक 430 सर्किट लम्बी 400 के. वी. सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : 400 के. की. जयपोर-तलचेर लाइन, जिसे मूलत: उड़ीसा की राज्य योजना के अन्तर्गत निर्माण के लिए अनुमोदित किया गया था, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लि० द्वारा निर्माण किए जाने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र को आन्तरित कर दी गई है। निगम लाइन को अपने हाथ में लेने के सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहा है, जिसकी रूप-रेखा तैयार की जा रही है ।

एम० आर० टी० पी० कम्पनियों की परिसम्पत्तियां देयताएं, कुल बिक्री और लाभ

243. **श्री सनत कुमार मन्डल** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री 27 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5057 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गयी है और क्या उस जानकारी को सभा पटल पर रखा जाएगा; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और आवश्यक कार्यवाही करने में कितना समय

लगेगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य-मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) अपेक्षित सूचना को एकत्र कर लिया गया है, तथा 10 जुलाई, 1984 को संसदीय कार्य विभाग को प्रस्तुत कर दिया गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

पेट्रोल डीजल आदि सप्लाई करने के पंपिंग सेट

244. श्री भोगेन्द्र झा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के दरभंगा जिले में कामतोल तथा मधुबनी जिले में बेनीपट्टी के लिए पेट्रो डीजल आदि की सप्लाई करने के लिए पम्पिग सेटों की मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने कार्य करना आरम्भ कर दिया है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या दरभंगा जिले में जाले नाम के खण्ड मुख्यालय तथा मधुबनी जिले में इमागांव नाम के खण्ड मुख्यालय अनेक बसों ट्रकों आदि के प्रारम्भिक तथा टर्मिनल केन्द्र हैं तथा जाले बिहार में दरभंगा, मधुबनी और सीतामढ़ी जिलों का तीन तरफा जंकशन है;

(ड) यदि हां, तो वहां पर डीजल, पेट्रोल के सप्लाई केन्द्र प्रारम्भ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या दरभंगा कस्बे में शिवधारा में पम्प सेटों के भली प्रकार से कार्य न करने के बारे में गम्भीर शिकायतें की गई हैं; और

(छ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : डीलरों के चपन संबंधी कार्यवाही चल रही है ।

(घ) और (ड़) : तेल उद्योग द्वारा अपनी अगली विपणन योजना के अन्तर्गत फुटकर पेट्रोल विक्री केन्द्र खोलने की संभाव्यता का मूल्यांकन करने के लिए जाले और उनगांव (इमागाँव) में सर्वेक्षण किये जा रहे हैं ।

(च) दरभंगा शहर में शिवधारा में फुटकर पेट्रोल विक्री केन्द्र (डीजल/पेट्रोल के लिए पंपिंग सेट) अभी चालू किये जाने हैं ।

(छ) उपर्युक्त (च) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में कोरापुट के स्थान पर कम शक्ति वाले ट्रांसमिशन टावर स्थापित करना

245. श्री **गिरिधर गोमांगो** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कोरापुट के स्थान पर कम शक्ति वाला टी० वी० ट्रांसमिशन टावर लगाने की स्वीकृति दिए जाने के बाद से लेकर अब तक इस कार्य के लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई है और कौन से उपकरण स्थापित किए गए है;

(ख) इससे कुल कितने लोगों तथा कितने कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ होगा; और

(ग) वहां ट्रांसमिशन टावर की स्थापना का काम कब तक पूरा हो जाएगा तथा कार्यक्रमों का प्रसार कब से शुरू हो जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में **राज्यमन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री**

(श्री एच० के० एल० भगत) (क) सरकार द्वारा अल्प शक्ति वाले एक ट्रांसमीटर की स्थापना की मंजूरी जुलाई, 83 में दी गई थी और स्थापना प्रभारों तथा प्रासंगिक व्यय के लिए 1.85 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।

(ख) कोरापुट के ट्रांसमीटर के चालू हो जाने पर इसकी लगभग 25 किलोमीटर की सेवा परिधि में लगभग 0.32 लाख शहरी जनसंख्या तथा 1.64 लाख ग्रामीण जनसंख्या को दूरदर्शन सेवा उपलब्ध होने की उम्मीद है। कोरापुट के अलावा, जिन और कुछ अन्य स्थानों को दूरदर्शन सेवा उपलब्ध होने की उम्मीद है वे हैं पोंडी, दूनगिरी, सामला, चण्डा, मिनाचल, आड्डुमाडा को भी दूरदर्शन सेवा प्राप्त होने की उम्मीद है।

(ग) कोरापुट में ट्रांसमीटर के अक्तूबर, 1984 के अन्त तक चालू हो जाने की उम्मीद है।

रसोई गैस का आयात

246. **श्री टी. एस. नेगी** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने घरेलू मांग की पूर्ति के लिए एक लाख टन रसोई गैस आयात करने का फैसला किया है (ईकोनामिक्स टाइम्स 17.6.1984) ;

(ख) क्या यह सच है कि इस समय कितनी गैस व्यर्थ जलाई जा रही है वह सर्वाधिक

है और यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान कितनी गैस इस प्रकार जलाई गई;

(ग) क्या अदूरदर्शी योजना के कारण गैस व्यर्थ जलाई जाती है और क्या सरकार की इस स्थिति से निबटने की कोई योजना है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ग) अब तक देश में कुल कितने मूल्य की गैस व्यर्थ जलाई गई हैं; और

(ड़) क्या जहां तक नौवहन सुविधाओं का संबंध है रसोई गैस के आयात से वर्तमान समस्या हल हो जाएगी ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गागी शंकर मिश्र) (क) घरेलू मांग को पूरा करने के लिए 1984-85 के दौरान एक लाख मी० टन एल० पी० जी० का आयात वजटवद्ध कर दिया गया है ।

(ख) प्राकृतिक गैस के जलाये जाने के पिछले चार वर्ष के ब्यौरे उपलब्ध है और नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	जलाई गई गैस की मात्रा (मिलियन घन मीटर)
1979-80	995
1980-81	760
1981-82	1520
1982-83	1895

यद्यपि, प्राकृतिक गैस की जलाई गई मात्रा इन वर्षों में बढ़ी है, गैस के कुल उत्पादन में बहुत तेजी के वृद्धि होने बावजूद कुल उत्पादन के अनुपात के रूप में यह पिछले चार वर्ष से स्थिर रही है ।

(ग) अपतटीय गैस के जलाए जाने को कम से कम करने के लिए, संपीड़त सुविधाओं में बृद्धि करने और 1985 में थात में गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र को पूरा करने जैसे कई कदम सरकार ने उठाए हैं । विद्यमान उपयोगताओं द्वारा गैस का और अधिक उठाव करने की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए नए उपभोक्ताओं का पता लगाने के लिए, असम में एक गैस ग्रिड की स्थापना करने के लिए तथा दवाब को बनाए रखने के लिए फालत् गैस को उपयुक्त गैस को उपयुक्त गैस अन्तरालों (गैप) में पुनः अन्त.क्षेप के लिये तथा ऊर्जा संरक्षण के लिए एक दल का गठन किया गया है ,

(घ) पिछले चार वर्षों के दौरान जलाई गई गैस का सांकेतिक मूल्य नीचे दिया गया है :

वर्ष	जलाई गई गैस का सांकेतिक मूल्य (करोड़ रुपये में)
1979-80	39.90
1980-81	37.15
1981-82	65.40
1982-83	82.75

(ङ) जी, हां।

सेंट्रल कोलफील्डस लि० के बेरमी क्षेत्र में बहुमूल्य पेलोडर का डुबना

247. **श्री ए० के० राय :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून महीने की बरसात में सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० के बेरमो क्षेत्र में एक बहुमूल्य पेलोडर डूब गया था तथा भारत कोकिंग कोल लि० की कुसुंडा ओपेनकास्ट प्रोजेक्ट में एक नया डोजर डूब गया था।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है और उन्हें खोजने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या बहुमूल्य उपकरणों का डूबना एक आम बात बन गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्यमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सेंट्रल कोलफील्डस लि० की कारगली ओपेनकास्ट खान के धोरी पैच में 26.6.1984 को एक पे-लोडर अभूतपूर्व वर्षा के कारण डूब गया था। इस पे-डोलर को हटा लिया गया है और वह 3.7.1984 से सामान्य रूप से काम कर रहा है। इस पे-लोडर को कोई क्षति नहीं पहुंची थी।

भारत कोकिंग कोल लि० की कुसुन्डा ओपेनकास्ट परियोजना में नया डोजर डूबा नहीं था दिनांक 5.6.1984 को एक डोजर वर्षा के कारण रुक गया था और इसे दूसरे दिन हटा लिया गया था और उस पर फिर से काम चालू हो गया।

(ग) और (घ) यह कहना सही नहीं है कि कीमती उपकरणों का पानी में डूबना एक

नियमित और आम बात हो गई है। मानसून के मौसम में खानों और उपकरणों को डूबने से बचाने के लिए पर्याप्त कार्यवाही की जाती है।

अरबी भाषा एकक में रिक्त पदों का भरा जाना

248. **श्री समीनुद्दीन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अरबी भाषा एकक में कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या कितनी है और कितने पद भरे गये हैं और खाली पदों यदि कोई हों तो, की संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि अनेक नेमित्तिक कलाकारों को अनुवाद के लिए बुक किया जाता है और यदि हां, तो पिछली छमाही में इस प्रकार बुक किये व्यक्तियों का ब्योरा **क्या है** और उन्हें कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(ग) क्या यह भी सच है कि अरबी भाषा सहायक (अरेबिक असिस्टेंट) का पद पिछले आठ वर्षों से खाली पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो इतने लम्बे समय तक पद को खाली रखने के क्या कारण हैं और इस पद के कार्य करने और इसे भरने के लिए क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गुलाब नबी आजाद) : (क) अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां। जनवरी से जून, 84 तक के छः महीनों के दौरान समाचार कमेंट्रियों तथा प्रेस समीक्षाओं आदि का अनुवाद करने और उन्हें प्रसारित करने के लिये चार से पांच व्यक्तियों के कार्य के आधार पर लगाया गया था और उनमें से प्रत्येक को, उन्हें सौंपे गये कार्य के आधार प प्रतिदिन 50/ रुपए और 101/ रुपये के बीच विभिन्न शुल्क का भुगतान किया गया था।

(ग) जी, हां,।

(घ) रोजगार कार्यालय और कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से किये गये कई प्रयासों के बावजूद अपेक्षित प्रवीणता प्राप्त उपयुक्त उम्मीदवार को प्राप्त करना सम्भव नहीं हुआ है। सहायक (अरबी) का कार्य अब, भी जरूरी होता है, कार्य के आधार पर नैमित्तिक बुकिंग करके चलाया जा रहा है। इस पद को नियमित आधार पर भरने के लिये प्रयास जारी हैं।

विवरण

विदेश सेवा प्रभाग, आकाशवाणी, नई दिल्ली की अरबी सेवा में कर्मचारियों की संख्या और रिक्त पदों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण।

क्र० सं०	यूनिट का नाम	पदनाम	स्वीकृत संख्या	भरे हुए पद	रिक्त पद
1.	अरबी सेवा	1. पर्यवेक्षक	1	1	शून्य

2. अनुवादक-व-उद्घोषक अरबी	8	6	2
3. सहायक अरबी,	1	शून्य	1
4. कापिस्ट	1	1	—

माऊंट आबू (राजस्थान) में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

249. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माऊंट आबू (राजस्थान) जोकि एक पर्यटन स्थल और आदिवासी क्षेत्र है, में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो उसे कब तक स्थापित किया जायेगा; और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्यमन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्यमंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं ।

(ख) चालू योजनागत स्कीमों के कार्यान्वित हो जाने पर, राजस्थान के कुल 26 जिलों में से 18 जिलों में राजस्थान की लगभग 43.8 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन सेवा उपलब्ध होने की उम्मीद है । राजस्थान में दूरदर्शन के और विस्तार का काम संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए सातवीं योजना में हाथ में लिया जायगा ।

गोरखपुर में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

250. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून 1984 को उच्च शक्ति वाले और कम शक्ति वाले कितने दूरदर्शन ट्रांसमीटर कार्य कर रहे थे और उनके नाम क्या हैं;

(ख) इस साल जुलाई के महीने में उच्च शक्ति वाले और कम शक्ति वाले कितने दूरदर्शन ट्रांसमीटरों ने काम करना आरम्भ कर दिया है और कितनों के काम शीर्ष आरम्भ कर देने का प्रस्ताव है और उनके काम करना आरम्भ कर देने की तिथि क्या है,

(ग) गोरखपुर दूरदर्शन ट्रांसमीटर किस तारीख से काम करना आरम्भ कर देगा और गोरखपुर दूरदर्शन निर्माण केन्द्र किस तारीख से स्वयं अपने कार्यक्रमों का निर्माण तथा प्रसारण शुरू कर देगा; और

(घ) गोरखपुर दूरदर्शन ट्रांसमीटर से कितनी दूरी के बीच में कार्यक्रम देखे जा सकते हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) 30.6.84 को देश में उच्च शक्ति वाले 26 और अल्प शक्ति वाले 21 दूरदर्शन ट्रांसमीटर कामकर रहे थे। उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जैसा कि संलग्न विवरण-2 में दिया गया है। 1.7.1984 से 22.7.1684 तक की अवधि के दौरान अल्प शक्ति वाले 24 दूरदर्शन ट्रांसमीटर चालू किए गए हैं। 31.7.84 तक अल्प शक्ति वाले 9 और ट्रांसमिटर चालू करने का कार्यक्रम है।

(ग) गोरखपुर में दूरदर्शन ट्रांसमीटर और कार्यक्रम निर्माण की सीमित सुविधाएं अगस्त, 1984 के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है।

(घ) 150 मीटर ऊंचे टावर के मुकम्मल होने तक गोरखपुर में ट्रांस्मीटर प्रथमतया 1 किलोवाट की कम शक्ति पर चालू किया जाएगा और इसकी सेवा परिधि लगभग 30 किलो-मीटर अर्द्ध व्यास होने की उम्मीद है। टावर के मुकम्मल हो जाने पर, इसके 10 किलोवाट की पूरी शक्ति पर चालू हो जाने पर इसकी सेवा परिधि लगभग 120 किलोमीटर होगी।

विवरण-1

30.6.84 को देश में कार्यत दूरदर्शन ट्रांसमीटर

उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर	अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर
1. दिल्ली	1. जम्मू
2. बम्बई	2. शिमला
3. श्रीनगर	3. देवरिया
4. अमृतसर	4. सूरतगढ़
5. पुणे	5. गोहाटी
6. कलकत्ता	6. इटानगर
7. मद्रास	7. गंगतोक
8. लखनऊ	8. शिलांग
9. मसूरी	9. कोहिमा

1	2
10. कानपुर	10. इम्फाल
11. ललंधर	11. ऐजवाल
12. पिंज	12. अमरताल
13. जयपुर	13. मालवा
14. रायपुर	14. पटना
15. गुलबर्गा	15. भुवनेश्वर
16. हैदराबाद	16. पोर्ट ब्लेयर
17. सम्बलपुर	17. काकीनाडा
18. मुजफ्फरपुर	18. इन्दौर
19. बंगलौर	19. भोपाल
20. नागपुर	20. ग्वालियर
21. पणजी	21. भटिंडा
22. इलाहाबाद	
23. अहमदाबाद	
24. त्रिवेन्द्रम	
25. आसनसोल	
26. विजयवाड़ा	

विवरण-2

1.7.84 से 22.7.84 तक के दौरान चालू किए गए अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर

1. गंगानगर
2. जोधपुर
3. कालीकट
4. कोचीन

5. जबलपुर

6. तिरुपति

7. बड़ोदरा

8. उदयपुर

9. कोटा

10. तिरुचिरापल्ली

11. नेल्लौर

12. कुड्डप्पा

13. शहाजहांपुर

14. गया

15. करीमनगर

16. अलवर

17. विशाखापतनम

18. खेतड़ी

19. अकोला

20. पठानकोट

21. सुल्तानपुर

22. राय बरेली

23. मंगलौर

24. हिसार

राजस्थान में बाड़मेर और जैसलमेर में रेडियो स्टेशन स्थापित करना

251. श्री **वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थन्न में रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए बाढ़मेर और जैसलमेर जिला मुख्यालयों का नाम चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजनाओं में ही शामिल कर लिया गया था परन्तु इन केन्द्रों की स्थापना अभी तक नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस उपेक्षा के क्या कारण हैं ; और -

(ग) क्या इन सीमा क्षेत्रों के विशेष महत्व को देखते हुए सरकार चालू वर्ष अर्थात 1984-85 में यहां रेडियो स्टेशन स्थापित करने की स्वीकृति देगी और उनकी स्थापना युद्ध स्तर पर करेगी और यदि हां, तो ये स्टेशन कितने समय में स्थापित कर दिए जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) बाड़मेर और जैसलमेर में रेडियो स्टेशन स्थापित करने के बारे में विचार पांचवी और छठी योजनाओं में शामिल करने हेतु प्रस्ताव तैयार करते समय किया गया था। इन्हें संसाधनों के अभाव तथा अन्य परियोजनाओं की तुलना में सापेक्ष प्राथमिकताओं के कारण शामिल नहीं किया जा सका।

(ग) सिद्धान्ततः यह निर्णय लिया गया है कि बाड़मेर में नया रेडियो स्टेशन एक प्राथमिक आवश्यकता है। तथापि, संसाधनों के आबंटन को देखते हुए, स्कीम पर कार्य और जैसलमेर से संबंधित अलग प्रस्ताव को सातवीं योजना में लिए जाने की संभावना है।

केरल में दूरदर्शन केन्द्रों के निर्माण में प्रगति

252. **श्री वी. एस. विजयराघवन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में विभिन्न स्थानों में दूरदर्शन केन्द्रों का निर्माण किस अवस्था में है ; और

(ख) इनके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) और (ख) केरल राज्य में स्थापित किए जा रहे दूरदर्शन केन्द्रों की स्थिति इस प्रकार है :—

दूरदर्शन केन्द्र त्रिवेन्द्रम

126 मीटर ऊँचे आर. सी. सी.टावर के चल रहे निर्माण कार्य के पूरा होने 10तक किलोवाट की शक्ति पर ट्रांसमीटर को 22-4-84 से चालू किया गया है। टावर का निर्माण कार्य पूरा होने पर, 10 किलोवाट की पूरी शक्ति पर ट्रांसमीटर के चालू वर्ष के अन्त तक चालू हो जाने की उम्मीद है। स्टुडियो भवन का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। रंगीन स्टुडियो उपकरणों जिनके लिए आर्डर दिया हुआ है, 1985-86 के दौरान प्राप्य होने की उम्मीद है। तब स्टुडियो केन्द्र के चालू हो जाने की उम्मीद है। सादे ओ. बी. वैन की सहायता से एक अन्तरिम कार्यक्रम निर्माण केन्द्र के चालू वर्ष के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है।

हाई पावर ट्रांसमीटर कोचीन

भवन तथा 135 मीटर ऊँचे इस्पात टावर का निर्माण कार्य चल रहा है। ट्रांसमीटर तथा अन्य आवश्यक उपकरणों के लिए आर्डर दे दिए गए हैं। किराये के एक भवन में अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर को 4-7-84 से चालू करके अन्तरिम सेवा आरम्भ कर दी गई है। 10 किलोवाट के ट्रांसमीटर के मार्च, 1985 तक चालू हो जाने की उम्मीद है।

कालीकट पालघाट तथा कन्नानोर में अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर

कालीकट में अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर को 3-7-84 से चालू कर दिया गया है तथा पालघाट और कन्नानोर में लगाये जा रहे ट्रांसमीटर के अक्तूबर, 1984 तक चालू हो जाने की उम्मीद है।

हल्दिया तेल शोधक कारखाने के विस्तार की योजना

253. **श्री नारायण चौबे** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हल्दिया तेल शोधक कारखाने के विस्तार संबन्धी 600 करोड़ रुपये की योजना को कुछ समय तक शूरू न किये जाने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) क्योंकि शोधनशाला के विस्तार के लिये किये गये लागत विश्लेषण से यह पता चलता है कि इस पर उतनी ही लागत आयेगी जितनी एक नई शोधनशाला के चालू किये जाने पर आती है, उपयुक्त विकल्पों की जांच की जा रही है।

भूकम्प संबन्धी आंकड़ों का मूल्यांकन

254. **श्री नोरेन घोष** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ड्रिलिंग एजेंसियों द्वारा साथ-साथ एकत्रित किये गये आंकड़ों का मूल्यांकन कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उससे प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या ऐसे कोई आंकड़े जमा हो गये हैं ;

(घ) यदि हां, तो कितने आंकड़े जमा हो गये हैं ; और

(ड़) आंकड़ों के जमा होने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ड़) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और आयात इण्डिया लिमिटेड द्वारा एकत्र किए गये भूकम्पीय आंकड़ों को कम से कम विलम्ब किया जाता है और उनकी व्याख्या की जाती है। नेशनल इन्फार्मेटिस सेन्टर के कम्प्यूटर के द्वारा आवश्यक संशोधन कराने के प्रयास भी किये गये हैं ताकि उन्हें आंकड़े तैयार करने के लिये प्रयोग में भी लाया जा सके।

इन सबके बावजूद, आंकड़ें तैयार करने की देशी क्षमता अपर्याप्त है और करीब 38,000 लाइन किलोमीटर का बैकलाग है ।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की अगले एक वर्ष के अन्दर एक बड़े आकार का कम्प्यूटर प्राप्त करके अपनी प्रोसेसिंग क्षमता का भारी विस्तार करने की योजना है, तब समस्या का समाधान होने की आशा है ।

कलकत्ता में भारी वर्षा के कारण संचार प्रणाली में संकट

255. **श्री बालकृष्ण वासनिक :**

श्री गुफरान आजम : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में भारी वर्षा के कारण जून, 1984 से 70 से 90 हजार टेलीफोन खराब पड़े हैं और कार्य नहीं कर रहे हैं ;

(ख) क्या तभी से सरकारी उपभोक्ता सहित इतनी ही संख्या में उपभोक्ताओं का संचार के मामले में संकट का सामना करना पड़ रहा है ?

(ग) यदि हां, तो उन टेलीफोन उपभोक्ताओं की कुल संख्या कितनी है, जिनके टेलीफोन ठीक नहीं किये गये हैं तथा शेष टेलीफोनों के कब तक ठीक किये जाने की सम्भावना है ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि स्थिति से इस प्रकार अकुशलता से निपटने के लिए कलकत्ता टेलीफोन के वर्तमान प्रबन्धक भी दोषी हैं तथा संचार व्यवस्था की सामान्य बनाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० एन० गाडगिल) : (क) 5 जून से 8 जून 84 तक भारी वर्षा एवं बाढ़ के कारण खराब टेलीफोनों की संख्या लगभग 60,000 थी ।

(ख) उपर्युक्त खराब टेलीफोन तथा बाद में हुई वर्षा एवं 23-6-84 के बाढ़ के कारण खराब टेलीफोनों खराब हुए उन्हें ठीक कर दिया गया है ।

(ग) आज तक केबिल खराबी के कारण जो 17,000 टेलीफोन तथा लगभग 2000 छुट-पुट दोष अभी दूर किए जाने हैं । इन टेलीफोनों को पुनः चालू करने का कार्य दिन रात चल रहा है । इन्हें शीघ्र ही चालू किए जाने की संभावना है ।

(घ) जी, नहीं । अभूतपूर्ण वर्षा एवं बाढ़ के प्रकोप से कोई नहीं बच सकता है ।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के अंतर्गत कोयला खानों में कोयले का अवैध खनन

256. **श्री एस० ए० दोरई सेबस्तियन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्दवान, वीरभूम और बणांकुरा में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के अंतर्गत कोयला खानों के त्यक्त गर्तों से कोयले का कितना अवैध खनन हो रहा है ,

(ख) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० इस क्षेत्र में दस छोटी कोयला खानों में से केवल एक कोयला खान को चला रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के अवैध कोयला खनन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल में गैर-कानूनी खनन चोरी छिपे और छुटपुट तौर पर हो रहा है । यह कहना सही नहीं है कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० वर्दमान, वीरभूम और वणांकुरा क्षेत्रों में केवल एक कोलियरी चला रहा है । ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के अधीन कुल खानों की संख्या 123 है और इनमें से अधिकांश पश्चिम बंगाल के वर्दमान जिले में हैं ।

(ग) गैर कानूनी कोयला खनन रोकने के लिए कोयला कंपनियों ने राज्य सरकार के प्राधिकारियों के सहयोग से जो कदम उठाए हैं उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :—

(1) राज्य की पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए नियमित रूप से अचानक छापे मारती है ।

(2) गैर कानूनी कोयला खनन को रोकने के लिए उपाय तय करने की दृष्टि से राज्य की पुलिस और सिविल प्राधिकारियों के साथ नियमित समन्वय बैठकें की जाती हैं ।

(3) जहां कहीं संभव है वहां कोयला कंपनी गैर कानूनी खनन स्थलों को औड रेट होलों को सील कर देती है ।

(4) कोलियरी प्रबंध मंडल को जब कभी गैर कानूनी कोयल खनन का पता लगता है मो उसकी रिपोर्ट स्थानीय पुलिभ को दे दी जाती है ।

(5) कोयला कंपनी के सुरक्षा बल को उसमें केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लोगों को शामिल करके मज़बूत बनाया गया है ।

रेडियो तथा दूरदर्शन का चुनाव अभियान के लिए उपयोग

257. **हेमवती नन्दन बहुगुणा : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा कि :

क्या सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संचार माध्यम विशेषतः रेडियो तथा

दूरदर्शन का शासक दल चुनाव के लिए दुरुपयोग नहीं किया जायेगा, जैसा कि सामान्यतः विपक्षी ग्रुपों द्वारा आशा की जाती है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : इस प्रकार की आशंकाएं निराधार हैं। लोक सभा या राज्य विधान सभाओं के चुनावों के दौरान मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा आकाशवाणी केन्द्रों/दूरदर्शन केन्द्रों पर प्रसारण टलीकास्ट किये जाने की एक स्वीकृत योजना है। यह योजना 1977 से गत कई वर्षों के दौरान प्रचलित रही है।

विदिशा और भोपाल के बीच सूक्ष्मातरंग के द्वारा सीधी टेलीफोन सेवा का कार्य न करना

258. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय टेलीफोन उद्योग द्वारा तैयार किए गए दोषपूर्ण उपकरणों के कारण विदिशा और भोपाल के बीच सूक्ष्मातरंगों के द्वारा सीधी टेलीफोन सेवा शुरु नहीं की जा सकी और इन्हीं कारणों से इन्दौर-देवास के बीच भी सीधी टेलीफोन सेवा संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि आई० टी० आई० के कारखाने के दोषपूर्ण उपकरण बनाए जा रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इन दोषों को दूर करने और सूक्ष्मातरंग उपकराणों में उपयुक्त सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी हां। कुछ यूनिटों में दोष उत्पन्न हो जाने के कारण माइक्रोवेव लिंक चालू करने में विलंब हुआ।

इन्दौर-देवास एन०टी०डी० सेवा संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है।

(ख) दोषयुक्त यूनिटें भारतीय टेलीफोन उद्योग को सुधार करने के लिए भेज दी गई हैं।

(ग) जब कभी दोषयुक्त यूनिटों का पता चलता है उन्हें भारतीय टेलीफोन उद्योग को मरम्मत अथवा पुनः स्थापन के लिए भेजा जाना सामान्य प्रक्रिया है।

(घ) उपस्कर में पाई गई कमी अथवा दोष की अलग-अलग नियमित रूप से और एक साथ जांच की जाती है और आवश्यक होने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

कुछ उद्योगों द्वारा बिजली संयन्त्रों के आयात का अनुरोध

259. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ औद्योगिक एककों ने सरकार से अपने संयंत्रों द्वारा बिजली पैदा कर बिजली की मांग को पूरा करने के लिए विद्युत संयंत्रों का आयात करने की मंजूरी देने के लिए अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने औद्योगिक एकक हैं और सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) बिजली की समस्या को हल करने के लिए बिजली पैदा करने वाले संयंत्रों के आयात में इन एककों को अन्य क्या रियायतें दी जा रही हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भारत में महिलाओं के दर्जे को उठाने और दर्शाने के उद्देश्य से वृत्त चित्रों/टी०वी० फिल्मों के निर्माण के लिए दी गई सहायता

260. **श्री आनन्द सिंह** :

श्री माधव राव सिन्धिया : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक दोनों किस्म के दर्जे को उठाने और दर्शाने के उद्देश्य से वृत्त चित्रों और टी० वी० फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक नीति बनाने का फैसला किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन फिल्मों का ब्यौरा क्या है जिनका अब तक निर्माण किया गया है और इन फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किस-किस को सहायता अनुदान अथवा प्रोत्साहन दिए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री० एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) महिलाओं के कल्याण सहित सामाजिक विषयों पर फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देने का सरकार का प्रयास रहता है । राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, जो इस मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, की फिल्मों के निर्माण में सहायता करने की एक योजना है । इस योजना के अन्तर्गत निगम ने भारत की महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक स्तर की समस्याओं से संबन्धित 17 फिल्मों को वित्तपोषित किया है । इस प्रकार की फिल्मों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है । निगम ने महिलाओं की समस्याओं से संबन्धित "गोदाम" और "तरंग" नामक दो फिल्में भी हिन्दी में बनाई हैं ।

विवरण

1. "दस्तक" हिन्दी में ।
2. "कण्कू" गुजराती में ।
3. "उसकी रोटी" हिन्दी में ।
4. "फिर भी" हिन्दी में ।
5. "बदनाम बस्ती" हिन्दी में ।
6. "माया दर्पण" हिन्दी में ।
7. "27-डाउन" हिन्दी में ।
8. "परिणय" हिन्दी में ।
9. "अरविन्द देसाई की अजीब दास्तां" हिन्दी में ।
10. "कस्तूरी" हिन्दी में ।
11. "महजबीन" हिन्दी में ।
12. "अपरूपा" असमिया में ।
13. "चिरुथा" हिन्दी में ।
14. "36 चौरंगी लैन" अंग्रेजी में ।
15. "फणियम्मा" कन्नड़ में ।
16. "प्रतिशोध" हिन्दी में ।
17. "महानन्दा" हिन्दी में ।

सीमावर्ती क्षेत्रों में शक्तिशाली ट्रांसमीटर

261. **श्री आर० आर० भोले** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पाकिस्तान और बंगलादेश जैसे अन्य देशों की सीमाओं से लगने वाले हमारे विभिन्न राज्यों के लोग इन देश के रेडियो और दूरदर्शन कार्यक्रम देखते हैं तथा ऐसे कार्यक्रमों से प्रभावित होते हैं; और

(ख) क्या सरकार का भारत विरोधी कार्यक्रमों को प्रभावहीन बनाने के लिए शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाने का प्रस्ताव है, ताकि सीमा से लगने वाले देशों में हमारे कार्यक्रम सुने और देखे जा सकें ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां। कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में विदेशी रेडियो और टेलीविजन केन्द्रों से संग्रहण का पता चला है। कुछ आकाश वाणी केन्द्रों से भी रेडियो सिगनल सीमा के पार जा रहे हैं।

(ख) राजकोट, जलन्धर, गोरखपुर और कलकत्ता में कार्यरत आकाशवाणी के उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर सीमा पार कुछ कवरेज पहले ही उपलब्ध कर रहे हैं। उसको डिब्रुगढ़, लखनऊ, राजकोट, शिलांग, पटना और सिलीगुड़ी में ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ाने के लिए कार्यान्वित की जा रही योजना के मुकम्मल हो जाने पर बढ़ाया जायेगा।

दूरदर्शन ने भी छठी पंचवर्षीय योजना तथा दूरदर्शन के विस्तार की विशेष योजना के अन्तर्गत सीमावर्ती क्षेत्रों में कवरेज उपलब्ध करने के लिए उच्च शक्ति वाले 12 ट्रांसमीटरों तथा अल्प शक्ति वाले 8 ट्रांसमीटरों की स्थापना करने का काम हाथ में लिया है। इनसे भी सीमा पर कुछ कवरेज उपलब्ध होने की उम्मीद है।

तेल क्षेत्र का पता लगाने और उसके दोहन के बीच समय का अन्तर

262. **श्री अजय विश्वास** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी तेल क्षेत्र का पता लगने और उसके दोहन के बीच समय का कोई अन्तर रहता है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समयान्तर रखने के क्या कारण हैं;

(ग) उक्त समयान्तर को कम करने के लिए गत पांच वर्षों के दौरान क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) उन उपायों से निकले परिणामों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में पेट्रोलियम विभाग में राज्यमंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) एक संरचना में तेल का पता लगाने के पश्चात यह मूल्यांकन करना पड़ता है कि क्या प्राप्त किए गए तेल का वाणिज्यिक रूप से उपयोग किया जा सकता है। इसके पश्चात रिजर्वायर इंजीनियरी अध्ययन करने पड़ते हैं, उत्पादन सुविधाओं को प्राप्त करना, प्रतिष्ठापित करना और आरम्भ करना पड़ता है। इसके कारण खोज और उसके दोहन के बीच समय अन्तर आता है।

(ग) और (घ) इस समय अन्तराल को कम करने के लिए उचित आयोजन तथा परिवहन और उत्पादन सुविधाओं की स्थापना के लिए शीघ्रता से सामग्री प्राषण के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

छठी योजना में बल्क औषधियों और फार्मूलेशनस की वार्षिक वृद्धि दर की प्राप्ति

265. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में बल्क औषधियों और फार्मूलेशंस में क्रमश: 24 प्रतिशत और 16 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर का अनुमान था ;

(ख) यदि हां, तो क्या वृद्धि दर प्राप्त की गई है,

(ग) क्या लक्ष्य कम कर दिया गया था,

(घ) यदि हां, तो क्या संशोधित वृद्धि दर प्राप्त कर ली जायेगी ; और

(ड़) यदि नहीं, तो बाजार में पैदा होने वाले संकट से बचने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री **बसन्त साठे**) : (क) जी हां । मांग अनुमानों का पूर्वानुमान वास्तविक खपत और पूर्वानुमानित वृद्धि दरों को ध्यान में रखते हुए लगाया गया था । बाद के वर्षों में वास्तविक खपत को ध्यान में रखते हुए यह पाया गया कि इनमें से कुछ मांग अनुमान अधिक है और कुछ कम ।

(ख) 1982-83 तक बल्क औषधों और फार्मूलेशनों की वार्षिक वृद्धि दर क्रमश: 13 प्रतिशत और 11.5 प्रतिशत थी ।

(ग) योजना आयोग ने अपने मध्यवर्धि मूल्यांकन में बल्क औषधों और फार्मूलेशनों के उत्पादन के लिये लक्ष्यों को कम कर दिया था ।

(घ) और (ड़) जैसा कि ऊपर बताया गया है, वास्तव में मांग अनुमानों को अधिक पाया गया है, और कुछ को कम । जब कभी ध्यान में आई, वह मुख्यत: स्थानीय प्रकृति की थी अथवा ब्राण्ड औषधों की, जिनके लिये समान औषधें उपलब्ध हैं ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अमेरिका की कम्पनी के साथ तट-दूर पाइप लाईन के लिये अनुबन्ध पर हस्ताक्षर

265. **श्री राजेश कुमार सिंह** :

श्री रशीद मसूद : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमेरिका की एक कम्पनी जिसके साथ तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने बम्बई समुद्र बसंई तेल क्षेत्र को गुजरात में हजीरा के साथ तट दूर पाइपलाइन द्वारा

जोड़ने के लिये अरबों डालर के एक अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किये गये थे, वह अपने समझौते से पीछे हट गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण सहित तत्संबन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) सरकार की उस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

शोलापुर और नई दिल्ली के बीच एस. टी. डी. सेवा

255. **श्री भाऊसाहिब थोरट** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शोलापुर से नई दिल्ली और नई दिल्ली से शोलापुर तक एस. टी. डी. सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक आरम्भ हो जाएगी ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी. एन. गाडगिल) : (क) जी हां ।

(ख) नई दिल्ली से शोलापुर एवं शोलापुर से नई दिल्ली के बीच एस. टी. डी. सेवा सातवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू करने की योजना है ।

राजस्थान मन्डल में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों पर सीधी टेलीफोन सुविधा की व्यवस्था

266. **श्री मूल चंद डागा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कौन-कौन से केन्द्र हैं जहां पर सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों पर सीधी टेलीफोन सेवा की सुविधा उपलब्ध है ;

(ख) विभाग द्वारा वर्ष 1984-85 के दौरान किन-किन केन्द्रों पर उपर्युक्त सुविधा की व्यवस्था की जा रही है,

(ग) क्या यह सच है कि राजस्थान मंडल में बहुत ही कम केन्द्रों पर उपर्युक्त सुविधा उपलब्ध है जबकि अन्य मंडलों में बहुत अधिक केन्द्रों पर यह सुविधा उपलब्ध है ; और

(घ) राजस्थान मन्डल में कम सुविधा उपलब्ध होने के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी. एन. गाडगिल) (क) राजस्थान सर्किल में, जयपुर में सार्वजनिक टेलीफोन पर एस. टी. डी. सुविधा उपलब्ध है ।

(ख) डाक तार विभाग वर्ष 1984-85 के दौरान राजस्थान दूर संचार सर्किल के निम्नलिखित स्टेशनों पर एस. टी. डी. वाले सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने जा रहा है ;

1. अजमेर

2. अलवर

3. ब्यावर

4. भरतपुर

5. जयपुर सिटी तारघर

6. जोधपुर

7. कोटा

8. उदयपुर

(ग) जी हां। कुछ अन्य दूरसंचार सर्किलों में कई स्टेशनों में उपर्युक्त सुविधा उपलब्ध है ।

(घ) राजस्थान में जयपुर को छोड़कर विभिन्न स्टेशनों में एस. टी. डी. सुविधा अभी हाल ही में प्रारम्भ की गई है। इनमें से किसी भी स्टेशन के लिए एस. टी. डी. सार्वजनिक टेलीफोनों के लिए अलग से कोई मांग नहीं की गई।

राजस्थान के ग्रामीण घरों में नए सुधरे चूल्हे प्रचलित करना

267. **दीनबन्धु वर्मा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के आदिवासी और गैर-आदिवासी क्षेत्रों विशेषकर उदयपुर- डूंगरपुर और बांसवाड़ा में ग्रामीण घरों में 1983-84 और 1984-85 में लक्ष्यों की तुलना में कितने सुधरे हुए चूल्हे प्रचलित किए गए और तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) इन जिलों में राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा किन एजेंसियों को प्रायोजित किया गया है; और

(ग) उन्हें किस प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई गई है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) 1983-84 में राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में 847 सुधरे हुए चूल्हे स्थापित किए गए जबकि लक्ष्य ५,000 का था। इनमें से 54 डूंगरपुर जिले के आदिवासी क्षेत्रों में तथा 125 उदयपुर जिले में स्थापित किए गए लेकिन बांसवाड़ा में कोई चूल्हा स्थापित नहीं किया गया। चालू वर्ष यानी 1984-85 में 20,000 चूल्हे स्थापित करने का लक्ष्य है जिनमें 5003 बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर सहित राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे।

(ख) राजस्थान सरकार का ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग राज्य सरकार का नोडल विभाग है। आदिवासी क्षेत्रों में कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए सामजिक कार्य एवं अनुसंधान केन्द्र माडा (एम.ए.डी.ए) (डूंगरपुर) एक प्रायोजित एजेंसी है।

(ग) अनुमोदित कार्यक्रमानुसार प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को आयोजित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पूर्ण वित्तीय सहायता दी जाती है। दूसरे प्रकार की सहायता भी दी जाती है जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पहाड़ी क्षेत्रों के सभी लाभार्थियों को चूल्हे के स्थापित नमूने की सामग्री का शतप्रतिशत और सफरी नमूने के लिए 75 प्रतिशत आर्थिक सहायता तथा अन्य लाभार्थियों के लिए सफरी नमूने की 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त तकनीकी संगठनात्मक और स्टाफ सहायता के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सूचना, प्रसार और प्रचार के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

वाराणसी में खाना पकाने की गैस के सिलेण्डर भरने के संयंत्र की स्थापना

268. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) उत्तर प्रदेश में किन-किन स्थानों पर सिलेण्डर भरने के संयंत्र कार्य कर रहे हैं जिससे राज्य के लोगों को खाना पकाने की गैस आसानी से उपलब्ध हो सके;

(ख) क्या सरकार का विचार वाराणसी अथवा इसके समीप ही कहीं सिलेण्डर भरने के संयंत्र की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो यह संयंत्र किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा और यह कब तक स्थायित कर दिया जाएगा और उस पर अनुमानत : कुल कितना व्यय होगा; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) (क) इस समय उत्तर प्रदेश में कानपुर, मथुरा और इलाहबाद में स्थित तीन वाटलिंग प्लांट हैं।

(ख) वाराणसी को वर्तमान एल.पी.जी. विपणन योजना में विपणन स्थल के रूप में शामिल नहीं किया गया है तथापि, अगली योजना में वाराणसी में वाटलिंग प्लांट स्थापित करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, ब्यौरों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

श्रमजीवी पत्रकारों को पेंशन देने के लिए श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम में संशोधन

269. **श्री सुभाष चन्द्र यादव** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) : क्या समाचार-पत्र संस्थापनाओं द्वारा सभी श्रमजीवी पत्रकारों को पेंशन दिए जाने के बारे में राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार संघ में भारत के अनुरोध को ध्यान में रखकर श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम में संशोधन करने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं। और

(ग) इसे अंतिम रूप कब तक दिये जाने की संभावना है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग): समाचार पत्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करने का प्रश्न सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में औद्योगिक श्रमिकों को पेंशन प्रदान करने के व्यापक प्रश्न के साथ जुड़ा है। अत : श्रमजीवी पत्रकारों को पेंशन प्रदान करने के प्रश्न पर उपयुक्त समय पर विचार किया जाएगा।

विद्युत संयंत्रों का पुराना पड़ जाना तथा उनकी क्षमता का उपयोग बेहतर बनाने के लिए कदम

270. **श्री दौलत राम सारण :**

श्री रशीद मसूद : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह जानने के लिए को आकलन किया है कि देश, में ताप विद्युत संयंत्रों को पुराना हो जाने के कारण इन संयंत्रों की क्षमता के उपयोग और विद्युत उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्ति पर कितना कुप्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन विद्युत संयंत्रों के रखरखाव पर औसतन कितना वार्षिक खर्चा किया जा रहा है तथा उन्हें नया रूप देकर उनकी क्षमता का अधिक उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ महोम्मद खां) (क) और (ख) ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन की नियमित आधार पर मानीटरिंग की जाती है। ताप विद्युत संयंत्रों के क्षमता समुपयोजन पर अनेक पहलुओं के कारण प्रभाव पड़ता है, तथा जबरन-बन्दियां, नियोजित अनुरक्षण के लिए बन्दियां तथा प्रणाली सम्बन्धी बाधाएं आदि। वर्ष 1983-84 के दौरान जबरन बन्दियों के कारण ताप विद्युत केन्द्रों के उपलब्ध न होने की अवधि 23.74% बैठती है।

ताप विद्युत संयंत्रों के क्षमता समुपयोजन में सुधार लाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. संयंत्र सुधार कार्यक्रम तैयार करने और प्रारम्भ करने में राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत केन्द्रों को सहायता देना।

2. बंदी की अवधियों को कम करने के लिए निवारक अनुरक्षण तकनीक अपनाना ।

3. स्वदेशी और विदेशी स्रोतों से उपस्कर तथा फुटकर पुर्जों की व्यवस्था करना ।

4. अपेक्षित गुणवत्ता और मात्रा में कोयले की व्यवस्था करना ।

5. यूनिटों को शीघ्र सुस्थिर करने के लिए कृतिक बलों का गठन करना ।

6. प्रचालन प्रणालियों की मानीटरिंग करने और परामर्श देने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्रधिकरण से प्रचालन विशेषज्ञों के भ्रमणशील दलों के दौरा की व्यवस्था करना ।

7. राज्य बिजली बोर्डों के प्रचालन और अनुरक्षण कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था की जाती है ।

ताप विद्युत संयंत्रों के आवधिक अनुरक्षण पर होने वाला व्यय राज्य बिजली बोर्डों के योजनेत्तर व्यय का भाग होता है । ऊर्जा मन्त्रालय ने ताप विद्युत केन्द्रों के नवीनकरण तथा अधुनिकीकरण के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम का प्रस्ताव किया है, तीन वर्ष की अवधि के दौरान इसकी लागत लगभग 500 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है ।

भारतीय कम्पनी और अन्तर्राष्ट्रीय तेल कम्पनियों द्वारा आंकड़े एकत्र करने की प्रक्रियाओं में अन्तर

271. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कम्पनियों और तेल कम्पनियों द्वारा भूकंपीय आंकड़े एकत्र करने की प्रक्रियाओं में अंतर है;

(ख) यदि हां, तो कौन सी प्रक्रिया बेहतर है; और

(ग) यदि अन्तर्राष्ट्रीय तेल कम्पनियों की प्रक्रिया बेहतर है तो क्या सरकार भूकंपीय आंकड़े एकत्र करने से संबन्धित उनकी प्रक्रिया अपनाने की योजना बना रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गीशंकर मिश्र) : (क) (ग) भारतीय कम्पनियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय तेल कंपनियों के द्वारा अपनायी गयी भू-कम्पनीय आंकड़ों के मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में कोई भिन्नता नहीं है ।

गोरखपुर जिले (उत्तर प्रदेश) की बासगांव तहसील में बंधुआ मजदूरों का पाया जाना

272. **श्री मनोहर लाल सैनी** : **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 जून 1984 के "जनसत्ता" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलवाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि गोरखपुर जिले की बासगांव तहसील में अभी भी बहुत बड़ी संख्या में बंधुआ मजदूर हैं;

(ख) : यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबन्ध में कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी,हां ।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश सरकार से आवश्यक सूचना मांगी गई है और इसे प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दिया जाएगा ।

दिल्ली टेलीफोन एक्सचेंज में नए टेलीफोन कनक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

273. **श्री सज्जन कुमार** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में कई वर्षों पहले जिन लोगों ने टेलीफोन कनेक्शन के लिए आवेदन किया था वे अभी भी प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दिल्ली में प्रत्येक एक्सचेंज में आवेदकों की प्रतीक्षा सूची का ब्यौरा क्या है और वे प्रतीक्षा सूचियां कब तक निपटा दी जाएंगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० एन० गाडगिल) : (क) जी हां ।

(ख) संसाधनों का अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना ।

(ग) एक्सचेंजवार प्रतीक्षा-सूची का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । इसे अगले कुछ वर्षों के दौरान उत्तरोत्तर निपटा दिया जाएगा ।

विवरण

अनुबन्ध

एक्सचेंजवार प्रतीक्षा सूची योग

क्र० सं०	टेलीफोन एक्सचेंज	एक्सचेंज कोड	ओवाइटी	विशेष	सामान्य	
1	2	3	4	5	6	7
I	**पूर्वी दिल्ली**					
	1. शाहदरा-I	20	459	475	4143	5,027

1 2	3	4	5	6	7
2. शहशाहदरा	21,24	688	663	7518	9,069
3. शाहदरा-II	86	9	17	228	257
4. दिल्ली गेट	26,27	672	136	6314	7,122
5. ईदगाह	61,52,77	144	194	11069	11,407
6. गाजियाबाद-II	84	30	48	421	509
7. गाजियाबाद-I	85	16	31	1068	1,115
II उत्तरी दिल्ली					
8. तीस हजारी	22,23,25	128	49	6600	6,777
9. शक्ति नगर	71,74	255	242	14379	14,876
10. बादली	802	23	62	318	403
11. अलीपुर	801	शून्य	17	4	21
12. नरेला	89	शून्य	—	189	189
III केन्द्रीय दिल्ली					
13. जनपथ	31,32,34,35	493	14	1182	1,689
14. सचिवालय	37	491	1	193	685
15. राजपथ	38	984	61	832	1,877
16. जोर बाग	61,62,69	150	76	3838	4,064
Iv दक्षिणी दिल्ली					
17. ओखला	63	769	415	4196	5,380
18. हौज खास	65,66	850	251	6866	7,967
19. चाणक्यपुरी	60,67	218	148	2107	2,473
20. नेहरू प्लेस	64,68	1583	169	4393	6,145
21. फरीदाबाद	81	456	312	2168	2,936
22. बदरपुर	82	शून्य	2	21	23

1	2	3	4	5	6	7
23.	बल्लभगढ़	88	100	182	876	1,158
24.	करोल बाग	56,57,58	30	26	6177	6,233
25.	राजौरी गार्डन	50,53,50	1420	971	16662	19,053
26.	केन्ट	39	22	6	162	190
27.	जनकपुरी	55	229	152	2573	2,954
28.	बहादुरगढ़	8	14	37	181	232
29.	नजफगढ़	806	7	17	148	164
30.	नांगलोई	87	22	75	444	541
		योग	10,339	5,036	1,05,495	1,20,870

गुजराती भाषा में दूरदर्शन कार्यक्रमों का प्रसारण

274. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में प्रस्तावित दूरदर्शन केन्द्र और इसके रिले केन्द्र कब तक कार्य करना आरम्भ कर देंगे और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गुजरात के बहुत से तटवर्ती भागों में विदेशी दूरदर्शन कार्यक्रम प्राप्त हो रहे हैं और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(ग) गुजराती भाषा में सभी दूरदर्शन कार्यक्रमों का प्रसारण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और क्या जो कार्यक्रम इस समय प्रसारित किये जा रहे हैं वे पर्याप्त हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) अहमदाबाद में अन्तरिम दूरदर्शन सेवा चालू कर दी गई है । राजकोट में प्रेषण के अगस्त/सितम्बर, 1984 के दौरान आरंभ होने की उम्मीद है । अहमदाबाद, राजकोट और द्वारका में 10 किलोवाट के ट्रांसमीटरों को, निर्माणाधीन टावरों के मुकम्मल होने पर, चालू किया जाएगा ।

बड़ोदरा में अल्प शक्ति वाला ट्रांसमीटर 7-7-84 को चालू किया गया था । सूरत,

भावनगर, नवासरी, भस्म और पाटन के शेष केन्द्रों को अक्तूबर, 1984 तक चालू किया जायेगा ।

अहमदाबाद में स्टूडियो केन्द्र 1985-86 में कार्य करने लगेगा । रंगीन प्रचालन के लिये उपकरणों के लिए आर्डर दे दिया गया है ।

(ख) जी, हां । कुछ स्थानों पर विदेशी टेलीविजन केन्द्रों से फुटकल संग्रहण होने का पता चला है । द्वारका और राजकोट में लगाए जा रहे उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों से गुजरात में कच्छ, जामनगर और जूनागढ़ के सीमावर्ती जिलों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध होने की उम्मीद है ।

(ग) पिज ट्रांसमीटर से इस समय गुजराती कार्यक्रम सांय 7.30 बजे से रात 9.00 बजे तक सप्ताह में 6 दिन प्रस्तुत किए जाते हैं । अहमदाबाद स्टूडियो/ट्रांसमीटर काम्पलेक्स, जिन्हें 1985-86 में मुकम्मल करने का लक्ष्य है, के मुकम्मल होने पर यह केन्द्र पूर्णरूपेण केन्द्र हो जायेगा । ट्रांसमीटर के 10 किलोवाट की शक्ति पर कार्य करने पर तब इस केन्द्र के लिए पूर्ण-रूपेण गुजराती कार्यक्रम केन्द्र के रूप में कार्य करना सम्भव होगा ।

"इन्सेट" स्कीम के अन्तर्गत, राजकोट में पूर्णरूपेण कार्यक्रम निर्माण केन्द्र ने कार्य करना आरंभ कर दिया है । राजकोट ट्रांसमीटर के चालू हो जाने पर यह शैक्षणिक दूरदर्शन और क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रमों सहित गुजराती भाषा में कार्यक्रम तैयार करेगा ।

जीवन रक्षक औषधियों की कमी

275. **प्रो० मधु दण्डवते :**
श्री चित्त महब्दा

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आवश्यक तथा जीवन रक्षक औषधियों की बाजार में कमी है;

(ख) क्या कुछ सुप्रसिद्ध औषध निर्माण फर्मों द्वारा नकली औषधियों को बेचा जा रहा है; और

(ग) इस प्रकार की औषधियों के उत्पादन में बुद्धि करने तथा सरकारी भेषजिकी कंपनियों के उत्पादों में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) तथा (ख) अनिवार्य तथा जीवन रक्षक औषधों की उपलब्धता के बारे में मेरे मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जा रही है । कुछ ब्रांडों की कमी पाई गई थी, जो अधिकतर स्थानीय तथा अस्थायी प्रकृति की थी । अधिकतर मामलों में समान उत्पाद उपलब्ध थे । भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय को सुप्रसिद्ध औषद्ध निर्माता फार्मों द्वारा कोई नकली औषधें बनाये जाने का पता नहीं चला है ।

(ग) औद्योगिक अनुमोदन योग्यता के आधार पर प्रदान किये जाते हैं । सार्वजनिक क्षेत्र

में उत्पादन की लगातार निगरानी की जाती है तथा उसे मार्किट मांग के अनुकूल रखा जाता है।

सरकारी क्षेत्र में निर्मित दवाइयों और शल्य क्रिया उपकरणों का ब्यौरा

276. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आवकारी क्षेत्र में औषध निर्माण करने वाले पांच कारखाने कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रत्येक कारखाने में 1982-83 और 1983-84 के दौरान निर्मित की गई दवाइयों और शल्प क्रिया उपकरणों का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) इस समय निम्नलिखित चार औषध उपक्रम सार्वजनिक क्षेत्र में हैं :—

1. इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० (आई० डी० पी० एल०)
2. हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लि० (एच० ए० एल०)
3. स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि० (एस० एस० पी० एल०)
4. बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० (बी० सी० पी० एल०)

उपरोक्त के अतिरिक्त, बंगाल इम्यूनिटी कम्पनी लि० (बी० आई० के०एल०) नामक एक कंपनी इस समय सरकार के प्रबन्धाधीन है।

(ग) वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान इन कंपनियों की उत्पाद श्रेणी और उनसे उत्पादन का मूल्य निम्न प्रकार था :—

कम्पनियों के नाम	उत्पादन की मदें	उत्पादन का मूल्य (रु० लाखों में)	
आई० डी० पी० एल०	बल्क औषधें	1982-83 और 1983-84	
" " " "	फार्मलेशन्स और शल्प उपकरण	11882	12154
एच० ए० एल०	बल्क औषधें, फार्मूलेशन्स	3736	3662

1	2	3	4
एस० एस० पी० एल०	औषध फार्मूलेशन्स	127	801
वी० सी० पी० एल०	औषध फार्मूलेशन्स रसायन सौंदर्यशाधन और घरेलूउत्पादन	1150	1005
वी० आई० सी० एल०	बल्क औषधें, फार्मूलेशन्स और वैदसीन्स	815	815

पश्चिम बंगाल की स्वीकृत तथा स्वीकृति के लिए लम्बित विद्युत परियोजनाएं

277. प्रो० रूप चन्द्र पाल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल की कितनी विद्युत परियोजनाएं केन्द्रीय प्राधिकारियों के पास स्वीकृति हेतु लंबित है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा पश्चिम बंगाल की कितनी विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है;

(ग) इसी अवधि के दौरान अन्य राज्यों की कितनी विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है;

(घ) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के वीरभूम जिले में बकरेश्वर में एक ताप बिजली एकक स्थापित करने के प्रस्ताव भेजे गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा योजना आयोग द्वारा बकरेश्वर ताप विद्युत परियोजना को पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) तीसता नहर के प्रपात संख्या 1, 2, 3 और 4 पर जल विद्युत केन्द्र (67.5 मेगावाट) स्थापित करने की स्कीमें तकनीकी आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत कर दी गई हैं और उन्हें निवेश संबंधी निर्णय के लिए भेज दिया गया है। पश्चिम बंगाल के प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई निम्नलिखित विद्युत परियोनाओं का परियोजना प्राधिकारियों और संबंधित केन्द्रीय एजेन्सियों के साथ परामर्श करके केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में मूल्यांकन किया जा रहा है :—

ताप विद्युत

1. सन्थालडिह (बिस्तार)	2×210 मेगावाट
2. बक्रेश्वर	3×210 मेगावाट

जल विद्युत

1. रामन (चरण-1)	2 × 15 मेगावाट
2. लोधाम दिलपा	4 × 1 मेगावाट
3. मुंगपू	4 × 1.25 मेगावाट

(ख) सन्यालडिह ताप विद्युत केन्द्र (4 × 120 मेगावाट) के नवीकरण की स्कीम स्वीकृत कर दी गई है केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने सीसता नहर के प्रपात संख्या 1, 2, 3 और 4 पर प्रस्तावित जल विद्युत केन्द्रों (67.5 मेगावाट) तथा कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई निगम के दक्षिणी विद्युत उत्पादन केन्द्र (2 × 67.5 मेगावाट) को प्रतिस्थापना को तकनीकी आर्थिक अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अन्य राज्यों को तकनीकी आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत विद्युत परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) जी, हां।

(ङ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिए बक्रेश्वर ताप विद्युत केन्द्र (3 × 210 मेगावाट) के लिए कोयला लिंकेज, पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति जल की उपलब्धता आदि जैसे आवश्यकता निवेश सम्बद्ध किए जाने हैं।

विवरण

राज्य का नाम	पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की गई विद्युत परियोजनाओं के नाम
1	2
उत्तरी क्षेत्र	
हिमाचल प्रदेश	थिरोट (3 × 1 मेगावाट) बानेर (2 × 3 मेगावाट) गाज (3 × 3.5 मेगावाट)
हरियाणा	दादूपूर (4 × 1.5 मेगावाट) पानीपत चरण-3(1 × 210 मेगावाट) यमुनानगर (2 × 210 मेगावाट)

1	2
राजस्थान	मंगरोल में दायें मुख्य नहर (3 × 2 मेगावाट)
	सूरतगढ़ (2/2 मेगावाट)
	चरणवाला (1 × 2 मेगावाट)
	रामगढ़ में गैस अर्बाइन (1 × 3 मेगावाट)
जम्मू व कश्मीर	अपरसिन्ध चरण-2 (2 × 35 मेगावाट)
	करनाह (2 × 1 मेगावाट)
	कारगिल (3 × 1.25 मेगावाट)
पंजाब	शाहपुर कंडी (2 × 47 मेगावाट)
	अबोहर नहर (3 × 0.525 मेगावाट)
	धारीबाल (4 × 0.6 मेगावाट)
	निदामपुर (2 × 0.395 मेगावाट)
	थूही (2 × 0.305 मेगावाट)
	रोहती (2 × 1.65 मेगावाट)
	रोपड़ चरण-2 (1.310 मेगावाट)
उत्तर प्रदेश	श्रीनगर (4 × 50 मेगावाट)
पश्चिमी क्षेत्र	
गुजरात	अहमदाबाद (साबरमती) (विस्तार) (1 × 110 मेगा.)
	गांधीनगर (विस्तार) (1 × 210 मेगावाट)
	कच्छलिग्नाइट (विस्तार) (1 × 70 मेगावाट)
	सरदार सरोवर (6 × 200 + 5 × 50 मेगावाट)
	मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना
	पनाम (2 × 1 मेगावाट)
	गांधीनगर (चौथी यूनिट) (1 × 210 मेगावाट)
मध्य प्रदेश	बाणसागर (टोंस) (3 × 105 × 2 × 15 + 3 × 15मे.)
	हसदेवगांगो (3 × 40 मेगावाट)
	मोरंड (2 × 0.5 मेगावाट)
	तवा बांया तट नहर (4 × 3 मेगावाट)

1	2
महाराष्ट्र	खड़गवासला (2 × 8 मेगावाट)
	भत्सा (1 × 15 मेगावाट)
	उज्जयनी (1 × 12 मेगावाट)
	तन्हेर (1 × 4 मेगावाट)
	धूम (2 × 1 मेगावाट)
	चन्द्रपुर (पांचवीं और छठी यूनिट)(2 × 500 मेगावाट)
	उक्ष्ण गैस टर्बाइन (चरण-2)(4 × 60 मेगावाट)
	ट्राम्बे (यूनिट-6) (1 × 500 मेगावाट)
	थापरखेड़ा (2 × 210 मेगावाट)
	पारली (यूनिट-5) (1 × 210 मेगावाट)
दक्षिणी क्षेत्र	
आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा (विस्तार) (2 × 210 मेगावट)
	मिनी जल विद्युत कक्तिया नहर (3 × 0.5 मेगावाट)
कर्नाटक	शिवपुर (2 × 9 मेगावाट)
	रायचुर (यूनिट-3) (1 × 210 मेगावाट)
	शरावती टेलरेस (4 × 60 मेगावाट)
	मालापुर (2 × 4.5 मेगावाट)
	मद्दूर ब्रांच (1 × 1.5 मेगावाट)
	सिरलर (1 × 1 मेगावाट)
केरल	लोवर पेरियार (3 × 60 मेगावाट)
	कल्लाडा (2 × 7.5 मेगावाट)
	मुवात्तूपुजहा (1 × 6 मेगावाट)
	पुयानकुट्टी (2 × 120 मेगावाट)
	मालमपुजहा (1 × 2.5 मेगावाट)
	मद्दुपट्टी (1 × 2 मेगावट)
तमिल नाडु	लोवर भवानी बांध विद्युत घर (4 × 2 मेगावाट)
	बेगई बांध विद्युत घर (2 × 3 मेगावाट)

1	2
	पियकारा बांध विद्युत घर (1 × 2 मेगावाट)
	कुण्डाह 5 विस्तार (1 × 30 मेगावाट)
	तूतीकोरन (चरण-3) (2 × 210 मेगावाट)
	उत्तर मद्रास (3 × 210 मेगावाट)
	मेत्तूर विस्तार (2 × 210 मेगावाट)
पूर्वी क्षेत्र	
बिहार	पूर्वी गण्डक नहर (3 × 5 मेगावाट)
	नोर्थ कोल (2 × 12 मेगावाट)
	सोन पश्चिमी लिंक नहर (4 × 1.65 मेगावाट)
	सोन पूर्वी लिंक नहर (2 × 1.65 मेगावाट)
उड़ीसा	पोत्तेरू (2 × 3 मेगावाट)
	रेंगाली (चरण-2) (3 × 50 मेगावाट)
सिक्किम	रिम्बी (चरण-2) (2 × 0.5 मेगावाट)
	रोंगनीचू (चरण-2) (5 × 0.5 मेगावाट)
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	
असम	लकवा गैस टर्बाइन (विस्तार) (1 × 15 मेगावाट)
	लकवा गैस टर्बाइन (4 × 15 मेगावाट)
	लकवा वेस्ट हीट प्लान्ट (1 × 22 मेगावाट)
मणिपुर	शुगशुंगखोंग (3 × 0.5 मेगावाट)
	थोबल (3 × 2.5 मेगावाट)
	बूनिंग (2 × 0.5 मेगावाट)
	खुगा (3 × 0.5 मेगावाट)
त्रिपुरा	बारामुरा गैस टर्बाइन (2 × 5 मेगावाट)

उर्वरक के उत्पादन में कमी

278. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका मंत्रालय उर्वरक के उत्पादन में गिरावट के बारे में अनेक कदम उठाने और इस सम्बन्ध में जांच करवाने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे अनेक कदमों पर भी विचार कर रही है जिससे उर्वरक के उत्पादन में और अधिक गिरावट न आने पाए; और

(ग) सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से उर्वरक उत्पादन में कितनी सहायता मिली है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) तथा (ख) उर्वरकों के उत्पादन में कोई ह्रास नहीं हुआ है। बल्कि उत्पादन में महत्पूर्ण वृद्धि हुई है। तथापि कुछ एककों में उत्पादन को बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं जो तुलनात्मक दृष्टि से निम्न स्तर पर चल रहे हैं।

(ग) उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। उदाहरणस्वरूप, 1980-81 में नाईट्रोजन का उत्पादन 21.64 लाख टन तथा पी 2 ओ 5 का उत्पादन 8.41 लाख टन के स्तर से बढ़कर 1984-84 में 34.85 लाख टन नाईट्रोजन तथा 10.48 टन पी 2 ओ 5 हो गया है।

रुग्ण ताप बिजली घर

279. **प्रो० अजित कुमार मेहता** :

श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे ताप बिजली घरों की संख्या क्या है, जो रुग्ण पाए गए हैं और जिनके नवीकरण की आवश्यकता है ;

(ख) इन बिजलीघरों की प्रतिष्ठापित क्षमता की तुलना में औसतन वार्षिक बिजली उत्पादन क्या है ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान (वर्ष-वार) इन बिजली घरों की मरम्मत और रख-रखाव पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(घ) इनके नवीकरण पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां : (क) और (ख) नवीकरण और आधुनिकीकरण के संबंध में स्कीम स्वीकृत किए जाने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किए जाने तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन किए जाने के पश्चात् विशिष्ट ताप विद्युत केन्द्रों का पता लगाया जा सकता है। तथापि रिबैम्पिंग के लिए प्रस्तावित विद्युत केन्द्रों के संबंध में ब्यौरे संलग्न विवरण दिए गए हैं। ये विद्युत केन्द्र रुग्ण नहीं हैं क्योंकि विद्युत उत्पादन के लिए जहां तक संभव है इनकी क्षमता का समुपयोजन किया जा रहा है।

(ग) आवधिक अनुरक्षण तथा ताप विद्युत केन्द्रों की मरम्मत करना राज्य बिजली बोर्डों

की एक सामान्य प्रक्रिया है। इससे संबंधित खर्चा अवर्ती प्रकार का होता है और राज्य बिजली बोर्डों के योजनेतर खर्चे का एक अंग होता है।

(घ) नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित प्रस्तावित स्कीम पर तीन वर्षों का अनुमानित खर्चा लगभग 500 करोड़ रु० होता है।

विवरण

केन्द्र का नाम	सं० यूनिट का आकार	कुल क्षमता (मेगा०)	उत्पादन मिलियन यू० 1981-82	1982-83	1983-84
1. पानीपत	2 इन-टू 110	220	750	662	630
2. भटिंडा	4 इन-टू 110	440	1593	1967	2204
3. फरीदाबाद	3 इन-टु 60	180	528	447	441
4. आई० पी० स्टेशन	3 इन-टू 62.5+1 इन टू 35+1 इन-टू 60 जमा 1 इन-टू 15	297.5	1225	1312	1244
5. पंकी	2 इन-टू 110	220	918	889	856
6. ओबरा	5 इन-टू 50+3 इन-टू 100	550	2036	2083	2190
7. हरदुआगंज "क"	3 इन-टू 30	90	122	195	162
8. हरदुआगंज "ख" व "ग"	2 इन-टू 50+4 इन-टू 60+1 इन-टू 110	450	1532	1348	1425
9. तलचेर	4 इन-टू 62.5	250	786	810	653
10. बदरपुर	3 इन-टू 110	330	1379	1411	1316
11. बाण्डेल	4 इन-टू 80	320	1512	1613	1264
12. संथालडीह	4 इन-टू 120	480	1347	1284	1166

1	2	3	4	5	6	7
13.	पतरातू	4 इन-टू 50+2 इन-टू 100+3 इन टू 110	730	1985	2198	1866
14.	बरौनी	3 इन-टू 15+ 2 इन-टू 50	145	391	383	335
15.	चन्द्रपुर (दा. धा. नि.)	3 इन-टू 140+ 3 इन-टू 120	780	3453	3450	3718
16.	बोकारो (दा. धा. नि.)	3 इन-टू 57.5+ 1 इन-टू 55	227.5	1070	1022	972
17.	दुर्गापुर (दा. धा. नि.	2 इन-टू 55+1 इन-टू 140	250	1254	1019	633
18.	डी०पी०एल०	2 इन-टू 30+1 इन-टू 70+2 इन-टू 75	280	745	882	746
19.	कोरबा 1	3 इन-टू 30+1 इन-टू 10	100	401	444	486
20.	कोरबा 2	4 इन-टू 50	200	901	1142	1136
21.	कोरबा 3	2 इन-टू 120	240	1054	1894	755
22.	अमरकंटक-2	2 इन-टू 120	240	1136	834	1154
23.	अमरकंटक-1	2 इन-टू 30	60	413	392	405
24.	सतपुड़ा-1	5 इन-टू 62.5	312.5	1711	1843	1931

1	2	3	4	5	6	7
25.	धुवरन	4 इन-टू 63.5+2 इन-टू 140	534	3325	3523	3241
26.	गांधीनगर	2 इन-टू 120	240	1150	872	1330
27.	उकई	2 इन-टू 120	240	1040	625	1042
28.	नासिक	2 इन-टू 140	280	1545	1279	1140
29.	भुसावल	1 इन-टु 62.5	62.5	375	373	425
30.	पेरिस	1 इन-टू 30+ 1 इन-टू 62.5	92.5	433	430	357
31.	कोराडी	4 इन-टू 120	480	2513	2789	1817
32.	एन्नोर	2 इन-टू 60+3 इन-टू 110	450	1463	1483	1103
33.	तूतोकोरन	3 इन-टू 210	630	1467	2345	2793
34.	नयवली	6 इन-टू 50+3 इन-टु 100	600	3391	3838	3910
35,	कोठोगुदम	4 इन-टु 60+4 इन-टु 110	680	2097	2092	2245

टिप्पणी :—कारबीघा ताप विद्युत का भी विस्तृत रूप से मूल्यांकन होने पर पुनः मरम्मत होने का प्रस्ताव है ।

उड़ीसा के कालाहांडी में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

280. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में दूरदर्शन रिले केन्द्र के कार्यक्रम किन-किन क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं ;

(ख) क्या यह सच नहीं है कि उड़ीसा का एक बड़ा भाग विशेष रूप से कालाहांडी जिले

जैसा पिछड़ा और आदिवासी क्षेत्र में के कम शक्तिशाली होने के कारण दूरदर्शन सुविधा से वंचित है ;

(ग) क्या कालाहाडी जिले जैसे पिछड़े और आदिवासी क्षेत्र को, इस प्रयोजन के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के बारे में सरकार विचार करेगी ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) चालू योजनागत स्कीमों के कार्यान्वित होने पर, उड़ीसा के कुल 13 जिलों में से निम्नलिखित 11 जिलों (सात आदिवासी जिलों सहित) में उड़ीसा की लगभग 52.5 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन सेवा उपलब्ध होने की उम्मीद है :—

1. कोरापुट
2. गंजम
3. सम्बलपुर
4. सुन्दरगढ़
5. क्योंझर
6. मयूरभंजा
7. बालासोर
8. कटक
9. ढेंकानाल
10. बोलंगीर
11. पुरी

(कालाहांडी और फूलबानी जिलों को दूरदर्शन की सुविधा प्राप्त होने की आशा नहीं है)

(ग) और (घ) छठी पंचवर्षीय योजना में भी इस क्षेत्र को शामिल किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

मधुवन में कोयला धोवनशाला स्थापित करना

281. **श्री बसुदेव आचार्य** ; क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० द्वारा मधुवन में एक विशाल कोयला धोवनशाला की स्थापना की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन ने इसके निर्माण की पेशकश की है ;

(ग) यदि हां, तो फिर कोल इण्डिया लि० ने एक अमरीकी फर्म, वोएस्ट आल्पाइन को आशय पत्र क्यों जारी किए हैं और इस प्रकार सरकारी क्षेत्र के उद्योग को क्यों हतोत्साहित किया है ; और

(घ) क्या वोएस्ट आल्पाइन की अपने देश में या कहीं और धोवनशाला के लिए कोई सन्दर्भ सूची है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) 2.5 मि० टन क्षमता की मधुबंद वाशरी के निर्माण के लिए परियोजना रिपोर्ट सरकार द्वारा अभी अनुमोदित की जानी है। वाशरी निर्माण के लिए अन्य कई निविदा कर्ताओं में माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन भी एक था।

(ग) वोएस्ट अल्पाइन/त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लि०/इन्डस्ट्रियल कंसलटिंग ब्यूरो को भा० को० को० लि० (कोल इण्डिया लि० की एक सहायक कंपनी) ने संकल्प-पत्र जारी किया था, क्योंकि नंदन वाशरी के निर्माण के बारे में इनका कार्य-निष्पादन बहुत अच्छा था और वार्ता के बाद भी उनका प्रस्ताव सबसे कम राशि का था। वोएस्ट अलपाइन अमरीकी फर्म नहीं है। दूसरी तरफ एम० ए० एम० सी० का कार्य-निष्पादन मुनीडीह और राजरप्पा के बारे में काफी असन्तोषजनक था।

(घ) वोएस्ट अलपाइन ने निविदा के साथ एक संदर्भ सूची दी है जिसमें यह सूचित किया गया है कि उन्होंने यूरोप और अफ्रीका में तीन वाशरियों और अनेक खनिज परिष्करण संयंत्रों का डिजाइन कार्य और निर्माण किया है।

गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा बिजली के उत्पादन में सहयोग करने का प्रस्ताव

282. **श्री चित्त बसु** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को बिजली के उत्पादन में सहयोग के लिए गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा भी और अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन प्रस्तावों पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) निजी क्षेत्र द्वारा विद्युत उत्पादन में भाग लेने के बारे में समय-समय पर प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 के अन्तर्गत विद्युत उत्पादन को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया है। तथापि निजी स्वामित्व वाले यूनिटों के आरक्षित किया गया है। तथापि निजी स्वामित्व वाले यूनिटों के विस्तार अथवा नए यूनिट प्रतिष्ठापित करने में राज्य द्वारा निजी उद्यमियों की सहायता प्राप्त करने की सम्भावना के लिए, यदि राष्ट्रीय हित मे ऐसा करना आवश्यक है तो नीति सकल्प बाधक नहीं है। तदनुसार प्रत्येक प्रस्ताव पर इसके गुण दोषों के आधार पर विचार किया जाता है, विशेषरूप से उद्योगों के सहत्रों को मध्यम में रखते हुए कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के लिए अनुमवि केवल उन्हीं उद्योगों को दी जाती है जिनको विद्युत की वृहत् और सतत् रूप से आवश्यकता होती है। प्राप्त हुए प्रस्तावों के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन

के दौरान, इससे प्राप्त होने वाले प्रस्तावित संसाधनों से शुद्ध वृद्धि तथा समग्र राष्ट्रीय विद्युत योजना में उसकी सुसंगति और अनिवार्यता का निर्धारण किया जाता है।

औषध मूल्य समानीकरण लेखा के अन्तर्गत आयातकों से वसूली

283- **श्री तारिक अनवर** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन आयातकों के क्या है जिन्हें जनवरी, 1984 के पश्चात् आयात की दैनिक सूची के आधार पर औषध मूल्य समानीकरण लेखा के अन्तर्गत नोटिस जारी किए गए थे और वे किन-किन मदों के संबंध में थे तथा उनके देशीय और आयात मूल्य क्या हैं, और

(ख) जिन निर्माताओं ने नोटिसों का उत्तर नहीं दिया है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है,

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) ऐसे आयातकों की सूची काफी लम्बी है जिन्हें औषध मूल्य समीकरण खाते के अधीन वसूली के लिए जनवरी, 1984 के बाद नोटिस जारी किए गए हैं। अन्तर्ग्रस्त मुख्य मदें आक्सीटेट्रासाइक्लीन, टैट्रासाइक्लीन, अमोक्सीलीन ट्रीहाइडेट तथा रिफेम्पिसिन हैं।

इन औषधों के आयात मूल्य अलग-अलग समय पर भेजे गए माल के लिए अलग 2 होते हैं। सरकार द्वारा निर्धारण स्वदेशी मूल्य नीचे दिए गए हैं :—

	रु० कि० ग्रा०
1. आक्सीटेट्रासाइक्लीन एच०सी०एल०	847.30
2. टैट्रासाइक्लीन एस०सी०एल०	801.49
3. अमोक्सीलीन ट्रिहाइडेट	2229.00
4. रिफेम्पिसिन	देश में उत्पादित नहीं किया जाता।

(ख) उत्तर न देना औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 तथा अनिवार्य वस्तु अधिनियम उल्लेख का उल्लंघन होगा।

"भेल" द्वारा प्रदूषण रोधी उपकरण का विकास

284. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड (भेल) ने बिजली संयंत्रों से निकलने वाली धूल और धुएं से होने वाले वायु प्रदूषण कम करने के लिए एक ऐसे प्रदूषण शोधी उपकरण का सफलतापूर्वक विकास तथा निर्माण किया है जो इन्द्रप्रस्थ बिजली संयंत्र, नई

दिल्ली में "डेसू" द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे अमरीकी उपकरण की तुलना में अधिक प्रभावी हैं;

(ख) यदि हां, तो इस उपकरण की मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा अमरीकी उपकरण की तुलना में उसका कार्य रिष्पादन कैसा है; और

(ग) देश में विभिन्न बिजली संयंत्रों और धुआं छोड़ने वाले कारखानों में ऐसे उपकरण लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) भेल ने इन्द्रप्रस्थ ताप विद्युत केन्द्र की यूनिट-1 और 5 के लिए 99.3% की क्षमता वाले इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेटर स्थापित किए हैं जिससे धुएं के कण निकलना 150 एम जी एन एम से कम हो जाता है। इन्द्रप्रस्थ केन्द्र की यूनिट संख्या 2,3 और 4 के लिए इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेटरों के संशोधन, विस्तार और गैस अनुकूलन का कार्य अमरीकी फर्म को दिया गया था। भेल द्वारा निर्मित इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेटर का कार्य निष्पादन अधिक कारगर पाया गया था।

सभी ताप विद्युत केन्द्रों में इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेरों का प्रतिष्ठापित किया जाना एक अनिवार्यता है। भेल ऐसे विद्युत केन्द्रों में इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर प्रतिष्ठापित कर रहा है जिनके लिए भेल विद्युत उत्पादन उपस्कर सप्लाई कर रहा है।

मध्य प्रदेश में हसदुव (बंगो) पन-बिजली परियोजना

285. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने मध्य प्रदेश में हसदेव (बंगो) पन-बिजली को स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ;

(ग) उपर्युक्त पन-बिजली परियोजना को पूर्ण करने के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) : हसदेव (बंगो) जल-विद्युत परियोजना योजना आयोग द्वारा 43·86 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर मार्च, 1984 में स्वीकृत की गई है। इस परियोजना के 4-5 वर्षों में पूरा होने की आशा है।

कर्नाटक में तापीय एककों की प्रगति

286. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में तापीय एककों द्वारा कितनी प्रगति की गई है ; और

(ख) क्या सरकार का योजना को वर्ष 1984-85 के अन्त तक पूरा करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) कर्नाटक में 2×210 मेगावाट क्षमता वाली रातपुर ताप विद्युत परियोजना को राज्य क्षेत्र में क्रियान्वित किया जा रहा है। यूनिट संख्या 1 मार्च, 1985 में तथा यूनिट संख्या 2 उसी वर्ष के दौरान बाद में चालू किये जाने की संभावना है।

"जी" प्वाइंट पी० एण्ड० टी० क्वार्टरों में सुधार

287. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या संचार मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सच है कि नई दिल्ली में "जी" प्वाइंट पी० एण्ड० टी० क्वार्टरों के निवासी गत कुछ वर्षों से "जी" प्वाइंट क्वाटरों की अस्वस्थकर और निन्दनीय स्थिति के बारे में शिकायत करते आ रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने यह मानकर उनमें कोई सुधार नहीं किया है कि "जी" प्वाइंट क्वार्टरों को गिराया जाना है और गत तीन वर्षों से वही स्थिति बनी हुई है ;

(ग) सरकार द्वारा "जी" प्वाइंट क्वार्टरों की वर्तमान स्थिति में सुधार करने अथवा इस कालोनी के निवासियों को वैकिल्पिक आवास प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(घ) सरकार का उन कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है जिनकी सांठ-गांठ पी० एण्ड० टी० कर्मचारियों द्वारा खाली किए गए क्वार्टरों पर अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी हां।

(ख) जी, नहीं। 1982-83 के दौरान कुछ मरम्मत कार्य किया गया था।

(ग) इन क्वार्टरों को गिराने की योजना है। इनके अधिभोक्ताओं को डी० आई० जेड० क्षेत्र में निर्माणाधीन क्वार्टरों में उत्तरोत्तर स्थानांतरित किया जाएगा। इस समय इनके भारी मरम्मत कार्य पर अधिक राशि खर्च करना खर्चीली एवं अनुपयुक्त होगी।

(घ) इन क्वार्टरों का अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा अनधिकृय अधिग्रहण का कोई मामला हमारे ध्यान में नहीं आया है। अतः किसी भी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में नये दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना

288. **श्री चिरन्जी लाल शर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में नए दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मैसर्स विक्टोरिया मिल्स, कानपुर द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के लिए 59 लाख रुपए जमा न करना

289. **श्री निहाल सिंह** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स विक्टोरिया मिल्स, कानपुर के प्रबन्धकों द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना के खातों में 59 लाख रुपए की धनराशि जमा नहीं की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस धनराशि को वसूल करने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाये गये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, उक्त मिल की ओर कर्मचारी राज्य बीमा अंशदानों की बाबत 39.76 लाख रुपयों की राशि बकाया है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(1)	मैसर्स नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा 1974 में मिल को अपने अधिकार में लेने से पूर्व अवधि की बकाया राशि	19.04 लाख रुपये
(2)	सितम्बर, 1983 से जून, 1984 तक की अवधि के लिए अंशदान	20.72 लाख रुपये

(ख) मिल को 1974 में अधिग्रहण करने से पूर्व की अवधि के लिए दावे को "भुगतान-आयुक्त" के पास दायर किया गया, मगर धनराशि की कमी के आधार पर उक्त दावे को स्वीकार नहीं किया गया है । जहां तक अधिग्रहण करने के बाद की अवधि के लिए अंशदानों की बकाया राशि का सम्बन्ध है, कर्मचारी राज्य बीमा प्राधिकारी बकाया-राशियों की वसूली करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं ।

राजगढ़, गुना, विदिशा और शाहजहांपुर को एस० टी० डी० के जरिए भोपाल से जोड़ना

290. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या संचार मंत्री एस० टी० डी० का विस्तार करने

संबंधी नीति के बारे में 20 मार्च, 1984 के तारांकित प्रश्न संख्या 328 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर में दिए गए मानदंड संख्या 2 के अनुसार मध्य प्रदेश के राजगढ़, गुना, विदिशा और शाहजहांपुर जिला मुख्यालयों को राज्य की राजधानी भोपाल के साथ एस० टी० डी० के माध्यम से जोड़ा जाएगा ;

(ख) क्या उक्त जिला मुख्यालयों के एक्सचेंज की मशीनें पुरानी हैं और उनकी मरम्त नहीं हो सकती तथा वे प्राय. खराब रहती हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त जिलों में अन्तरिम अवधि में मशीनरी को उद्यतन बनाने और उपलब्ध सुविधा में सुधार करके उसे काम योग्य बनाने का है ; और

(घ) उपरोक्त भाग (ग) के समयबद्ध कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) (क) राजगढ़ गुना और शाजापुर के जिला मुख्यालयों से भोपाल के लिए एस० टी० डी० सातवीं योजना अवधि के दौरान उत्तरोत्तर प्रदान किए जाने की संभावना है बशर्ते कि स्विचन और संचारण उपस्कर उपलब्ध हो जाएं। विदिशा के मामले में, विदिशा और भोपाल के बीच 1985 के दौराम एस० टी० डी० सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना है ।

(ख) जी नहीं। इन स्टेशनों में सभी उपस्कर नए हैं तथा उनकी कार्य अवधि पूरी नहीं हुई है। इन एक्सचेंजों को निम्नलिखित वर्षों में चालू किया गया है :—

एक्सचेंज का नाम	चालू होने का वर्ष
राजगढ़	1981-82
गुना	1982-83
शाजापुर	1972-73
विदिशा	1976-77

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग

291. **श्री हरिहर सोरन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग पर अधिक जोर दिया है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में अब तक कितनी सौर-ऊर्जा उपयोग किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने किसी ग्रामीण क्षेत्र में सौर ऊर्जा के प्रयोग के बारे में कोई परीक्षण किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी०शिव शंकर) (क) जी हां। (ख) और (ग) अनुसंधान और विकास प्रयासों के फलस्वरूप देश में ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा पर आधारित कई युक्तियों और प्रणालियों का विकास किया गया है। इन युक्तियों का प्रायोगिक क्षेत्रीय परीक्षण, प्रदर्शन एवं विस्तार प्रगति पर है।

(घ) विकसित की गई प्रणालियों में सौर जल पम्पन प्रणालियां बिजली यूगिटें, दूरदर्शन सेट, शुष्कन यूनिटें, सौर कुकर, काष्ठ भट्टियां, शीत भंडारण, जल तापन प्रणालियां और विलवणीकरण प्रणालियां है। देश के विभिन्न भागों में इस देश की कई प्रणालियों को स्थापित किया जा चुका है जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सौर ऊर्जा पर आधारित विभिन्न राज्यों में स्थापित अथवा सप्लाई की गई प्रणालियों एवं युक्तियों की सूची

क्र० सं०	राज्य	प्रकाशवोल्टीय जल पंपन प्रणालियां	टी०वी/बिजली यूनिटें	सौर कुकर	शुष्कन यूनिटें	काष्ठ भट्टियां
1.	आन्ध्र प्रदेश	7	4	748	2	4
2.	असम	10	—	—	3	—
3.	बिहार	2	—	—	—	—
4.	गुजरात	4	—	8186	4	—
5.	हरियाणा	2	2	3	—	—
6.	हिमाचल प्रदेश	2	2	34	—	—
7.	जम्मू और कश्मीर	1	1	—	—	—
8.	कर्नाटक	—	—	500	2	—
9.	केरल	2	—	—	2	—

1 2	3	4	5	6	7
10. मध्य प्रदेश	6	3	570	1	2
11. महाराष्ट्र	14	1	2131	—	—
12. मेघालय	4	—	—	—	—
13. उड़ीसा	1	—	417	—	—
14. पंजाब	4	—	1711	2	8
15. राजस्थान	4	5	704	—	—
16. तमिलनाडु	6	1	150	1	—
17. त्रिपुरा	27	—	—	—	—
18. उत्तर प्रदेश	29	7	6500	—	2
19. पश्चिम बंगाल	1	1	—	—	—
केन्द्र शासित प्रदेश					
1. दिल्ली	4	2	3150	—	4
2. गोआ, दमण एवं दीव	3	—	—	—	—
3. मिजोरम	3	—	—	—	—
4. चंडीगढ़	1	—	—	—	—

दक्षिण में उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करना

292

(293) श्री प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या दक्षिण में उच्चतम न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (घ) तमिल नाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के मुख्य मंत्रियों ने अपने-अपने राज्य की राजधानियों में उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने का सुझाव दिया है।

दक्षिण में, हैदराबाद, मद्रास, बगलौर और त्रिवेन्द्रम में उच्चतम न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित करने के लिए बार एसोसिएशनों/विधिज्ञ परिषदों आदि से भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

राज्य सरकारों के सुझावों को उच्चतम न्यायालय को भेज दिया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार "उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ठ होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर, नियत करे।" इस संबंध में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

बंधुआ मजदूरों का पता लगाने और उनके पुनर्वास के काम को पूरा करना

293. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंधुआ मजदूरों का पता लगाने, उन्हें मुक्त कराने और उनका पुनर्वास करने का काम पूरा हो गया ;

(ख) इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि नियत की गई थी ;

(ग) कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है ; और

(घ) सरकार का बंधुआ मजदूरों की समस्या का प्रभावी रूप से किस प्रकार उन्मूलन करने का विचार है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) बन्धुआ श्रमिकों का पता लगाना और बाद में उन्हें पुनर्वासित करना एक सतत प्रक्रिया है। राज्य सरकारों से प्राप्त अद्यतन रिपोर्टों के अनुसार, 31.5.84 की स्थिति के अनुसार कुल, 1,66,266 बंधुआ श्रमिकों का पता लगाया गया और उन्हें मुक्त कराया गया, जिनमें से 1,26,395 बन्धुआ श्रमिकों को पुनर्वासित कर दिया गया है और शेष 39,871 को पुनर्वासित किया जाना है।

(ख) बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्र द्वारा संचालित योजना हेतु छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 25 करोड़ रुपये (सहायता में केन्द्र का भाग) की व्यवस्था की गई है। चालू वित्तीय वर्ष (1984-85) के लिए योजना का परिव्यय 4.50 करोड़ रुपये (केन्द्र का भाग) है।

(ग) राज्य सरकारों को बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास हेतु केन्द्र द्वारा संचालित योजना के

अन्तर्गत, 1978-79 में इसके प्रारम्भ होने से अब तक, सहायता के केन्द्रीय हिस्से के रूप में 1088,05 लाख रुपयों की राशि दी जा चुकी है। इसके लिए, राज्य सरकारों ने 531.00 लाख रुपए की राशि के उपयोग करने के प्रमाण-पत्र दे दिए हैं और यह बताया गया है कि शेष राशि का उपयोग किया जा रहा है।

(घ) बन्धित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 के अधीन बंधुआ श्रमिकों का पता लगाने, उन्हें मुक्त कराने और पुनर्वासित करने की पूरी जिम्मेदारी सम्बद्ध राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारों से समय-समय पर अनुरोध किया गया है कि वे आवश्यक और प्रभावी कदम उठाएं जिनमें जहां कहीं भी बन्धुआ श्रमिकों की विद्यमानता का पता चले, उन्हें शीघ्र मुक्त कराने और पुनर्वासित करने के लिए गहन सर्वेक्षण करना भी शामिल है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

टेट्रा साइक्लिन का निर्माण कर रही कंपनियों का ब्यौरा

295. **श्री बनवारी लाल बैरवा :** क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) इस समय देश में टेट्रासाइक्लीन की कितनी मांग है और अगले तीन वर्षों में इसकी कितनी मांग होगी ;

(ख) टेट्रासाइक्लिन का उत्पादन करने वाली बड़ी निर्माता कंपनियों के नाम क्या हैं, उनकी उत्पादन क्षमताएं तथा उत्पादन कितना है;

(ग) आपके मन्त्रालय और तकनीकी विकास के महानिदेशालय के तकनीकी दल द्वारा निरीक्षण हेतु गैर सरकारी क्षेत्र की कंपनियों का चयन करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या बेहतर कुशल निर्माताओं के उत्पादन को किसी रूप में प्रतिबन्धित किया जा रहा है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) छठी योजना के कार्यकारी दल ने 1984-85 वर्ष के लिए 330 मी० टन टेट्रासाइक्लीन की मांग का अनुमान लगाया है। सातवीं योजना के लिए मांग के अनुमान को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) संगठित क्षेत्र में टेट्रासाइक्लीन का उत्पादन करने वाले मुख्य उत्पादकों की वर्ष 1983-84 के लिए क्षमता और उत्पादन निम्न प्रकार हैं :—

कम्पनी का नाम	क्षमता (टन)	उत्पादन (टन)
1. मै० आई० डी० पी० एल०	200.00	115.20
2. मै० सिनवावोटिक्स	3.00	91.15
3. मै० सिनामिड	6.00	2.10

(ग) और (घ) उन मामलों में तकनीकी दल द्वारा मौके पर सत्यापन करने का निर्णय किया गया जहां वास्तविक उत्पादन लाइसेंस प्राप्त क्षमता से काफी अधिक था और या जिन मामलों में शिकायतें प्राप्त हुई थी।

कोयला उद्योग के विकास की आवश्यकता

296. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयला उद्योग के विकास की बहुत बड़ी आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कोयले के उत्पादन वितरण ढुलाई और कोयला संसाधनों का इस्तेमाल किए जाने से संबंद्ध विभिन्न समस्याओं के हल के लिए क्या कदम उठाए हैं ; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) कोयले की मांग को पूरा करने के लिए कोयला उत्पादन बढ़ाया जाता है। तद्नुसार, उत्पादन 1980-81 के लगभग 114.0 मि० टन से बढ़कर 1983-84 में लगभग 138.38 मि० टन हो गया है। वर्ष 1984-85 के लिए कोयला उत्पादन का लक्ष्य 152 मि० टन निश्चित किया गया है।

वर्तमान मूल्यांकन यह है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक विभिन्न उपभोक्ता क्षेत्रों की कोयले की मांग 230-240 मि० टन के आसपास होगी और इस मांग को पूरा करने के लिए कोयले का उत्पादन इस स्तर तक बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा कोयले का उत्पादन और परिवहन मुख्यतः रेल द्वारा बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। परिणामतः उपभोक्ता उद्योगों के उपभोग के लिए कोयले का प्रेषण भी बहुत बढ़ा है।

वर्ष 1980-81 से 1983-84 तक की अवधि में, कोयले के उत्पादन में निम्नलिखित वृद्धि हुई है :—

(मि० टनों में)

वर्ष	लक्ष्य	उत्पादन
1980-81	113.50	113.90
1981-82	121.00	124.23
1982-83	133.00	130.50
1983-84	142.00	138.38

उत्पादन बढ़ने के साथ उपभोक्ता क्षेत्रों का कोयले का प्रेषण भी समान रूप से बढ़ा है जो निम्नलिखित है :—

(कच्चे कोयले का प्रेषण मि० टनों में)

1980-81	1981-82	1982-83
105.85	120.09	125.61

प्रेषित कोयले का अधिकांश भाग रेल द्वारा भेजा गया है और कोयले का रेलों से लदान बढ़ा है जो निम्नलिखित है :—

चार पहिया वैगनों में को० इं० लि० और लि० को० क० लि० से दैनिक औसत लदान

980-81	1981-82	1982-83	1983-84
8189	9495	10160	10927

उड़ीसा में बोलनगीर में एक बड़े स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

297. श्री नित्यानन्द मिश्र : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) छठी योजना अवधि के दौरान देश में कितने बड़े स्वचालित टेलीफोन एक्सचज स्थापित किए गए हैं ;

(ख) उड़ीसा के विभिन्न स्थानों में ऐसे कितने बड़े टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं ;

(ग) क्या उड़ीसा में बोलनगीर में एसा कोई बड़ा स्वचालित एक्सचेंज स्थापित नहीं किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा में बोलनगीर पर बड़ा स्वचाचित टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं ?

सन्चार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) छठी योजना अवधि के दौरान अब तक 62 बड़े टेलीफोन एक्सचेंज (एच ए एक्स-1) स्थापित किए जा चुके हैं।

(ख) छठी योजना अवधि के दौरान अभी तक उड़ीसा में कोई बड़ा स्वचल एक्सचेंज नहीं खोला गया है।

(ग) बोलनगीर (उड़ीसा) को बड़े स्वचल एक्सचेंज द्वारा सेवा प्रदान नहीं की जा रही है। तथापि 24.3.1984 को 600 लाइनों का एक एम० ए० एक्स -I । एक्सचेंज खोला गया था।

(घ) जब कुल मांग 1000-लाइनों से अधिक की हो जायगी तब बोलनगीर में एक बड़े स्वचल एक्सचेंज (एम ए एक्स-I) स्थापित करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

कच्चे तेल पर रायल्टी दरों का सन्शोधन

298. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य सरकार आयातित कच्चे तेल के इस समय के मूल्यों के आधार पर कच्चे तेल पर रायल्टी दर में संशोधन करने के लिए दबाव डालती रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्वदेशी कच्चे तेल के मूल्य 305 रुपये प्रतिटन निश्चित किए जाने के कारण जो कि कच्चे तेल का कुएं से निकासी के समय का मूल्य है, गुजरात को 400 रु० प्रतिटन की दर पर रायल्टी राशि में भारी हानि हो रही है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि गुजरात को गत तीन वर्षों में 4.11 करोड़ रुपए के रायल्टी राजस्व की, 94 करोड़ रुपये से अधिक के बिक्री कर राजस्व अर्थात् 505 करोड़ रुपये के लगभग के राजस्व की हानि हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो कच्चे तेल पर रायल्टी दर को कब तक संशोधित किये जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम बिभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) रायल्टी की 61 रुपये प्रति मी० टन की वर्तमान दर का निर्धारण तेल क्षेत्र (विनिमय और विकास) अधिनियम 1948 के प्रावधानों, कच्चे तेल के उस समय के प्रचलित मूल्य और गुजरात राज्य सरकार को बिक्री कर से मिलने वाले राजस्व में हानि को ध्यान में रखते हुये 1 अप्रैल 1984 से किया गया था। उपरोक्त अधिनियम में 1984 में संशोधन किये जाने के पश्चात् अब रायल्टी में 1 अप्रैल 1984 के बाद संशोधन किया जा सकता है।

(घ) रायल्टी की दर में संशोधन करने की कार्रवाई पहले से ही शुरू की जा चुकी है।

स्कूली बच्चों के लिए रेड़ियों और दूरदर्शन से कार्यक्रमों का प्रसारण

299. **श्री अमल दत्त** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्कूली बच्चों के लिये यदि इस समय रेड़ियों और दूरदर्शन से कोई कार्यक्रम प्रसारित

किये जा रहे हैं तो उनका ब्यौरा क्या है और इन कार्यक्रमों से राज्यवारा कितने क्षेत्रों के बच्चे लाभान्वित होते हैं ; और

(ख) निकट भविष्य में इस प्रकार के कार्यक्रमों को शुरू करने/उनका लाभ और अधिक क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए इस समय क्या प्रस्ताव है, या क्या प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं और उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री गुलाब नबी आजाद) : (क) स्कूली बच्चों के लिए कार्यक्रम इस समय अकाशवाणी के 60 केन्द्रों से प्रसारित किए जा रहे है। राज्यवार सेवा का ब्यौरा संलग्न विवरण 1 में दिया गया है। दूरदर्शन केन्द्रों से टेलीकास्ट किए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा संलग्न विवमण -2 में बिया गया है।

(ख) जहां तक रेडियो का सम्बद्ध है, और विस्तार करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, तीन और राज्यों अर्थात् बिहार, उत्तर प्रदेश और गुजरात में शैत्रणिक दूरदर्शन का विस्तार किया जा रहा है जब भी ये टेलीकास्ट शुरू किये जायेगें, इन्हे आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के रेडियो में स्थित अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटरों द्वारा रिले किया जायगा।

विवरण 1

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मूल रूप से स्कूली प्रसारण करने वाले केन्द्र	केन्द्रों की कुल संख्या
1,	आन्ध्र प्रदेश	हैदाराबाद, बिजयवाड़ा विशाखापतनम, कड्डप्पा	4
2.	असम	गोहाटी, डिबूगढ़	2
3.	बिहार	पटना, दरभंगा	2
4.	गुजरात	अहमदाबाद, राजकोट, भुज, बड़ौदा	4
5.	हरियाणा	रोहतक	1
6.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	1
7.	जम्मू और काश्मीर	जम्मू, श्री नगर	2
8.	कर्नाटक	बंगलौर, धारवाड़, गुलबर्गा भद्रावती।	4
9.	केरल	त्रिवेन्द्रम, कालीकट एल्लेपी, त्रिचूर	4

1	2	3	4
10.	मध्य प्रदेश	भोपाल, जगदलपुद, जबलपुर, अम्बिकापुर, रायपुर, ग्वालियर रीवा, इन्दौर, छतरपुर ।	9
11.	महाराष्ट्र	बम्बई, नागपुर, पूणे, जलगांव, औरंगाबाद, रत्नारिरी, सांगली; पद्मनी	8
12.	मणिपुर	इम्पाल	1
13.	मेघालय	शिलांग	1
14.	नागालैण्ड	कोहिमा	1
15.	उड़ीसा	कटक,, जैवर	2
16.	पंजाब	जलन्धर	1
17.	राजस्थान	जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर	4
18.	तमिलनाडु	मद्रास, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बतुर, तिरुनलबेली	4
19.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, नजीबाबाद	5
20.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता, कुर्सियांग, सिलीगुड़ी	3
21.	त्रिपुरा	अगरतल्ला	1
संघ सासित क्षेत्र			
1.	दिल्ली	दिल्ली	1
2.	गोवा	पणजी	1
3.	अण्डमान और निकोबार	पोर्ट ब्लेयर	1
4.	पाण्डिचेरी	पाण्डिचेरी	1
			68

विवरण—I

1. इस समय दूरदर्शन द्वारा स्कूली बच्चों के लिए दो प्रकार के कार्यक्रम टेलीकिास्ट किए जा रहे हैं अर्थात (1) शैक्षणिक दूरदर्शन कार्यक्रम तथा (2) स्कूल टेलीविलन कार्यक्रम।

2. शैक्षणिक दूरदर्शन कार्यक्रम सामान्य समृद्धि स्वरूप के हैं और वे स्कूल के पाठ्यक्रम से सीधे सम्बन्धित नही हैं, जबकि स्कूल टेलीविजन कार्यक्रम पाठ्यक्रम उन्मुखी हैं।

3. इस समय, इन सेट योजना के अन्तर्गत शैक्षणिक दूरदर्शन कार्यक्रम तीन केन्द्रों अर्थात् हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश), कटक (उड़ीसा) और नागपुर (महाराष्ट्र) से टेलीकास्ट किये जा रहे हैं।

4. उक्त इन सेट केन्द्रों से शैक्षणिक दूरदर्शन कार्यक्रम दो आयु वर्गों के लिए टेलीकास्ट लिए जा रहे हैं। एक छोटे आयु वर्ग अर्थात 5-8 वर्ष के लिए और दूसरा बड़े आयु वर्ग अर्थात 9-11 वर्ष के लिये। ये इन कार्यक्रमों को प्रतिदिन 45 मिनट की अवधि के लिए सभी स्कूली कार्य दिवसों पर सप्ताह में 6 दिन टेलीकास्ट किया जा रहा है। इसमें से, एक दिन शिक्षकों के लिए विशेष कार्यक्रमों के लिए आबंटित किया जाता है।

5. इसी प्रकार के शैक्षणिक दूरदर्शन कार्यक्रम मुजफ्फरपुर (बिहार) रायपुर (मध्य प्रदेश) और जयपुर (राजस्थान) से प्रतिदिन 30 मिनट की अवधि के लिये टेलीकास्ट किए जा रहे हैं। (अब इस अवधि को बढ़ाकर प्रतिदिन 45 मिनट करने का प्रस्ताव है।)

6. स्कूल टेलीविजन कार्यक्रम भी दिल्ली, बम्बई, मद्रास और श्री नगर सहित अन्य मुख्य केन्द्रों से टेलीकास्ट किए जा रहे हैं।

कोचीन तेल शोधक कारखाने में आग

300. **श्री ए. के. बालन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन तेल शोधक कारखाने में मार्च, 1984 में लगी आग से अनुमानतः कितना नुकसान हुआ था; और

(ख) क्या जांच समिति की रिपोर्ट इस बीच प्राप्त हो गई है और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकालते हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) (क) कोचीन रिफाइनरी में मार्च 1984 में लगी आग के कारण उपकरण, मशीनरी तथा भवन की हानि का अनुमान लगभग 10 करोड़ रुपये लगाया गया है।

(ख) जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई और सरकार द्वारा उसकी जांच की जा रही है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान नई दिल्ली नगर पालिका के पास उपभोक्ताओं की जमा जमानत राशि

301. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान और नई दिल्ली नगर पालिका के पास बिजली/पावर कनेक्शनों के लिये उपभोक्ताओं की कुल कितनी जमानत-राशि जमा हो गई है तथा कुल कितने उपभोक्ताओं ने इस जमानत राशि का भुगतान किया है ;

(ख) घरेलू/वाणिज्यिक बिजली/पावर कनेक्शनों के सम्बन्ध में उन जमानत राशियों पर प्रत्येक उपभोक्ता को दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान/नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा ब्याज की कितनी धनराशि देय है और क्या प्रत्येक उपभोक्ता के हिसाब में ब्याज की यह धनराशि अवधि की सूचना सहित जोड़ दी गई है ;

(ग) क्या ब्याज का उपभोक्ता को भुगतान किया जाता है अथवा इसे उनकी खपत के बिल में समायोजित किया जाता है ; और

(घ) ऐसे संबन्धित सांविधिक नियम, विनियम अथवा उपनियम क्या हैं जिनके अन्तर्गत दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान/नई दिल्ली नगरपालिका जमानत राशि वसूल करती है और ऐसे नियम आदि क्या हैं । जिनके अन्तर्गत ब्याज देय होता है अथवा नहीं होता है तथा इनका सार सभा पटल पर रखा जाय ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी

समाचार उद्योग को अखबारी कागज की सप्लाई

302. **श्री अमरसिंह राठवा** :

श्री चित्त नहाटा : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि समाचार उद्योग को भविष्य में अखबारी कागज की किसी प्रकार की कमी का सामना न करना पड़े ; और

(ख) मांग को पूरा करने के लिये देश में अखबारी कागज का उत्पादन करने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं ताकि अखबारी कागज के आयात पर प्रतिवर्ष व्यय की जा रही विदेशी मुद्रा को बचाया जा सके ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) वर्ष 1984-85 के लिए 385,000 मीट्रिक टन अखबारी कागज की अनुमानित मांग को 200000 मीट्रिक टन स्वदेशी उत्पादन और 185,000 मीट्रिक टन के आयात द्वारा पूरा किया जा रहा है । 185,000 मीट्रिक टन अखबारी कागज के आयात

के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा पहले ही रिलीज हो चुकी है। राज्य व्यापार निगम ने अखबारी कागज का मासिक आयात बढ़ा दिया है और तीन स्वदेशी मिलों से निर्विघ्न सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है ?

(ख) नेपा न्यूजप्रिंट के अलावा, भद्रावती के मैसूर पेपर मिल्स और केरल के हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड अखबारी कागज का वाणिज्यिक उत्पादन पहले ही कर रहे हैं। 50,000 मीट्रिक टन अखबारी कागज की क्षमता वाली एक चौथी अखबारी कागज परियोजना, तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर्स लिमिटेड के इस वर्ष के उत्तरार्ध में चालू होने की उम्मीद है। स्वदेशी उत्पादन को और बढ़ाने तथा अखबारी कागज की आवश्यकता पूरी करने के लिये, सरकारी ने अखबारी कागज के उत्पादन के लिये कुछ नई परियोजनाएं स्वीकृत की हैं।

देश के दूरदर्शन केन्द्र और दूरदर्शन रिले केन्द्र

303 **श्री अमर सिंह राठवा :**

श्री नारायण चौबे : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 31 मार्च, 1984 तक कितने दूरदर्शन केन्द्र और दूरदर्शन रिले केन्द्र कार्य कर रहे हैं, और

(ख) उनमें से कितने गुजरात में किस-किस स्थान पर कार्य कर रहे थे और अनुमानतः कितना क्षेत्र और कितनी जनसंख्या उनके अन्तर्गत आती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल भगत) : (क) 46

(ख) उक्त 46 केन्द्रों में से पिज और अहमदाबाद के 2 केन्द्र गुजरात राज्य में हैं। इन केन्द्रों के सेवा क्षेत्र में निम्नानुसार अनुमानित क्षेत्र और जनसंख्या आती है :

केन्द्र	कवर किया जाने वाला क्षेत्र	कवर की जाने वाली जनसंख्या
पिज	9750 वर्ग किलोमीटर	27 लाख
अहमदाबाद	1200 वर्ग किलोमीटर	29.95 लाख

तकनीकी जानकारी सम्बन्धी सहयोग के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की विदेशों से बातचीत

304. **श्री केंमालव्वा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तकनीकी जानकारी संबंधी सहयोग के लिए विकसित देशों के साथ बातचीत कर रहा है,

(ख) क्या विदेशों से कोई सरकारी प्रतिनिधि मंडल भी दौरे पर आये थे और यदि हां, तो वे किन-किन देशों से आए थे और उनकी रिपोर्ट क्या है, और

(ग) प्रौद्योगिकी के आधुनिक क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी-अन्तरण और संयुक्त उद्यामों के लिए सहयोग के बारे में किए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी ।

इण्डियन आयल कार्पोरेशन, लिमिटेड, पाइपलाइन्स, नई दिल्ली से टाइपराइटरों, टेलीफोन उपकरणों, और संगणक मशीनों की चोरी

305. **श्री केपूर भूषण** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्षों के दौरान एण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड पाइपलाइन्स, 26 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली के कार्यालय से अनेक टाइपराइटरों, टेलीफोन उपकरणों और संगणक मशीनों की चोरी की गई है और बियसों के अनुसार इस चोरी की सूचना उक्त कम्पनी के उप प्रबंधक (कार्मिक) को दी गई थी और इस चोरी के संबंध में चौकीदार के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए थी,

(ख) यदि हां, तो कार्यवाही न किये जाने के मुख्य कारण क्या हैं, और

(ग) भविष्य में इस सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : वर्ष 1980 से एक टाइपराइटर, 8 टेलीफोन उपकरण (इन्टरकाम) और एक जेब का संगणक खो गए थे । इनको पूंजीगत परिसम्पति नहीं माना गया है और की गई पूछताछ के अनुसार, चोरी/हानि का उत्तरदायित्व किसी पर निर्धारित नहीं किया गया है । सुरक्षा प्रबन्धों को कड़ा कर दिया गया है और तत्पश्चात दिसम्बर, 1982 से वहां ऐसी कोई घटना नहीं हुई है ।

राज्य बिजली बोर्डों में संचालन जनशक्ति को प्रशिक्षण

307. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संचालन जनशक्ति को प्रशिक्षण देने के लिए प्रत्येक प्रतिष्ठान में प्रशिक्षण विद्यालय, कार्यशालायें तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु राज्य बिजली बोर्डों को सलाह दी गई है; और

(ख) यदि हां, ऊर्जा तो क्षेत्र में तीव्र परिवर्तित प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए तथा प्रबन्धकों के विचार को परिवर्तित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए विदेशों तथा चरण-बद्ध कार्यक्रम तथा अ य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खा) : (क) और (ख) 1981 में भारतीय बिजली नियम, 1956 में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई है कि 100 मेगावाट तथा इससे अधिक क्षमता वाले प्रत्येक उत्पादन केन्द्र के मालिक या तो अपने संस्थान में अथवा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त अन्य संस्थानों में कार्मिकों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध करेंगे । यह संशोधन सभी राज्य बोर्डों को परिपत्रित किया गया है । सभी राज्यों और रज्य बिजली बोर्डों को प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का विस्तार करने तथा प्रशिक्षण स्कूल स्थापित करने से संबंधित विद्युत समिति की सिफारिशों कार्यान्वित करने की भी सलाह दी गई थी । इस पहलू पर विभिन्न मंत्रों के माध्यम से भी जोर दिया गया है ।

ऊर्जा मंत्रालय, विद्युत विभाग के अधीन विद्युत इंजीनियर्स प्रशिक्षण सोसाइटी अपने चार क्षेत्रीय संस्थानों के साथ एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण निकाय के रूप में कार्य कर रही है और क्षेत्रीय संस्थान विद्युत केन्द्रों के इन्जीनियरों, पर्यवेक्षकों, प्रचालकों तथा तकनीशियनों के प्रशिक्षण के लिए नियमित और अल्पावधिक कार्यक्रम आयोजित कर रहे है । इस समय एक क्षेत्रीय संस्थान में 210 मेंगावाठ फोसिल फायर यूनिट के लिए परिष्कृत एवं जटिल सिमुलेटर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है । विभिन्न सहायता-प्राप्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत विदेशों में प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है ।

प्रकाशन माध्यम के बारे में सर्वेक्षण

308. श्री अर्जुन सेठी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में अभी भी दूरदर्शन की तुलना में प्रकाशित सामग्री अधिक लोगों के पास पहुंचती है :

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय राज्यमंत्री और तथा संसदीय कार्य विभाग में मंत्री (श्री एच० के० भगत) (क) से (ग) तक : मुद्रण माध्यम और दूरदर्शन की तुलनात्मक पहुंच का निर्धारण करने के लिए सरकार द्वारा कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है । तथापि, द्वितीय प्रेस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इस विषय को मोटे तौर पर छुआ है और यह कहा है कि देश में विकास की आम्भिक अवस्था में होने के कारण दूरदर्शन समाचार वबरेज में या विज्ञापन में अभी प्रेस का प्रतियोगी या विकल्प नहीं है । तथापि, दूरदर्शन का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है ।

विलासपुर में स्वारघाट में सिंगल चैनल प्रणाली की स्थापना

310 **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के विलासपुर जिले में स्वारघाट में सिंगल चैनल प्रणाली लगाकर वी० एस० एस/यू० एच० एफ० में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र की स्थापना कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना किस तारीख को की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो इस कार्य में हो रही असाधारण देरी के क्या कारण हैं और वहां सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र सम्भवतः कब तक चालू हो जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) हिमाचल प्रदेश के विलासपुर जिले में स्वारघाट में सार्वजनिक टेलीफोनघर एक सिंगल चैनल वी० एच० एफ० प्रणाली के माध्यम से चालू किया जा रहा है । यह प्रणाली विलासपुर एवं स्वारघाट के बीच संस्थापित की गई है और इसका परीक्षण किया जा रहा है ।

(ख) प्रणाली का संस्थान कार्य जून, 1984 के दौरान किया गया था ।

(ग) इस प्रणाली का प्ररीक्षण सफल होने के बाद स्वरचाट का पी० सी० ओ० सितम्बर 1984 तक चालू कर दिया जाएगा ।

डाक मण्डलों में नए शाखा कार्यालय खोलने के लिए कोटा

311. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचदर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में विभिन्न डाक मंडलों के लिए नए शाखा कार्यालय खोलने के लिए कोटे के बारे में निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो देश के प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के लिए कितना कोटा निर्धारित किया गया है :

(ग) हिमाचल प्रदेश (उत्तर-पश्चिम मण्डल) के मामले में प्रत्येक डाक डिवीजन का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार को नए शाखा कार्यालय खोलने की भारी मांग की जानकारी है और क्या इसके परिणामस्वरूप कोटा बढ़ाया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रत्येक डाक सर्किल के लिए, न कि प्रत्येक राज्य एवं संघ शासित प्रदेश के लिए, निर्धारित कोटा निम्नलिखित है :

सर्किल	डाकघरों की कुल संख्या
1. आन्ध्र प्रदेश	120
2. बिहार	220
3. दिल्ली	2
4. गुजरात	40
5. जम्मू व कश्मीर	53
6. केरल	90
7. कर्नाटक	50
8. मध्य प्रदेश	195
9. महाराष्ट्र	180
10. उत्तर पूर्व	140
11. उत्तर पश्चिम	140
12. उड़ीसा	90
13. राजस्थान	120
14. तमिलनाडु	105
15. उत्तर प्रदेश	270
16. पश्चिम बंगाल	130

(ग) हिमाचल प्रदेश (उत्तर पश्चिम) के प्रत्येक डाक मण्डल में डाकघरों की संख्या इस प्रकार है :

डाक मण्डल का नाम	डाकघरों की कुल संख्या
1. चंग	5
2. देहरा	3
3. धर्मशाला	4
4. हमीरपुर	6

1	2
5. मण्डी	12
6. शिमला	8
7. सोलन	12

(घ) जी, हां । यह कोटा डाकघरों की मांग को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन लगाना

312. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र लगाने सम्बन्धी "मल्टी एक्सेस रूरल रेडियो" प्रणाली योजना में पिछली तीन वर्षों के दौरान कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना किस तारीख को आरम्भ की गई थी और यह प्रणाली कब लागू की गई थी;

(ग) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में इस प्रणाली के अन्तर्गत अब तक कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले गए हैं, और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रणाली के अन्तर्गत सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने के कार्य में तेजी लायेगी और इसके लिए कोई ठोस कदम उठाएगी और यदि हां, तो क्या ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां ।

(ख) पहले मल्टी-एक्सेस ग्रामीण रेडियो प्रणाली के लिए आर्डर 1980 की अन्तिम तिमाही में दिया गया था। पहली मल्टी-एक्सेस ग्रामीण प्रणाली 11.1.1983 को मेहसाणा (गुजरात) में चालू की गई।

(ग) जानकारी नीचे दी गई है :

क्र० सं०	क्षेत्र का नाम	31.3.84 तक चालू लेबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन	स्थापित किए गए लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन, परन्तु अभी उनको औपचारिक रूप से चालू किया जाना है।
1.	धूलिया (महाराष्ट्र)	5	19

1	2	3	4
2.	मेहसाणा (गुजरात)	14	—
3.	नन्गुनेरी (तमिलनाडु)	8	2
4.	निजामाबाद (आन्ध्र)	9	—
5.	मिर्जापुर (उ० प्र०)	—	6
6.	बांदा (उ० प्र०)	—	5
7.	हल्द्वानी (उ० प्र०	—	8
8.	गोधरा (गुजरात)	—	10
9.	कैथल (हरियाणा)	—	1

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तर-पश्चिम सर्किल में सार्वजनिक टेलीफोन केंद्र खोलने के नियम और मानदंड

313. **प्रो०नारायण चंद पराशर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे स्थानों पर जहां कोई ई. जी. बी. ओ./ई. डी. एस. ओ. अथवा डी. एस. ओ. नहीं हैं, वहां सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र (स्थानीय और लम्बी दूरी) वाले खोले के लिये क्या नियम और मानदंड निर्धारित हैं ।

(ख) सरकार ने ऐसे स्थानों पर सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने की अनुमति कौन सी तारीख से दी है और इस श्रेणी के अन्तर्गत प्रत्येक दूरसंचार सर्किल/जिले में कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले गये हैं ;

(ग) क्या इस प्रकार के कुछ मामले उत्तर पश्चिम व सर्किल में स्वीकृति के लिये लम्बित पड़े हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) सभी लम्बित मामलों को कौन सी तारीख तक स्वीकृति मिल जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. एन. गाडगिल) : (क) **स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन घर** :

स्थानीय सार्वजकिक टेलीफोन घर निम्न प्रकार के स्थानों पर उदारतापूर्वक खोले जाते है :—

(एक) ऐसे स्थान जहां अस्पताल, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, सिनेमा घर आदि हों।

(दो) ऐसे स्थान जैसे झुग्गी-झोपड़ी, और स्लम एरिया जहां के लोग अपना टेलीफोन रख पाने की स्थिति में न हों।

(तीन) ऐसे स्थान जहां डाक-तार विभाग एक्सचेंज क्षमता की कमी के कारण टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने में समर्थ न हो।

ये सार्वजनिक टेलीफोन घर तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य और उपयुक्त पाये जाते हैं।

लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर :

लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर, उन स्थानों पर जहां शाखा डाकघर न हों, और जो आर्थिक सहायता के आधार पर दूरसंचार सुविधा के पात्र न हों, वहां प्राइवेट पार्टियों को परियोजना की पूंजी लागत पर प्रतिवर्ष मौजूदा प्रतिशत लागत का भुगतान करने पर किराये और गारन्टी की शर्तों के आधार पर खोले जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्राइवेट पार्टी को प्रतिभूति जमा के बतौर 500 रुपये जमा कराने होंगे। इसके अलावा स्थानीय मंडल कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये एग्रीमेंट फार्म को भरकर प्रस्तुत करना होता है।

ऐसे स्थान जहां शाखा डाकघर नहीं हैं और श्रेणी वाले स्थान हैं (आर्थिक सहायता के आधार पर दूरसंचार सुविधा प्राप्त करने होते हैं के पात्र होने के पात्र होते है) वहां एजेंट के माध्य से लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर की सुविधा प्रदान की जा सकती है। संबन्धित सर्किलों के महाप्रबन्धक; दूरसंचार गैर-विभागीय लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों के एजेंटों का चयन करने के बारे में निर्णय लेंगे।

गैर-विभागीय लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों के एजेंटों को 40 पैसे (चालीस) प्रति काल की दर से निर्धारित पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है परन्तु इसकी अधिकतम सीमा 250/रु० (दो सौ पचास रुपये) प्रतिमाह हैं। एल. डी. पी. टी. के कार्य का समय कम से कम 8 घंटे का होगा। इस प्रकार प्राप्त पारिश्रमिक विकलांग व्यक्तियों के मामलों को छोड़कर एल. डी. पी. टी. एजेंट की मुख्य आय स्रोत नहीं होगा ;

(ख) एक :

उपरोक्त स्थानों पर स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन घर और लंबी दूरी के पी. सी. ओ. जहां (गैर श्रेणी के स्थानों पर) काफी समय से काम कर रहे हैं। श्रेणी वाले स्थानों पर लंबी दूरी के पी० सी० ओ० जहां डाकघर नहीं है, अथवा जहां डाकघरों के कार्य का समय पर्याप्त नहीं है 21-12-82 से इजाजत दी गई है।

(दो) ऐसे स्थान जहां पर डाकघर नहीं है अथवा जहां डाकघरों के कार्य का समय पर्याप्त

नहीं है, प्रत्येक संचार सर्किल/टजिलों में खोले गए सार्वजनिक टेलीफोन घरों के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) जी हां ।

(घ) निपप्रन (स्वीकृति के लिए) के लिए लंबित लंबी दूरी के पी. सी. ओ. का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

पंजाब—शून्य

हिमाचल प्रदेश—शून्य

हरियाणा

क्रम. सं.	अनिर्णति मामले	बिलंब का कारण
1.	तलवंडी राचा	
2.	भान ब्राह्मण	इन मामलों पर कार्रवाई
3.	खाटेला	की जा रही है ।
4.	कालाकलां	
5.	कुषाक	
6.	रानी माजरा	

(ङ) अनिर्णति मामलों पर चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाये जाने की संभावना है ।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में कार-निकोबार के लिए कम शक्ति का ट्रांसमीटर

314. श्री **मनोरंजन भक्त** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि प्रधानमंत्री के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कार-निकोबार की अपनी यात्रा के दौरान निकोबारी आदिवासियों को, उनकी मांग पर कम शक्ति के ट्रांसमीटर द्वारा दूरदर्शन सेवा मुहैया कराने का आश्वासन दिया था तथा मंत्रालय को अनेक अभ्यावेदन भी भेजे गए थे;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले में कोई अनुकूल कार्यवाही करने का विचार किया है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) (क) इस यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री ने कार निकोबार द्वीप समूह में दूरदर्शन प्रेषण के प्रावधान का संकेत दिया था ?

(ख) और (ग) द्वीप समूह के कुछ भागों में दूरदर्शन सिगनल उपलब्ध करने का निर्णय लिया गया है।

स्वतन्त्र राष्ट्रीय दूर संचार निगम की स्थापना करना

315. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** :क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्यारहवें प्रबंध सम्मेलन में सरकारी उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के सरकारी क्षेत्र उपक्रम के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्रीय दूर संचार निगम की स्थापना किये जाने के सुझाव पर ध्यान दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार का कोई निगम बनाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

संयुक्त राज्य अमरीका के साथ दूरसंचार संबंधी तकनीकी जानकारी देने के सम्बन्ध में हुआ समझौता

316. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिप्टी असिक्टैन्ट सैक्रेटरी आफ कामर्स मिस्टर होनाल्ड वी. इअर्नशा की अध्यक्षता में एक अमीरीकी शिष्ट-मण्डल ने हाल ही में भारत का दौरा किया था;

(ख) क्या उक्त शिष्ट मण्डल ने भारत को दूरसंचार सम्बन्धी तकनीकी जानकारी देने की पेशक्स की थी;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई समोझता हुआ है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी हां।

(ख) कोई विशेष प्रस्ताव नहीं था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) जी नहीं ।

देश के संगठित क्षेत्र में बंधुआ मजदूर

317. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के संगठित क्षेत्र में बंधुआ मजदूर की विद्यमानता का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम है जहां पर बंधुआ मजदूर की प्रथा भी अभी प्रचलित हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 के अधीन, बंधुआ श्रमिकों का पता लगाने, उन्हें मुक्त करने और पुनर्वासित करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है, जिन्हें कहा गया है कि वे अपनी एजेन्सियों के तहत बंधुआ श्रमिकों का पता लगाने के लिए आवधिक सर्वेक्षण करें । इसलिए इस मामले में केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे किसी सर्वेक्षण किए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) बंधुआ श्रम पद्धति की विद्यमानता के बारे में ग्यारह राज्यों अर्थात, आन्ध्र प्रदेश, विहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश से सूचना मिली है ।

मध्य प्रदेश में खाना बनाने की गैस का विवरण

318. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में किन-किन स्थानों पर खाना बनाने की गैस के वितरक नियुक्त किए गए हैं और जून, 1984 तक कुल कितने उपभोक्ता उनसे सम्बन्ध थे;

(ख) जनसंख्या अनुपात के निर्धारित मानदण्ड के अनुसार इस प्रकार के स्थानों पर कितने वितरक नियुक्त किए जाने अपेक्षित हैं;

(ग) उक्त भाग (ख) के सन्दर्भ में वितरकों को कब तक नियुक्त किए जाने की संभावना है और उन्हें किन किन स्थानों पर नियुक्त किया जाएगा;

(घ) मध्य प्रदेश में खाना बनाने की गैस की सप्लाई के लिए नए स्थानों को शामिल करने का भावी कार्यक्रम क्या है; और

(ङ) खाना बनाने की गैस की सप्लाई की मौजूदा स्थिति क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है । (ग्रन्थालय में रखा गया) **देखिए संख्या एल० टी० 8464/84)**

(ख) और (ग) तेल आयोग द्वारा अपनाये जा रहे कार्यदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार उन स्थानों को जिनकी आबादी 20,000 अथवा इससे अधिक है और जो किफायती कार्यवाही और स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर शिप के लिए पर्याप्त क्षमता वाले हैं, एल० पी० पी० विपणन के लिए चरण-बद्ध तरीके से शामिल किया जा रहा है ।

(घ) तेल उद्योग द्वारा अपनी 1984-85 की विपणन योजना में मध्य प्रदेश में 16 स्थानों की एल० पी० जी० के विपणन के लिए मौजूदा अनुमानित क्षमता के आधार पर शामिल कर लिया गया है ।

(ङ) इस समय, मध्य प्रदेश में उपभोक्ताओं को एल० पी० जी० की सप्लाई आकस्मिक परिस्थितियों को छोड़कर, सन्तोषजनक चल रही है ।

गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर पन-बिजली केन्द्र में बिजली का उत्पादन

319. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या चम्बल नदी बने गांधी सागर, राणा प्रताप और ज्वाहर सागर पन-बिजली केन्द्रों द्वारा उनके शुरू होने से जून, 1984 तक वर्ष-वार कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त केन्द्रों को पानी की सप्लाई न होने के कारण वर्ष-वार कितनी अवधि के लिए बिजली का उत्पादन नहीं हो सका; और

(ग) उक्त प्रत्येक केन्द्र में इस समत प्रति यूनिट उत्पादन पर कितनी लागत आती है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ महोम्मद खां) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

उज्जैन टेलीफोन एक्सचेंज का विस्तार

320. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उज्जैन टेलीफोन एक्सचेंज के प्रस्तावित विस्तार कार्यक्रम और उसकी वास्तविक प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त प्रस्तावित विस्तार कार्यक्रम के निर्धारित अवधि के अन्दर पूरा न होने के क्या कारण है;

(ग) क्या उसके लिए आवश्यक प्राइमरी केबलों की सप्लाई कर दी गई है; और

(घ) क्या टेलीफोन एक्सचेंज के विस्तार कार्यक्रम को अन्तिम रूप से तैयार कर दिया गया है और इसके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) 1684-85 के दौरान उज्जैन के टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता में 600 लाइनों में विस्तार करके इसे 2400-3000 किए जाने की जाने की योजना है। 300 (2400-2700) का 40 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है, और शेष कार्य दिसम्बर, 1984 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है। शेष 300 लाइनों का कार्य दिसम्बर, 1984 के बाद उपकरण प्राप्त होने पर प्रारम्भ किए जाने की तथा मार्च, 1985 तक इसके पूरा होने की सम्भावना है।

(ख) एक्सचेंज उपस्कर की सप्लाई में हुए बिलम्ब के कारण प्रस्तावित विस्तार कार्यक्रम पूरा होने में विलंब हुआ।

(ग) प्राइमरी केविल के इस वर्ष प्राप्त होने की सम्भावना है।

(घ) उपरोक्त (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए जी हां।

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड की रचना और कृत्य

321. **श्री एन० ई० होरो** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड की रचना और कृत्यों संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड के सदस्य नियुक्त किए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री० एच० के० एल० भगत) : (क) चलचित्र अधिनियम, 1982 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत, लोकप्रदर्शन के लिए उपयुक्त फिल्मों को प्रमाणित करने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का गठन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है और बोर्ड का एक अध्यक्ष होगा तथा कम से कम 12 तथा अधिक से अधिक 25 अन्य सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की

(ख) और (ग) : मई, 1984 में बोर्ड में अध्यक्ष के अलावा 6 सदस्य थे। मई-जुलाई, 1984 के दौरान, केन्द्रीय सरकार ने बोर्ड में 14 और व्यक्तियों की नियुक्ति की। तथापि, तीन व्यक्तियों ने व्यक्तिगत कारणों से नियुक्ति स्वीकार नहीं की है और एक से स्वीकृति की प्रतिक्षा है। इस प्रकार अब बोर्ड में नीचे दर्शाये अनुसार एक अध्यक्ष तथा अन्य 16 सदस्य हैं :—

अध्यक्ष 1. श्री विक्रम सिंह

सदस्य 2. कु० ए० एम० नाडकर्मी

2. श्रीमती सरयू वी० उदोषी

4. सुश्री शान्ता गांधी

5. श्रीमती एम० नसरूल्लाह

6. श्री एल० वी० प्रसाद

7. श्री भूपेन हजारिका

7. प्रो० वी० बी० बनमाली

9. श्री डी० रामानुजम

10. श्रीमती वैजन्तीमाला बाली

11. सुश्री अर्पणा सेन

12. श्री समिक बनर्जी

13. ड० बी० के० चन्द्रशेखर

14. श्री ब्टी० एस० नरसिम्हन

15. श्री पी० भास्करन

1०. श्री के० रवीन्द्रनाथन नायर

17 श्री जी० पी० सिप्पी

उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में गैस पर आधारित संयंत्र

322. **श्री एन० ई० होरो** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्युत विभाग के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में गैस पर आधारित एम० डब्ल्यू × 12 के 130 विद्युत संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विचाराधीन सुझाव का ब्यौरा क्या है ;

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) अपतटीय गैस के उपयोग की जांच की गई है तथा सरकार विद्युत के उत्पादन के लिए गैस के उपयोग के कुछ प्रस्तावों पर विचार कर रही है । कोई अन्तिम रूप से निर्णय नहीं किया गया है ?

राष्ट्रीय ताप बिजली निगम द्वारा नए सुपर ताप बिजली केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव

323. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप बिजली निगम के पास आधुनिक उच्च शक्ति परिक्षण प्रणालियों वाले नौ सुपर ताप बिजली केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं पर कितनी लागत आएगी और इन परियोजनाओं के लिए वर्ष 1984-85 के बजट में कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है ;

(ग) इन नई यूनिटों को जिन स्थानों पर लगाया जाएगा, उनका ब्यौरा क्या है और इन नौ नए सुपर ताप बिजली केन्द्रों को लगाने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरीफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही छः सुपर ताप विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम सिंगरौली में 200-200 मेगावाट के 5 यूनिट कोरबा में 200-200 मेगावाट 3 यूनिट, और रामागुण्डम में 200-200 मेगावाट के दो यूनिट पहले ही चालू कर चुका है।

इसके अरिक्त रा० ता० वि० निगम ने तलजेय (चरण-1; 2×500 मेगावाट) कहलगांव (चरण-1, 4×210 मेगावाट) और मुरादनगर (4×210 मेगावाट) के तीन सुपर ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। इन सुपर ताप विद्युत परियोजनाओं की अनुमानित लागत क्रमशः 1036.45 करोड़ रुपये, 1058.64 करोड़ रुपये और 911.96 रुपये (अनन्तिम है। रा० ता० वि० निगम का 1003.38 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से फरक्का सु० ता० वि० केंद्र के चरण (2×500 मेगावाट) के विस्तार का भी प्रस्ताव है। सरकार की स्वीकृति के लिए इन प्रस्तावों पर कार्यवाही की जा रही है।

विवरण

स्वीकृत सुपर ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम संख्या	परियोजना	अनुमोदित क्षमता (मेगावाट)	स्थल (जिलावार राज्य)	अनुमोदित लागत पारषेण लाइनों सहित) (करोड़ रु०)	1984-85 के लिए प्रावधान करोड़ रु० में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	सिंगरौली	2000	मिर्जापुर (उ०प्र०)	1001.17	201.45

1	2	3	4	5	6
2.	कोरबा	2100	बिलासपुर (म० प्र०)	1138.44	195.66
3.	रामागुण्डम	2100	करीमनगर (आ० प्र०)	1702.18	155.44
4.	फरक्का				
	चरण-1	600	मुर्शीदाबाद (पं०बं०)	320.8	157.27
5.	विन्याचल				
	चरण-1	1260	सिंधी (म० प्र०)	1110.42	121.88
6.	रिहन्द				
	चरण-1	1000	मिर्जापुर (उ० प्र०)	1033.00	181.87

समाचार पत्रों में कार्यरत पत्रकारों को पेंशन देने के सम्बन्ध में राज्यों को मार्ग निर्देशन

324. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न समाचार पत्रों में काम कर रहे पत्रकारों को पेंशन देने के लिए विभिन्न राज्यों को दिशा निर्देश भेजे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने समाचार पत्रों से सेवा-निवृत्त होने के बाद पत्रकारों को पेंशन देने का फैसला किया है ; और

(ग) केन्द्र और अन्य राज्यों द्वारा सेवा-निवृत्त के बाद पत्रकारों के लिए मंजूर किए गए लाभों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह मालूम हुआ है कि तमिलनाडु समाचार पत्र कर्मचारी राहत निधि विधेयक नामक विधेयक तमिलनाडु सरकार ने 1982 में विधान सभा में पेश किया था । विधान सभा ने उस विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को भेज दिया है । यह भी मालूम हुआ है कि इस विधेयक में कतिपय परिस्थितियों के अन्तर्गत कुछ पेंशन सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था है ।

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 श्रम जीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 तथा

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन समाचार पत्र कर्मचारी इस समय भविष्य निधि, परिवार पेंशन सम्बद्ध (लिंक्ड) बीमा, उपदान, अपंगता और आश्रित सुविधाओं के हकदार है ।

पेट्रोल और डीजल में मिट्टी के तेल की मिलावट

325. श्री रामलाल राही : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न पैट्रोल पम्पों के मालिकों द्वारा पैट्रोल और डीजल में मिट्टी के तेल की मिलावट की जाती है ,

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किन-किन स्थानों पर जांच की गई है, उसके क्या परिणाम निकले तथा दोषी पाये गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई ;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के कुछ व्यापारी भी पैट्रोल और डीजल में मिट्टी के तेल की मिलावट करने के दोषी पाए गए हैं, और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार जांच कर रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्यमंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : जी, हां ।

(ख) जनवरी, 1983 से विभिन्न स्थानों पर डीजल और पैट्रोल में संदिग्ध मिलावट के 95 मामलों का पता चला है जैसा कि विवरण में दिखाया है । विपण अनुशासन मार्गदर्शी-सिद्धांतों के प्रावधानों के अनुसार संबंधित डीलरों के विरुद्ध आश्वयक कार्यवाही की गई थी और विस्तृत जांच किए जाने तक उनकी सप्लाई निलम्बित रखी गई थी । साबित किए गए मिलावट के छः मामलों में डीलरशिपें समाप्त कर दी गई हैं । कुछ मामले न्यायालयों में विचाराधीन हैं और राज्य सरकार के प्राधिकारियों के पास आगे और जांच करने के लिए लम्बित पड़े हुए हैं । शेष मामलों में मिलावट को सिद्ध करना संभव नहीं हुआ है और उन्हें सप्लाई पुनः आरम्भ कर दी गई है । फिर भी, जहां उपरोक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार आवश्यक समझा गया है, चेतावनियां दी गई हैं ।

(ग) उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में पेट्रोल और डीजल में मिट्टी के तेल की मिलावट का कोई मामला अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

वे स्थान जहां पेट्रोल और डीजल में मिलावट करने के संदिग्ध मामलों का पता चला है

कं० इंडियन आयल कार्पोरेशन (जनवरी 1983 से मई, 1984 तक)
मोटर स्पिरिट

क्र० सं०	स्थान का नाम	राज्य	क्र० सं०	स्थान का नाम	राज्य
1.	खेरालू	गुजरात	24.	सैफाबाद	आन्ध्र प्रदेश
2.	अदाजान	"	25.	तालियादा	"
3.	मोटेरा	"	26.	मुज्जफरपुर	बिहार
4.	लिमडी	"	27.	दरभंगा	"
5.	पाटदी	"	28.	पेवेयर	आन्ध्र प्रदेश
6.	चोतीला	"	29.	कक्कड	केरल
7.	द्वारका	"	30.	दसुआ	चण्डीगढ़
9.	वेरावल	"	31.	अलैवै	केरल
9.	चिलाकेरीपेटा	आन्ध्र प्रदेश	32.	मोंगलदई	आसाम
10.	माधी	गुजरात	33.	तेजपुर	"
11.	कोडोड	"	34.	धनबाद	बिहार
12.	साल्वी	"	35.	दुर्गापुर	पं० बंगाल
23.	सागर	मध्य प्रदेश	36.	दुर्गापुर	पं० बंगाल
14.	मुज्जफरपुर	बिहार	37.	रानीगंज	"
15.	जनगांव	आन्ध्र प्रदेश	38.	बुरहानपुर	मध्य प्रदेश
17.	कल्यानदुर्ग	"	39.	कक्डविन	पं० बंगाल
17.	बुलन्दशहर	उत्तर प्रदेश	40.	हल्दिया	"
18.	पानोली मोती (राजकोट)	गुजरात	41.	कोकराझार	आसाम
19.	येवा	"	42.	गया	बिहार
20.	मीठापुर	"	43.	मरोली (सूरत)	गुजरात
21.	बैंगलौर	कर्नाटक	44.	उढाना	"
22.	नार्थ परूर	केरल	45.	वेचारजी (मेहसान)	"
23.	अम्बालापुजा	"	46.	इन्दौर	मध्य प्रदेश

क्र० सं०	स्थान का नाम	राज्य	क्र० सं०	स्थान का नाम	राज्य
47.	इताउन्जा	उत्तर प्रदेश	49.	दिल्ली	दिल्ली संघ प्रदेश
48.	सगवाड़ा	राजस्थान			
डीजल					
50.	खेतड़ी नगर	राजस्थान	59.	ओरई	उत्तर प्रदेश
51.	नावलगढ़	"	60.	ओरई	"
52.	जयपुर	"	61.	ओरई	"
53.	डुडु	"	62.	जारोद	गुजरात
54.	भवानीमंडी	"	63.	कक्कड	केरल
55.	झालवाड़	"	64.	जालौर	राजस्थान
56.	चुरू	"	65.	रामसेन	राजस्थान
57.	सूरतगढ़	"	66.	हालोद	गुजरात
58.	कक्कड	केरल			

ख. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० (जनवरी, 1983 से जून/जुलाई, 1984 तक)

पेट्रोल/डीजल			डीजल		
1.	सूरत	गुजरात	7.	सोमारपेट	कर्नाटका
2.	थरतगन्ध्रा	"	8.	भावनगर	गुजरात
3.	चिखली	"	9.	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश
4.	अहमदाबाद	"	10.	नागपुर	महाराष्ट्रा
5.	अहमदाबाद	"			
6.	सिकन्द्राबाद	आन्ध्र प्रदेश			
मोटर स्पिरिट					
11.	सूरत	गुजरात	14.	सीतामढ़ी	बिहार
12.	कालभोर	महाराष्ट्रा	15.	एटूमनूर	केरल
13.	कडोड	गुजरात			

ग. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (जनवरी 1983 से जून/जुलाई, 1984 तक)

क्र० सं०	स्थान का नाम	राज्य
1.	बम्बई	महाराष्ट्र
2.	बम्बई	"
3.	पुणे	"
4.	वेसिन	"
5.	मन्नारघाट	केरल
6.	कलकत्ता	पं० बंगाल
7.	खड़मपुर	"
8.	वालानगर	आंध्र प्रदेश
9.	कट्टनगूर	"
10.	झुनझुनू	राजस्थान
11.	"	"
12.	चुरू	"

घ. आई वी० पी० (जनवरी 1983 से दिसम्बर 1983 तक)

1.	जयपुर	राजस्थान
2.	गोहाना	हरियाणा

20-सूत्री कार्यक्रमों के अन्तर्गत गांवों में बिजली पहुंचाना

326. **श्री राम लाल राही** : क्या **ऊर्जा** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने गांवों में बिजली पहुंचाई गई है ;

(ख) क्या सरकार को 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सीतापुर जिले के बारनगगा गांव में बिजली पहुंचाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त गांव में बिजली पहुंचा दी गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरीफ मोहम्मद खां) : (क) देश में गणना किए गए

कुल 5, 76, 126 आबाद गांव है। छठी योजना के प्रारम्भ में अर्थात 1-4-1980 को 2, 49, 799, गांव विद्युतीकृत थे। छठी योजना के प्रस्तावों में अखिल भारतीय आधार पर एक लाख गांव विद्युतीकृत किए जाने हैं। इसकी तुलना में छठी योजना के दौरान मई, 1984 के अन्त तक 99,224 गांव विद्युतीकृत किए जा चुके हैं।

(ख) सें (घ) : सितारपुर जिले का मुख्य बारनगवा गांव 1970 विद्युतीकृत किया गया था ! श्री राम लाल राही, संसद सदस्य ने 23. 1. 1984 को उक्त गांव की हरिजन बस्ती को शीघ्र विद्युतीकृत कराने के संबंध में गांव बारगनवा, जिला सीतापुर निवासी श्री शिवलाल कश्यप का एक अभ्यावेदन भेजा था। उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि वहां पर तीन हरिजन बस्तियां हैं अर्थात नौगांव, सत्तीपुरवा तथा एक बारगनवा गाँव के पश्चिम दिशा की ओर है। और उन्होंने मुख्य जोनल इंजीनियर को सलाह दी है कि बारगनवा गांव के पश्चिम दिशा की ओर स्थित हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण का कार्य शुरु किया जाए। अन्य दो बस्तियों के संबंध में ग्राम विद्युतीकरण निगम ने उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड सें इन गांवों को शामिल करते हुए एक स्कीम तैयार करने लिए कहा है।

राज्य बिजली बोर्डों को हुआ लाभ/हानि

327. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य बिजली बोर्ड को प्रतिवर्ष कितना लाभ/हानि हुई है तथा आज तक कुल कितनी हानि हुई है;

(ख) इन बिजली बोर्डों की ओर कोल इण्डिया लिमिटेड, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड और रेलवे की प्रत्येक को कितनी-कितनी बकाया धनराशि देय है; और

(ग) प्रत्येक राज्य बिजली बोर्ड के अन्तरर्गत गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने पुराने विद्युत उत्पादन संयंत्र रहे हैं और इस तरह के प्रत्येक संयंत्र के कारण कितनी-कितनी हानि हुई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री आरीफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बिजली उत्पादन के लिए फर्नेस आयल के स्थान पर कोयले पानी का मिश्रण

328. **श्री सूरज भान** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका,ब्रिटेन, रूस और अन्य देशों में बिजली उत्पादन के लिए फर्नेस आयल आदि के स्थान पर कोयले-पानी के मिश्रण (सी.डब्ल्यू.एम.) का प्रयोग करके सफल परीक्षण किए गए हैं (12 से 150 मेगावाट उत्पादन) ;

(ख) क्या यह सच है कि भारत में बिजली उत्पादन के लिए कोयले पानी के मिश्रण के उपयोग से होने वाला खर्च "फर्नेस" आयल के खर्च का 50 प्रतिशत होगा; और

(ग) कोयले-पानी के मिश्रण के प्रयोग के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और अब तक इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री : (श्री आरिफ मोहम्मद खाँ) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने बताया है कि ऐसी जानकारी मिली है कि तेल के स्थान पर कोयले-पानी के मिश्रण का उपयोग औद्योगिक बायलरों में किया गया है। वृहत् यूनिलिटी बायलरों में इस उपयोग से संबन्धित कार्य का अमरीका, ब्रिटेन यू०एस०एस०आर० और जापान जैसे देशों में विकास किया जा रहा है। परिक्षण रिगों में 150 मेगावाट क्षमता तक के यूटिलिटी बायलरों में उपयोग किए जाने वाले बरनरों का उपयोग किया गया है।

अधिक राख की मात्रा वाले भारतीय कोयले पर उपर्युक्त प्रक्रिया के लागू होने की अभी जांच और विकास किया जाना है।

आई.एन.एच और डैपसोन औषधियों का कम उत्पादन

329. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** :

श्री बी०डी० सिंह : क्या **रसायन और उरर्वक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में क्षय रोग के लिए आई.एन.एच. और कुष्ठरोग के लिए डैपसोन जैसी सस्ती औषधियों की मांग की तुलना में इनका लगभग कितना उत्पादन होता है,

(ख) मांग की तुलना में इनके उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं, और

(ग) क्या सरकार का विचार निर्माताओं के लिए इन सस्ती औषाधियों का उत्पादन अनिवार्य बनाने का है, और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) तथा (ख) वर्ष 1983-84 के दौरान आई०एन०एच० की मांग को मुख्यतः स्वदेशी उत्पादनों द्वारा पूरा किया गया। तथापि, लगभग 60 टन डैपसोन की मांग को आंशिक रूप से सरणीवृद्ध आयातों द्वारा (आयात योजना - 30 एम.टी) तथा शेष स्वदेशी उत्पादन द्वारा पूरा किया गया। डैपसोन का उत्पादन स्थापित क्षमता के अनुकूल है।

(ग) औषध नीति समीक्षाधीन है। अपेक्षित परिवर्तन यदि कोई हां, करते समय सभी संबद्ध पहलुओं को ध्यान में रखा जायेगा।

(घ) सरकार इन औषधों के उत्पादन के लिये प्रस्तावों की योग्यता के आधार पर नए अनुमोदन प्रदान करने का विचार करती रही है ।

रोजगार कार्यालयों में जून 1984 तक पंजीकृत बेरोजगार लोग

330. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोजगार कार्यालयों में 1 जनवरी, 1983 से 30 जून, 1984 तक कितने बेरोजगार व्यक्ति पंजीकृत किये गये; और

(ख) इस अवधि में इनमें से कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया तथा उनको प्रतिशतता कितनी है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) पहली जनवरी, 1983 से 30 अप्रैल, 1984 तक (उद्यतन उपलब्ध सूचना अप्रैल, 1984 से संबन्धित है (88.07 लाख व्यक्तियों ने रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत कराया । यह आवश्यक नहीं कि ये सभी पंजीकृत व्यक्ति बेरोजगार हों ।

(ख) पहली जनवरी, 1983 से 30 अप्रैल 1984 के दौरान रोजगार कार्यालयों द्वारा 6.35 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया था । ये व्यक्ति इस अवधि के दौरान किए गए पंजीकरणों का 7.2 प्रतिशत थे तथापि, हो सकता है कि इस अवधि के दौरान रोजगार में लगाए गए । व्यक्तियों में से बहुत व्यक्ति पहली जनवरी, 1983 से पूर्व पंजीकृत किए गए हों ।

कोयला विभाग द्वारा 60 मेगावाट विद्युत संयंत्रों की स्थापना

331. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** :

श्री बापूसाब पल्लेकर :

श्री रवीन्द्र वर्मा :

श्री लक्ष्मण मलिक : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर-मन्त्रालय दल द्वारा 60 मेगावाट की क्षमता वाले विद्युत उत्पादन संयंत्रों की स्थापना करने के बारे में कोयला विभाग से सिफारिश की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) इस संदर्भ में भविष्य की योजना का प्रारूप क्या है ;

(घ) इस योजना के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ; और

(ड़) सरकार द्वारा स्वीकार की गई दल की सिफारिशों का ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) तीन 2 × 10 मे०वाट के बिजली घर स्थापित करने का प्रस्ताव है जिनमें से एक-एक ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० और सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० प्रत्येक में होगा ।

(ग) और (ङ) सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान बिजली की आवश्यकता का कुल अध्ययन करने के लिए भी कोल इंडिया लि० से कहा गया है ।

(घ) इस स्कीम के लिए 1984-85 के बजट अनुमानों में रु० 2 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का पुनर्गठन

332. **श्री के० रामामूर्ति** :

श्री बाल कृष्ण वासनिक :

श्री गुफरान आजम : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अनुमोदित तेल प्राकृतिक गैस आयोग के व्यापक स्तर पर पुनर्गटन का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) यह कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है, और

(ग) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के ढांचे में किसी भी प्रकार से विभाजन रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) सरकार ने तेल यवं प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यात्मक विशेषज्ञता और व्यापार दलों की धारणा पर पुनर्गठन करने के प्रस्ताव को सिद्धान्तः स्वीकृति दे दी है ।

प्रस्तावित पुनर्गठन कब तक पूरा हो जायेगा । इसके लिए विशिष्ट समय बताना सम्भव नहीं है ।

(ग) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को प्रस्तावित पुनर्गठन के अन्तर्गत विभाजित करने

का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

रामगुण्डम सलाल लोकटक तथा चुखा पन बिजली परियोजनाओं की अनुमानित लागत

333. **श्री के० राममूर्ति** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामगुण्डम सुपर तापीय परियोजना चरण-1 सलाल पन बिजली, लोककट पन बिजली तथा चुखा पन बिजली परियोजना चरण-1 बिजली परियोजनाओं की मूल अनुमानित लागत कितनी है ;

(ख) इन परियोजनाओं के संबंध में अद्यतन अनुमानित लागत कितनी है ; और

(ग) निर्धारित तारीखों के अनुरूप उनके पूरा होने में बिलम्ब के क्या कारण हैं तथा कोई और बिलम्ब किये बिना उनको पूरा करने के लिए इस समय क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जामंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

परियोजना का नाम — लागत करोड़ रुपये में

नाम	मूल अनुमानित (कीमत स्तर के अनुसार)	अद्यतन अनुमानित (कीमत स्तर के अनुसार)	पूरा करने में बिलम्ब के कारण	बगैर किसी प्रकार के और विलम्ब हुए परियोजना को पूरा करने के लिए उठाए जा रहे कदम ।
1	2	3	4	5
1. रामागुण्डम सुपर ताप विद्युत केन्द्र चरण-1	459.14 (1977 के आरम्भ में)	879.52 (1982 की दूसरी तिमाही में)	कोई बिलम्ब नहीं	प्रश्न नहीं उठता

1	2	3	4	5
2. सलाल जल विद्युत परियोजना	5514 (1968) (3×90 मेगावाट के लिए	505.55 (सकल) 490.45 (निवल) जून, 1983 (31×15 मेगावाट के लिए)	(1) कार्य क्षेत्र में परिवर्तन (2) परियोजना में आई भू-वैज्ञानिक, भू-भौतिकी और भू-तकनीकी समस्याएं आने के (3) विभिन्न संघटकों के डिजाइन में परिवर्तन होने के कारण ।	राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ने परियोजना को यथा संभव शीघ्र पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए हैं और चालू करने की अवधि को कम कर दिया है जिसके अनुसार पहले यूनिट को दिसम्बर, 1985 में चालू किया जाना है जबकि पहले कार्यक्रम के अनुसार इसको अगस्त, 1987 में चालू किया जाना था ।
3. लोकतक जल विद्युत परियोजना	10.9 (1967) (2×35 मेगावाट के लिए)	114.74 (सकल) 10.22 (निवल) (मार्च, 1983) 3×35 मेगावाट के लिए)	(1) हैड रेस सुरंग में मेथान गैस होना, राक स्ट्राटा के सिकुड़ने और फैलने के कारण असामान्य भू-परिस्थितियां पैटी मृदा और लेक बैड सामग्री, पेनस्टाक ढलानों के साथ संचलन जैसी भू-वैज्ञानिक जटिलताएं होना (2) असम आन्दोलन के कारण क्षेत्र में कानून और व्यव	सुरंग के ढह गए भागों का सरेखन संबंधी कार्य पूरा कर लिया गया है । ढलान वाले क्षेत्रों में ढलान बचाव कार्य किया जा रहा है । परियोजना को जुलाई, 1984 के अंत तक चालू किए जाने की आशा है ।

1	2	3	4	5
			स्था की स्थिति खराब होना तथा परिणामस्वरूप सीमेंट, इस्पात, पी० ओ०.एल० तथा औद्योगिक गैसों जैसी निमांण सामग्री का उपलब्ध न होना । परियोजना अप्रैल, 1983 में चालू की गई थी । भारी भूस्खलन के कारण सुरंग का एक गिर जाने की वजह से 25 जुलाई, 1983 से विद्युत उत्पादन बन्द करना पड़ा था ।	
4. चुखा जल विद्युत परियोजना	83.09 1973	204.17 दिसम्बर, 1983	परियोजना के पूरा होने में बिलम्ब होने का मुख्य कारण कंक्रीट बांध क्षेत्रमें भू-वैज्ञानिक समस्याएं यथा हिम क्षेत्र मानसून के दौरान बार-बार सड़कें बन्द होना तथा श्रमिकों की कमी होना आदि है ।	चुखा परियोजना प्राधिकारियों द्वारा की जा रही सतत् समीक्षा के अतिरिक्त केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और विद्युत विभाग द्वारा मानीटरिंग समुचित की जा रही है ।

कोयला परियोजनाओं में सोवियत संघ की सहायता

334. **श्री अमर राय प्रधान :**

श्रीरामावतार शास्त्री : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत संघ ने कोयला परियोजनाओं में भारत की सहायता करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय कोयला खनन उद्योग के विकास के लिए सोवियत संघ से सहयोग प्रबन्ध अनेक वर्षों से चल रहा है ।

जून, 1984 में ऐसे सहयोग को बढ़ाने के लिए एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल सोवियत संघ गया था । इस दौरे में कोयला उद्योग के क्षेत्र में वर्तमान और दीर्घकालीन प्रश्नों पर भारत सोवियत सहयोग पर चर्चा हुई । सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए यह तय हुआ कि निम्न लिखित प्रमुख क्षेत्रों में सोवियत सहायता और सहयोग लिया जाएगा ।

(i) कोयला समन्वेषण (ii) नई खनन परियोजनाएं

(iii) कोयला विनिर्माण (iv) कोयल उपभोग

सोवियत संघ से वर्तमान सहयोग में यह काम शामिल हैं। मुकुन्दा ओपेनकास्ट खान के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करना ; झांझरा कोलियरी में शाफ्ट पैंबस्ती में तकनीकी सहयोग झींगुर्दा कोलियरी में दिशा-निर्देशी विस्फोटन के लिए सहायता तथा कठारा और पाथरडीह कोयला विनिर्माण संयंत्रों का आधुनिकीकरण ।

वर्ष 1984-85 और 1985-1986 के दौरान देश में दूरदर्शन कार्यक्रम का विस्तार

335. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री राम विलास पासवान :

श्री अमर सिंह राठवा :

श्री नारायण चौबे :

श्री विरदा राम फुलवारिया : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1984-85 और 1985-86 की अवधि में देश में दूरदर्शन कार्यक्रम का विस्तार करने का है;

(ख) क्या विस्तार कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ग) क्या देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र के लिए भी कोई धनराशि निर्धारित की गई है;

(घ) इस अवधि में कितने नये दूरदर्शन केन्द्र खोले जाने की संभावना है; और

(ङ) इस प्रयोजन के लिये किन-किन स्थानों का चयन किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) वर्ष 1984-85 के दौरान देश में दूरदर्शन के विस्तार की विशेष योजना कार्यान्वित की जा रही है। 1985-86 के लिए इस प्रकार का कोई कार्यक्रम अभी स्वीकृत नहीं किया गया है।

(ग) दूरदर्शन के विस्तार के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र सम्बन्धी योजना के लिए 36.43 करोड़ रुपये की राशि अलग से नियत की गई है। दक्षिण या देश में किसी अन्य क्षेत्र के लिए इस प्रकार का कोई आबंटन अलग से नहीं किया जाता सिवाय उसके जिसकी विशेष योजना में व्यवस्था की गई हैं।

(घ) 23-7-84 को कार्यरत 72 केन्द्रों के अलावा 1984-85 के दौरान 108 और दूरदर्शन केन्द्र चालू किए जायेंगे।

(ङ) उच्च शक्ति वाले सभी 26 और अल्प शक्ति वाले सभी 118 दूरदर्शन ट्रांसमीटरों, जिनकी विशेष योजना में व्यवस्था की गई है, के लिए स्थानों का चयन कर लिया गया है।

कोयले से ईंधन तेल का उत्पादन

336. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत कच्चे तेल के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो सकेगा (पैट्रियलम, 6 जून, 1984);

(ख) क्या सरकार का कोयले से ईंधन तेल का उत्पादन करने के लिए वर्ष 1954 में डा० जे० सी० घोष द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर पुनः विचार करने का है; और

(ग) क्या सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रस्ताव के अध्ययन के लिए एक और उच्च स्तरीय समिति नियुक्त करने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) कच्चे तेल के उत्पादन में लगभग 65 प्रतिशत तक आत्मनिर्भरता प्राप्त हो चुकी है। वर्ष 1983-84 के दौरान स्वदेशी कच्चे तेल का उत्पादन 26.02 मिलियन टन था।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं । फिलहाल, इस उद्देश्य के लिए ऐसी कोई समिति नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

उत्तर प्रदेश में बायो-गैस संयंत्रों की स्थापना

337. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में अब तक कितने बायो गैस संयंत्र स्थापित किए गए तथा उनकी ऊर्जा उत्पादन की कुल क्षमता कितनी है; और

(ख) चालू वित्त वर्ष की बकाया अवधि में इस प्रकार के और कितने संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना के अधीन 1981-82 से जून, 1984 तक उत्तर प्रदेश में 44,677 परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए । ऊर्जा की कुल अनुमानित उत्पादन क्षमता लगभग 8.4 लाख किलोवाट प्रति दिन है ।

(ख) चालू वर्ष के 23000 संयंत्रों के लक्ष्य के मुकाबले राज्य में शेष चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 18000 संयंत्र स्थापित किए जाने की संभावना है ।

चित्तूर आन्ध्र प्रदेश में डायल प्रणाली आरम्भ करने का प्रस्ताव

338. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तूर, आन्ध्र प्रदेश में डायल प्रणाली आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक आरम्भ किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) चित्तूर में पहले ही डायल प्रणाली है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विभिन्न राज्यों में स्थापित बायोगैस संयंत्र

339. **श्री के० लक्कप्पा** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में अब तक राज्यवार कितने बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए;

(ख) उनकी ऊर्जा उप्पादन की अनुमानित क्षमता कितनी है;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक कितने नए बायोगैस संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य है; और

(घ) उनकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) वर्ष 1981-82 से जून, 1984 के अन्त तक बायोगैस विकास परियोजना के अधीन विभिन्न राज्यों में परिवार आकार के 1,93,389 संयंत्रों की स्थापना की गई है । राज्यवार स्थिति को बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) इन संयंत्रों के उत्पादित ऊर्जा की अनुमानित कुल क्षमता प्रतिदिन लगभग 36.5 लाख किलोवाट के बराबर है ।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, 1.5 लाख बायोगैस संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य है ।

(घ) इस वर्ष के दौरान संयंत्रों द्वारा स्थापित की जाने वाली अनुमानित उत्पादन की क्षमता लगभग 28.2 लाख किलोवाट प्रतिदिन के बराबर होगी ।

विवरण

वर्ष 1981-82 से जून, 1984 के अन्त तक बायोगैस की राष्ट्रीय परियोजना के अधीन स्थापित किए गए राज्य-वार बायोगैस संयंत्रों की संख्या

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शसित प्रदेश	जून, 1984 तक स्थापित किए गए बायोगैस संयंत्रों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	13065
2.	असम	456
3.	बिहार	13699
4.	गुजरात	15768
5.	हरियाणा	5867
6.	हिमाचल प्रदेश	1430
7.	जम्मू और कश्मीर	72
8.	कर्नाटक	12567
9.	केरल	2234
10.	मध्य प्रदेश	12009

1	2	3
11.	महाराष्ट्र	38194
12.	उड़ीसा	3441
13.	पंजाब	3163
14.	राजस्थान	7671
15.	तमिलनाडु	14902
16.	उत्तर प्रदेश	44677
17.	पश्चिम बंगाल	3380
18.	दिल्ली	47
19.	गोआ, दमण और दीव	356
20.	पांडिचेरी	198
21.	अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	186
	योग	193389

नये इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

340. **श्री के० लक्कप्पा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितने इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं तथा उनका ब्योरा क्या है; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक कितने और इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज स्थापित करने का लक्ष्य है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : इस लाइनों से कम क्षमता वाले छोटे एक्सचेंजों को छोड़कर सात इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन अब तक खोले जा चुके हैं उनका ब्योरा निम्न प्रकार है :—

	नाम	सज्जित क्षमा
1.	कोसीकलां	256 लाइन

1	2	3
2.	नैनीताल	768 ,,
3.	उझानी	256 ,,
4.	अल्मोड़ा	384 ,,
5.	कूपरेज-Iv बंबई	10,000 ,,
6.	मझगांव-III	10,000 ,,
7.	ईदगाह-Iv दिल्ली	10,000 ,,

(ख) दस लाइनों से कम क्षमता वाले छोटे स्वचल एक्सचेंजों को छोड़कर चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक 28 (अट्ठाइस) अतिरिक्त इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज चालू होने की संभावना है ।

विश्व श्रमिक बल की कार्य की करने की परिस्थितियों में सुधार करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा स्वीकृत सन्कल्पों तथा सिफारिशों का कार्यान्वयन

341. **श्री के० लकप्पा :**

श्री धर्मदास शास्त्री : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बेरोजगारी का मुकाबला करने, कार्य करने की परिस्थितियों के सुधार लाने, अन्तराष्ट्रीय श्रम मानदण्डों को लागू करने तथा विश्व के श्रमिक बल के रहन-सहन के स्तर में सुधार लाने के जिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा हाल ही में अनेक संकल्पों तथा सिफारिशों को स्वीकृत्ति प्रदान की है ।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा स्वीकृत संकल्पों तथा सिफारिशों की जांच करने तथा उनको लागू करने के लिए कोई कदम उठाए हैं ; और

(ग) उनकी कार्यवाही द्वारा बेरोजगारी तथा श्रमिक समस्याएं किस सीमा तक हल हो जाएगी ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के संकल्प और उसकी सिफारिशें सदस्य देशों के लिए केवल मार्गदर्शी रूपरेखा के स्वरूप में हैं । इनकी सरकार द्वारा संबन्धित पक्षकारों के साथ परामर्श करके नियमित जांच की जाती है ताकि कार्यान्वयन के लिए उपयुतत निर्णय लिए जा सकें ।

(ग) चूंकि ये संकल्प और सिफारिशें केवल मार्गदर्शी रूपरेखाएं हैं, इसलिए इनमें बेरोज-

गारी को दूर करने का जो समाधान बताया गया है, उससे उसके परिणाम का अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

श्री लंका से तमिलनाडु में आए शरणार्थी

342. **श्री के० टी० कोशल राम** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री लंका में हुए जातिय दंगों के बाद तमिलनाडु में अब तक कितने शरणार्थी आए हैं ; और

(ख) उनके लाभ के लिए शुरू किए गए पुनर्वास कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) श्री लंका में जातिय दंगों के कारण 9-7-1984 तक तमिलनाडु में शरणार्थियों के रूप में 40,000 व्यक्ति आ गए हैं इनमें से 176 शरणार्थियों ने प्रवेश चाहा है और उन्हें तमिलनाडु में राहत शिविरों में प्रवेश दे दिया गया है ।

(ख) शरणार्थियों को कोई पुनर्वास सहायता नहीं दी जाती हैं क्योंकि इन शरणार्थियों के वापस श्री लंका चले जाने की संभावना है । तथापि, जिन शरणार्थियों ने राहत शिविरों में प्रवेश चाहा है, उन्हें राहत सहायता दी जाती है ।

गांवों को टेलीफोन सेवाओं से जोड़ने का प्रस्ताव

343. **श्री उत्तम राठौर** : क्या सन्चार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक और तार विभाग 5 मील की परिधि में आने वाले सभी गांवों को टेलीफोन सेवाओं से जोड़ना चाहता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र में नांदेड और परभनी जिलों के लिए ये सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजनाएं बनाली गई हैं ?

सन्चार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर 1990 तक अधिकांश आबादी में 5 किलोमीटर के अन्तर्गत उत्तरोत्तर उपलब्ध हो जाएंगे ।

(ख) जी हां, नांदेड और परभनी जिलों की योजना 5 किलोमीटर की षटकोणीय नीति के अंतर्गत तैयार की गई है । नांदेड के 76 ग्रामों और परभनी जिले के 115 ग्रामों में 1970 तक उत्तरोत्तर टेलीफोन सुविधा प्रदान किए जाने की योजना है ।

महाराष्ट्र में सिंगोली और किन्वाट में डाकघर भवनों का पुनर्निमाण

344. **श्री उत्तम राठौर** : क्या सन्चार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में डिंगोली और किन्वाट में पुराने डाकघर भवनों को असुरक्षित पाया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है, कि स्टाफ क्वार्टरों सहित इन भवनों का पुनर्निर्माण जरूरी है, और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस भवनों का निर्माण कब तक करने का है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) डिंगोली डाकघर भवन असुरक्षित नहीं है । 1983 में इसकी मरम्मत की गई थी । किनवास डाकघर फिलहाल एक किराए के भवन में कार्य कर रहा है । जिस पुरानी विभागीय इमारत में यह पहले कार्य कर रहा था, वह जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है ।

(ख) और (ग) चूंकि सिंगोली डाकघर भवन असुरक्षित नहीं है, इसलिए इसका पुनर्निर्माण करने की कोई आवश्यकता नही है । तथापि, डाकघर में और अधिक स्थान की व्यवस्था करने के उद्देश्य से सातवीं योजना में इस भवन का विस्तार करने का प्रस्ताव है हिंगोली में स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण करने का भी प्रस्ताव है । किनवात डाकघर के जीर्ण-शीर्ण विभागीय भवनों को सातवीं योजना में पुनः बनाने का प्रस्ताव है । किनवाश में कोई स्टाफ क्वार्टर नहीं है, इसलिए पुनर्निर्माण का प्रश्न ही नहीं उठता । किनवात के पोस्ट मास्टर के लिए क्वार्टर बनाने के मामले पर डाकघर भवन का पुनर्निर्माण करते समय विचार किया जाएगा ।

"कोकिंग कोल" का आयात

345. **श्री के० ए० राजन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में "कोकिंग कोल" के उत्पादन में आशाजनक सुधार नहीं हुआ और आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रत्येक वर्ष अधिक से अधिक मात्रा में आयात करना पड़ता हैं ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान "कोकिंग कोल" की आवश्यकता उत्पादन और आयात का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) "कोकिंग कोल" के उत्पादन में वृद्धि हेतु क्या प्रयत्न किए जा रहे है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग की मन्जूरी के बिना बड़े औद्योगिक घरानों को औद्योगिक लाइसेंसों का दिया जाना

346. **श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकास अध्ययन संस्थान ; मद्रास द्वारा किये गये एक अध्ययन (बिजनेस स्टेण्डर्ड, 30 जून, 984) से यह पता चला है कि यद्यपि वर्ष 1981 तथा 1982 में काफी संख्या में आपत्तियां प्राप्त हुई थीं जबकि बड़े औद्योगिक घरानों ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने प्रस्तावों को विज्ञापित किया था, उसके बावजूद 59 प्रतिशत नई क्षमता तीन औद्योगिक घरानों को मंजूर की गई है और शेष क्षमता 22 लाइसेंस धारियों में बंटी है ; और

(ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) 'बिजनेस स्टेण्डर्ड' दिनांक 30-6-1984 में औद्योगिक लाइसेंस के विषय में मद्रास विकास अध्ययन संस्थान द्वारा सम्पन्न किए गए अध्ययन के सम्बन्ध में प्रकाशित रिपोर्ट कम्पनी कार्य विभाग की सूचना में आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार सीमेंट के विनिर्माण के लिए जनवरी, 1980 से जुलाई,1983 की अवधि के दौरान स्वीकृत नई क्षमता का 59 प्रतिशत तीन औद्योगिक घरानों नामशः बिड़ला, ए० सी० सी० और जे० के० को आबंटित किया गया था। इस रिपोर्ट में आगे उल्लेख किया गया है कि सीमेंट के विनिर्माण के लिए 38 लाइसेंस सरकार द्वारा इस अवधि में जारी किये गये थे, जिनमें 8 बिड़ला को, ए० सी० सी० और ले० के० प्रत्येक को 4 दिए गए थे। इसी रिपोर्ट के अनुसार इन लाइसेंसों में उपर्युक्त अवधि के दौरान स्वीकृत कुल नई क्षमता को क्रमशः 25%, 17% और 13% क्षमता आ गई।

उद्योग मंत्रालय से यथा सुनिश्चित तथ्यपूर्ण स्थिति यह है कि जनवरी, 1980 से जुलाई 1983 की अवधि में इस आशय के 45 नये पत्रों को सीमेंट के विनिर्माण के लिए जारी किया गया था। आशय के इन नये पत्रों में से, 5 बिड़ला औद्योगिक घरानों, 3 ए० सी० सी० और 4 जे० के० औद्योगिक घराने को दिए गये थे। आशय के इन पत्रों द्वारा आच्छादित क्षमता, कुल क्षमता का क्रमशः 8 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 8 प्रतिशन थी। जनवरी, 1980 से जुलाई, 1983 की अवधि में स्वीकृत सीमेंट के विनिर्माण के लिए नई क्षमता के 21 प्रतिशत को माननीय सदस्य द्वारा निर्दिष्ट तीन औद्योगिक घरानों के पक्ष में अनुमोदित किया गया था।

माननीय सदस्य द्वारा निर्दिष्ट आपत्तियों के सम्बन्ध में. 30-6-1984 को 'बिजनेस स्टेण्डर्ड' में प्रकाशित रिपोर्ट में दिखलाई देता है कि वे कतिपय अन्य प्रस्तावों से सम्बन्ध है तथा सीमेंट विनिर्माण की नई क्षमता को स्वीकृति के मामलों से नहीं है।

(ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापाकि व्यवहार अधिनियम, के उपबन्धों को पहले ही प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है।

वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के बारे में राष्ट्रीय नीति

347. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 जून, 1984 के फाइनेन्सियल एक्सप्रैस में "वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के बारे में राष्ट्रीय नीति के लिए आवाहन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या सरकार एक पथक सकारात्मक कदम के रूप में शोरे तथा अल्कोहल के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगायेगी तथा पेट्रोल में 20 प्रतिशत अल्कोहल के मिलाये जाने के आदेश जारी करेगी जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था ;

(ग) क्या सरकार कोयले को ईधन तेल में परिवर्तित करने की कोई परियोजना प्रारम्भ करेगी ;

(घ) क्या सरकार फालतू प्राकृतिक गैस को भरने तथा गैस प्रज्जवलन को समाप्त करने के लिए उच्च प्राथमिकता के आधार पर एककों की स्थापना करेगी ; और

(ङ) क्या सरकार ग्रामीण, पहाड़ी क्षेत्रों में राज सहायता प्राप्त दरों पर एल० पी० जी० अन्य तथा ईधन सप्लाई करेगी तथा जिससे वनो एवं उनके परिणामस्वरूप आने वाली बाढ़ों को रोका जा सकें ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां । एफ० आई० सी० सी० आई० अर्थात् भारतीय वाणिज्यिक तथा उद्योग मण्डल संघ ने (फरवरी, 1983 में बम्बई में उनके द्वारा आयोजित की गई कार्यशाला के आधार पर) नए तथा नवीकरणीय ऊर्जा के विकल्पों के बारे में एक रिपोर्ट तयार की थी । सरकार ने उन अधिकांश सिफारिशों पर कार्यवाही की है जिन्हें अल्पावधि में क्रियान्वित किया जा सकता है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) अन्य बातों के साथ-साथ भारत में और अन्य देशों में कोयले को परिवर्तित करने की प्रौद्योगिक की कला की स्थिति तथा आगे अनुसंधान कार्य करके देश में इस प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए सिफारिश करने हेतु कोयले को गैस तथा द्रव्य ईधनों में परिवर्तित करने के संबंध में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया था । विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट की जांच की जा रही है ।

(घ) प्राकृतिक गैस को उसी रूप में एल० पी० जी० सिलेंडरों में नहीं भरा जा सकता । तथापि, प्राकृतिक गैस का प्रज्वलन न्यूनतम करने के लिए उपाय शुरु किए गए हैं ।

(ङ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

टी०ए०एक्स सरकिट, इन्दौर के साथ विदिशा ट्रंक एक्सचेंज का जुड़ा होना

348. **श्री प्रताप भानु शर्मा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदिशा ट्रंक एक्सचेंज "टी० ए० एक्स" सरकिट इन्दौर से जुड़ा हुआ है और यह महत्वपूर्ण ट्रंक सरकिट बहुधा खराब रहता हैं ?

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा गत छः महीनों के दौरान "टी० ए० एक्स" चेंज द्वारा कितनी शिकायतें दर्ज कराई हैं : और

(ग) इस प्रणाली में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी हां । विदिशा ट्रंक एक्सचेंज की एक्ल आपरेटर ट्रंक डायलिंग (ओटीडी) सर्किट के जरिए इंदौर टी० ए० एक्स के साथ जोड़ा गया है । यह सर्किट 72 प्रतिशत या अधिक कार्य कुशलता के साथ संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है ।

(ख) ओ० टी० डी० सर्किट विदिशा और भोपाल के बीच एक ओपनवायर कैरियर प्रणाली पर प्रदान किया गया है । और इसका विस्तार भोपाल से माइक्रोवेव प्रणाली पर इन्दौर तक किया गया है ओपनवायर कैरियर प्रणाली दोषों और गड़बड़ियों के लिए असुरिक्षित है। पिछले छः महीने के दौरान दोषों के 98 मामले रिकार्ड किए गए ।

(ग) ओपनवायर लाइन और कैरियर प्रणाली के अनुरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस समय ओपनवायर लाइन कैरियर प्रणाली के बदलने के लिए विदिशा और भोपाल के बीच एक तंगपट्टी माइक्रोवेव प्रणाली की स्थापना की जा रही है । इससे सर्किट की कार्य कुशलता में 90 प्रतिशत से अधिक सुधार आएगा ।

मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास

349. **टी० एस० नेगी** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मुक्त कराए बंधुआ मजदूरों में से केवल 41.2 प्रतिशत का ही पुनर्वास किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ राज्यों में केन्द्र द्वारा देर से धन दिए जाने के कारण विलम्ब हुआ है ; और

(ग) क्या सरकार श्रमिकों विशेषकर बाल मजदूरों, नैमित्तक कर्मचरयों और विकलांग मजदूरों के लिए एक पूर्णकालिक आयोग स्थापित करेगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) हाल ही में मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्र द्वारा संचालित योजना के मूल्यांकन संबंधी योजना आयोग की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 30.6.1981 की स्थिति के अनुसार मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों में से केवल 41.2 प्रतिशत श्रमिकों को पुनर्वासित किया गया है । तथापि, राज्य सरकारों से प्राप्त नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार पता लगाए गए और मुक्त कराए गए कुल 1,66,266 बंधुआ श्रमिकों में से 31.5.1984 की स्थिति के अनुसार 1,26,295 बँधुआ श्रमिकों को पुनर्वासित किया गया है तथा पुनर्वास की प्रतिशतता लगभग 76 प्रतिशत है ।

(ख) राज्य सरकारों को धनराशि प्रदान करना पुनर्वास योजनाओं को तैयार करने, उन पर विचार तथा उन्हें मंजूरी देने और पहले प्रदान किए गए अनुदानों के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में राज्य सरकार की मुस्तैदी पर निर्भर करता है। केन्द्र द्वारा धन-राशि को प्रदान करने में देरी के कोई उदाहरण नहीं हैं।

(ग) ऐसा आयोग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी टेलीफोन सेवा शुरु करने का प्रस्ताव

350 **श्री नवीन रावपी**: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी टेलीफोन सेवा शुरु करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां तो इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है और इससे जोड़ें जाने वाले संभावित शहरों के नाम क्या हैं ; और

(ग) यह सुविधा कब तक मुहैया हो जाने का अनुमान है ?

सन्चार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी हां, भारत और पाकिस्तान के बीच सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की सुविधा प्रारम्भ करने के संबंध में एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(ख) सिगनल-संगतता मार्ग-योजना और प्रभार-योजना के लिए तकनीकी व्यवस्था तैयार की जा रही है। उपरोक्त तकनीकी कठिनाइयां हल हो जाने पर, इस मामले की इस दृष्टि से और आगे जांच की जाएगी कि किन-किन नगरों के साथ यह सेवा प्रदान की जा सकती है।

(ग) फिलहाल, इस संबंध में समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

औषधि निर्माताओं से अनभिप्रेत लाभ की वसूली

351. **श्री आनन्द सिह** :

श्री नवल किशोर शर्मा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न औषधि निर्माताओं से अनभिप्रेत लाभ की वसूली के लिए गत चार वर्षों के दौरान कोई विशेष कदम उठाए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न औषधि निर्माताओं को अनुमानत कुल कितना अनभिप्रेत लाभ हुआ है, और

(ग) इन निर्माताओं से अब तक कितने अनभिप्रेत लाभ की वसूली कर ली गई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) डेक्सामेथासोन, जेन्टामाइसिन क्लोकाजीमाइन, मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडांजोल बेजाक्सीलेट, एम्पिसिलिन ट्राइहाइडेट एम्पिसिलिन ट्राइहाइड्रेट, एम्पिसिलिन एनहाइडस, एमाक्सीसिलिन ट्राईहाइड्रेट, सलबुटामोल, फ्लुसिनोलोन, एस्टोनामाइड पर आधारित फार्मूलेशनों के उत्पादकों तथा प्रपुंज औषध एस्प्रिन, विटामिन "ए" डेपसोन तथा क्लोरेपक्विन फास्फेट के उत्पादकों से अनभिप्रेत लाभ की वसूली के नोटिस जारी किए गए है ।

इनमें से अनेक मामलों में अनभिप्रेत लाभ के ब्यौरे उपलब्ध सूचना के आधार पर तैयार किए गए है और सम्बन्धित पक्षों को सूचित कर दिए गए है शेष वसूली यदि कोई हो, की प्रक्रिया चल रही है ।

आधी दर वाली रियायती एस० टी० डी० कालों की समय सीमा में कमी

श्री आनन्द सिंह :

श्री के० ए राजन :

श्री माधवराव सिन्धिया : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कार्य दिवसों में रियायती आधे दर के ट्रंक टेलीफोन कालों के समय में भारी कटौती करके 7.00 बजे सांय से 8.00 बजे प्रातः के समय को 10.00 बजे रात्रि से प्रातः 5.00 बजे तक कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस परिवर्तन के मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ग) समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों पर ट्रंक टेलीफोन सुविधा में किए गए इस परिवर्तन से क्या असर पड़ेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी हां ।

(ख) रियायती दर अवधि में परिवर्तन रात्रि में पर्याप्त मात्रा में प्रचालन कर्मचारियों को लगाए जाने की कठिनाई दूर करने की दृष्टि से किया गया है ।

(ग) इस व्यवस्था में परिवर्तन के कारण समाज के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों पर ट्रंक टेलीफोन सुविधा के इस्तेमाल में कोई कठिनाई नहीं हुई है क्योंकि रियायती दर अवधि पूर्णरूपेण समाप्त नहीं की गई है । एस० टी० डी० सेवा के प्रभार में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

"डेसू" को एक अमेरिकी फर्म द्वारा प्रदूषणरोधी उपकरण की सप्लाई

353. **श्री आनन्द सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक अमेरिकी-फर्म द्वारा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को

सप्लाई किया गया प्रदूषणरोधी उपकरण इन्द्रप्रस्थ बिजली घर से निकलने वाले धुंए और राख से वायु-प्रदूषण की रोक-थाम करने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस अमेरिकी फर्म ने इसी असफलता की जिम्मेदारी स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है; और

(ग) अमेरिकी-फर्म के इस उत्तर पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : प्रदूषण रोधी उपस्कर प्रतिष्ठापित कर देने फलस्वरूप इन्द्रप्रस्थ केन्द्र की चिमनियों से धूल के निकास को कम कर पाना सम्भव हो सका है किन्तु यह पूरी तरह सफल नहीं हुआ है ।

(ख) तथा (ग) हाल ही में फर्मा डेसू के साथ बकाया मद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए सहमत हो गई हैं, ताकि उन्हें हल किया जा सके ।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० को ऋण लाइसेंस दिये जाना

354. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटी औषध यूनिटों के लिए इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटीकल्स लि० को दिए गए ऋण लाइसेंसों का ब्योरा क्या है;

(ख) इन ऋण लाइसेंसों में आधार पर गत तीन वर्षों के दौरान उन यूनिटों द्वारा तैयार कराए गए उत्पादों के नाम और उनकी मात्रा कितनी है; और

(ग) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटीकल्स द्वारा छोटी यूनिटों को दी गई कीमत की तुलना में बाजार में किस मूल्य पर बेचा गया तथा इससे इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स को कितना अनपेक्षित लाभ हुआ है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

ईंट-भट्टा मजदूरों के कल्याण के लिए व्यापक विधान

355. **श्री चितामणि जेना** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईंट-भट्टा उद्योग में त्रिपक्षीय समिति ईंट-भट्टा कर्मचारियों के कल्याण के लिए अलग से एक व्यापक विधान बनाये जाने की आवश्यकता पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में दिए गए सुझावों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यह विधान कब तक पुरःस्थापित कर दिए जाने की आशा है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (ग) ईंट भट्टा उद्योग सम्बन्धी त्रिपक्षीय समिति ने इस मामले में अपनी रिपोर्ट सरकार को अभी तक प्रस्तुत नहीं की है।

वर्ष 1984-85 के दौरान कोयले की अनुमानित आवश्यकता और उसका उत्पादन लक्ष्य

356. **श्री चितामणि जैना** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के लिए कोयले की अनुमानित आवश्यकता कितनी है;

(ख) इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए 1984-85 में कोयले के कितने उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है;

(ग) क्या यह सच है कि पहले निर्धारित किए गए लक्ष्य में कमी की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसमें कितनी कमी की गई है; और उसके क्या कारण है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में, छठी पंचवर्षीय योजना अन्तिम वर्ष अर्थात 1984-85 के लिए 165 मि० टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। परन्तु, वार्षिक योजना को अन्तिम रूप देते समय उपभोक्ता क्षेत्रों की कोयले की मांग का हर वर्ष निर्धारण किया जाता है और उत्पादन के लक्ष्य उसी के अनुसार वार्षिक आधार पर तय किए जाते हैं। वर्ष 1984-85 के लिए कोयले की मांग अब 155.70 मि० टन निश्चित की गई है। इस मांग को पूरा करने के लिए 1984-85 का कोयला उत्पादन लक्ष्य 152 मि० टन निश्चित किया गया है। बाकी मात्रा खान मुहाना स्टाकों से कोयला लेकर पूरी की जाएगी। कुछ कोकिंग कोयला आयात भी किया जाएगा।

पेट्रोलियम उत्पादों, पेट्रोल और खाना पकाने की गैस के मूल्यों में वृद्धि

357. **श्री आर० आर० भोले** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून के महीने में बंबई, दिल्ली और अन्य राज्यों में पेट्रोलियम उत्पादों, पेट्रोल और खाना पकाने की गैस के मूल्यों में वृद्धि की गई है और इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या इसके कारण लोगों को कठिनाई हुई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : जी, नहीं। बिक्री कर/स्थानीय शुल्क लगने के कारण तेल कम्पनियों को कम वसूलियां होने के कारण उनके

द्वारा कुछ समय के लिए सहन की जा रही हानियों की प्रतिपूर्ति करने के लिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक और ग्रेटर बम्बई में 1-6-1984 से भिन्न-भिन्न दरों पर मूल्य बढ़ाने दिए गए थे।

(ख) मूल्य में बढ़ोत्तरी केवल सीमान्त थी। पंजाब में पेट्रोल के लिए मूल्य वृद्धि प्रति लिटर में 1 पैसा और बम्बई में प्रति लिटर में 2 के स्तर की रही है। पंजाब में एल० पी० जी० के 14 2 किलोग्राम वाले सिलेण्डर में 8 पैसे और बम्बई में 97 पैसे की मूल्य वृद्धि रही है।

उच्च न्यायालयों में लंबित रिट याचिकाएं

358. **श्री आर० आर० भोले** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक उच्च न्यायालय में वर्ष 1970 से वर्ष 1984 तक वर्षवार कितनी रिट याचिकाएं लंबित रही हैं ; और

(ख) प्रत्येक उच्च न्यायालय में वर्ष 1970 से वर्ष 1984 तक वर्षवार कितनी रिट याचिकाएं फाइल की गईं ?

विधि; न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकरी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

टेट्रासाइक्लीन और आक्सेटेट्रासाइक्लीन के आयात के माध्यम से अनभिप्रेत लाभ

359. **श्री सत्यनारायण जोटिया** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1982-83 और 1983-84 के दौरान टेट्रासाइक्लीन और इसके लवण तथा आक्सेटेट्रासाइक्लीन का पशु आहार के रूप में भारी मात्रा में आयात किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस प्रकार आयात की गई यह मदें मानव उपयोग में भी आ सकती हैं;

(ग) स्वदेशी उत्पादन के लिए इसका सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य की तुलना में आयात मूल्य का ब्यौरा क्या है, और

(घ) औषधि उद्योग में अनन्तिम उपभोक्ताओं के रूप में इनका उपयोग करने वाले के ब्यौरे क्या हैं, तथा इन मदों का औषधि निर्माण के लिए उपयोग करके उन्हें होने वाले अनभिप्रेत लाभ को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (घ) मेरे मंत्रालय का 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान (टेट्रामाइक्लिन और आक्सेटेट्रासाकलिन को पशु आहार संपूरक के रूप में जो मानव उपयोग में भी आ सकती है आयात किये जाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

सरकारी क्षेत्र के फार्मास्यूटिकल उपक्रमों की क्षमता का कम उपयोग

360. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के अनेक औषधि उपक्रम अपनी क्षमता से नीचे कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं,

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) जी, हां। विपणन बाधाओं, पावर की कमी और प्रौद्योगिकीय समस्याओं सहित विभिन्न कारणों से स्थापित क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जा सका।

आई० डी० पी० एल० द्वारा औषध कम्पनियों को कच्चे माल की सप्लाई

361. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल लि० औषध कम्पनियों को कच्चा माल देने से इन्कार करता है, और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री बंसत साठे) : (क) इन्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० उपलब्धता की शर्त पर अन्य औषध कम्पनियों को कच्चे माल की आपूर्ति करता रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

टेलीफोन कालों के गलत और बढ़े बिलों के बारे में शिकायतें

362. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** :

प्रो० मधु दण्डवते : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई, कलकत्ता और नई दिल्ली से टेलीफोन कालों के गलत और बढ़े बिलों के बारे में वर्ष 1983 के दौरान कितनी शिकायतें मिली हैं ;

(ख) वर्ष 1984 के पहले छः माह में कितनी शिकायतें निबटायी गयी हैं ; और

(ग) बिलों के बढ़ाये जाने और गलत कालों को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) टेलीफोन वालों के गलत एवं अधिक राशि के बिल भेजने के बारे में वर्ष 1983 के दौरान प्राप्त किश कायतों की संख्या इस प्रकार है :

बम्बई = 2744

कलकत्ता = 7423

नई दिल्ली = 13862

(ख) 1984 के प्रथम छः माह के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या इस प्रकार हे।

बंम्बई = 1187

कलकत्ता = 5714

नई दिल्ली = 7736

(ग) निम्नलिखित कारणों से गलत या अधिक राशि के बिल जारी हो सकते हैं।

1. लिपिकीय भूल

2. तकनीकी दोष

लिपिकीय भूलों से बचने के लिए सभी यूनिटों को पहले ही अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि बिल बनाते समय उचित सावधानी बरती जाए तथा गलती,यदि कोई हो तो, को तुरन्त ठीक करें और जहां कहीं आवश्यक हो उपभोक्ता को संशोधित बिल जारी किए जाएं। इसके अतिरिक्त, परिकलन में होने वाली गलतियों को दूर करने के लिए बंबई, कलकत्ता, दिल्ली एवं कद्रास के चार महानगरीय जिलों में टेलीफोन बिल बनाने एवं लेखा विधि का कार्य कमप्यूटरीकृत किया गया है।

जहां तक तकनीकी दोषों का संबंध है, इस बारे में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) क्रांसबार एक्सचेंजों में पाजिटव बैटरी मोटरिंग पद्धति शुरू करना।

(2) दिन एवं रात के प्रभारों के स्वचल-ओवर की व्यवस्था।

(3) उपभोक्ता द्वारा डायल की गई ट्रक कालों के संबंध में काल किए गए उपभोक्ता द्वारा होल्ड करने पर फोर्सड रिलीज अवधि एक से दो मिनट से कम करके 10 से 20 सैकिंड करना।

(4) काल किए गए उपभोक्ता की उत्तर परिस्थिति को मान्यता देने के लिए ट्रक स्वचल एक्सचेंजों में 500 मिलि सेकिंड विलंब शुरू करना ; और

(5) उपभोक्ता के मीटरों की नियमित जांच ।

उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए तथा मीटर या लाइन में शरारती तत्वों द्वारा हस्तक्षेप को रोकने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त उपाय किए हैं :—

(क) मीटरो को सील करना ।

(ख) मीटर रूम को ताला लगाना ।

(ग) एम० डी० एफ रूम (मेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम रूम) में प्रवेश पर रोक लगाना ।

(घ) डिस्ट्रीब्यूशन प्वाइंटों को ऊपर उठाना ।

(ड़) डिस्ट्रीब्यूशन प्वांइटों को ताला लगाना ।

ठीक तरह से डायल न करने या खराब उपकरण के कारण गलत काल मिल सकती है। उपभोक्ता उपकरण के सही रूप में कार्य करने के लिए उसकी तिमाही जांच करने के बारे में स्थायी अनुदेश हैं ।

कभी कभी पावर न होने के कारण उपस्कर का वातानुकूल संयंत्र फेल हो जाता है तो एक्सचेंज उपस्कर की वजह से भी गलत काल मिल जाती है। नए इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में सहायक इंजिन आल्टरनेटरों की व्यवस्था भी की गई है ताकि पावर फेल हो जाने पर वतानुकूल संयंत्र का भार भी इस पर डाला जा सके।

गलत कालों को रोकने के लिए एक्सजेंज उपस्कर की नियमित जांच की जाती है।

सरकार के पास समझौते के लिए लम्बित पड़े विवादों का ब्यौरा

363. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते :**

प्रो० मधु दण्डवते : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के पास सरकारी कर्मचारियों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के समझौते और निबट:रे के लिए पड़े विवादों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विवादों का ब्यौरा क्या है तथा उन विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या है जिनसे यह विवाद सम्बन्धित है और निबटारे के लिए कब से लम्बित पड़े हैं ;

(ग) क्या इनमें से किसी विवाद का निबटारा हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबन्धों के अनुसार, विवादों के संराधन का कार्य केवल मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) संगठन के अधिकारों को सौंपा गया है। 1983 में मुख्य श्रमायुक्त के संगठन द्वारा निपटाए गए विवादों की कुल संख्या के बारे में सूचना निम्नलिखित है :

औद्योगिक विवादों की संख्या

(1) निपटाए गए	8,537
(2) औद्योगिक संराधन कार्यवाही किए बिना निपटाए गए	3,900
(3) संराधन में निपटाए गए	838
(4) जिनमें संराधन विफल हुआ	2,056

संगठन द्वारा सरकारी विभागों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र से संबंधित अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

सानन तेल क्षेत्र में तेल कूप में आग लगना

364. **श्री राजेश कुमार सिंह :**

श्री त्रिलोक चन्द्र : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में सानन तेल क्षेत्र में एक तेल कुएं में आग लगने से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कुछ कर्मचारियों की मृत्यु हो गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि उक्त घटना की कोई जांच की गई थी, तो उसके क्या परिणाम निकले तथा सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गागीं शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) 30 मई, 1984 को 14.40 बजे कूप नं० सानन्द-65 में आग लग गई जब कम्प्रेसर की सहायता से इस कुएं को सक्रिय किया जा रहा था। इस दुर्घटना में चार व्यक्ति मर गए। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा इस दुर्घटना की जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर उपयुक्त कार्यवाई की जायेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे एयरोजैनरेटरों के लिए एजेंसियों को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव

365. **श्री दीन बन्धु वर्मा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पैमाने पर उपयोग के लिए 1-3 किलो-वाट की क्षमता वाले छोटे एयरोजैनस्टर लगाने के लिए एजेंसियों को प्रोत्साहित करसे का प्रस्ताव है ;

(ख) सरकार ऊर्जा उत्पादन के एस तरीके को किस प्रकार लोकप्रिय बनाएगी ; और

(ग) विशेषकर राजस्थान के संदर्भ में इनका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत कुछ स्थानों पर भिन्न-भिन्न वायु दशाओं में तकनीकी-आर्थिक विस्तार के लिए 1-3 किलोवाट एयरोजैनरेटरों का क्षेत्रीय परीक्षण किया जा रहा है । राजस्थान सहित देश के विभिन्न भागों में इन युक्तियों को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रदर्शन कार्यक्रम प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है ।

उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायमूर्तियों और न्यायाधीशों के रिक्त पद

366. **श्री सुभाष चन्द्र यादव : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायामूर्तियों और न्यायाधीशों के कई पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) उच्च न्यायालयों के नाम क्या हैं और वहां कितने पद रिक्त हैं ;

(ग) उक्त रिक्त पदों को न भरे जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन सभी रिक्त पदों की कब तक भर लिया जाएगा ?

विधि, न्याय कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) 20.7.1984 को जो स्थिति थी उसके अनुसार और विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद दर्शित करने वाला विवरण संलग्न है ।

उक्त तारीख को इलाहाबाद, आंध्र प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश तथा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायमूर्तियों के पद रिक्त थे और वहां कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति कार्य कर रहे थे ।

(ग) और (घ) सरकार, उच्च न्यायलयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के विषय में, संबंद्ध सांविधानिक प्राधिकारियों से परामर्श करके, विचार कर रही है। यह बताना सम्भव नहीं है कि सभी रिक्त पद कब तक भर लिए जाएंगे ।

विवरण

20.7.1984 की जो स्थिति थी उसके अनुसार देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद दर्शित करने वाला विवरण :

क्रम सं०	उच्च न्यायालय	रिक्त पद
1.	इलाहाबाद	4
2.	आंध्र प्रदेश	5
3.	बम्बई	5
4.	कलकत्ता	1
5.	दिल्ली	—
6.	गौहाटी	1
7.	गुजरात	2
8.	हिमाचल प्रदेश	1
9.	जम्मू-कश्मीर	3
10.	कर्नाटक	—
11.	केरल	4
12.	मध्य प्रदेश	2
13.	मद्रास	5
14.	उड़ीसा	1
15.	पटना	1
16.	पंजाब और हरियाणा	5
17.	राजस्थान	3
18.	सिक्किम	—
	योग :	43

डाक सेवाओं की कार्यकुशलता में गिरावट

367. **श्री एन० के० शेजवलकर :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक सेवाओं में कार्य कुशलता में दिन प्रतिदिन कमी आती जा रही है ;

(ख) क्या पत्र उचित समय पर नहीं पहुंचते और कई बार तो पचहुंते ही नहीं हैं और पार्सल गुम हो जाते हैं चोरी कर लिए जाते हैं ;

(ग) क्या तार भी इतनी देर से पहुंचते हैं कि उनका उद्देश्य समाप्त हो चुका होता है और कई तार तो "डाक" से भेज दिए जाते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है और तारों का शुल्क भी वापस नहीं किया जाता; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यह कार्य विश्वसनीय और कुशल गैर-सरकारी एजेंसियों को सौंपने का है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। कुछ छुट-पुट मामलों को छोड़कर जब कभी ऐसे मामले ध्यान में आते हैं, तो उचित जांच की जाती है और उपचारी कार्यवाई की जाती है। कुल संचालित परियात को देखते हुए ऐसी शिकायतों का प्रतिशत नगण्य है।

(ग) कभी-कभी देर में पहुंचने वाले तारों का प्रतिशत बहुत ही कम है और ऐसा लाइन में व्यवधान होने, मध्यस्थ पारगमन कार्यालय के बंद रहने के कारण होता है अथवा आखरी उपाय के बतौर जब उन्हें मजबूरन डाक द्वारा भेजना पड़ता है। ऐसा तभी किया जाता है जब खराबी के कारण तार लाइन में काफी लम्बे समय से व्यवधान हो या लम्बे समय तक बिजली खराब रहे व बिजली की कटौती अथवा कर्मचारीयों काफी अधिक संख्या में अनुपस्थित रहें। विभागीय नियमों में एक्सप्रेस तार में 24 घंटों से अधिक तथा सामान्य तार के मामलों में 48 घंटे से अधिक विलम्ब होने पर तारों की लागत स्वयं लौटाने की व्यवस्था है। शिकायतें प्राप्त होने पर भी शुल्क लौटाया जाता है। तथापि, यदि तार भेजने वाला तार की बुकिंग करते समय इस बात से वाकिफ हो जाए कि तार पहुंचने में विलम्ब हो सकता है, तो शुल्क नही लौटाया जाए।

(घ) यह कार्य किसी प्राइवेट एजेंसी को सौंपने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

ऊर्जा क्षेत्र के लिए पृथक वित्त निगम की स्थापना

368. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बिजली क्षेत्र के लिए अलग से एक वित्त निगम की स्थापना करने हेतु सुझाव देने के लिए एक अन्तर अनुसचिवीय दल नियुक्त किया है :

(ख) यदि हां, तो क्या उसका प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खाँ) : (क) से (ग) विद्युत वित्त और विकास निगम स्थापित करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अन्त: मन्त्रालय बैठकों मे विचार-विमर्श किया गया है। प्रस्तावित विद्युत वित्त और विकास निगम से संबंधित ब्यौरे की अभी जांच की जा रही है।

बागमती नदी के ऊपर नुनथर पर बहुउद्देशीय बांध का निर्माण

369. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या ऊर्जा मन्त्री भारत-नेपाली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में 8 मई, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10:40 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार द्वारा बागमती नदी के ऊपर बहु-उद्देशीय नुनथर बांध के निर्माण की पेशकश की गई थी :

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या बहु-उद्देश्य और प्रमुख रूप से पन-बिजली परियोजनाओं के लिए समस्त कोसी बेसिन का किसी जापनी दल द्वारा सर्वेक्षण किया जा रहा था ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या किसी संसद सदस्य ने नेपाल का दौरा किया था तथा वहां के मन्त्रियों तथा अधिकारियों से कोई उपयोगी ठोस बातचीत की गई थी, और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आगे क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (**श्री आरिफ मोहम्मद खां**) : (क) और (ख) नुनथेर में बागमती नदी पर 105 मीटर ऊंचे बांध और 140 मेगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता वाल विद्युत केन्द्र के निर्माण हेतु नेपाल की महामहिम सरकार ने बागमती बहूउद्देश्यीय परियोजना के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया था । परियोजना पर भारत और नेपाल के बीच बिचार-किमर्श किया जा रहा है ।

(ग) और (घ) इस सम्बन्ध में नेपाल की महामहिम सरकार से कोई औपचारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ङ) और (च) विद्युत विभाग ने नेपाल की महामहिम सरकार के साथ विचार-विर्मश करने के लिए संसद सदस्यों का कोई दल नहीं भेजा है ।

दिल्ली में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों का आबंटन

370. **श्री सज्जन कुमार** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में बहुत से व्यक्तियों ने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों के लिए आवेदन किया है लेकिन उनको अभी तक सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों का आबंटन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रत्येक एक्सचेंज में सार्वजनिक टेलीफोन के लिए लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या क्या है तथा इसके क्या कारण हैं तथा उनको किस समय तक सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों का आबंटन कर दिया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी हां ।

(ख) सार्वजनिक टेलीफोन प्रत्येक मामले की उपयुक्तता के आधारपर प्रदान किए जाते हैं । इनकी मंजूरी सार्वजनिक टेलीफोनघर के लिए केबिल पेयर तथा अतिरिक्त एक्सचेंज क्षमता उपलब्ध होने पर दी जाती है ।

(ग) दिल्ली टेलीफोन के प्रत्येक एक्सचेंज में लम्बित सार्वजनिक टेलीफोनघरों के लिए आवेदनों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है । इन मामलों की जांच की जाएगी और सार्वजनिक टेलीफोन 1987-88 तक उत्तरोत्तर प्रदान किए जाएंगे जो तकनीकी व्यवहार्यता एवं मामले की उपयुक्तता पर निर्भर करता है ।

विवरण

अनुबन्ध

दिल्ली टेलीफोन प्रणाली के प्रत्येक एक्सचेंज में सार्वजनिक टेलीफोनघरों के लिए लंबित आवेदनों की संख्या दर्शाने वाला विवरण ।

एक्सचेंज का नाम	लंबित आवेदनों की संख्या
दिल्ली गेट	219
ईदगाह	98
शाहदरा	952
शाहदरा पूर्व	425
गाजियाबाद	101
जोर बाग	16
जनपथ	6
सचिवालय, कनाट प्लेस एवं राजपथ	शून्य
राजौरी गार्डन]	758
जनकपुरी	147

1	2
कैन्ट	3
करोल बाग	14
होज खास	548
फरीदाबाद	132
नेहरू प्लेस	38
चाणक्यपुरी	37
ओखला	386
शक्ति नगर	152
तीस हजारी	39

दिल्ली में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार

371. **श्री सज्जन कुमार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार की दिल्ली में टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार की एक योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन एक्सचेंजों के नाम क्या हैं जिनका विस्तार करने का विचार है और इनमें प्रत्येक एक्सचेंज में वर्ष 1984-85 में कितनी लाइनों का विस्तार किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी हां।

(ख) अपेक्षित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1984-85 में दिल्ली के एक्सचेंजों का विस्तार कार्यक्रम

क्र० सं०	एक्सचेंज का नाम	किस्म	लाइनों की संख्या
1.	ईदगाह-Iv	इलेक्ट्रोनिक	10000 26-6-1984 कोपहले ही चालू कर दिया गया।

1	2	3	4
2.	तीस हजारी-Iv	,,	10000
3.	नेहरू प्लेस-III	,,	10000
4.	करौलबाग-Iv	,,	10000
5.	सेना भवन	,,	10000
6.	किदवई भवन	,,	10000
7.	चाणक्यपुरी-I	क्रासवार	1000 (7400-840)
8.	जनपथ-II	,,	1000 (5000-6000)
9.	शाहदरा पूर्व-II	,,	1000 (1000-2000)
10.	तीस हजारी-III	,,	2000 (18000-20000)
11.	बल्लभगढ़	स्ट्रोजर	1500
12.	नरेला	,,	100 (600-700)
13.	नजफगढ़	,,	200 (300-500)
14.	बादली	,,	200 (400-600)
			67,000 लाइनें

दिल्ली की जे० जे० कालोनियों और पुनर्वास कालोनियों में सार्वजनिक टेलीफोन लगाना

372. **श्री सज्जन कुमार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तार विभाग ने जे० जे० कालोनियों और गन्दी बस्तियों में उदारता से सार्वजनिक टेलीफोन लगाने की योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली की जे० जे० कालोनियों और पुनर्वास कालोनियों में सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के लिए तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कालोनियों में वर्ष 1984-85 के दौरान कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले जाएंगे ?

सन्चार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली की जे० जे० कालोनी और पुनर्वास कालोनियों में सार्वजनिक टेलीफोन घर प्रदान किए जा रहे हैं बशर्ते कि क्षेत्र में सार्वजनिक टेलीफोन घरों के लिए अतिरिक्त एक्सचेंज क्षमता और केबिल पेयर उपयुक्त तथा उपलब्ध हो जाएं ।

(ग) 1984-85 के दौरान इन कालोनियों में प्रदान किए जाने वाले प्रस्तावित नए सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या निर्धारित की जा रही है और इसे सदन के सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

क्षेत्रीय चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति

373. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चुनाव आयोग ने आगामी लोक सभा चुनावों के लिए पांच क्षेत्रीय आयुक्त नियुक्त करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जी हां ।

(ख) इस प्रस्ताव पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है । निर्वाचन आयोग से इस विषय में कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए हैं । स्पष्टीकरणों की प्राप्ति के पश्चात ही कोई विनिश्चय किया जाएगा ।

मै० एस्कोर्टस लि० की असाधारण आम बैठकें

374. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एस्कोर्टस को हाल ही में हुई असाधारण आम बैठकों की ओर ध्यान दिया है जिन्हें विद्यमान कम्पनी अधिनियम, 1956 में संशोधन करने और ऐसी बैठकें आयोजित करने के लिए विद्यमान उपबन्धों को सरल बनाने की दृष्टि से कई बार स्थगित होना पड़ा;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्थगित बैठकों को आयोजित करने पर कम्पनी द्वारा अनुमानित कितना खर्च किया गया और यह खर्च कितने वहन किया ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) तथा (ख) सरकार

ने मैसर्स एस्कोर्टस लिमिटेड की असाधारण आमसभाओं की बैठकों के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में छपी रिपोर्टों को देखा है। इस प्रकार की बैठकों का संयोजन एवं सम्पन्न करने तथा उनके स्थगित किये जाने को सम्मिलित करते हुए, ये मामले कम्पनी के आन्तरिक प्रशासन से सम्बन्धित हैं तथा इसके शेयरधारियों को कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों की अनुरूपता के अनुसार निर्णय करना है। इस प्रकार की बैठकों के विषय में जो कम्पनी द्वारा सम्पन्न की जाए, उसके लिए सरकार को कोई रिपोर्ट न दी जाती है न पूर्व अनुमति ली जाती है। इसलिए सरकार को, इन बैठकों में क्या घटित हुआ, की प्रमाणिक सूचना नहीं है।

कम्पनी की महासभा (असाधारण महासभा की बैठक सहित) ही ऐसा मंच है, जहां इसके शेयरधारी कम्पनी से सम्बन्धित किसी भी मामले में अपनी राय-व्यक्त कर सकते हैं। कम्पनी द्वारा असाधारण महासभा की बैठक को सम्पन्न एवं संयोजन की पद्धति और प्रक्रिया की कम्पनी अधिनियम, 1956 में पर्याप्त रूप से व्यवस्था है इसलिए इस सम्बन्ध में इस समय कम्पनी अधिनियम के सम्बन्धित उपबन्धों में संशोधन करना आवश्यक नहीं समझा जाता है।

(ग) सरकार को स्थगित बैठकों को सम्पन्न करने के सम्बन्ध में किए गए खर्च की जानकारी नहीं है। इस प्रकार की बैठकों को सम्पन्न करने पर व्यय, कम्पनी द्वारा ही अपेक्षी है।

हल्दिया में एक मेट्रो-रसायन काम्पलेक्स की स्थापना

375. **प्रो० रूप चन्द्र पाल :**

श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री सनत कुमार मण्डल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया पश्चिमी बंगाल में मेट्रो-रसायन काम्पलेक्स स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या यह सच है कि माननीय ऊर्जा मंत्री ने संसद को यह आश्वासन दिया था कि उक्त परियोजना को निकट भविष्य में शुरू किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(घ) क्या सरकार ने हल्दिया में प्रस्तावित पेट्रो-रसायन काम्पलेक्स में पूंजी निवेश न करने का निर्णय किया है और पश्चिम बंगाल को विदेशी सहायता लेने के लिए सूचित किया है (हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 27 जून, 1984) और;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) पश्चिम

बंगाल औद्योगिक विकास निगम ने हल्दिया में एक पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना करने का प्रस्ताव किया था। इस निगम को नवम्बर 1977 में एक आशय-पत्र जारी किया गया था।

(ख) सरकार ने यह आश्वासन नहीं दिया था कि परियोजना का काम निकट भविष्य में केन्द्रीय सरकार द्वा·ा शुरू किया जायेगा।

(ग) बताया गया है कि परियोजना प्राधिकारियों द्वारा करीब 1000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है तथा इसका विकास शुरू कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) राज्य सरकार को परामर्श किया गया है कि भारत सरकार के लिए निकट भविष्य में इस परियोजना में भाग लेना सम्भव नहीं होगा और इसलिए राज्य सरकार जैसा अच्छा समझें इसके कार्यान्वियन का काम शुरू करे। संसाधनों की कमी मुख्य कारण था।

चिशुराह टेलीफोन एक्सचेंज में सिंगल ट्रैफिक माइक्रोवेव सिस्टम का कार्य निष्पादन

376. **प्रो० रूप चन्द पाल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चिशुराह टेलीफोन एक्सचेंज में अप्रैल, 1984 से सिंगल ट्रैफिक माइक्रोवेव सिस्टम शुरू कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका दर्जा बढ़ाकर कब तक डबल ट्रैफिक माइक्रोवेव सिस्टम बनाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी हां। चिनसुरा एक्सचेंज में एक आर० एफ० चैनल और दोनों ओर एक सुरक्षा चैनल के साथ माइक्रोवेव प्रणाली 31 मार्च, 1984 को चालू कर दी गई है।

(ख) परियात के आधार पर जैसे ही अतिरिक्त सर्किटों की आवश्यकता होगी, उसमें अतिरिक्त आर० एफ० चैनल जोड़ दिए जाएंगे।

विद्युत उत्पादन का सर्वेक्षण

377. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में वर्ष 1983-84 के दौरान विद्युत उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से कम था;

(ख) यदि हां, तो क्या 1983 में किये गये राज्य-वार सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि आठ राज्यों की कमी में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो सर्वेक्षण रिपोर्ट की अन्य मुख्य बातें क्या हैं और 8 राज्यों में कमी में वृद्धि होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन आठ राज्यों के नाम क्या हैं और वर्ष 1984-85 के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री आरिफ मोहम्मद खा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

अखबारी कागज आबंटन नीति की घोषणा

378. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य व्यापार निगम को निदेश दिया है कि समाचार पत्रों को उनकी अखबारी कागज के आयात की हकदारिता का 50 प्रतिशत अखबारी कागज सप्लाई किया जाये ;

(ख) क्या यह इसलिए आवश्यक था क्योंकि सरकार ने आबंटित नीति की घोषणा चालू वित्तीय वर्ष में जून, 1984 के मध्य तक भी नहीं की थी ;

(ग) आबंटन नीति की घोषणा न किए जाने के क्या मुख्य कारण हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि देश में अखबारी कागज मिलों को समाचार पत्रों को अबाध सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है ;

(ङ) क्या 1984-85 के लिए नीति बनाने में विलम्ब लोक सभा चुनाव, 1985 के लिए अतिरिक्त अखबारी कागज की आवश्यकता को ध्यान में लेने के कारण हुआ ; और

(च) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं कि नीति की घोषणा में विलम्ब का समाचार पत्रों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ें ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) और (ख) जी हां ? राज्य व्यापार निगम को प्रतिवर्ष यह अनुदेश देने की परिपाटी है कि वह समाचार पत्रों की पिछले वर्ष की हकदारी की बाबत उनको तदर्थ अग्रिम आबंटन करे ।

(ग) अन्तर्निहित कुछ मुद्दों का विस्तृत अध्ययन किया जाना जरूरी था । अखबारी कागज आबंटन नीति अब घोषित कर दी गई है ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) जी, नहीं ।

(च) 1984-85 के लिए तदर्थ अग्रिम आबंटन, जो सामान्यतया 1983-84 की उनकी हकदारी का 30 से 50 प्रतिशत है, जारी करके समाचार-पत्रों की आवश्यकताओं को बिना किसी बाधा के पूरा किया जा रहा है ।

गैस पर आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र की स्थापना

379. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये गैस पर आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्रों का जाल बिछाने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस संबंध में अन्तर मन्त्रालय दल द्वारा पारित एक व्यापक प्रस्ताव सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया है ;

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) उक्त प्रस्ताव को कहां तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) प्राकृतिक गैस का खाद तथा पेट्रो-रसायनों के उत्पादन के लिये मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है । इन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए वचनबद्धता और वर्तमान अनुमान के अनुसार उपलब्धता को मद्देनजर रखते हुए विद्युत उत्पादन के लिये गैस की उपलब्धता की जांच की जा रही है । इसकी जांच करने के लिये एक अन्तः-मन्त्रालय दल का गठन किया गया था । प्रस्तावों की जांच की जा रही है ।

लोक सभा निर्वाचनों के लिए औपचारिकताएं पूरी करना

380. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्वाचन आयोग ने 1985 में लोक सभा निर्वाचन के लिए अपने तंत्र का काम आरंभ कर दिया है ;

(ख) क्या यह निर्वाचन कराने से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई ;

(ग) यदि हां, तो क्या निर्वाचन आयोग समय पर निर्वाचन कराने के लिए तैयार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क), (ख) और (ग) निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 1985 में होने वाले लोक सभा निर्वाचनों से संबंधित कार्य के लिए निर्वाचन तंत्र को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है और वह समय पर निर्वाचन कराने के लिए तैयार है। निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा है कि निर्वाचन कराये जाने के लिए विधि द्वारा अपेक्षित आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं उपयुक्त समय पर आरम्भ की जायेंगी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल डाक विभाग में हिन्दी सेवायम के पदों का भरा जाना

381. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक विभाग के केरल मंडल में हिन्दी सेवायम के पदों के न भरे जाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इन पदों को भरने के लिए कोई निश्चित निर्देश जारी करने का है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) केरल सर्किल के डाक विभाग में "हिन्दी सेवायम" का कोई पद नहीं है। तथापि, केरल डाक सर्किल कार्यालय में हिन्दी का कार्य करने के लिए निम्नलिखित पद मंजूर किए गये थे। इन पदों पर कर्मचारी कार्य कर रहे हैं :—

(1) हिन्दी अधिकारी—एक

(2) वरिष्ठ अनुवादक—एक

(3) हिन्दी टाइपिस्ट—एक

कटक, भुवनेश्वर, राउरकेला, सम्बलपुर और बहरामपुर में नए टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

382. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) उड़ीसा में कटक, भुवनेश्वर, राउरकेला, सम्बलपुर और बहरामपुर में 1 अप्रैल, 1984 को कितने आवेदक नए टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची में थे ;

(ख) मार्च, 1985 के अन्त तक उनमें से कितने आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन मिलने की आशा है ; और

(ग) उड़ीसा में उक्त नगरों में टेलीफोन कनेक्शन देन देने के कार्य में तेजी लाने के लिए कदम उठाये गये हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) 1.4.84 को टेलीफोन कनेक्शनों के लिए लंबित आवेदन पत्रों की संख्या और मार्च, 1985 के अन्त तक प्रदान किये जाने वाले संभावित टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या निम्न प्रकार है :—

क्र० सं०	1.4.1985 को टेलीफोन कनेक्शनों के लिए लंबित आवेदन पत्रों की संख्या	31.3.1985 तक प्रदान किये जाने वाले संभावित टेलीफोन कनेक्शनों की सं०
1. कटक	883	150
2. भुवनेश्वर	1523	1000
3. राउरकेला	117	78
4. सम्बलपुर	41	41
5. बेहरामपुर	232	शून्य
योग	2,986	1,269

(ग) जहां कहीं भी संभव हो, मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता में विस्तार किया जा रहा है।

लोकपाल की नियुक्ति के बारे में विधि आयोग की रिपोर्ट

3883. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : —

(क) क्या यह सच है कि विधि आयोग ने मुकदमेबाजी कम करने के उद्देश्य से लोक प्राधिकारियों के बिरुद्ध शिकायतों की जांच करने और विवादों को सोहार्दतापूर्वक निपटाने के लिए लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया है ;

(ख) क्या आयोग ने न्यायालयों पर बढ़ते हुए दबाव के लिये जिम्मेदार विभिन्न कारणों की भी जांच की है ;

(ग) क्या आयोग ने हाल में, सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार को दिए गये सुझावों और की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ग) विधि आयोग ने अपनी 100 वीं रिपोर्ट में, जिसका शीर्षक "सरकार द्वारा और उसके विरूद्ध मुकदमे : सुधार के लिए कुछ सिफारिशें" हैं, सरकार को 8 मई,1984 को भेजी गई थी। इस रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ- साथ, केन्द्र और राज्य, दोनों में मुकदमों का निपटारा करने वाले लोकपालों की नियुक्ति की सिफारिश की गई है।

(ख) और (घ) ऐसी रिपोर्ट, जिसमें सभी ब्यौरे और आयोग की सिफारिशें दी गई हैं, संसद के समक्ष रख दी जाएगी, जब उसके हिन्दी, में अनुवाद और उसकी अंग्रेजी और हिन्दी, दोनों में,प्रतियां तैयार कराने जैसी औपचारिक ताओं को पूरा कर लिया जाएगा। रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

उड़ीसा के पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में डाक और दूरसन्चार सेवाओं का विस्तार

384. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना अवधि के दौरान पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में डाक और दूरसंचार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या मानदंड अपनाये गये हैं ;

(ख) उपरोक्त योजना अवधि के दौरान अब तक उड़ीसा के आदिवासी और पिछड़े जिलों में डाक और दूरसंचार सेवाओं का कितना विस्तार हुआ है ; और

(ग) उपरोक्त योजनावधि में आदिवासी और पिछड़े जिले कालांहाडी (उड़ीसा) में प्रदान की गई डाक और दूर संचार सेवाओं का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) सामान्य ग्रामीण इलाकों और पिछड़े तथा जन-जातीय इलाकों में डाक तथा दूरसंचार दोनों की व्यवस्था करने के बारे में अपनाये गये मानदंड क्रमशः संलग्न विवरण एक, दो तीन में दिये गये हैं।

(ख) और (ग) : अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण चार में दी गई है।

विवरण 1

डाकघर खोलने के मानदंड

(एक) देहाती इलाकों में डाकघर खोलने के लिये मानदंड

देहाती इलाकों में खोले जाने वाले डाकघरों को अब दो मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया गया

है :

1. सामान्य ग्रामीण इलाकों में डाकघर, और

2. आदिवासी या पिछड़े इलाकों में डाकघर ।

(1) **सामान्य ग्रामीण इलाकों डाकघर खोलना :**

(एक) निम्नलिखित शर्तों के अधीन ग्राम पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं:—

(क) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर की दूरी में कोई दूसरा डाकघर न हो, और

(ख) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 25 प्रतिशत की आय होने की संभावना हो ।

(दो) निम्नलिखित शर्तों के अधीन "गैर ग्राम पंचायत" वाले गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :—

(क) उस गांव की आबादी 2000 या इससे अधिक होनी चाहिए :

(ख) प्रस्तावित डाकघर में 3 किलोमीटर की दूरी में कोई दूसरा डाकघर न हो, और

(ग) प्रस्तावित डाकघ· से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 25 प्रतिशत तक की आय होने की आशा हो ।

2. आदिवासी और पिछड़े इलाकों में डकघर खोलना :

(एक) निम्नलिखित शर्तों के अधीन ग्राम पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :—

(क) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर की दूरी में कोई दूसरा डाकघर न हो, और

(ख) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 10 प्रतिशत तक की आय होने की आशा हो ।

(दो) निम्नलिखित शर्तों के अधीन "गैर-पंचायती ग्रामों" में डाकघर खोले जा सकते हैं बशर्ते कि :—

(क) ग्राम (अथवा 1.5 कि० मी० की दूरी के अन्दर ग्रामों का समूह) की जनसंख्या 1,000 अथवा अधिक हो ।

(ख) प्रस्तावित डाकघर से 3 कि० मी० की दूरी में कोई अन्य डाकघर न हो, और

(ग) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 10 प्रतिश तक आय होने की संभावना हो।

नोट :— ग्रामीण डाकघर इस श्रेणी में आते हैं :—

(एक) सामान्य ग्रामीण क्षेत्र, और (दो) पिछड़े और जनजाति क्षेत्र। जनजातीय क्षेत्रों को गृह मन्त्रालय द्वारा निर्धारित किया गया है डाक सुविधाओं के विकास की दृष्टि से पिछड़े इलाकों का निर्धारण करते समय यह देखा जाता है कि क्या उन इलाकों के विकास की अवस्था जनसंख्या या प्रति डाकघर सेवाधीन क्षेत्र से संबंधित अखिल भारतीय औसत के हिसाब से सौ फी सदी गिरी हुई हालत में है या नहीं।

(दो) दूसरे, जब जनसंख्या/सेवित क्षेत्र के आधार पर अखिल भारतीय औसत और सर्किल औसत की तुलना में जब किसी क्षेत्र की स्थिति गिरी हुई होती है, इसके अलावा डाकघर प्रदान किये जाने वाले गांवों के प्रतिशत के संबंध में समूचे सर्किल के साथ तुलना करके जब स्थिति प्रतिकूल होती है, तब उस क्षेत्र को पिछड़े क्षेत्र का दर्जा दिया जाता है।

(तीन) प्रति डाकघर अखिल भारतीय औसत 23.10 कि० मी० और जनसंख्या 4,605 है। पिछड़े और जनजाति क्षत्रों में डाक सुविधाओं का तेजी से विस्तार करने के लिये अधिक आर्थिक सहायता दी जाती है।

(चार) "पहाड़ी क्षेत्र" की अवधारणा को छोड़ दिया गया है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र, जो जनजाति क्षेत्र भी है, स्वयं ही "जनजाति क्षेत्रों" की श्रेणी में आ जाते हैं।

(ख) शहरी क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए मानदंड :

शहरी क्षेत्रों में डाकघर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर खोले जा सकते हैं :—

(एक) डाकघर को वित्तीय दृष्टि से आत्म निर्भर होना चाहिए, और

(दो) 20 लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में दो डाकघरों के बीच की दूरी कम से कम 1 किलोमीटर होनी चाहिए। अन्य शहरों में, दो डाकघरों के बीच कम से कम दूरी 1.5 कि० मी० होनी चाहिए।

सर्किलों के अध्यक्ष प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत मामलों में दूरी की शर्तों में छूट दे सकते हैं।

विवरण—दो

ग्रामीण क्षेत्रों में लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनघर। संयुक्त डाक-तार घर खोलने से संबंधित संशोधित नीति

छठी योजना अवधि (अनुबंध-एक) के दौरान घाटे पर लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन

घर/संयुक्त डाक-तारघर खोलने से संबंधित मौजूदा नीति पर डाक-तार बोर्ड कुछ समय से विचार कर रहा था। इस संबंध में किए गए अध्ययन से पता चला है कि यदि हम जनसंख्या के आधार पर न्यूनतम राजस्व की शर्त का निर्धारण किए बगैर लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने की नीति को अपनायंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर देश के पहाड़ी और बिखरी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में इस सुविधा को बढ़ाने में असमानता की स्थिति पैदा होगी। मौजूदा नीति की सावधानी-पूर्वक पुनरीक्षा करने के पश्चात् तथा वा की विम्वसनीयता पर अत्यधिक बल देते हुए सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं का समान रूप से विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डाक-तार बोर्ड ने जो निर्णय लिए हैं, वह इस प्रकार हैं :—

(एक) अनुबंध-एक में बतायी गई मौजूदा नीति तो जारी रहेगी ही, परन्तु इसके साथ ही देश के आबादी वाले अधिकांश स्थानों में लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन 5 कि० मी० के घेरे में सुलभ कराने की नीति को एक नीति लक्ष्य के बतौर अपनाया जाएगा और इस लक्ष्य को चालू वर्ष में आरंभ करके 1990 तक उत्तरोत्तर प्राप्त किया जाएगा। स्थानिक वितरण के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लंबी दूरी के जो सार्वजनिक टेलीफोनघर आवश्यक होंगे उन पर से न्यूनतम राजस्व की पूर्व-शर्त को हटा दिया जाएगा।

(दो) इस क्षेत्र में सेवा की विश्वसनीयता और उपलब्धता में सुधार लाने के लिए मल्टी-एक्सेस रेडियो टेलीफोन प्रणाली की प्रौद्योगिकी को अपनाया जाए और इसी प्रणाली के तहत पहाड़ी, तटीय, वन्य एवं रेगिस्तानी इलाकों तथा जनजातीय और अनुसूचित क्षेत्रों व ऐसे अन्य क्षेत्रों में जहां विद्युत प्रेरण (पावर इंडक्शन) के कारण खुली तार लाइनें इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं होती तथा मैदानी क्षेत्रों के उन स्थानों में जो सड़क मार्ग से 20 कि०मी० (मार्ग की लम्बाई) से भी अधिक दूरी पर स्थित हैं और ऐसे अन्य सभी मामलों के जहां मल्टी-एक्सेस रेडियो प्रणाली अपनी लागत के अनुसार कारगर साबित होती है लंबी दूरी के सार्लजनिक टेली-फोनघर स्थापित किए जाएं।

(तीन) गैर-विभागीय एल०डी०पी०टी० एजेंट, डाकघरों के उपलब्ध न होने अथवा जहां डाकघर के कार्य घंटे अपर्याप्त हैं, जहां आवश्यक होगा नियुक्त किये जायेंगे। गैर-विभागीय एल०डी०पी०टी० एजेंटों का चयन क्षेत्रीय सर्किल के महाप्रबंधक, दूर-संचार द्वारा किया जाएगा।

(चार) गैर-विभागीय एल०डी०पी०टी०एजेंट का पारिश्रमिक 40 (चालीस) पैसे प्रतिकाल होगा लेकिन प्रतिमाह 250/-रु० (दो सौ पचास) से अधिक नहीं होगा और एल०डी० पी.टी. के कार्य घंटे कम से कम 8 घंटे होंगे। विकलांग व्यक्ति के मामले को छोड़कर इस प्रकार प्राप्त पारिश्रमिक ही, एल०डी०पी०टी० एजेंट की आय का मुख्य स्रोत

नहीं होगा ।

डाक-तार बोर्ड ने यह निर्देश भी दिये हैं कि समूचे देश को विभिन्न ग्राम-समूहों के षडभुज आकर के क्षेत्रों (5 कि० मी० के समान भुजा वाले षडभुज क्षेत्र) में विभाजित किया जाए । हां, ऐसा करते समय वे स्थान छोड़ दिये जाएंगे जो निर्जन हैं जैसे पर्वतीय क्षेत्र नदियां, झीलें, रेगिस्तान आदि । प्रत्येक ग्राम-समूह में केन्द्र-स्थल के बतौर एक ऐसे ग्राम का पता लगाया जाएगा जहां कि लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनघर स्थापित करने के लिए ग्राम-समूहों का पता लगाने का कार्य राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन० सी० ए० ई० आर) को सौंपा गया है, जिनकी रिपोर्ट विस्तृत नक्शों सहित योजना उद्देश्यों के लिये सर्किलों को उपलब्ध करा दी जाएगी ।

उक्त अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार ग्राम-समूहों में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर स्थापित करने के लिए स्थान-निर्धारण के उद्देश्य से अपेक्षित आंकड़ों के साथ ब्यौरेवार-रक्शे प्राप्त हो जाने पर सर्किलों के अध्यक्ष डाक-तार बोर्ड के उपर्युक्त निर्णयों को लागू करने के उद्देश्य से खुली-तार प्रणाली और मल्टी-एक्सेस रेडियो प्रणाली दोनों पर दोनों भविष्य में खोले जाने वाले लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों के लिए ब्यौरेवार वार्षिक कार्य-क्रम तैयार करने की व्यवस्था करेंगे ।

हालांकि मल्टी एक्सेस रेडियों प्रणाली के अन्तर्गत लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए परियोजना प्राक्कलन उपस्कर आदि का आवंटन करने के उद्देश्य से निदेशालय को भेजे जाते रहेंगे ।

विवरण-तीन

हानि पर सार्वजनिक टेलीफोनघर एवं संयुक्त

डाक-तारघर खोलने की नीति :

स्थानों की श्रेणियां

1. जिला मुख्यालय
2. उप मंडलीय मुख्यालय
3. तहसील मुख्यालय
4. उप-तहसील मुख्यालय
5. ब्लाक मुख्यालय
6. ऐसे स्थान जिनकी जनसंख्या साधारण क्षेत्रों में 5000 या अधिक तथा पिछड़े एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 2500 या अधिक हो ।

सार्वजनिक टेलीफोन खोलने घर हेतुशर्तें संयुक्त डाक-तारघर, खोलने हेतु शर्तें

घाटे का ध्यान न करके भी न्यूनतम राजस्व की शर्त के बगैर उत्तरोत्तर व्यवस्था की जाएगी।

घाटे का ध्यान न देकर भी न्यूनतम राजस्व की शर्त के बगैर उत्तरोत्तर व्यवस्था की जाएगी।

7-वे स्थान जहां पर ऐसे पुलिस स्टेशन स्थित हों जिनका इंचार्ज उप निरीक्षक या इससे ऊपर के पद का पुलिस अधिकारी हो

सार्वजनिक टेलीफोनघर खोलने हेतु शर्तें

साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत, पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।

संयुक्त डाक-तारघर खोलने हेतु शर्तें

साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत तथा पिछड़े इलाकों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशतहेतुहोनाचाहिए।

8-आम रास्ते से दूर के स्थान

सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने शर्तें

(क) मौजूदा एक्सचेंज से 40 किलो मीटर से अधिक (अरीय दूरी) होनी चाहिए;

(ख) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत पिछड़े इलाकों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय इलाकों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।

संयुक्त डाक-तारघर खोलते हेतु शर्तें

(क) मौजूदा तारघर से 20 किलो० मीटर से बाहर (अरीय दूरी) होना चाहिए।

(ख) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।

(ग) साधारण इलाकों में पत्याशित घाटा 2000 रु० वार्षिक तथा पिछड़े पर्वतीय इलाकों में 2000 रु० से अधिक नहीं होना चाहिए।

9-पर्यटन/तीर्थ केन्द्र/कृषि/सिंचाई/पावर परियोजना स्थल/नगर

सार्वजनिक टेलीफानघर खोलने हेतु शर्तें

(क) साधारण इलाकों में वार्षिक

संयुक्त डाक-तारघर खोलने हेतु शर्तें

(क) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती

आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत, पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।	व्यय का प्रत्याशित राजस्व कम से कम 25 प्रतिशत, पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्र में 10 प्रतिशत होना चाहिए।
	(ख) साधारण इलाकों में प्रत्याशित घाटा 2000 रु० वार्षिक तथा पिछड़े पर्वतीय इलाकों में 5000 रु० से अधिक नहीं होना चाहिए।

10 सभी अन्य स्थान

सार्वजनिक टेलीफोनघर खोलने हेतु शर्तें वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर या हानि की दशा में किराए और गारंटी के आधार पर	संयुक्त डाक-तारघर खोलने हेतु शर्तें वित्तीत व्यवहार्यता के आधार पर या हानि की दिशा में किराए और गारंटी के आधार पर

टिप्पणी : (1) क-जनसंख्या संबंधी आंकड़ों पर विचार करते समय केवल अकेले नगर या ग्राम की जनसंख्या पर ही विचार करना चाहिए न कि नगरों या ग्रामों के समूह की जनसंख्या पर आदीवासी देशों क्षेत्रों में किसी केन्द्रीय स्थान से 10 किलोमीटर के पूल में आए हुए सभी स्थानों अर्द्धव्यास की सम्मिलित जनसंख्या और अल्पतम राजस्व की शर्तों के आधार पर सार्वजनिक टेलीफोन खोला जा सकता है। इस छूट के अंतर्गत कोई भी दो सार्वजनिक टेलीफोन 10 किलोमीटर से कम दूरी पर नहीं खोले जा सकते हैं।

(ख) सार्वजनिक टेलीफोनों की व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण केन्द्रीय ग्राम निर्धारित करने के लिए निम्न क्रम में वरीयता दी जायेगी :—

(एक) जनजातीय विकास खंड मुख्यालय

(दो) जिन स्थानों पर लैम्प (बड़े आकार की बहुद्देशीय सहकारी समितियां स्थापित हैं, और

(तीन) ग्रामीण उद्योगों और/अथवा व्यापक कृषि विकास हेतु सिचाई परियोजनाओं के लिए स्थानीय जनजाति विकास विभागों द्वारा निर्धारित केन्द्र।

(2) यदि प्रत्याशित तारघर के 8 किलोमीटर के भीतर कोई अन्य तारघर कार्य करता हो तो घाटे पर कोई भी तारघर नहीं खोला जाना चाहिए।

विवरण-चार

छठी योजना अवधि के दौरान उड़ीसा राज्य के जनजातीय और पिछड़े जिलों में डाक और दूरसंचार नेटवर्क में अब तक किया गया विस्तार निम्न प्रकार है :—

वर्ष	खोले गए डाकघर		नियुक्त किए अ०वि०वि० एजेंट		सी/एस सुविधा प्रदान करना		कालाहांडी जनजाती और पिछड़े जिले में उपलब्ध कराई गई डाक सुविधाओं का ब्यौरा		
	पिछड़े जन जातीय		पिछड़े जन जातीय		पिछड़े जन जातीय		खोले गये डाकघर	नियुक्त किए गए अ०वि० एजेंट	सी०/ए सुविधा प्रदान करना
1980-81	39	56	50	24	3	5	12	5	—
1981-82	8	39	—	106	3	35	6	7	3
1982-83	5	27	6	30	15	35	3	4	3
1983-84	20	70	7	56	10	45	6	6	4

दूरसंचार :- 1. 6 ठी योजना अवधि के दौरान अब तक खोले गए नए टेलीफोन एक्सचेंज ।

2. खोले गए लंबी दूरी के पी०सी०ओ० = 207

3. खोले गए नए ट्रंक एक्सचेंज = 03

कालाहांडी जिलों में छठी योजना अवधि के दौरान अब तक उपलब्ध कराई गई दूरसंचार सुविधाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

1. खोले गए टेलीफोन एक्सचेंज — 4

2. लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनघर — 11

फालतू ऊर्जा वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों को ऊर्जा वितरित करने के लिए

385. **श्री भीखा भाई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऊर्जा का उत्पादन करने वाले राज्यों से अन्य ऐसे राज्यों को, जहां बिजली का कम उत्पादन होता है, ऊर्जा वितरित करने संबंधी केन्द्रीय फार्मूले का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सभी राज्यों में यह फार्मूला ठीक कार्य कर रहा है ; और

(ग) क्या यह सच है कि आदिवासी क्षेत्रों को, जहां औसतन बिजली की कम खपत होती है, बिजली की कटौती का सामना करना पड़ा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां): (क) ऐसा कोई केन्द्रीय फार्मूला नहीं है । फालतू बिजली वाले राज्य से बिजली की कमी वाले राज्य को विद्युत की सप्लाई द्विपक्षीय समझौते के जरिए की जाती है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जब विद्युत की कमी होती है, तो राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों द्वारा सभी क्षेत्रों में कटौतियां लागू की जाती हैं ।

बिहार में चहुटा, बौराहा, तरयाणी और मनोहरपुर में नये शाखा डाक घरों का खोला जाना

386. **श्री भोगेन्द्र झा** : : क्या संचार मंत्री 3 अप्रैल, 1984 के आतारांकित प्रश्न संख्या 8081 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह देखते हुये कि गांव चहुटा की आवादी 5608 है और उस ग्राम पंचायत में एक भी शाखा डाक घर नहीं है, और कि कामतौल एक अन्य प्रशानिक ब्लाक है तथा अन्य जिले में हैं, चहुटा में एक शाखा डाक घर खोलने का प्रस्ताव है,

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ;

(ग) क्या मधुबनी डाक मंडल के अन्तर्गत खुतौना ब्लाक के अधीनस्थ बौहारा गांव में एक नया शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है क्योंकि उस ग्राम में कोई शाखा डाकघर नहीं है,

(घ) यदि हां, तो क्या उसके लिये कोई समय-सीमा रखी गई है ; और

(ङ) दरभंगा के अन्तर्गत वाले ब्लाक के गांव तरपाणी में और मधुबनी डाक मंडल के अन्तर्गत उमगांव ब्लाक के अधीन मनोहरपुर गांव में और पण्डौल ब्लाक के अधीन गांव चहुटा में शाखा डाकघर खोले जाने के लिए लगातार मांग की जा रही है ; यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडविल): (क) और (ख) जी नहीं । चहुटा ग्राम से 2 कि० मी० की दूरी पर कामतौल में एक दूसरा डाकघर नहीं खोला जा सकता ।

(ग) और (घ) जी नहीं । विभागीय मानदंडों के अनुसार बौराहा में डाकघर खोलने का औचित्य नहीं बनता है ।

(ङ) जी हां, । इन ग्रामों में डाकघर खोलने के प्रस्तावों की जांच की गई थी और विभागीय मानदंडों के अनुसार उनका औचित्य नहीं बनता है ।

बिहार में बिजली का उत्पादन

387. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या ऊर्जा मंत्री बिह र में उद्योग और कृषि को प्रभावित करने वाले विद्युत संकट का सामना करने के लिए 4000 मेगावाट के बिजली घर के बारे में 3 अप्रैल 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6230 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में बिजली का सामान्य उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं और उसके क्या परिणाम रहे;

(ख) क्या बिहार में बिजली के उत्पादन और वितरण में कठिनाइयों तथा अन्य बाधाओं को दूर करने सभी सभी स्तरों और असफलताओं हेतु जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए विद्युत कर्मचारी संघों का सक्रिय सहयोग लिया गया है;

(ग) नई पन और ताप बिजली परियोजनाओं कार्यान्यवन, निर्माण और चालू करने के संबन्ध में अद्यतन स्थिति क्या है; और

(घ) बराहक क्षेत्र में कोसी नदी पर सिसापानी में कमला नदी पर तथा नंथेर में बागमति नदी पर बहु-प्रयोजनीय परियोजनाओं के संबन्ध में अद्यतन स्थिति क्या दें ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) बिहारी में विद्युत का सामान्य उत्पादन सुनिश्चित करने की दृष्टि से निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(एक) निर्माणाधीन विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को शीघ्र चालू करना;

(दो) निम्नलिखित कई उपाय करके जैसे ताप विद्युत केन्द्रों की कार्य कुशलता में सुधार लाना :—

(क) संयंत्र सुधार कार्यक्रम तैयार करने और उसे प्रारम्भ करने में राज्य बिजली बोर्डों/ विद्युत केन्द्रों को सहायता देना ।

(ख) बंदी की अवधियों को कम करने के लिए निवारक अनुरक्षण तकनीक अपनाना ।

स्वदेशी तथा विदेशी स्त्रोंतों में उपस्करा तथा फुटकर पुर्जो की व्यवस्था करना ।

(घ) अपेक्षित गुणवत्ता तथा मात्रा में कोयले की व्यवस्था करना ।

(ङ) प्रचालन प्रणालियों की मानीटरिंग करने तथा परामर्श देने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से प्रचालन विशेषज्ञों के भ्रमणशील दलों के दौरों की व्यवस्था करना ।

(च) विद्युत केन्द्रों के इंजीनियरों और प्रचालन और अनुरक्षण कार्मिकों को प्रशिक्षण देना और

(छ) भेल तथा अन्य सप्लाईकर्त्ताओं/निर्माताओं के साथ राज्य बिजली बोर्ड की आवश्यकताओं और समस्याओं को उठाकर इनकी सहायता करना ।

(ख) राज्य में विद्युत के उत्पादन में सुधार लाने के लिए बिजली कर्मचारियों की यूनियनों सहित उन सभी का सहयोग प्राप्त किया जाएगा जो विद्युत उत्पादन की गतिविधियों से संबन्धित हैं ।

(ग) विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में चालू करने का वर्तमान कार्यक्रम नीचे दिया गया है :—

क्रम संख्या	परियोजना/यूनिट संख्या	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	चालू करने की सम्भावित तारीख
ताप विद्युत			
1. बरौनी यूनिट-7		110	1984-85
2. पतरातू यूनिट-10		110	1984-85
मुजफ्फरपुर-	यूनिट-1	110	1984-85
	यूनिट-2	110	1685-86
4. तेनुघाट	यूनिट-1	210	1989-90
	यूनिट-2	210	1990-91
जल विद्युत			
1. पूर्वी गन्डक		3×5	1987-88 और 1988-89
2. सोन पश्चिमी लिंक नहर		4×1·65	1986-87
3. लोन पूर्वी लिंक नहर		2×1·65	1986-87
4. कोइल कारो जल विद्युत परियोजना		710	1990-91
5. उत्तरी कोइल		2×12	1987-88 और 1988-89

(घ) कोसी नदी पर बराह क्षेत्र में, सीसा पानी में कमला नदी पर तथा नूनथर में बागवती नदी पर बांध जैसे कई भारत-नेपाल बहूद्देश्यीय गंदी घाटी परियोजनाओं पर महामहिम नेपाल सरकार के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है ।

औद्योगिक रुग्णता के बारे में बातचीत करने के लिए भारतीय ट्रेड यूनियनों का प्रस्ताव

388. **श्री वासुदेव आचार्य :**

श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्टर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स ने अप्रैल, 1982 में देश में औद्योगिक रुग्णता के बारे में चर्चा करने का एक प्रस्ताव रखा था ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को स्वीकार न करने के क्या कारण है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) देश में औद्योगिक रुग्णता परविचार-विमर्श करने के लिए अप्रैल, 1982 में श्रम मन्त्रालय को कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ईंटों के भट्टे में काम करने वाले मजदूरों के लिए श्रम कानून लागू करना

386. **श्री वासुदेव आचार्य :**

श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईंटों के भट्टे में काम करने वाले मजदूरों, विशेषकर उत्तरी क्षेत्र में जहां पर बड़ी संख्या में मजदूरों को वर्ष में आठ महीने के लिए ठेके के आधार पर नियोजिय किया जाता है, के लिए श्रम कानून लागू करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 14 मई, 1984 को हुई त्रिपक्षीय समिति की बैठक में ईंट भट्टा उद्योग मालिकों द्वारा उठायी गयी प्रत्येक बात देश के श्रम कानूनों और सरकार द्वारा स्वीकार किए गए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के समझौते के पूर्णत: विरुद्ध थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : ईंट भट्टों में नियोजित श्रमिकों के लिए श्रम कानूनों को लागू करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है। वास्तव में समुचित सरकार होने के कारण, राज्य सरकारों को समय-समय पर सलाह दी गई है कि वे ईंट भट्टा उद्योग को लागू होने वाले श्रम कानूनों का उचित और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुनिश्चित करें।

(ख) और (ग) ईंट भट्टा मालिकों ने 14-5-1984 को हुई त्रिपक्षीय समिति की बैठक में, इस उद्योग के कार्यकरण की खास विशेषताओं को देखते हुए, विभिन्न श्रम कानूनों को लागू करने के बारे में कुछ व्यावाहारिक कठिनाइयां बताई। ये समिति के विचाराधीन हैं जिसने अभी तक कोई रिपोर्ट पेश नहीं की है।

बंधुआ मजदूरों में ऋणग्रस्तता

390. **श्री चित्त बसु** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंधुआ मजदूरी का मुख्य कारण ऋण ग्रस्तता है ; और

(ख) यदि हां, तो बंधुआ मजदूरों में ऋणग्रस्तता को कम करने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) दासता के प्रमुख कारणों में से एक कारण ऋणग्रस्तता है। कोई श्रमिक बंधुआ श्रमिक तभी होता है जब कर्ज या उसके ब्याज की पुनः अदायगी के प्रतिफल में उसके परिवार के सदस्य के श्रम के अलावा उनके पास घरोहर के लिए कुछ नहीं होता है। बंधित श्रम पद्धति विषम सामाजिक ढांचे के कारण उत्पन्न हुई जिसकी विशेषता सामन्तवादी और अर्ध-सामन्तवादी परिस्थितियां हैं।

(ख) बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 के अधीन, बंधुआ श्रमिकों के कर्ज उसका पता लगने पर तुरन्त समाप्त हो जाते हैं और दासता से मुक्त हो जाते हैं। ग्रामीण ऋण-ग्रस्तता को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) अन्तरिम उपाय के रूप में कर्ज की वसूली को स्थगित करना ;

(ii) स्थायी उपाय के रूप में कर्ज से पूरी तरह मुक्त करना या उसे कम करना ;

(iii) सभी राज्यों द्वारा कर्ज सहायता कानून लागू करना ; और

(iv) बहु-एजेंसी पद्धति के माध्यम से, जिसमें सहकारी समितियां, व्यापारिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शमिल हैं, कृषि ऋण की व्यवस्था करना।

इन उपायों का उद्देश्य श्रमिकों के बीच ऋणग्रस्तता को रोकना है जिससे श्रमिकों के कर्ज के बंधन में पड़ने के अवसर कम से कम हों।

ड्रग्स फार्मूलेशनों के मूल्य में संशोधन

391. **श्री तारिक अनवर** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संमिश्रण सहित उन फार्मूलेशनों के नाम क्या हैं जिनके मूल्यों में 1 जनवरी, 1984 के बाद संशोधन किया गया है क्या वल्क ड्रग्स जिन पर ये फार्मूलेशन आधारित हैं उनका आयात किया गया है अथवा ये देश में ही बने हैं, देश में ही बनी औषधियों के मामले में सरकार द्वारा निश्चित मूल्यों और बाजार मूल्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) फार्मूलेशनों और वल्क ड्रग्स के पहले के मूल्य क्या थे और संशोधित मूल्य क्या हैं ;

(ग) इस अवधि के दौरान मूल्यों में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि अथवा कमी के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या यह सच है कि कुछ वल्क ड्रग्स के मूल्यों में लागत की पुष्टि किए बिना अथवा वी० आई० सी० पी० की सिफारिशों के बिना ही वृद्धि कर दी गई थी । यदि हां, तो उन औषधियों के नाम क्या हैं उनके मूल्यों में वृद्धि करने के क्या कारण हैं और कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) 1 जनवरी, 1984 के पश्चात लीडर फार्मूलेशनों के मूल्यों में प्रभावी किए गये मूल्य संशोधन और उनमें प्रयोग की जा रही वल्क औषधों के मूल्य दर्शाने वाला एक विवरण अनुबन्ध-I (ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8465-84) में दिया गया है । जहां तक बाजार मूल्य का सम्बन्ध है, वे समय समय और स्थान-स्थान पर विभिन्न होता है किन्तु लीडर मूल्य से अधिक मूल्य पर बिक्री करने के आरोप की कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(ग) और (घ) मूल्यों में संशोधन डी० पी० सी० ओ० 1979 के प्रावधानों के अनुरूप किया गया था ।

औषधियों के मूल्य निर्धारित करना

392. **श्री तारिक अनवर** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वी० आई० सी० पी० चार वर्ष बीत जाने के बाद भी पैकिंग सामग्री की पुन-रीक्षा लागत का हिसाब लगाने में असफल रहा है और यदि हां, तो उनके मंत्रायय ने उद्योग को न्याय दिलाने के लिए क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या यह सच है कि फामूलेशनों के मूल्य निश्चत करने में कच्ची सामग्री की लागत को जोड़ने की अनुमति देते समय, वास्तविक खरीद बीजकों को न तो मंगवाया गया है और न ही उन पर भरोसा किया गया है और समान मानदण्डों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है,

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री बंसत साठे) : (क) और (ख) पैकिंग सामग्री लागत और कच्चे माल की लागत के लिए कम्पनियों द्वारा फार्म-3 में किए गए दावों का यथा सत्यापन वी० आई० सी० पी० द्वारा, इस मंत्रालय का फॉर्मूलेशनों के मूल्यों की सिफारिश करने से पूर्व किया जाता है। यदि कम्पनियों द्वारा फार्म-3 के साथ-जमा किए जाने वाले आवश्यक कागजात जमा न किये जाएं तो उन्हें हर हालत में मांगा जाता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बल्क औषधियों/मध्यवर्तियों के आयतों के लिए राज्य व्यापार निगम द्वारा जारी किए गए अनापत्ति पत्र

393. **श्री तारिक अनवर** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने उनके मंत्रालय की सिफारिशों पर पिछले दो वर्षों के दौरान किन-किन बल्क औषधियों और मध्यवर्तियों के लिए अनापत्ति पत्र जारी किए और प्रत्येक की कितनी मात्रा के लिए जारी किए तथा ऐसी सिफारिशें किए जाने के क्या कारण थे ;

(ख) क्या इस प्रकार के अनापत्ति पत्र आमतौर पर जारी किए जाते हैं, और

(ग) उनके मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों के दौरान मुख्य आयात एवं निर्यात नियंत्रक के कार्यालय को किन-किन मदों के लिए अनुपूरक लाइसेंसों की सिफारिश की है और कितनी मात्रा की सिफारिश की गई तथा जिन पार्टियों के सम्बन्ध में सिफारिश की गई उनके नाम और पते क्या हैं तथा प्रत्येक मामले में सिफारिश के क्या कारण थे ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) एस० टी० सी० द्वारा अनापत्ति प्रमाणित प्रमाण पत्र केवल स्वदेशी उत्पादकों से कच्चे माल और एस० टी० सी० के पास आयातित माल की अनुपलब्धता के मामलों में जारी किये गए थे।

जिन औषधों और औषध मध्यवर्तियों के लिए ऐसे अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए गये थे, उनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) औषधों के आयात के लिए प्रतिपूरक लाइसेंस जारी करने हेतु वास्तविक प्रयोगकर्ताओं द्वारा किए आवेदनों की जांच, वाणिज्य, मंत्रालय में सी० सी० आई० एण्ड ई० की अध्यक्षता में एक अन्तर-मन्त्रालय समिति द्वारा की जाती है। ऐसे प्रतिपूरक लाइसेंस जारी करने की सिफारिश मुख्य रूप से स्वदेशी स्रोतों के अनुपलब्धता के आधार पर की जाती है।

विवरण

क्र० सं०	सरणीबद्ध औषधे	1982-83	1983-84
1.	क्लोरोफेमिकोल पाउडर	शून्य	35.251 मी० ट०
2.	विटामिन "ए" (गैर फार्मा)	(3.225)	5.576 मी० ट०
3.	विटामिन "ए" (एसिटेट) (फार्मा ग्रेड)	शून्य	2.078 मि० ट०
4.	विटामिन "पी (रुटीन)	शून्य	0.195 मी० ट०

नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० के विस्तार की योजना

394. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० ने अगले चार वर्षों में विभिन्न नई परियोजनाओं तथा विस्तार की जाने वाली परियोजनाओं में 906 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश की योजनाएं तैयार की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा उनकी लागत कितनी है और इनसे कितनी अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध होगी ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) मै. नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० (एन० एफ० एल०) का अगले चार वर्षों के दौरान निम्नलिखित नई परियोलनाएं स्थापित करने का विचार है :—

(रु० करोड़ों में)

योजना का नाम	अनुमानित लागत
मध्य प्रदेश (विजयपुर) में गैस पर आधारित नया उर्वरक संयंत्र स्थापित करना	रु० 587.10
भटिण्डा एवं पानीपत में केपटिव पावर संयंत्र	रु० 138.64
नांगल में इलेक्ट्रोलिसिस संयंत्र का प्रतिस्थापन	रु० 32.54
	योग रु० 758.28

विजययुर, मध्य प्रदेश में उर्वरक संयंत्र के पूर्ण हो जाने से यूरिया की 7.26.000 मी० टन तक की अतिरिक्त वार्षिक क्षमता सृजित होगी।

भटिंडा और पानीपत में केपटिव पावर संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं ताकि पावर की अपेक्षित मात्रा और किस्म की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

नांगल में इलेक्ट्रोलिसिस संयंत्र के प्रतिस्थापन से 200 टन अमोनिया प्रतिदिन उत्पादित होगा। इस स्कीम से हैवीवाटर का सतत उत्पादन होता रहेगा और पावर की काफी बचत होगी।

वर्ष 1984-85 के दौरान नए आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना

395. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह :**

श्री नित्यानन्द मिश्र : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में वर्ष 1984-85 के दौरान रेडियो स्टेशनों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो वित्त वर्ष 1984-85 में कितने नए आकाशवाणी केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है; और

(ग) मध्य प्रदेश में आकाशवाणी केन्द्रों के विस्तार सम्बन्धी प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) चार नए केन्द्र तथा पांच सहायक केन्द्रों का दर्जा बढ़ाकर पूर्णरूपेण केन्द्रों का करना।

(ग) मध्य प्रदेश में आकाशवाणी के पहले ही 9 केन्द्र हैं जो राज्य के 85% क्षेत्र तथा 87% जनसंख्या को सेवा प्रदान कर रहे हैं। सेवा के ये आंकड़े अखिल भारतीय आंकड़ों से अधिक हैं। रायपुर के रेडियो स्टेशन की शक्ति 20 किलोवाट मीडियम वेट से बढ़ाकर 100 किलोवाट मीडियम वेट करना और जबलपुर के सहायक केन्द्र का दर्जा बढ़ाकर पूर्णरूपेण रेडियो स्टेशन का करना, छठी योजना के अनुमोदित प्रस्ताव हैं। रायपुर में 100 किलोवाट मीडियम वेट के ट्रांस-मीटर के शीघ्र ही चालू होने की उम्मीद है। उक्तरोक्त स्कीम सातवीं योजना में जाएगी।

मध्य प्रदेश में सतपुड़ा ताप बिजली घर के चौथे एकक को चलाया जाना

396. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में सतपुड़ा ताप बिजली केन्द्र के चौथे एकक को चलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब से तथा सतपुड़ा कम्पलेक्स के चौथे एकक के चलाये जाने से कुल कितनी अतिरिक्त मेगावाट बिजली उत्पन्न किये जाने की आशा है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र में 210 मेगावाट की चौथी यूनिट को (जिसे यूनिट सं० 9 के रूप में नामित किया गया है) 27 फरवरी, 1984 को पहली बार समकालित किया गया था। 1983-84 में इस यूनिट से विद्युत उत्पादन नहीं हुआ था। वर्ष 1984-85 के दौरान इस यूनिट से 500 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से अप्रैल-जून, 1984 की अवधि के दौरान 74 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पादन किया गया है। सुस्थिर हो जाने के बाद इस विद्युत उत्पादन यूनिट से 210 मेगावाट का निर्धारित उत्पादन होने की आशा है।

मथुरा को सीधी टेलीफोन सेवा के द्वारा दिल्ली से जोड़ना

397. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल, मथुरा को सीधी टेलीफोन सेवा (एस० टी० डी०) के द्वारा दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश और उससे बाहर के प्रमुख नगरों के साथ जोड़ने में कौन सी अलंघ्य कठिनाइयां हैं जबकि इसके पास के शहरों, कोशीकिल और आगरा छावनी को ये सुविधाएं प्राप्त हो चुकी हैं; और

(ख) मथुरा को सीधी टेलीफोन सेवा (एस० टी० डी०) के द्वारा जोड़ने तथा इसके वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंजों तथा मथुरा और दिल्ली तथा दिल्ली और मथुरा के बीच की टेलीफोन लाइनों में, जो कि ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहीं हैं तथा जिसके कारण दिल्ली से मथुरा के साथ और मथुरा से दिल्ली के साथ सम्पर्क स्थापित करने में कई घण्टों का समय लग जाता है, सुधार करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) मथुरा को दिल्ली और उत्तर प्रदेश और बाहर के अन्य प्रमुख शहरों के साथ एस० टी० डी० के द्वारा जोड़ने की योजना बनाई गई है। इसमें मथुरा में स्वचल टेलीफोन एक्सचेंज संस्थापित करने तथा इस स्वचल एक्सचेज को ट्रंक स्वचल एक्सचेंज परिपथ जाल के साथ जोड़ते हुए विश्वसनीय संचारण चैनलों को प्रारम्भ करना शामिल है। मथुरा में स्वचल एक्सचेंज पहले ही चालू हो गया है और विश्वसनीय संचारण चैनलों द्वारा इस स्वचल एक्सचेंज को ट्रंक स्वचल एक्सचेंज के साथ जोड़ने का कार्य चला रहा है।

(ख) एस० टी० डी० :—मथुरा प्रस्तावित आगरा की ट्रंक स्वचल एक्सचेंज प्रणाली के

साथ जोड़े जाने की योजना है।

टेलीफोन एक्सचेंज :—मथुरा की स्थानीय टेलीफोन प्रणाली संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है।

लाइनें :—मथुरा-दिल्ली और दिल्ली-मथुरा के बीच अप्रैल, मई, जून, 84 के महीनों के कार्य-निष्पादन की पुनरीक्षा करने पर ऐसा पता चला कि दो सर्किट संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं। अन्य दो सर्किटों का कार्य-निष्पादन ठीक नहीं है तथा सम्बन्धित प्राधिकारियों को हिदायत दी गई है कि वे इनके कार्य-निष्पादन में सुधार लाएं। आगरा-मथुरा के बीच एक 2.6 एम० एच० जेड समक्ष प्रणाली स्थापित की जा रही है। इस प्रणाली चालू हो जाने पर कार्य-निष्पादन में आगे और सुधार होगा।

उड़ीसा में दूरदर्शन का विस्तार

398. **श्री के० प्रधानी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा को भी दूरदर्शन प्रसारणों के अन्तर्गत लाने हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूरदर्शन के विस्तार के लिये स्वीकृत एक योजना के अनुरूप ही योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इसके अन्तर्गत कौन-कौन से स्थानों पर दूरदर्शन रिले केन्द्र खोले जायेंगे ; और

(ग) यदि नहीं, तो दूरदर्शन सुविधाओं के विस्तार के मामले में पिछड़ हुए राज्य, उड़ीसा की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क), (ख) और (ग) उड़ीसा राज्य में कटक में उच्च शक्ति वाला एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर तथा राउरकेला, बरहमपुर तथा कोरापुट में अल्प शक्ति वाले तीन ट्रांसमीटर लगाए जा रहे हैं। चालू योजनागत स्कीमों के कार्यान्वित हो जाने पर, उड़ीसा के कुल 13 जिलों में से 11 जिलों (7 आदिवासी जिलों सहित) में उड़ीसा की लगभग 52.5 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन सेवा उपलब्ध हो जाने की उम्मीद है।

हरियाणा में इण्डेन गैस एजेंसियों की स्थापना

399. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा के बहुत से जिलों में अभी तक इण्डेन गैस एजेंसियां नहीं खोली गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) शेष जिला मुख्यालयों में एजेंसियां खोलने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क), (ख) और (ग) जी, नहीं। केवल एक जिला अर्थात् भिवानी में अभी तक एल० पी० जी० की सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की गई है और इस स्थान के लिए वितरक के चयन के लिए कार्रवाई की जा रही है।

पंजाब में मजदूरों की कमी

400. **श्रीमती विद्या चेन्नुरति** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब की अशांत स्थिति के कारण हाल के दिनों में वहां मजदूरों की कमी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक गतिविधियों में गिरावट और कृषकों के सामने आ रही समस्याओं को देखते हुए जिन्हें खरीफ की फसल के दौरान कृषि कार्यों के लिए बड़ी, संख्या में मजदूरों की आवश्यकता होती है, क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी हां।

(ख) पंजाब सरकार द्वारा यह सूचित किया गया है कि राज्य श्रम विभाग प्रवासी श्रमिकों में विश्वास और सुरक्षा की भावना जगा रहा है ताकि श्रमिकों की कमी की वजह से औद्योगिक कार्यकलापों और कृषि संक्रियाओं को कोई नुकसान न पहुंचे।

हल्दिया फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट का कार्यनिष्पादन

401. **श्री जगपाल सिंह** :

श्री वी० डी० सिंह : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया फर्टिलाइजर्स का कार्य निष्पादन गत कई वर्षों से लगातार खराब चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, संयंत्र के खराब कार्य निष्पादन के क्या कारण हैं और उसके परिणामस्वरूप गत तीन वर्षों के दौरान (वर्ष-वार) कितना घाटा हुआ है ; और

(ग) सरकार ने उसके कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिये क्या उपाय किये हैं।

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामधन्न रथ) : (क) और (ख) परियोजना परीक्षण उत्पादन और प्रारम्भण की पूर्ण अवस्था में है। बड़ी संख्या में प्रारम्भिक कठिनाईयों और उपकरण खराबियों के कारण वाणिज्यि के उत्पादन में विलम्ब हो गया। चूंकि संयंत्र ने वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया है, अतः संयंत्र को लाभ और हानि का प्रश्न नहीं उठता.

(ग) विभिन्न संयंत्रों की प्रारम्भण प्रक्रिया के दौरान पाई गई कमियों की शिनाख्त करने और उन्हें दूर करने के लिये निरन्तर प्रयास किये गये हैं और किये जा रहे हैं।

सातवीं योजना में तेल की खोज के लिए कार्यक्रम

402. **श्री हरिहर सोरन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं योजना में तेल की खोज के लिये 18,000 करोड़ रुपए का एक कार्यक्रम तैयार किया है,

(ख) क्या हमारा देश सातवीं योजना में शुरु किये जाने वाले, प्रस्तावित कार्यक्रमों से तेल के क्षेत्र में आत्म निर्भर बन सकता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो हमारा देश तेल के मामले में किस वर्ष तक आत्मनिर्भर बन सकता है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिये तेल की खोज के कार्यक्रम को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग) तेल की खोज में 65% की सीमा तक आत्म-निर्भरता प्राप्त हो गई है। चूंकि तेल की खोज का स्वरूप बहुत अधिक संभावना वाला है, तेल में आत्म-निर्भरता कब तक प्राप्त की जा सकती है, इसके लिये निश्चित रूप से बताना संभव नहीं होगा।

विद्युत परियोजना के पूरा होने में विलम्ब के कारण उनकी लागत में वृद्धि

403. **श्री राजेश कुमार सिंह** :

प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विद्युत परियोजनाओं के मामले में उनको चालू किये जाने में हुए विलम्ब के कारण लागत में प्रारम्भिक परिव्यय से लगभग दुगनी वृद्धि हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके पूरा किया जाने की समय तालिका कितनी बार बदली गई और उसके कारण क्या हैं; इन परियोजनाओ की लागत में किस सीमा तक पूरा हो जाने की आशा है और उनकी लागत में और अधिक वृद्धि को रोकने के लिए बदली गई

समय तालिका के अनुसार उनके पूरा किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खा) : (क) और (ख) सूचना एक की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली के टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता का उपयोग

404. **श्री जगपाल सिंह** :

श्री जगपाल सिंह कश्यप : **क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) दिल्ली में प्रमुख टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता का कितना उपयोग किया जाता है और उनकी प्रतिष्ठापित क्षमता (एक्सचेंज-वार) कितनी है;

(ख) उनकी प्रतिष्ठापित क्षमता के कम उपयोग के क्या करण हैं;

(ग) उनके कम उपयोग किए जाने के फलस्वरूप टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियों की संख्या में किस सीमा तक वृद्धि हुई है; और

(घ) सरकार द्वारा टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में कमी करने के लिए इन टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता के उपयोग में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) 1.6.1984 तक कुल सज्जित क्षमता तथा चालू कनेक्शनों का एक्सचेंज-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) इस समय क्षमता का कम उपयोग नहीं हो रहा है ।

(ग) उपरोक्त (ख) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नही उठता ।

(घ) परियोजनाओं की प्र गति पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है । और संस्थापित क्षमता का शीघ्र उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपस्कारों के बिलों, उपभोक्ता उपकणों एवं ट्रंक उपस्करों आदि से संबन्धित सभी गतिविधियों के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है ।

विवरण

अनुबंध

क्र०सं०	टेलीफोन एक्सचेंज	एक्सचेंज कोड	संस्थापित क्षमता	चालू कनेक्शन
1.	जनपथ	31	2940	2337
2.	"	32	5000	3983

1	2	3	4	5
3.	जनपथ	34	2450	2080
4.	"	35	2445	2076
5.	सचिवालय	37	5806	5359
6.	राजपथ	38	8700	8334
7.	कनाट प्लेस	4	4000	3754
8.	जोर बाग	61/69	12300	11446
9.	"	62	5000	5373
10.	तीस हजारी	62	4900	4102
11.	"	23	9800	9075
12.	"	251/252	17640	15474
13.	शक्ति नगर	711/712	19600	17961
14.	"	74	3500	3395
15.	शाहदरा	20	3920	3513
16.	"	21	2000	1879
17.	लक्ष्मी नगर	24	1150	1120
18.	दिल्ली गेट	26	9900	9343
19.	"	27	9200	8578
20.	ईदगाह	51	8800	8210
21.	"	52	9800	9348
22.	गाजियाबाद	84	3920	3641
23.	"	85	2050	1590
24.	शाहदरा	86	980	875
25.	चाणक्यपुरी	60	9800	6859
26.	"	67	7252	6961

1	2	3	4	5
27.	ओखला	63	6860	6574
28.	नेहरू प्लेस	64	9800	9269
29.	"	68	2100	2171
30.	हौज खास	65	7448	6257
31.	हौज खास	66	98000	8848
32.	फरीदाबाद	81	4800	4317
33.	कैन्ट	39	2700	2463
34.	राजौरी गार्डन	50	5880	5568
35.	"	53	9800	9360
36.	"	59	4900	4460
37.	जनकपुरी	55	2300	2209
38.	करौलबाग	56	9900	8983
39.	करौलबाग	57	9800	9153
40.	करौलबाग	58	8820	7738

अमरीका के साथ रेडियो, दूरदर्शन-कार्यक्रमों और फिल्मों का आदान-प्रदान

405. **डा० वसंत कुमार पंडित** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका के साथ रेडियो, दूरदर्शन कार्यक्रमों और फिल्मों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने का विचार है (पैट्रिअट, 27 मई, 1984) ;

(ख) भारत और अमरीका के बीच रेडियो तथा दूरदर्शन कार्यक्रमों और फिल्मों के आदान प्रदान के लिए अमरीका द्वारा दिए गए सहायता के आश्वासन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) दोनों देशों के बीच इस दिशा में कहां तक मतैक्य और समझौता हुआ है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा सन्सदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) , (ख) और (ग) शिक्षा संस्कृति सम्बन्धी भारत-अमरीकी उप

आयोग के तत्वाधान में फिल्म और प्रसारण सम्बन्धी संयुक्त समिति कार्य कर रही है। यह संयुक्त समिति उन तौर-तरीकों, जिनके द्वारा टेलीविजन, रेडियो, फिल्मों, इत्यादि के क्षेत्रों में कार्यक्रमों, विचारों इत्यादि के परस्पर आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया जा सकता है, का पता लगाने के लिए आवधिक बैठकें करती रही है।

इन निकायों की शर्तों के अन्तर्गत, टेलीवीजन कार्यक्रमों का आदान-प्रदान किया गया है और अकाशवाणी भी अमरीका के रेडियो संगठन के लिए कार्यक्रम भेजती रही है। कार्यक्रमों का आदान-प्रदान भी होता है। दोनों देशों के रेडियो प्रोडयूसरों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था तथा रेडियो और टी० वी० निर्माण में नए फार्मेटों और प्रविधियों पर विचार-विमर्श करने के लिये 16 किलोमीटर की फिल्मों के बारे में भी इसी प्रकार की एक कार्याशाला का आयोजन किया गया था। अमरीका में भारतीय फिल्मों का प्रदर्शन भी किया गया है।

इन क्षेत्रों में निरन्तर सहयोग की दिशा में प्रयास जारी हैं।

त्रिवेन्द्रम और कोचीन दूरदर्शन ट्रांसमीटरों से लाभान्वित होने वाले क्षेत्र

406. **प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम और कोचीन दूरदर्शन ट्रांसमीटरों से तालुका-वार किन-किन क्षेत्रों को कार्यक्रम प्रसारित किए जा सकेंगे ; और

(ख) वर्ष 1985 के अन्त तक केरल के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र में दूरदर्शन के कार्यक्रम प्रसारित होने लग जाएंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) त्रिवेन्द्रम, क्वीलोन, एर्नाकुलम, त्रिचुर, इद्दुक्की, कोट्टायम तथा एल्लेपी जिलों के त्रिवेन्द्रम और कोचीन के उच्च शक्ति करने वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटरों द्वारा पूरी तरह से कवर किए जाने की उम्मीद है। पालघाट और मालापुरम के भागों को भी इन ट्रांसमीटरों से दूरदर्शन सेवा प्राप्त होगी। तालुकवार कवरेज का निर्धारण ट्रांसमीटरों के चालू हो जाने के बाद वास्तविक क्षेत्र सर्वेक्षण के आधार पर किया जायगा।

(ख) केरल के 72.2 प्रतिशत क्षेत्र को 1985 के अन्त तक दूरदर्शन सेवा प्राप्त होने की उम्मीद है।

केरल में निर्माणाधीन तथा स्वीकृति के लिए लम्बित पन बिजली परियोजनाएं

407. **प्रो० पी०जे० कुरियन** : क्या उर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कितनी पन-बिजली परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं,

(ख) प्रत्येक पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है ;

(ग) प्रत्येक के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ;

(घ) केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति के लिए लम्बित केरल में प्रस्तावित पन-बिजली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ड़) सरकार की प्रत्येक के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) केरल में क्रियान्वित की जा रही सात जल-विद्युत स्कीमों का ब्यौरा विवरण-एक में दिया गया है ।

(घ) और (ड़) केरल के प्राधिकारियों प्राप्त हुई बारह जल-विद्युत स्कीमों का ब्यौरा विवरण-दो में दिया गया है ।

विवरण-1

निर्माणाधीन परियोजनाएं

क्र० सं०	निर्माणाधीन परियोजनाओं के नाम	3/84 तक खर्च की गई धनराशि (लाख रुपये में)	परियोजना के पूर्ण हो जाने की प्रत्याशित तारीख
1.	इदमलायार	70.74	1985-86
2.	इदुक्की जल-विद्युत परियोजना चरण-दो	19.53	1985-87
3.	इदूक्की जल-विद्युत परियोजना चरण-तीन	10.68	1985-86
4.	साबरीगिरी आवर्द्धन	5.46	1985-86
5.	कक्कड़ जल विद्युत परियोजना	8.95	1987-88
6.	कल्लाडा जल विद्युत परियोजना	0.54	1987-88
7.	लोअर पेरियार जल विद्युत परियोजना	2.39	1989-90

विवरण 2

स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी योजनाएं

क्रम सं०	स्कीम का नाम	क्षमता (मेगावाट)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	पुयानकुट्टी जल विद्युत परियोजना	750	पुयानकुट्टी परियोजना चरण-एक (2 × 120 मेगावाट) की परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इस शर्त पर स्वीकृत की गई थी कि पर्यावरण विभाग द्वारा इस परियोजना को पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति दे दी जाए। पर्यावरण विभाग की स्वीकृति की अभी प्रतीक्षा है जिसके प्राप्त हो जाने पर, इस स्कीम को राज्य-योजना में शामिल करने के लिए योजना आयोग से सिफारिश की जाएगी।
2.	मालमपुझा सिंचाई विभाग परियोजना के अन्तर्गत विद्युत उत्पादन स्कीम	215	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा पर्यावरण विभाग द्वारा परियोजना को स्वीकृति दे दी गई है और इसे राज्य-योजना में शामिल करने के लिए योजना आयोग से सिफारिश की गई। योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है।
3.	मुवत्तुपुझा घाटी जल-विद्युत परियोजना के अन्तर्गत विद्युत उत्पादन स्कीम	6	-तदेव-
4.	मदुपट्टी जल-विद्युत परियोजना	2	-तदेव-
5.	चिमोनी बांग परियोजना के अन्तर्गत विद्युत उत्पादन स्कीम	2.5	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परियोजना रिपोर्ट की जांच की जा रही है। परियोजना प्राधिकारियों को मार्च 1984 में जल-विज्ञान सम्बन्धी टिप्पणियां भेजी गई थीं। इन टिप्पणियों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। स्कीम की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता सिद्ध हो जाने के पश्चात् इस स्कीम पर विचार किया जायगा।

1	2	3	4
	6. चालाकुडी	200	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण। केन्द्रीय जल आयोग में परियोजना रिपोर्ट की जांच की गई है और परियोजना प्राधिकारियों को जल-विज्ञान सम्बन्धी टिप्पणियों, सिविल डिजाइन तथा लागत अनुमान भेजे गये हैं और इनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। स्कीम की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता सिद्ध हो जाने के पश्चात् केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इस स्कीम पर विचार किया जाएगा।
	7. मनन्तवाडी बहुद्देश्यीय स्कीम	240	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग द्वारा परियोजना रिपोर्ट की जांच की गई है और परियोजना अधिकारियों को टिप्पणियां भेजी गई हैं। चूंकि परियोजना में सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए मनन्तवाड़ी नदी, जो काबिनी (कावेरी बेसिन) की एक सहायक नदी है, के जल को पश्चिम की ओर व्यपवर्तन करना निहित है, इसलिए इस परियोजना के अन्तर्राज्यीय पहलू को हल करने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, यह बहुद्देशीय परियोजना होने के कारण, इस स्कीम को पहले योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। इसके पश्चात केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विद्युत भाग पर विचार किया जाएगा।
	8. पल्लीवासल प्रतिस्थापन	240	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा केन्द्रीय जल आयोग में परियोजना रिपोर्ट की जांच की जा रही है। राज्य के प्राधिकारियों को विद्युत सम्बन्धी पहलुओं, निर्माण मशीनरी तथा सिविल डिजाइन पहलुओं से सम्बन्धित टिप्पणियां भेजी गई थीं और अभी इनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। स्कीम की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता सिद्ध हो जाने के पश्चात् इस स्कीम पर स्वीकृति के लिए विचार किया जाएगा।
	9. कुरियारकुट्टी करापारा	95	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में परियोजना रिपोर्ट की जांच की गई है जिन्होंने सिविल डिजाइन, जल-विज्ञान

1	2	3	4
			तथा विद्युत सम्बन्धी अनुमानों पर टिप्पणियां भेजी हैं। तथापि, पर्यावरण विवरण विभाग द्वारा यह परियोजना स्वीकार योग्य नहीं पाई गई है।
10.	कुट्टियाडी आवर्द्धन स्कीम		परियोजना रिपोर्ट की जांच कर ली गई है। लागत अनुमानों के सम्बन्ध में भेजी गई और टिप्पणियां के उत्तर परियोजना प्राधिकारियों से प्राप्त नहीं हुए हैं। इस परियोजना में मौजूदा कुट्टियाडी विद्युत घर में विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए करमेनथोडु नदी, जो कावेरी बेसिन में काबिनी की एक सहायक नदी है, के जल को पश्चिम की ओर व्यवर्तित करना शामिल है। अन्तर्राज्यिक पहलुओं के तय हो जाने के बाद इस स्कीम पर तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के लिए विचार किया जाएगा।
11.	पेडियार पुन्नापुझा टेलरेस	70	परियोजना रिपोर्ट की जांच कर ली गई है। इस स्कीम का तमिलनाडु के प्राधिकारियों द्वारा तैयार की गई पेंडियार पुन्नापुझा परियोजना के टेल-रेस विकास के रूप में प्रस्ताव किया गया है। केरल की पेंडियार पुन्नापुझा टेल-रेस स्कीम पर, तमिलनाडु स्कीम के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निर्णय ले लिए जाने तथा अन्तर्राज्यिक पहलुओं के हल हो जाने के बाद ही विचार किया जा सकता है।
12.	पेप्परा लघु जल-विद्युत परियोजना	3	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में परियोजना रिपोर्ट की जांच की जा रही है और आयोजना सम्बन्धी पहलुओं पर जून, 1984 में टिप्पणियां भेजी गई थीं। इनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

केरल में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

408. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये, मण्डल-वार कुल कितने लोगों के नाम प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) उन सभी लोगों को कनेक्शन देने के लिए यदि कोई विशेष प्रयास किया गया है तो वह क्या है; और

(ग) उन सभी लोगो को कनेक्शन कब तक दे दिये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) केरल दूरसंचार सर्किल में 1-6-1984 को प्रतीक्षा सूची में दर्ज कुल आवेदकों की मंडलवार संख्या इस प्रकार है :—

क्र० सं०	मंडल	प्रतीक्षा सूची
1.	त्रिवेन्द्रम तार मंडल	1782
2.	क्वीलोन तार मंडल	2148
3.	तिरुल्ला तार मंडल	1657
4.	एल्लेप्पी तार मंडल	514
5.	कोट्टायम तार	3499
6.	कोट्टायम फोन	1426
7.	थोडुपुजा तार मंडल	1396
8.	एर्नाकुलम तार मंडल	2148
9.	त्रिचुर फोन्स	2545
10.	त्रिचुर तार मंडल	2955
11.	पालघाट	1579
12.	कालकिट तार मंडल	3983
13.	कन्नानौर तार मंडल	2277
14.	कासरगाह तार मंडल	2850
15.	त्रिवेन्द्रम टेलीफोन जिला	4959
16.	एर्नाकुलम टेलीफोन जिला	5300
17.	कालकिट टेलीफोन जिला	1857
	योग :	42875

(ख) मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार किया जा रहा है और नए एक्सचेंज खोले जा रहे हैं जो उपस्कर और विधि की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

(ग) मौजूदा प्रतीक्षा सूची 7वीं योजना अवधि के दौरान निपटाए जाने की सम्भावना है ।

टेलीफोन एक्सचेंज के कर्मचारियों द्वारा सीधी टेलीफोन सुविधा के मीटरों में हेरा फेरी

409. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1984 से लेकर अब तक सीधी टेलीफोन सुविधा वाले टेलीफोनों के के मीटरों आदि में हेरा-फेरी करने वाले कितने कर्मचारियों को पकड़ा गया है;

(ख) क्या सीधी टेलीफोन सुविधा वाले टेलीफोनों के मीटरों में हेरा-फेरी करने की प्रवृत्ति वाले कर्मचारियों को पकड़ने के लिए कोई सतर्कता उपाय किए गए हैं; और

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा 1 जनवरी, 1984 से लेकर अब तक किए गए इस प्रकार के सतर्कता उपायों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) शून्य ।

(ख) जी हां ।

(ग) (एक) सतर्कता स्टाफ द्वारा कक्ष/एम० डी० एस० आदि की आकस्मिक दौरा/निरीक्षण करना ।

(दो) अलग-अलग मीटरों की पन्द्रह दिन की रीडिंग रखी जाती है और कॉलिंग पैटर्न में पाए गए असामान्य अन्तर की जांच की जाती है ।

(तीन) जूनियर इंजीनियर की देख रेख में मीटर-कक्ष में ताला लगाया जाता है मीटर कक्ष में प्रवेश पर रोक है ।

(चार) सभी मीटर सील करना ।

(पांच) उपभोक्ता के टेलीफोन मीटर की रेंडम जांच करना ।

(छः) संदिग्ध कार्य करने वाले अथवा परिवहन और सम्बद्ध कार्य करने वाले उपभोक्ताओं के मीटरों के कार्यकरण पर विशेष ध्यान रखा जाता है ।

मै० बरोज वेलकम को जारी किया गया कारण बताओं नोटिस

410. **श्री बनवारी लाल बेला** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) मैं० बरोज वेलकम को पर्याप्त विस्तार कार्य करने के लिए किस आधार पर कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है;

(ख) इस बारे में कम्पनी की अब तक क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) कम्पनी से संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में इन्डस्ट्रीज (डी० आर०) एक्ट के अन्तर्गत क्या दण्ड दिया जायेगा ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) मैसर्स बरोज वेलकम को उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 13 (1) (घ) के अधीन प्रारम्भिक तौर पर एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है ।

(ख) कारण बताओं नोटिस के उत्तर में कम्पनी ने एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है और 19 जुलाई 1984 को मंत्रालय में उनकी सुनवाई भी हुई है। सुनवाई में कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों के समर्थन में कम्पनी को और सूचना प्रस्तुत करने को कहा गया है।

(ग) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम की धारा 24 में उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए दण्ड की व्यवस्था है ।

निर्यात दायित्व के लिए औषध कम्पनियों की उत्पादन क्षमता का पुनः अनुमोदन

411. **श्री बनवारी लालवेखा**: क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके मामले में 1983 और 1982 की क्षमता पुनः अनुमोदन योजना के अन्तर्गत निर्यात वायित्व की शर्त के साथ अधिक उत्पादन क्षमता मंजूर की गई है;

(ख) क्या कम्पनियों द्वारा निर्यात दायित्व पूरा करने से इंकार किये जाने अथवा पुराने किये जाने की स्थिति में बढ़ाई गई क्षमता का अनुमोदन रद्द हो जायेगा ;

(ग) निर्यात दायित्व की शर्त रखने के क्या कारण हैं जबकि इस प्रकार अनुमोदित वल्क ड्गों/फार्मूलेशनों की घरेलु मांग उत्पादन से बहुत अधिक हैं ; और

(घ) क्या उन फैरा कम्पनियों के लिए निर्यात दायित्व समाप्त हो जाती है, जो भविष्य में गैर "फैरा" कम्पनी बन जाती है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री बंसत साठे) : (क) निम्नलिखित कम्पनियों को अप्रैल,

1982 की योजना के अधीन निर्यात बाध्यताओं के साथ क्षमताओं का पुनर्पृष्ठांकन स्वीकृत किया गया है :—

1. मैसर्स मे एण्ड बेकर इण्डिया लि०

2. मैसर्स रोश प्रोडक्ट्स लि०

3. मै० सिनामिड इण्डिया लि०

4. मै० मर्क शार्प एण्ड धोमे लि०

5. मै० हेक्स फार्मेस्यूटिकल्स लि०

6. मै० बूट्स कम्पनी (इण्डिया) लि०

7. मै०सेंडोज इण्डिया लि०

8. मै० वैयथ लैन, लि०

किसी भी कम्पनी को अप्रैल, 1983 की नीति के अधीन निर्यात बाध्यता के साथ क्षमता के पुर्नषृष्ठांकन का लाभ स्वीकृत नहीं किया गया है।

(ख) निर्यात बाध्यता से सम्बन्धित शर्त औद्योगिक अनुमोदन लाइसेंस का अंग है और उसको कार्यान्वित न करना पूर्ति का उल्लंघन समझा जाएगा।

(ग) फेरा/एम० आर० टी० पी० कम्पनियों पर निर्यात बाध्यता इस मंत्रालय के दिनांक 17.10.1981 के प्रेस नोट की शर्त सं० 2 के अन्तर्गत लगाई जाती है जो स्वदेशी उपलब्धता तथा संबंधित कम्पनियों की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए लगाइं जाती है।

(घ) जी नहीं।

तालचेर कोयला क्षेत्र में उन्नत खनन प्रणालियां लागू करना

412. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उनके मंत्रालय में तालचेर कोयला क्षेत्र में उन्नत खनन प्रणालियां लागू करने का अनुरोध किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) उड़ीसा सरकार से बेहतर खनन प्रणालियां अपनाने का कोई निश्चित अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

बोलंगीर, उड़ीसा में रेडियो स्टेशन स्थापित करना

413. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उड़ीसा राज्य में बोलंगीर में एक रेडियो स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने में संभवतः कितना समय लगेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) छठी योजना के दौरान बोलंगीर में रेडियो स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गुजरात के गांधार क्षेत्र में उच्च किस्म के हल्के तेल का मिलना

414. **श्री आर० पी० गायकवाड** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में पडौचिजले के पाथरा तालुक में गांधार क्षेत्र में चार आशाजनक क्षेत्रों से उच्च किस्म का हल्का तेल प्राप्त हुआ है ?

(ख) क्या रिगों की अनुपलब्धता के कारण इन तेल युक्त स्थानों के दोहन के कार्य में बिलम्ब होने की संभावना है,

(ग) गांधार के इस आशाजनक क्षेत्र से कितनी मात्रा में हल्का तेल मिलने की संभावना है, और

(घ) उपरोक्त क्षेत्रों से नियमित दोहन के कार्य में तेजी लाने की दृष्टि से रिग लगाने और खुदाई कार्य शुरु करने के कार्यक्रम की पुनरीक्षा के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) गन्धार में खोदे गये कुएं में से तेल निकाला था ।

(ख) जी, नहीं । तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग से पहले ही इस संरचना में तेल की खोज के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया है । दूसरे कुएं की खुदाई का काम इस वर्ष में ही चालू किया जाएगा ।

(ग) तेल की मात्रा जो इस संरचना से उत्पादित हो सकेगी ; आगे और खोज किए जाने के परिणामों पर निर्भर होगी।

(घ) उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता है।

पश्चिमी राज्यों में ताप बिजली क्षमता के विस्तार के लिए विश्व बैंक ऋण

415. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एक समाचार पत्र में प्रकाशित उस समाचार की ओर आकर्षिक किया गया है जिसमें बताया गया है कि विश्व बैंक ने भारत के पश्चिमी राज्यों; अर्थात गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बिजली की कमी को दूर करने और ताप बिजली क्षमता का विस्तार करने की एक परियोजना के लिए 1354 लाख डालर का ऋण मंजूर किया है ;

(ख) यदि हां, तो 1354 लाख डालर के कुल ऋण में से कितनी धनराशि गुजरात की ताप बिजली क्षमता का विकास करने की परियोजना के लिये निश्चित की गई है ; और

(ग) क्या विश्व बैंक के इस ऋण से गुजरात में बिजली की कमी को दूर करने के लिए नया एकक स्थापित किए जाने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) महाराष्ट्र में एक परियोजना के लिए विश्व बैंक ने 135.4 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण अनुमोदित कर दिया है, जिसके क्रियान्वित हो जाने से बम्बई महानगरीय क्षेत्र में से गुजरात अथवा मध्य प्रदेश की परियोजनाओं के लिए कोई राशि प्रारक्षित नहीं की गई है ।

पानी उठाने और बिजली पैदा करने के लिए विकसित किया गया हल्का सौर ऊर्जा संयंत्र

416. **डा० वसंत कुमार पंडित** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय और सोवियत वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से उजबेक विज्ञान अकादमी ताशकंद के भौतिक-तकनीकी संस्थान में पानी उठाने और ऊर्जा पैदा करने के लिए हल्के सौर ऊर्जा संयंत्र का विकास किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तैयार हो जाने पर इस वाणिज्यिक हल्के सेट का मूल्य कितना होगा ;

(ग) क्या भारत सोवियत संयुक्त उपक्रम भारत में हल्के सौर ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की परियोजना स्थापित करने की योजना बना रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) सोवित वैज्ञानिकों के सहयोग से जल पम्पों तथा बैट्रियों के चलाने हेतु 500 वाट क्षमता वाली सौर विद्युत यूनिट के विकास के लिए अनुसंधान और विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह अनुसंधान और विकास कार्यक्रम प्रगति पर है।

(ख) से (घ) अनुसंधान और विकास कार्य के पूरा हो जाने के बाद ही इस पर विचार किया जा सकता है।

घटिया कोयले की सप्लाई सम्बन्धी ताप एककों द्वारा शिकायतें

417. **श्रीमती विद्या चेन्नुपति** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा सप्लाई किए गए घटिया कोयले के बारे में ताप विद्युत एककों से शिकायतें प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध के क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) ताप विद्युत केन्द्रों को बड़े साइज और घटिया गुणवत्ता वाले कोयले की सप्लाई के सम्बन्ध में समय-समय पर शिकायतें हैं। मामला कोयला कम्पनियों और अन्य सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है। वे भी शिकायतों की मानीटरिंग और उन पर अनुवर्ती कार्यवाही करते हैं। किए गए उपचारी उपायों में ये शामिल हैं; कोयला कम्पनियों में गुणवत्ता नियन्त्रण संगठनों की स्थापना करना, कोयला हैंडलिंग संयंत्रों को शीघ्र प्रतिष्ठापित करना तथा कोयले की सैम्पलिंग और ग्रेडिंग करने के लिए कोयला नियन्त्रक नामक एक सांविधिक निकाय का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त विद्युत केन्द्रों पर कोयले के संयुक्त सैम्पल लिए जाने का भी निर्णय किया गया है।

आदिवासी भाषाओं में समाचारों का प्रसारण

418. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आदिवासी भाषाओं को उचित महत्व देने के लिए कोई कदम उठाए हैं और उनमें प्रसारण की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो देश में आदिवासी भाषाओं में समाचार प्रसारित करने वाले रेडियो स्टेशन कौन-कौन से हैं ;

(ग) कौन-कौन सी आदिवासी भाषाओं में समाचार तथा कार्यक्रम प्रसारित करने की व्यवस्था की गई है ;

(घ) क्या उड़ीसा में कटक रेडियो स्टेशन संथाली भाषाओं में समाचार प्रसारित कर रहा है ;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(च) उड़ीसा के सभी रेडियो स्टेशनों तथा अन्य केन्द्रों से संथाली भाषाओं में समाचार प्रसारित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं क्योंकि यह भाषा उड़ीसा और अन्य पड़ौसी राज्यों के बहुत से आदिवासियों द्वारा बोली जाती है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) आकाशवाणी, अगरतला, ऐजवाल, कलकत्ता, कालीकट, डिब्रूगढ़, गोहाटी, इम्फाल, जम्मू, कोहिमा, लेह और शिलांग आदिवासी भाषाओं में समाचा प्रसारितर करते हैं ।

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) और (च) आकाशवाणी, कलकत्ता, जिसमें 100 किलोवाट मीडियम वेव का ट्रांस-मीटर है, 18.10 बजे से 18.15 बजे तक संथाली में एक समाचार बुलेटिन हर रोज पहले ही प्रसारित कर रहा है । ये प्रेषण उड़ीसा के संथाली भाषी क्षेत्र कवर करते हैं । इसलिए उड़ीसा में स्थित आकाशवाणी केन्द्रों से संथाली में समाचार बुलेटिन शुरू करने का अब कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विवरण

आदिवासी बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करने वाले आकाशवाणी केन्द्रों की सूची

क्र० सं०	केन्द्र के नाम	आदिवासी बोली
1.	अम्बिकापुर	ओरांव
		गोंडी
		सदरी
2.	तेजू	दिगारु
		मिशमी
		खम्पती
3.	इन्दौर	बागड़ी
4.	पोर्ट ब्लेयर	निकोबारी

1	2	3
5.	जलगांव	भिलोरी
6.	रांची	ओरांव
		मुन्दारी
		हो
		खाड़िया
		संथाली
7.	ऐजवाल	भारा
		पैहते
		हमर
8.	सम्बलपुर	किसार
		मुन्डा
		ओरांव
		खाड़िया
		बिनझल
		कोल्हा
		कान्धा
9.	गोहाटी	रभा
		लालुंग
		देवरी
		गारी
		खासी
		जैन्तिया
		मिजो
10.	शिमला	किन्नोरी
		लेहोली
		स्पीती
		पंगबाली

1	2	3
11.	इम्फाल	चैफाई मारिंग अनाल कचा-नागा ओऊ कोम सेमोल मिजो गंगते मारम सिमटो चिरू छाथे लाम-कांग मयोन कोनसांग कोयरंग
12.	त्वांग	शेरदुकपन खावा भागड़ी मिजी खाम्पा अदि अपातनी खम्पती ताग्निी बोदो नागा पेमाकोपा खासी गारो

क्रम सं०	केन्द्र का नाम	आदिवासी बोली
		शिनफे
		पदम
		मिजो
		दिगारू
		मिशमी
		इदु-मिशमी
		लेपया
		मोनपा
		कूकी
13.	पासीघाट	अदि
14.	उदयपुर	वागरी
15.	कुर्सियांग	भुटानी
		सिक्किमी
		लेपचा
16.	भागलपुर	सथाली
17.	जगदलपुर	हतबी
		गोंडी
18.	गंगतोक	सिक्किमी (भुटिया)
		लेपचा
		लिम्बू
19.	सिल्चर	डिमासा

आदिवासी भाषा में समाचार प्रसारित करने वाले आकाशवाणी केन्द्रों की सूची

1.	अगरतला	त्रिपुरा (काक-बोरोक)
2.	ऐजवाल	मिजो
3.	कलकत्ता	संथाली
4.	कालीकट	माहल
5.	डिब्रुगढ़	वाची
		अहदी

क्रम सं०	केन्द्र का नाम	आदिवासी बोली
		निशि
		अपातनी
		टगंसा
		नूटे
		तागिन
		खम्पति
		इदुमिशनी
		मिजोमिशीम
6.	गोहाटी	बोदो
		कबरी
7.	इम्फाल	हमर
		पैंते
		कबाई
		थडोऊ
		भाओ
		थंगखुल
8.	जम्मू	गोजरी
9.	कोहिमा	संगतान
		थिन्थुगेर
		कोन्माक
		फोम
		चंग
		जेलैंग
		कूकी
		रेंगमा
		सेमू
		लोथा

1	2	3
		चारवेसंग
		ओरे
		अन्गामी
10.	लेह	लद्दाखी
11.	शिलाग	मिजो
		गारो
		खासी
		जेन्तिया

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन

419. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने विभिन्न राज्यों ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को तेज करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को मार्ग निर्देश भेजे हैं ;

(ख) यदि हां, तो छटी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उड़ीसा के विभिन्न जिलों में अब तक कितने गांवों को ग्रामीण विद्युतीकरण कार्मक्रम के अन्तर्गत लाया गया है ;

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक मयूरभंज जिले में कितने और गांवों में बिजली पहुंचाने की आशा है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खाँ) : (क) ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें, क्रमश: अपने-अपने क्षेत्रों में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों, राज्य बिजली बोर्डों, द्वारा तैयार की जाती हैं और क्रियान्वित की जाती हैं तथा राज्य योजनाओं के अन्तर्गत ग्राम विद्युतीकरण निगम तथा वित्तीय संस्थानों की सहायता से पूरी की जाती हैं। ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें तैयार करने और इनका क्रियान्वयन करने की मुख्य रूप से जिम्मेदारी राज्य बिजली बोर्डों की है। ग्राम विद्युतीकरण निगम, राज्य बिजली बोर्डों द्वारा भेजी गई स्कीमों का मुख्य रूप से वित्त पोषण करता है और इनको तैयार करने तथा इनके क्रियान्वयन में भी उनकी सहायता करता है। ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रमों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, इनके क्रियान्वयन को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। संशोधित 20 सूत्री कार्यक्रम में सभी गांवों का यथा संभव शीघ्र विद्युतीकरण किया जाना शामिल है।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना (1. 4. 1980 से 31. 5. 1984 तक) के दौरान उड़ीसा राज्य के विभिन्न जिलों में 5310 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है।

(ग) 1984-85 (छठी योजना के अन्तिम वर्ष में) के दौरान उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा मयूरभंज जिले में 286 गांवों को विद्युतीकरण किए जाने की आशा है ।

वर्ष 1984-85 के दौरान दूरसंचार क्षेत्र में हुई उपलब्धियां

420. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में दूरसंचार क्षेत्र की उपलब्धियां निर्धारित लक्ष्यों से कम होने की संभावना है,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) वर्ष 1984-85 में उक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये क्या उपाय किये जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) (क) जी हां ।

(ख) लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियों में कमी आने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :

(एक) दूरसंचार उपस्करों की देशी विनिर्माण क्षमता का अपर्याप्त होना ।

(दो) भारतीय टेलीफोन उद्योग में 1980-81 के दौरान दीर्घकालीन हड़ताल ।

(तीन) मुख्यतः, स्वदेशी संसाधनों को विकसित करने के उद्देश्य से किये गये प्रयासों की वजह से आयात में बिलंब ।

(ग) वर्ष 1984-85 छठी योजना काअन्तिम वर्ष है । सप्लाई की अत्यावश्क मदों को प्राप्त करने की दिशा में विशेष ध्यान देते हुए अधिक से अधिक परियोजनाओं को चालू करने के प्रयास किये जायेंगे ताकि लक्ष्यों में जो कमी आई है उसे कम कम रखा जा सके ।

कोयला खानों के मुहानों पर कोयले, बढ़ते भण्डार और उसका निर्यात

421. **श्री मनमोहन टुडु**: क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला खानों के अनेक मुहानों पर कोयले के भंडार बढ़ते जा रहे हैं ;

(ख) क्या कोल इन्डिया का विचार वहीं से कोयला निर्यात करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) वर्ष

की अप्रैल से सितम्बर तक की अवधि के दौरान खान मुहाना स्टाकों से कोयला निकालने के कारण सामान्यत: कोयला स्टाक कम हो जाता है, लेकिन अक्टूबर से मार्च के दौरान खानों में उत्पादन बढ़ने से स्टाक में वृद्धि हो जाती है। दिनांक 30. 6. 1984 की स्थिति के अनुसार को० इं० लि० की खानों में खान मुहानों पर कोयले का बंद स्टाक 21.36 मि० टन था।

कोल इण्डिया लि० पारम्परिक खरीदारों को पहले ही कोयला निर्यात कर रहा है। यह हैं—बांगला देश, नेपाल और भूटान। इसके अतिरिक्त पर्याप्त उपलब्धि और उपर्याप्त घरेलू मांग के कारण यह निर्णय किया गया। भारत कोकिंग कोल लि० का विशेष कम वाष्पशील कोयला प्रतिवर्ष 5 लाख टन और सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० के तालचेर कोयला क्षेत्र का प्रतिवर्ष 3 लाख टन तक कोयला निर्यात के लिए दिया जाये।

प्रमुख औद्योगिक घरानों के कार्यकारी अधिकारियों के निवास स्थानों पर सुरक्षा गार्डों पर खर्च की गई धनराशि

422. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** 6 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1411 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा प्रमुख औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कार्यकारी अधिकारियों के निवास स्थानों पर सुरक्षा गार्डों तथा अनेक नौकरों की व्यवस्था पर व्यय करने तथा कम्पनी व्यवसाय के नाम पर मनोरंजन पर असीमित धनराशि व्यय करने, जिसे शेयरधारियों द्वारा वहन किया जाता है, के प्रश्न की वैधता पर विचार किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा सम्बंधित कम्पनी के नाम खाते में इस व्यय को डालने की औचित्यता तथा वैधता क्या है ; और

(ख) क्या उनके मंत्रालय द्वारा (एक) बिरला (दो) जे० के० सिंघानिया तथा (तीन) मोदी के औद्योगिक घरानों के बारे में मांगी गई अपेक्षित जानकारी सभा पटल पर रखी जायेगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) संसद प्रश्न संख्या 1411 के उत्तर में जैसा पहले उल्लेख किया गया था कि पब्लिक लि० कम्पनियों और उनकी सहायकों के प्रबन्धकीय निदेशकों, पूर्णकालिक निदेशकों और प्रबंधकों की परिलब्धियों सहित पारिश्रमिक को, कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों और समम समम पर सरकार द्वारा जारी की गई मार्गदर्शिका के अन्तर्गत नियमित किया जाता है। उपर्युक्त मनोरंजन और प्रबन्धकीय कार्मिकों के निवास स्थानों पर सुरक्षा गार्डों पर किए गए व्यय को विद्यमान मार्गदर्शिका के अन्तर्गत परिलब्धियों के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाता है। उनके कार्यकारियों के निवास स्थानों पर सुरक्षा गार्डों आदि पर व्यय और कम्पनी के कारोबार की वृद्धि में किए गये मनोरंजन पर व्यय ना तो निशिद्ध है और ना ही कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत नियमित किया जाता है। इन परिस्थतियों में, इस मन्त्रालय को इसकी वैधता पर जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(ख) इस प्रकार की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है तथा इसमें किये जाने वाले प्रयास पर विचार करते हुए, अपेक्षित सूचना को सुनिश्चित करना सम्भव नहीं है क्योंकि इन औद्योगिक घरानों के अन्तर्गत कम्पनियों की संख्या बहुत जयादा है। तथापि, अगर माननीय सदस्य किसी विशेष कम्पनी के सम्बन्ध में सूचना जानना चाहते हैं तो वह सुनिश्चित की जा सकती है तथा प्रस्तुत की जा सकती है।

प्रधान मन्त्री के भाषणों के टेप रिकार्ड और लाल किला में झंडा फहराने के फोटो की सप्लाई

423. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता दिवस को लाल किला, दिल्ली पर प्रधान मंत्री द्वारा दिए जाने वाले भाषणों के टेपरिकार्ड तथा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के फोटो उनके मन्त्रालय या किसी अन्य एजेंसी द्वारा रखे जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई भी गैर-सरकारी एजेंसी सरकार की पूर्व अनुमति के बिना ऐसी सार्वजनिक रूप से दिखाने के लिए ऐसी वीडियो फिल्में बना सकती है जिनमें इन भाषणों का उल्लेख तथा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के फोटो दिए हों और यदि अनुमति आवश्यक है तो यह अनुमति के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है ;

(ग) प्रधान मन्त्री भाषणों के टेप-रिकार्डों और झंडा फहराने के फोटो की सप्लाई के लिए किसी प्राधिकारी से अनुरोध किया जाए ; और

(घ) क्वा इस बारे में कुछ धनराशि ली जाती है और यदि हां, तो कितनी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (**श्री० एच० के० एल० भगत**) : (क) जी हां। जहां तक सूचना और प्रसारण मन्त्रालय का संबंध है, स्वतंत्रता दिवस को प्रधान मन्त्री द्वारा राष्ट्र को दिए गए भाषणों के टेप रिकार्ड आकाशवाणी रखता है तथा उन भाषणों के कवरेज के फोटो/न्यूजरीलें फोटो प्रभाग और फिल्म प्रभाग रखते हैं।

(ख) आकाशवाणी शिक्षा तथा अनुसंधान के वास्तविक प्रयोजनों के लिए भाषणों की डबिंग की निःशुल्क अनुमति प्रदान करता है। तथापि, भाषणों का वाणिज्यक उपयोग करने के लिए कापीराइट की दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।

(ग) और (घ) : फिल्म प्रभाग विवरण-1 में दी गई दरों के भुगतान पर चित्र और ध्वनि दोनों से युक्त स्टाक शाट सप्लाई करता है।

फोटो प्रभाग विवरण-2 में दी गई दरों के भुगतान पर फोटो सप्लाई करता है।

विवरण-1

	भारत	विदेश
(क) चित्र भाग 35 मिलीमीटर	सादा रंगीन	सादा रंगीन
डाकुमेंट्री फिल्मों में प्रयोग के लिए	80 रुपए से 130 रुपए तक	100 रुपए से 160 रुपएं तक
फीचर फिल्मों में प्रयोग के लिए	100 रुपए से 160 रुपए तक	130 रुपए से 190 रुपए तक
(ख) संगीत प्रभावों के स्टाक-शाट :		
डाकुमेंट्री फिल्मों में प्रयोग के लिए	60 रुपये	70 रुपए
फीचर फिल्मों में प्रयोग के लिए	70 रुपये	80 रुपए

(ग) 16 मिलीमीटर में स्टाक-शाट की सप्लाई के मामले में, उसी गेज की तदनुरूप लम्बाई की फिल्म के लिए वही दर गिनी जाएगी अर्थात 16 मिलीमीटर लम्बी फिल्म की दरें 35 मिलीमीटर लम्बी फिल्म की दरों से ढाई गुणा होंगी ।

विवरण-2

"मूल्य स्कीम" के अन्तर्गत फोटो प्रभाग की फोटोग्राफ्स की सप्लाई की दरें ।

सादा	प्रत्येक का मूल्य (रुपए)
(क) प्रिन्टों के आकार	
7.5 × 10 सेंटीमीटर (3" × 4")	1.50
10 × 15 सेंटीमीटर (4" × 5")	3.00
15 × 20 सेंटीमीटर (6" × 8")	5.00
25 × 30 सेंटीमीटर (10" × 12")	10.00
30 × 37.5 सेंटीमीटर (12" × 15")	15.00
40 × 50 सेंटीमीटर (16" × 20")	30.00
50 × 60 सेंटीमीटर (20" × 24")	40.00
50 × 75 सेंटीमीटर (20" × 30")	50.00
75 × 100 सेंटीमीटर (30" × 40")	90.00
100 × 150 सेंटीमीटर (40" × 60")	160.00
150 × 200 सेंटीमीटर (60" × 80")	300.00
200 × 300 सेंटीमीटर (80" × 120")	600.00

उड़ीसा राज्य को अनुसूचित जातियों की बस्तियों में बिजली पहुंचाने के लिए दी गई धनराशि

424. **श्री के० प्रधानी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य के ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को उड़ीसा राज्य में आदिवासी क्षेत्रों और अनुसूचित जाति की बस्तियों में बिजली पहुंचाने के लिए, चालू वर्ष के दौरान ऋण के रूप में कितनी धनराशि दी गई है; और

(ख) उक्त राज्य के अदिवासी क्षेत्रों में कितने गांवों में बिजली पहुंचाने की आशा है और जिन गांवों में बिजली पहुंचा दी गई है इनमें किन लोगों के घरों में कनेक्शन दिए जाएंगे ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) योजना आयोग द्वारा राज्य में 1984-85 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए 14.08 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। योजना आयोग द्वारा जनजातीय गांवों तथा हरिजन बस्तियों के

विद्युतीकरण के लिए कोई पृथक आबंटन नहीं किया जाता तथापि, ग्राम विद्युतीकरण निगम (आर.ई.सी.) ने अपनी ओर से, प्रत्येक राज्य में जनजातीय क्षेत्रों के लिए ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के वास्ते अनुमोदित योजना परिव्यय का 15% न्यूनतम परिव्यय उपलब्ध करना है। जहां तक हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का संबंध है, ग्राम विद्युतीकरण निगम ने (हरिजन बस्तियों का विशेष श्रेणी के रूप में स्वीकृति देने के अतिरिक्त) अन्य क्षेत्र की स्कीमों को स्वीकृत करते समय वह शर्त रखी है कि संबन्धित राज्य बिजली बोर्ड स्वीकृत ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के अन्तर्गत आने वाले के निकटवर्ती सभी हरिजन बस्तियों को विद्युती- कृत करने का कार्य हाथ में लेगा। उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों तथा हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ग्राम विद्युतीकरणनिगम से अभी तक कोई ऋण नहीं लिया है।

(ख) उड़ीसा सरकार से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में 415 गांवों का विद्युतीकरण 1984-85 के दौरान किए जाने की आशा है। विद्युतीकृत गांवों में घरेलू कनेक्शनों की संख्या उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगी।

उड़ीसा में चलाये गये भू-कम्पनीय सर्वेक्षण के दौरान एकत्र किए गये आकड़ों का अध्ययन

425. **श्री के० प्रधानी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में तट पर और तट दूर दोनों जगहों पर चलाये गए भूकम्पीय सर्वेक्षण के दौरान एकत्र किए गए आंकड़ों के अध्ययन में अब तक कितनी प्रगति हुई है, और

(ख) यदि कोई स्थान छिद्रण के उपयुक्त पाए गए हों, तो ये कहां-कहां स्थित हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र): (क) और (ख) उड़ीसा अपतट क्षेत्र में 31.78 लाईन किलोमीटर भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया गया था। इस प्रकार एकत्र किये गये आंकड़ों को संसोधित किया गया और दो कूएं खोदे गये। आंकड़ों को पुन : संसोधित और पुन : प्रतिपादित किया गया और 6 कूओं की खुदाई का एक कार्यक्रम बनाया गया था। तीन कूओं की खुदाई की जा चुकी है और चौथे कूएं की खुदाई की जा रही है। अभी तक वहां हाइड्रोकार्बनों के कोई संकेत नहीं मिले हैं।

उत्तरी पूर्वी तट (उड़ीसा अपतट) में, 4451 लाईन किलोमीटर का भूगर्भीय सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है। इन आकड़ों के एक भाग का संसाधन किया जा रहा है। और बकाया आंकड़ों को संसोधित करने के लिए व्यवस्था की जा रही है। किसी खुदाई स्थल को अभी तक निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

उड़ीसा तटीय क्षेत्र में 3814 लाईन किलोमीटर भूगर्भीय सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और आंकड़े संसधित किये गये हैं। चार खुदाई स्थलों का पता लगाया गया है उनमें से दो का 1984-85 में खुदाई करने का प्रस्ताव है।

विभिन्न पेट्रो-रसायन मदों के लिए वर्ष 1983 और 1984 में मंजूर की गई नई क्षमताएं

426. **श्री के० प्रधानी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में विभिन्न पेट्रो-रसायन मदों के लिए वर्ष 1983 और 1984 (30 जून 1984 तक) में कितनी अतिरिक्त और नई क्षमताएं मंजूर की गई हैं। और कितने आशय पत्र लाइसेंस जारीकिए गए हैं और वर्ष 1983 के दौरान जारी किए गये आशय पत्रों की क्रियान्विनि के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : 1983 (30.6.1984 तक) में जारी आशय-पत्रों के माध्यम से मुख्य पेट्रोरसायन मदों के निर्माण के लिए अनुमोदित अतिरिक्त और नई क्षमताएं, इस प्रकार हैं :—

क्रम संख्या	मद	अनुमोदित क्षमता (मी० टन/वर्ष
1.	जाइलीन	46,000
2.	पाली प्रोपीलीन को पोलाइमर	25,000
3.	थैलिक एनहाइड्राइड	13,200
4.	पालिओल्स	18,000

क्रम संख्या	मद	अनुमोदित क्षमता (मी०टन/वर्ष)
5.	आक्सो- अल्कोहल	15,000
6.	मैथिल एथाइल केटोन	15,000
7.	प्रोपीलीन आक्साइड/ग्लाइकोल	12,000
8.	पाली बुटेन	5,000
9.	डाईमैथिल टेरीथेलेट	10,000
10.	मोनो एथीलीन ग्लाईकोल	24,000
11.	ताईनियर एल्किन बेनजीन	13,500
12.	एक्रीलिक फाइबर	12,000
13.	नाइलोन फिलामेंट यार्न	75,800
14.	नाइलोन इंडस्ट्रियल यार्न/टायर कोर्ड	6,000

1980 में जारी किए गये आशय-पत्र क्रियान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

सीधी टेलीफोन सेवा द्वारा केनिंग का कलकत्ता से सम्पर्क स्थापित करना

427. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में सुन्दरबन के मुख्यालय, कैनिंग का कलकत्ता तथा राज्य में अन्य प्रमुख शहरों से सीधी टेलीफोन सेवा द्वारा सम्पर्क स्थापित करने में अब तक कितनी प्रगति है;

(ख) क्या पिछले वर्ष के दौरान इस परियोजना पर कार्य बंद पड़ा था; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान सुन्दरबन क्षेत्र में, जहां पर्यटन की काफी संभावना है, टेलीग्राफ, टेलीफोन तथा डाक संचार व्यवस्था में सुधार करने के लिये क्या अन्य कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) केनिंग टाउन से एस.टी.डी प्रदान करने के मामले पर तभी विचार किया जा सकता है जब सुन्दरबन के मुख्यालय केनिंग में मौजूदा एक्सचेंज के बदले उचित प्रकार का स्वचल एक्सचेंज संस्थापित कर दिया जाए। केनिंग स्थित मौजूदा एक्सचेंज के बदले उचित प्रकार का स्वचल एक्सचेंज सातवीं पंचवर्षीय योजना में संस्थापित किए जाने की संभावना है और इसके बाद ही एस.टी.डी सुविधा प्रदान करना संभव है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) (एक) **तार संचार** :

सुन्दरवन क्षेत्र की तार संचार आवश्यकताएं मौजूदा 22 संयुक्त डाक तार घरों द्वारा पूरी की जाती हैं । इस वित्तीय वर्ष के दौरान 4 और संयुक्त डाक तारघर खोलने का प्रस्ताव है ।

(दो) **टेलीफोन संचार** :

फाल्टा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, कलकत्ता के विकास आयुक्त की मांग पर सुन्दरबन फाल्टा स्थित फ्री ट्रेड जोन क्षेत्र में एक 200 लाइनों वाला छोटा स्वचल एक्सचेंज तथा 20 लाइनों वाला टेलेक्स एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है। डामंड हार्बर के 200 लाइनों वाले हस्तचल एक्सचेंज के बदले एक स्वचल एक्सचेंज स्थापित करने का भी कार्यक्रम है ।

(तीन) **डाक संचार** :

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सुन्दरवन क्षेत्र में 10 शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है ।

पश्चिम बंगाल में तेल की खोज और छिद्रण

428. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल के पोर्ट केनिंग क्षेत्र और इसके नजदीक के दूसरे तट-दूर स्थानों पर तेल की खोज करने और छिद्रण के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : पोर्ट केनिंग के चारों तरफ के क्षेत्र की भूकम्पीय सर्वेक्षणों द्वारा पूर्ण रूप से बारीकी से जांच की गई है और पोदरा में एक कूप खोदा जा रहा है, जो 4172 मीटर की गहराई तक खोदा जा चुका है। सुन्दरवन के समुद्रीतट से दूर व्यथन के लिए दो स्थलों का पता लगाया जा चुका है ।

"स्टाम्प आफ एन एक्सैलेन्सी" शीर्षक समाचार

429. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 जून, 1984 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" नई दिल्ली में "स्टाम्प आफ एन एक्सैलेंसी" शीर्षक में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं और इस घिनौने कार्य, जिसने डाक अधिकारियों को उल्लू बना दिया था की जांच से कोई परिणाम प्राप्त हुआ है ; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार के दुरुपयोग और डाक अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकने वाले ऐसे कार्यों को रोकने लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) जी हां ! चिन्ह और नाम (अनुचित प्रयोग को रोकना) अधिनियम 1950 की धारा 3 के अनुसार व्यक्ति ने अपराध किया है जो उडाक अधिनियम की धारा 5 के अधीन दण्डनीय है । उक्त आवरण प्राप्त कर लिया गया है और व्यक्ति विशेष के विरुद्ध मुकदमा चलाले के लिए पोस्टमास्टर जनरल, उत्तर-प्रदेश सर्किल, लखनऊ के पास भेज दिया गया है । नियमों के अनुसार इस प्रकार के सभी पत्रों पर कर लगाना आवश्यक है और इन अनुदेशों को पुन: दोहरा दिया गया है ।

अपर कोलाब पावर प्रोजेक्ट के अन्तर्गत विस्थापित लोगों का पुनर्वास

430. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार ने अपर कोलाब पावर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए अब तक कितने गावों. परिवारों अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोगों को उनके स्थानों से हटाया गया है तथा और कितने लोगों को वहां से हटाया जाएगा चूंकि इस वर्ष अधिक क्षेत्र इस परियोजना के जलाशय से जलमग्न हो जाएगा ;

(ख) क्या सरकार ने विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए कोई ब्रहद योजना तैयार की है और इस दिशा में कोई उपाय किए हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ड़) क्या यह सच है कि विस्थापित लोगों को मकानों के लिए जगह कोटपाड तहसील में दी जा रही है न कि कोरापुट तहसील में ; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की नुदखुरकी कोयला खान में पानी भर जाना

431. **श्री ए० के० राय** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के क्षेत्र 1 को नुदखुरका कोयला खान में हाल में (जून, जुलाई 1984) में पानी भरने सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) पानी भर जाने के क्या कारण है ;

(ग) इस प्रकार पानी भर जाने के कारण कितनी हानि हुई ;

(घ) क्या इसके लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया गया ; और

(ड़) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारत कोकिंग कोल लि० ने रिपोर्ट दी है कि जून-जुलाई 1974 के दौरान एरिया-I की नुडखुरकी कोलियरी में कोई बाढ़ नहीं आई है ।

(ख) से (ड़) प्रश्न ही नहीं उठते ।

पहाड़ी, रेगिस्तानी और पिछड़े क्षेत्रों के गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन लगाना

432. श्री वृद्धि चन्द्र जैना : क्या **सन्चार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके विभाग का विचार 2500 को या अधिक जनसंख्या वाले पहाड़ी रेगिस्थान और पिछड़े क्षेत्रों के गावों में सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के लिए वर्ष 1971 की जनगणना को आधार मानने की बजाय वर्ष 1981 की जननगना के आधार मानने का है ; और

(ख) यदि हां, तो ये सार्वजनिक टेलीफोन कब तक लगा दिए ज'एंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोर घरों की संस्थापना की जांच करने के लिए विभाग पहले से ही 1981 की जनगणना के आंकड़ों, जहां-कहीं भी ये उपलब्ध है, को पहले से ही ध्यान में रख रहा है ।

(ख) जिन पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों के गांवों की जनसंख्या 2500 या उससे अधिक है, वहां सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर उत्तरोत्तर संस्थापित किए जाएंगे, बशर्ते कि साज समान और वित्तीय साधन उपलब्ध रहें ।

12.00

श्री मनीराम बागड़ी : (हिसार) अध्यक्ष महोदय, मेरा काम रोको प्रस्ताव नहर भाखड़ा के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : देखिये,

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, मेरी बात सुन लें ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सुनी है ।

श्री मनीराम बागड़ी : आपने ऊपर सुना, रूप और रोटी। जब रोटी का सवाल आया है तो आप सुनते नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैं सुनता हूं और मैंने आपका नोटिस भी देखा है। अगर आप पढ़ लेते तो मेरी चिन्ता उसी के मुताल्लिक है जो प्रश्न आप यहां उठाना चाहते हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : हम सरकार को सेंशर करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप रूल पढ़ लें तो जब उस पर डिस्शन होने वाला हो तो उस पर एडजार्नमेंट मोशन नहीं लिया जाता है। मुझे तो एक हफ्ते का पता था, लेकिन यह तो आज ही हो रहा है।

श्री मनीराम बागड़ी : इसमें नहर भाखड़ा कैसे आयेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह उसी का एक अंग है। इतना नुकसान हुआ है।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : व्हाइट पेपर में नहर भाखड़ा का जिक्र नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : रशीद साहब, मैंने कहा है कि जितना टाइम आप मांगेंगे, मैं पंजाब की सारी समस्याओं का समाधान इसमें करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप समझते नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं ? आप पढ़ते नहीं तो मेरा क्या कसूर है ?

श्री रशीद मसूद : एक बात सुनिये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सुन लिया। मैंने उसे रिजैक्ट कर दिया है और सोच-समझकर किया है। मैं किसी बात का पावन्द नहीं हूं।

श्री रशीद मसूद : आप बात सुनते नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कल कहा था, आज भी वही बात है। होगा। मुझे यहां पर इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए।

श्री रामावतार शास्त्री : मैंने निवेदन किया था कि काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा कीजिये। हम गवर्नमैंट को सैंशर करना चाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कई अन्य तरीके भी उपलब्ध हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप आ जाइये, बता दूंगा।

श्री रशीद मसूद : यहां बता दीजिये सब को पता चल जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : जिसको जरूरत हो पूछ लें ।

श्री रशीद मसूद : आप हमें यह बता दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है ।

आप टाइम जाया क्यों कर रहे हैं ? इससे कोई फायदा होने वाला नहीं होने वाला नहीं है ? मैं तो हिलने वाला नहीं हूं ।

श्री रशीद मसूद : मेरी बात सुन लीजिए । मेरा एक ही अर्ज है, हमारी बात सुनने के बाद फैसला दिया करें, आप तो सुनने से पहले ही फैसला दे देते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता है आप क्या कह रहे हैं ।

श्री रशीद मसूद : हमारी क्या मजबूरी है, आपको क्या पता है ? मैंने रुल्स पढ़े हुए हैं, उसमें भाखड़ा का जिक्र नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप करिये, मैं एलाऊ करूंगा ।

श्री रशीद मसूद : आज व्हाइट पेपर पर डिस्कशन हो रहा है, हम फेल्योर आफ दी गवर्नमेंट पर डिस्कशन करना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं देता ।

प्रो० के० के० तिवारी श्रीमन्, मैंने नियम 222 के अन्तर्गत, उन विरोधी नेताओं के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रस्ताव की सूचना दी है, जिन्होंने अध्यक्ष की निन्दा का एक वक्तव्य जारी किया है । यह आज के दिल्ली के समाचार पत्रों में छपा है । अध्यक्ष पीठ पर यह गम्भीर आरोप है और इससे सभा का विशेषाधिकार भंग होता है और सभा का अवमान का मामला बनता है । इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाये । पहले आपको इस प्रकार के व्यवहार कि निन्दा करनी चाहिए और तब आप इस पर वाद-विवाद की अनुमति दें ।

प्रो० मधु दण्डवते : हमने बड़ी सावधानीपूर्वक तैयार किया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो सारे ही महारथी हैं, बड़े ज्ञाता हैं इस तरफ के । इनको पता है कि क्या कर रहे हैं । अगर इन्होंने ऐसा किया है तो मैं देख लूंगा । स्पीकर का कोई मान-अपमान नहीं है, मान-अपमान तो सदन का है । मैं तो आपके हाथ में हूं, उसमें हिसाब से देख लें । जो कुछ मैंने किया है, मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं नियमों से बंधा हुआ हूं, उसके मुताबिक करता हूं ।

प्रो० के० के० तिवारी : यह सभा का प्रश्न है। मैं इस प्रकार के व्यवहार के प्रति आपकी राय जानना चाहता हूं। आपको इस पर अपना निर्णय देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देख लूंगा।

प्रो० के०के० तिवारी : नहीं तो, कोई न कोई व्यक्ति हर रोज अध्यक्ष पीठ की निन्दा का वक्तव्य जारी करता रहेगा। इस मामले पर आपने क्या निर्णय लिया है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा ?

डा० कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) : मैंने आपको सहानुभूतिपूर्वक विचार और मंत्रालय से चर्चा के लिए सूचना दी है। भारत में लाखों की संख्या में विडियो कैसेटों की आसानी से तस्करी हो रही है, जिससे भारत की एकता प्रतिष्ठा कम हो रही है और देश को खतरा हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : यह मंच ऐसी-वैसी बातों पर चर्चा करने के लिए नहीं है। अनुमति नहीं है।

श्री रतनसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : हम काश्मीर पर चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम देखेंगे। जब अवसर आयेगा, देखा जायेगा : मैंने आपसे वादा किया है। बस ठीक है। आप मेरा समय क्यों नष्ट कर रहे हैं ? मैंने आपको बता दिया है। कल भी मैंने आपको बता दिया था। मैं कभी भी अपनी बात या अपने निर्णय से नहीं हटता। बस यही बात है।

श्री रतन सिंह राजदा : सरकार को इसका आभास देना चाहिए कि, कब इस विषय को लिया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : सरकार को श्री लंका की घटनाओं पर वक्तव्य देना चाहिए। शायद हम इसे भूल गये हैं ! क्या आप चाहते हैं कि हम इस पर पुनः तभी ध्यान दें जबकि एक ओर दंगा हो ?

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर ध्यान देंगे।

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : मैं बड़े दुखी मन से विनम्रता पूर्वक एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं···

अध्यक्ष महोदय : क्या हुआ ? आप के दुख को मैं दूर कर सकता हूं।

श्री रामलाल राही : आप इस सभा में जितने भी सदस्य हैं उनके हितों के संरक्षक हैं···

अध्यक्ष महोदय : तो क्या करें ?

श्री रामलाल राही : सदस्यों को अधिकार है कि वह प्रश्न करें । प्रश्नावली आप का सेक्रेटेरिएट तैयार करता है । यह जो मौखिक प्रश्नावली है···

अध्यक्ष महोदय : आप मुझसे बात कर लीजिएगा । यहां इतनी लम्बी बात नहीं हो सकती । मैंने आपको मौका दिया है, अगर कोई कमी हो···

श्री रामलाल राही : आपने यह नियम बनाया है कि तीन मिनट में एक सवाल खत्म हो जाना चाहिए । मैं सदन में देख रहा हूं, आज जो सत्र चल रहा है या इससे पहले के सत्रों में भी शायद ही कभी पांच या छः सवाल पूरे होते हों···

अध्यक्ष महोदय : आप सारे मेरा साथ दें तो मैं पूरा कर दूंगा । अगर मुझे आप सब का की आपरेशन मिले तो मुझे कोई कष्ट नहीं है । अगर यह हाउस पास करे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है । बहुत बढ़िया बात कही है राही साहब ने ।

मैं उन्हें इसके लिए धन्यवाद देता हूं और मैं समझता हूं कि सभा भी उन्हें इसके लिए धन्यवाद देगी ।

मैं कल से तीन मिनट के बाद क्वेश्चन आन्सर बन्द कर दिया करूंगा ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण : नहीं, नहीं,

(व्यवधान)

श्री रामलाल राही : ये समझते हैं कि हमीं इम्पोर्टेंट सवाल करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप क्यों वक्त जाया कर रहे हैं । मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं । कल से कर के देखता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं तो मान गया आपकी बात । कल से आप जरा तैयार रहिएगा हाउस में ।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : अखबारों में कई दिनों से निकल रहा है कि दिल्ली में···

अध्यक्ष महोदय : निकलने दीजिए।

श्री हरीश कुमार गंगवार : सुन लीजिए। एम०बी०बी०एस० के प्रवेश की जो परीक्षा होती है उसमें बड़ा भारी घोटाला है।

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दीजिए।

श्री हरीश कुमार गंगवार : मैंने कार्लिंग अटेंशन दिया है।

अध्यक्ष महोदय : तो मैं देख लूंगा।

···(**व्यवधान**)···

श्री हरीश कुमार गंगवार : जिनके कम नम्बर थे उनको ज्यादा देकर आगे कर दिया···

अध्यक्ष महोदय : हो गया। क्वेश्चन ऐडमिट कर लिया मैंने।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा) : ···के द्वारा हथियारों की तस्करी···

अध्यक्ष महोदय : वह देख रहे हैं।

मेरे पास कई एक मामले विचारधीन हैं। मेरे पास 80 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं। मुझे उन पर निर्णय लेना है।

डा० कृपासिन्धु भोई : श्रीमन्, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं···

अध्यक्ष महोदय : आपके साथ क्या गलत बात हुई है ?

डा० कृपासिंधु भोई : कई लाख विडियो कैसेटों की तस्करी हुई है···

अध्यक्ष महोदय : इसे आप मुझे दे दीजिये। मैं इस पर विचार करूंगा। अगर यह मेरे अधिकार क्षेत्र में हुआ तो मैं कुछ न कुछ अवश्य करूंगा।

(व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : श्रीमन्, हरिजनों को जलाया गया है। सरकार उनको संरक्षण देने के लिए कुछ नहीं कर रही है। यह एक गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने देख लिया है।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, कल हम लोगों ने कश्मीर का सवाल उठाया था, एडजर्नमेन्ट मोशन दिया था लेकिन उसको आपने रेजेक्ट कर दिया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको आश्वासन दिया है और जो कुछ मैंने किया है, मैं उस पर

कायम हूं। मैंने कल भी कहा था आज भी राजदा साहब के सवाल के जवाब में बोल दिया है कि डिस्कशन होगा।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में और उसके साथ-साथ दूसरे प्रदेशों में भी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के मर्डर प्रतिदिन होते जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य-विषय है।

श्री कमल नाथ (छिंदवाड़ा) : श्रीमन्, जब कोई सदस्य निर्वाचित होता है तो सभा में घोषणा की जाती है। जब किसी सदस्य का स्वर्गवास होता है तो सभा में घोषणा की जाती है। जब कभी, कोई सदस्य त्यागपत्र देता है, तो सभा में घोषणा की जाती है, लेकिन जब कोई सदस्य दल-बदल करता तो कोई घोषणा नहीं की जाती। श्रीमन् कृपया सभा को सूचना दे कि पिछले अधिवेशन के बाद, विपक्षी दलों की संरचना में क्या-क्या परिवर्तन आये हैं और किन-किन सदस्यों ने दल-बदल किया है। यह हम सबके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिवर्तित स्थिति में हमें यह अवश्य जानना चाहिए कि उनसे कैसे निपटना है। श्रीमन्, आपको इस बारे में भी घोषणा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इतना एनाउन्समेन्ट ही काफी है। कल आप कहोगे कि शादी हो गई उसका एनाउन्समेन्ट नहीं किया।

श्री ब्रजमोहन महन्ती (पुरी) : उड़ीसा की पारादीप बन्दरगाह पर कार्य रुका हुआ है। गहराई इतनी कम है कि जहाज प्रवेश नहीं पा सकते। मैंने इस संदर्भ में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है···

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं देख लूंगा। इसमें कहने की कौन सी बात है। यह मेरे पास है।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : अध्यक्ष जी, मैंने भी एक एडजर्नमेन्ट मोशन आपके पास दिया है।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। आप बिना वजह सभा का समय क्यों नष्ट कर रहे हैं कोई प्रश्न नहीं है। अनुमति नहीं है।

श्री जगपाल सिंह : मेरा अनुरोध है आप जजमेन्ट बाद में दिया करें। पहले सुन लिया करें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही अपना निर्णय दे दिया है।

श्री जगपाल सिंह : आप जजमेन्ट पहले दे देते हैं, सुनते बाद में हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपने इंश्योरेंस कम्पनी की कहानी सुनी है क्या ? हम भी ज्यादा एफीशियंसी से काम करते हैं ।

दौलत राम सारण (चुरु) : अध्यक्ष जी, आप जानते हैं 6 जून को भाखड़ा नहर तोड़ी गई थी···

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है । इस पर आज चर्चा होने जा रही है ।

आज ही डिस्कशन आ रहा है । आप क्यों समय जाया कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा (आरा) : अध्यक्ष महोदय, सिंचाई को बीससूत्री कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है परन्तु 6 हजार राजकीय नलकूपों के बिजली कनेक्शन काट दिए हैं । इसको कौन देखेगा ?

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नही है । यह हमारा विषय नहीं है । यह राज्य का विषय है । अनुमति नहीं है आप असंगत बात कह रहे हैं ।

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष जी, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर अत्याचार की घटनायें बढ़ रही हैं । यह बड़ी चिन्ता की बात है ।

अध्यक्ष महोदय : यह भी मेरे सामने है । मैं देखूंगा ।

श्री राम स्वरूप राम (गया) अध्यक्ष जी, मैंने कालिंग अंटेशन दिया है बिजली के सम्बन्ध में···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने दिया है···ठीक है । यह मेरे विचाराधीन है । मैं इस पर विचार करूंगा । कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता वहीं है···कृपया बैठ जाइये ।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, आपने यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी, फौजी जवानों आफिसरों···

अध्यक्ष महोदय : अखबारों वालों से पूछ लेता हूं, उन्होंने ऐसा क्यों किया है । उनको खुद समझदारी होनी चाहिए । मैं उन्हें कहूं··· मैं कार्यवाही करूंगा । मैं एक्शन तो क्या कहूं । मैं उनको बतला दूंगा ।

श्री मनीराम बागड़ी : आप कहते हैं, इस पर बोलने दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : आपको खुली इजाजत है, आप बोलिएगा ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामुला) : मैंने दो विषय उठाये थे···मैं कोई विवाद नहीं खड़ा करना चाहता। एक है फारुक अब्दुल्ला सरकार का गैर-संविधानिक तरीके से हटाया जाना··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है···

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझने की कोशिश करें। मैंने आपको वचन दिया है। कृपया बैठ जाइये।

श्री प्रणव मुखर्जी।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

12.16 म० प०

आठवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : मैं संविधान के अनुच्छेद 281 के अन्तर्गत, आठवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उस पर की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल० टी० 8400/85]

कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) लागत लेखा अभिलेख (थोक औषध) (संशोधन) नियम, 1984, जो 26 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 505 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) लागत लेखा अभिलेख (इस्पात की ट्यूबें और पाइप) नियम, 1984, जो

26 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 506 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 8401/84]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620 क की उपधारा (3) के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 217 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 3 मार्च, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 620क (1) के अन्तर्गत "मैसर्स ग्राम नल शाश्वत निधि सीमित" को "निधि" घोषित किया गया है तथा 23 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 615 में प्रकाशित हुई अधिसूचना के हिन्दी संस्करण का एक शुद्धि-पत्र ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 8402/84]

लोक सभा के विभिन्न सूत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्य वाही को दर्शाने वाले विवरण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा दी गई कार्यवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) विवरण संख्या 28—सातवां सत्र, 1979 छठी लोक सभा

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8403/84]

(2) विवरण संख्या 19—छठा सत्र, 1981

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8404/84]

(3) विवरण संख्या 17—आठवां सत्र, 1982

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8405/84]

(4) विवरण संख्या 13—नवां सत्र, 1982

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8406/84]

(5) विवरण संख्या 12—दसवां सत्र, 1982

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8407/84]

(6) विवरण संख्या 10—ग्यारहवां सत्र, 1983
[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8408/84]
(7) विवरण संख्या 6—बारहवां सत्र, 1983
[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8409/84]
(8) विवरण संख्या 4—तेरहवां सत्र, 1983
[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8410/84]
(9) विवरण संख्या 3—चौदहवां सत्र, 1984
[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8411/85]

} सातवीं लोक सभा

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री सोज को बताया है मैंने कई बार वायदा किया है·····कृपया चिल्लाइये नहीं।

(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बदागरा) : आपको पता होना चाहिए कि···कैसे व्यवहार करते हैं···

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि किस तरह पेश आना है। मुझ पर चिल्लाइये नहीं। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। मैंने तीन बार कहा है कि मैंने वायदा किया है। मैं इसे पूरा करने जा रहा हूं। श्री वी० एन० गाडगिल।

भारतीय तार अधिनियम 1885 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : मैं भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(1) भारतीय तार (तीसरा संशोधन) नियम, 1984, जो 22 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 386(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारतीय तार (चौथा संशोधन) नियम, 1984, जो 22 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 387(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8412/84]

अध्यक्ष महोदय : मुझे कुछ धैर्य है। मैं अकेला हूं और यदि 50 सदस्य इस तरह से करें··· कृपया नहीं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां।

भारतीय विद्युत (संशोधन) नियम 1983

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : मैं भारतीय विद्युत अधिनियम, 10 की धारा 38 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, भारतीय विद्युत (संशोधन) नियम, 1983, 14 जनवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 29 में प्रकाशित थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा एक व्याख्यात्मक विवरण सभा पटल रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8413/84]

कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1948 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं कोयला खान विष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1948 की धारा 7क के अन्तर्गत, निम्नलिखित धिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1984, जो 9 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 567 में प्रकाशित हुई थी।

(2) आन्ध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1984, जो 9 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 568 में प्रकाशित हुई थी।

(3) राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1984, जो 9 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 569 में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिऐ संख्या एल० टी० 8414/84]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने 10 बार कहा है। मैंने वचन दिया था। मैं वही करने जा रहा हूं। भी भी माननीय सदस्य चिल्ला रहे हैं।

श्री जनादेन पुजारी।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वर्ष 1982-1983 का प्रतिवेदन संघ सरकार (रेल), वर्ष 1982-83 के विनियोग लेखे रेल, भाग-1-समीक्षा तथा भाग-2-समीक्षा, वर्ष 1982-83 के विरुद्ध खानें (ऋण लेखाओं वाले पूंजी विवरणों सहित) तुलन-पत्रों और लाभ तथा हानि लेखे रेल, तथा राष्ट्रीय निक्षेप स्कीम आरम्भ करने से सम्बन्धित अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर

रखता हूं :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 1982-83 सम्बन्धी संघ सरकार (रेल) के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 8415/84]

(2) वर्ष 1982-83 के विनियोग लेखाओं, रेल, भाग-1 समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) वर्ष 1982-83 के विनियोग लेखाओं, रेल, भाग-2 ब्यौरेवार, विनियोग लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 8416/84]

(4) वर्ष 1982-83 के निरुद्ध खातों (ऋण लेखाओं वाले पूंजी विवरणों सहित) तुलन पत्रों और लाभ तथा हानि लेखाओं, रेल, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 8417/84]

(5) जून और जुलाई, 1984 में जारी किये गये बाजार ऋणों के परिणामों के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा राष्ट्रीय निक्षेप स्कीम आरम्भ करने से सम्बन्धित अधिसूचना की एक प्रति, जो 15 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 8418/84]

———

विधेयकों पर अनुमति

महासचिव . महोदय 21 अप्रैल, 1984 को सभा को सूचित करने के पश्चात् पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमत निम्नलिखित 11 विधेयक मैं सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 1984

(2) संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 1984

(3) तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) संशोधन विधेयक, 1984

(4) वित्त विधेयक, 1984

(5) कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक 1984

(6) पंजाब वाणिज्यिक फसफे उपकर (संशोधन) विधेयक, 1984

(7) संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक, 1984

(8) संघ उत्पाद-शुल्क (विद्युत) वितरण (संशोधन) विधेयक, 1984

(9) अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल संशोधन विधेयक, 1984

(10) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक, 1984

(11) विश्व भारती (संशोधन) विधेयक, 1984

2. 21 अप्रैल, 1984 को सभा को सूचित करने के पश्चात् पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमत निम्नलिखित 16 विधेयकों की प्रतियां, राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत प्रमाणीकृत, भी सभा पटल पर रखता हूं,

(1) राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 1984

(2) उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 1984

(3) उपदान संदाय (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1984

(4) सम्पदा शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक, 1984

(5) मुगल लाइन लिमिटेड (शेयरों का अर्जन) विधेयक, 1984

(6) आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1984

(7) सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 1984

(8) पंजाब राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1984

(9) दिल्ली भाटक नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1984

(10) दिल्ली विकास (संशोधन) विधेयक, 1984

(11) पंजाब नगरपालिका (नई दिल्ली संशोधन) विधेयक, 1984

(12) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन विधेयक, 1984

(13) वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 1984

(14) दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1984

(15) एल्यूमिनियम कारपोरेशन, आफ इंडिया लिमिटेड (एल्यूमिनियम उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक, 1984

(16) बैंककारी सेवा आयोग विधेयक, 1984

(···**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : आप रोकते, बिला-वजह बोलते हैं, तो उसका क्या इलाज है।

श्री हरीश कुमार गंगावार (पीलीभीत) : किस तरीके से रोकते हैं, बैठ जाओ, "शट-अप"।

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को नहीं कहा है—"शट-अप"।

मैंने कभी "शट अप" नहीं कहा। मैं इस तरह कभी नहीं कहता·····यह गलत है। यह बिल्कुल गलत है। मैंने किसी को ऐसी नहीं कहा।

(व्यवधान)

श्री हरीश कुमार गंगवार : श्रीमन्, मैं आपकी इस बात के खिलाफ वाक-आउट करता हूं,

(तत्पश्चात् श्री हरीश कुमार गंगावर सदन के बहार चले गए)

12.19 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

63वां प्रतिवेदन

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 23 जुलाई 1984 को सभा में प्रस्ताव किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 63 वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने 'शट अप' कभी भी नहीं कहा। मैंने केवल इतना कहा है— 'बैठ जाओ'।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष जी, आप स्पष्ट कर दीजिए, आपने कहा था - सिट-डाउन I गलतफहमी हो रही है कि आप ने कहा है - "शट-अप" लेकिन रिकार्ड

में है - "सिट-डाउन" ।

अध्यक्ष महोदय : देखिए । महोदय यदि मैंने "शट अप" कहा है तो मैं दस बार क्षमा याचना के लिए तैयार हूं । मैंने केवल बैठ जाओ कहा है···मैंने केवल इतना कहा कि मैं श्री राजदां श्री जगपाल सिंह और सबको 10 बार कह चुका हूं कि मैं इस पर चर्चा करवाने जा रहा हूं । फिर भी वह मुझ पर चिल्लाते जा रहे हैं ।...मैं उन्हें सदन से बाहर जाने के लिए कहने जा रहा हूं ।

···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : गंगवार जी, आप वापिस आ गए । आप बोलेंगे । इसको आप मूव करेंगे ।

श्री हरीश कुमार गंगवार : (पीलीभीत) इससे ज्यादा देर तक आपके खिलाफ वाक-आउट नहीं करना चाहता ।

···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आपको पता नहीं था, आप क्या कर रहे थे ।

···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आप दोनों अपने संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : (बम्बई उत्तर पूर्व) मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए :

"बशर्ते कि यह रूप भेद किया जाये कि आतंकवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अध्यादेश, 1984तथा आतंकवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक 1984 का निरनुमोदन करने वाले संकल्प के लिए निर्धारित समय को 3 घण्टे से बढ़ाकर 6 घण्टे किया जाय ।"

अध्यक्ष महोदय : श्री गंगवार -

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : वह सदन से बाहर नहीं गए हैं । वह सदन में ही हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह अपना संशोधन प्रस्तुत करें ।

श्री हरीश कुमार गंगवार : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए :

"बशर्ते कि यह रूपभेद किया जाये कि :

(एक) "दहेज निषेध (संशोधन) विधेयक, 1984 के लिए निर्धारित समय को ढाई घंटे से बढ़ाकर 6 घंटे किया जाए; और

(दो) राष्ट्रीय सुरक्षा (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1984 (अध्यादेश का प्रतिस्थापन) के लिए निर्धारित समय को 2 घंटे से बढ़ाकर 4 घंटे किया जाए।" (2)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मेरा अनुरोध है कि आप अब 'बैठ जाइए' कहें पर धीमे से कहें।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी इनसान हूं। आप यह नहीं समझते। आप मुझसे सहमत हैं। मैंने 10-20 बार कहा कि हमारे पास समय कम है। मैं भी आपमें से एक हूं। आप यह नहीं समझते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तरपूर्व) : महोदय मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आतंकवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अध्यादेश तथ आतंकवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय विधेयक पर चर्चा का समय 3 घण्टे से बढ़ाकर 6 घंटे कर दिया जाए, क्योंकि इस विधेयक में न्याय शास्त्र की सम्पूर्क धारणा ही बदल गई है हमारा विश्वास है कि लोकतन्त्र में जब तक कोई निरपराध व्यक्ति यह सिद्ध नहीं कर देता कि वह दोषी नहीं है, इस विधेयक के अनुसार वह व्यक्ति व्यावाहारिक दृष्टि से दोषी माना जायेगा इस विधेयक का यही अर्थ निकलता है। जब हम इस विधेयक पर चर्चा करेंगे तो इसके अनुसार वह व्यक्ति दोषी होगा जब तक कि वह अपने आप को निपराध नहीं कर देता।

इसलिए, महोदय तीन घंटे का यह समय अपर्याप्त है। चूंकि मूलभुत अधिकारों को समाप्त किया जा रहा है, मैं चाहूंगा कि इस पर चर्चा के लिए घण्टे का समय कर दिया जाए।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : अध्यक्ष महोदय, डावरी प्राहिविशन अमेण्डमेन्ट बिल में कमेटी ने बहुत समय लगाया है और उसने काफी खोज-बीन की है। यह ऐसा मसला है जो सारे देश को प्रभावित करता है, ढाई घन्टे के अन्दर इस पूरे सदन के लोग अपनी राय जाहिर नहीं कर सकते, इसलिए में मुनासिब समझता हूं कि इसमें अधिक से अधिक समय दिया जाय, जिस से हर माननीय सदस्य की राय इस पर आ सके।

पहले ही यह बिल बहुत दिनों के बाद आया है, कमेटी ने इस पर काफी खोजबीन की है, लेकिन जैसी राय अखबारों में छपी है, उसके हिसाब से तो यह अभी भी इनकम्पलीट है। ऐसी सूरत में इस पर और ज्यादा सुझाव आने चहिए, जिससे कि एक व्यापक कानून बन सके। इसके लिए अधिक समय की आवश्यकता है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष जी कल विरोधी दल वाले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में उपस्थित नहीं थे, इसलिए यदि आप मेरे सुझाव को स्वीकार

करें तो इस पूरी रिपोर्ट को फिर से बिजनेस एडवाजरी कमेटी को भेज दें···

अध्यक्ष महोदय : हम ऐसा करेंगे, जल्दी ही दूसरी बैठक बुला लेंगे ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : लेकिन समय का निर्धारण तो आज हो जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय : बाद में देख लेंगे ।

प्रो० मधुदण्डवते (राजापुर) : मैंने इसके लिए एक औपचारिक संशोधन दिया था । मुझे नहीं मालूम उसका क्या हुआ । यहां पर हर चीज पर गिलोटिन लागू कर दिया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं किया जा सकता । यह आपके सहयोग से किया जाता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता । इसमें कोई कठिनाई नहीं है ।

प्रो० मधुदण्डवते : मेरी एन्टोनिटी के पश्चात यह सबसे बड़ा गिलोटिन है ।

अध्यक्ष महोदय : आप सहयोग करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं होगी ।

श्री हरीश कुमार गंगवार : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार मे नेशनल सिक्योरिटी आर्डिनेन्स का मामला है जिसको आप एक्ट बनाने जा रहे हैं । दूसरों की आजादी को छीनने के लिए किस-किस प्रकार के उपाय सरकार कर रही है, असामाजिक तत्वों के नाम पर कितने बेगुनाह पकड़ कर आज बन्द कर रही है - इस पर विचार करने के लिए दो घन्टे का समय कहां काफी हो सकता है । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसके लिए चार घन्टे का समय कर दिया जाय । आप स्वयं समझदार हैं, इस लिए मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं ।

श्री एच० के० एल० भगत : यह मेरे लिए गुण दोषों में जाने का पता नहीं है ।

जहां तक माननीय सदस्य डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी के तर्क के संबंध में उनसे सहमत नहीं हूं । मैं अन्य माननीय सदस्य श्री हरीश कुमार गंगवार से भी सहमत नहीं हूं । किन्तु जहां, तक समय अवधि बढ़ाने का संबंध है । जैसा कि आपने कहा, मैं इस ओर कार्य मंत्रण समिति का ध्यान दिलाऊंगा । जैसा कि अध्यक्ष ने स्वयं कहा है । वाद-निवाद के आंगे बढने के पश्चात ही इस मामले की तर्क का संबंध है पर ध्यान दिया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी के संशोधन संख्या 1 2 तथा श्री हरीश कुमार गंगवार के संशोधन संख्या को सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन संख्या 1 तथा 2 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 23 जुलाई, 1984 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रण समिति के 63 वें प्रतिवेदन से सहमत हैं ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

———

12 बजकर साढ़े पच्चीस मिनट म० प०

सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक* 1984—पुर:स्थापित

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : महोदय, मुझे श्री श्रवण कुमार मुखर्जी की ओर से सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 में और संशोधन करने वाले विधेयक, को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एस० एम० कृष्णा: महोदय, मैं विधेयक पुर: स्थापित** करता हूं :

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) ताजमहल को प्रदूषण तथा क्षति से बचाने हेतु कदम उठाने के लिए वास्तुविद विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने की आवश्यकता

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : कुछ सप्ताह पूर्व केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय प्रयोगशाला तथा मैरियल इंजीनियरिंग के एक दल की रिपोर्ट में यह बतलाया गया है कि आगरा के ताजमहल के मुख्य गुम्बद तथा अन्य जगहों पर पड़ी दरारों तथा मथुरा रिफाइनरी के चारों ओर स्थित ढलाई-घरों से निकलने वाले धुएं से उत्पन्न प्रदूषण, सफेद पत्थरों पर काले धब्बे पड़ने, जिससे उसके सौन्दर्य व स्वरूप का नष्ट होना ताजमहल के साथ जुड़ी देश की गरिमा के अनुकूल नहीं है। इसकी अविलम्ब संरचनात्मक मरम्मत की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में बहुत अरसे से आधिकारिक तौर पर कार्यवाही चल रही है। मरम्मत हेतु कुछ धन सरकार ने मंजूर भी कर दिया है, लेकिन पुरातत्व विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाये जा रहे हैं।

अत: सरकार से साग्रह अनुरोध है कि ताजमहल की अनुपमेय गरिमा को बनाये रखने, धराशायी होने से बचाने तथा प्रदूषण के प्रभाव को कम करने या दूर करने के लिए तत्काल

---

*दिनांक 24. 2.84 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग II खण्ड 2, में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

यथोचित कदम उठावे। यदि इसमें कोई लापरवाही बरती गई तो ताज की सुन्दरता तो खत्म होगी ही, धराशायी होना भी कोई आश्चर्य नहीं होगा। सरकार को चाहिए कि विश्व के श्रेष्ठ आर्किटेक्टर इंजीनियरिंग के विशेषज्ञों की एक कमेटी गठित कर इन दरारों को भरवाने का कार्य कराने में पहल करे।

(दो) ग्वालियर क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल करने का आवश्यकता

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : महोदय सरकार संसद के चालू सत्र के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोर्ड स्थापित करने के लिए एक विधेयक लाने वाली है। इस बोर्ड में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि होंगे। आपको याद होगा कि भूतपूर्व निर्माण तथा अनास मन्त्री श्री भीष्म नरायन सिंह ने आश्वासन दिया था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोर्ड के स्थापित होने के बाद मध्य प्रदेश को इसमें शामिल किया जायेगा।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल करने के लिए सभी आवश्यक सुविधायें आदि उपलब्ध हैं। यह दिल्ली के बहुत ही निकट है और सड़क, रेल और विमना सेवा भी उपलब्ध है। वहां पर सरकारी जमीन भी अत्यधिक है और इसके समीप में ही सरकारी कार्यालय तथा उसके कर्मचारीयों के लिए आवास का निर्माण करने के लिए काफी जगह है। जल सप्लाई बढ़ाने की परियोजना के पूर्व होने के साथ-साथ वर्तमान आबादी से कहीं बहुत ज्यादा लोगों की पर्याप्त मात्रा में पीने का जल उपलब्ध होगा। यह एक प्रसिद्ध शिक्षा केन्द्र है जिसमें शिक्षा की सभी विधाओं में विश्वविद्यालय स्तर तक की पढ़ाई की अच्छी सुविधायें हैं। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल करे।

(तीन) भाटक नियंत्रण अधिनियम के उपबंधों को लागू करने की आवश्यकता

श्री कमलनाथ (छिंदवाड़ा) : आवास सुविधाओं की कमी के कारण राजधानी में बहुत ही गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। केन्द्रीय सरकार के अधीन कुछ सरकारी उपक्रमों के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। यह सर्वविदित है कि कुल 180 सरकारी उपक्रमों में से लगभग एक तिहाई दिल्ली में स्थित हैं। आमतौर पर अन्य कार्यालय भी दिल्ली में स्थापित किए हैं। इन सभी ने बड़ी संख्या में फ्लैट और बंगले आदि अपने कार्यालयों, कर्मचारियों के आवास और अतिथि ग्रहों के लिए नगर में किराये पर लिए हुए हैं।

ये उपक्रम भवनों को किराये पर लेने की पूर्व निर्धारित अवधि के पूरा होने के बाद भी खाली नहीं करते और लोगों को लम्बे समय तक मुकदमेबाजी में उलझना पड़ता है। भाटक नियंत्रण अधिनियम के पीछे मुख्य भावना किरायेदारों के झगड़ों में कमजोर पक्ष को संरक्षण प्रदान करना है न कि मजबूत एवं साधन संपन्न सरकारी संस्थाओं का बचाव करना।

यह सर्वविदित है कि दिल्ली में अधिकतर निजी मकान, जैसा कि अन्य सभी जगह है,

वैयक्तिक रूप से लोग अपनी निजी बचत से बनवाते हैं। मकान न सिर्फ रहन का ही स्थान है अपितु वृद्धावस्था तथा मुद्रास्फीति के प्रति एक बीमा है। सरकारी उपक्रमों को उनकी बचत को लूटने का कोई अधिकार नहीं है।

महोदय मैं आपके द्वारा संबंधित मंत्री जी से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करूंगा किस सरकारी उपक्रमों को किराये संबंधी सभी करारों की शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा। यह विशेष रूप से ऐसे मामलों में लागू होना चाहिए, जहां मकान-मालिक के साथ एक भूतपूर्व सैनिक सेवा निम्नत कर्मचारी और एक निश्चित आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति हों।

(चार) जबलपुर में एक स्टीलयार्ड की मांग

श्री बाबूराव परांजपे (जबलपुर) : अध्यक्ष महोदय, श्री उद्योग मंत्री भारत के पत्र दिनांक 10 दिसम्बर 1982 के अनुसार सूचना मिली थी कि जबलपुर (मध्य प्रदेश) में स्टील स्टाक यार्ड खोलने बाबत सेल (स्टील अथारिटी आफ इंडिया) को आदेश पारित हो चुके हैं। यह भी आदेशित किया गया था कि स्टाक यार्ड हेतु रेलवे साईडिंग का भी प्रावधान किया जाए।

इसी प्रकार स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के पत्र 1 जुलाई, 1983 में सूचित किया गया कि जबलपुर में स्टील स्टाक यार्ड खोलने की स्वीकृत बोर्ड द्वारा कर दी गई है।

27 जून, 1984 के पक्ष के अनुसार स्टील अथारिटी आफ इंडिया कलकत्ता के अध्यक्ष ने महाकौशल चैम्बर आफ, कामर्स जबलपुर को सूचित किया कि चूंकि कुल स्टील की प्रतिमाह खपत अनुमानतः एक हजार टन रहेगी तथा आर्थिक दृष्टि से यह स्टील यार्ड सक्षम न होगा, इस कारण अब जबलपुर में सिर्फ कंसाइनमेंट एजेंसी की योजना स्वीकृत की गई।

प्रतिमाह एक हजार टन स्टील की खपत का अनुमान एक दम गलत है। इस यार्ड के अन्तर्गत विंध्य तथा महाकौशल के तीन राजस्व संभागों के 14 जिले आवेंगे तथा स्टील की मासिक खपत दो हजार टन से भी अधिक होगी।

अतः उद्योग मंत्री जी से आग्रह है कि पूर्व का निर्णय कायम करते हुए जबलपुर के लिए स्टील स्टाक यार्ड स्वीकृत किया जाए।

(पांच) पश्चिम बंगाल के बाढ़ पीड़ित लोगों के पुनर्वास तथा उन्हें राहत पहुंचाने के लिये अतिरिक्त केन्द्रीय अनुदान देने की आवश्यकता

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : इस वर्ष पश्चिम बंगाल के 11 जिलों, अर्थात् बर्दमान, बीभूम, बांकुरा, हुगली, निदनापुर, हावड़ा, 24 परगना मुर्शिदाबाद, मालदा, नादिया तथा पश्चिमी दिनामपुर में जून तथा जुलाई के महीने में भीषण बाढ़ आई है और इस बाढ़ में बहुत सी जान गई हैं। पश्चिम बंगाल को 100 करोड़ रुपये की हानि होने का अनुमान है। अत्यधिक वर्षा के

कारण पश्चिम बंगाल के सभी नदियों में बाढ़ के कारण फसलें नष्ट हो गई हैं और हजारों की संख्या में मकान ढह गये हैं। यहां तक कि बैंकुरा जिले के सूखा प्रवण हलाक योग, सोनामुखी बांकुरा जिले के पुरुलिया भी 6 से 7 फीट तक की बाढ़ की चपेट में थे। इस बाढ़ की हानि से निकट भविष्य में क्षतिपूर्ति करना अत्यन्त कठिन है।

इन परिस्थितियों में मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह पश्चिम बंगाल के बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता एवं उनके पुनर्वास के लिये पर्याप्त मात्रा में धनराशि मंजूर करे। मैं संबंधित मंत्री जी से लोगों को प्राकृतिक विपदाओं से होने वाली कठिनाइयों से बचाने के लिए शीघ्र कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं।

(छः) महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों के गैर-सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रावेशिक-शुल्क लिये पाने पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता

श्रीमती प्रमिला दण्डवते (बम्बई-उत्तर-मध्य) : महाराष्ट्र एसोसियेशन आफ रेजिडन्ट डाक्टर्स के आह्वान पर डाक्टर, अंतरंग डाक्टर और चिकित्सा छात्र राज्य सरकार की उस नीति के विरुद्ध हड़ताल पर हैं, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों ने प्रायवेट मेडिकल कालेजों को 30 हजार रुपये तक प्रावेशिक शुल्क लेने की अनुमति दी है।

केन्द्रीय मंत्रालयों के विरोध और कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा प्रावेशिक शुल्क पर रोक लगाने के अध्यादेश के बावजूद कुछ राज्य सरकारें निजी न्यासों और संस्थाओं का प्रवेशा शुल्क प्राप्त करके मेडिकल तथा इन्जीनियरिंग कालेज खोलने को बढ़ावा दे रही हैं। ये केन्द्रीय सरकार तथा भारत की चिकित्सा परिषद द्वारा बनाए गए नियमों का घोर उल्लंघन है।

इन अधिकांश संस्थानों में रोग विज्ञान, मेषणगुण विज्ञान, विधि चिकित्सा आदि के मूल विभागों तथा इनसे संबद्ध पर्याप्त संख्या में अस्पताल की शय्याओं का अभाव होगा।

प्रावेशिक शुल्क भयंकर अभिशाप है। यह इस सम्मानजनक व्यवसाय का व्यापीकरण किया जा रहा है। और इससे काले धन वाले कुछ धनी लोगों का उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर एकाधिकार हो जायेगा। शिक्षा के स्तर में गिरावट के साथ-साथ वर्तमान में निर्धन व्यक्तियों को जो थोड़ी बहुत मेडिकल शिक्षा पाने की सुविधा है वह भी खत्म हो जायगी।

महाराष्ट्र एसोसिएशन आफ रेजिडेंट डाक्टर प्रावेशिक शुल्क का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला सामनेह लाया है। हड़ताल से गरीबों को हुई तकलीफ के बावजूद भी जनता इस घोर व्यापारीकरण के खिलाफ है। मैं सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने तथा प्रावेशिक शुल्क पर प्रतिप्रतिबंध लगाने का अनुरोध करती हूं।

(सात) गेहूं के लिए शाहजहांपुर और उत्तर प्रदेश के अन्य भागों में भंडारण सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता

श्री जितेन्द्र प्रसाद (शाहजहापुर) : इस वर्ष पूरे देश में गेहू का उत्पादन बहुत हुआ।

सरकार द्वारा मूल्य सहायता योजना के अन्तर्गत सरकारी एजेंसियों द्वारा गेहूं की खरीद की गई। बोरों की कमी, बिचौलियों द्वारा किसान का शोषण तथा सरकारी अधिकारियों द्वारा गड़बड़ी करने की शिकायतें मिलती रहीं, जिससे कहीं कहीं पर किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल सका। परन्तु फिर भी यदि यह योजना न होती तो गेहूं के अधिक उत्पादन को देखते हुए किसान को बहुत बड़े घाटे का सामना करना पड़ता।

इस समय विशेष तौर से उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा खरीदे हुए गेहूं के भण्डारण की समस्या बनी हुई है। लाखों बोरी गेहूं खुले में इस वर्षा के मौसम में क्रय केन्द्रों पर पड़ा है और सड़ रहा है। जनपद शाहजहांपुर में करीब 10,000 बोरी से अधिक गेहूं क्रय केन्द्रों पर सड़ चुका है और अभी भी बाहर पड़े गेहूं को सुरक्षित स्थान पर रखने का कोई प्रयास किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा नहीं किया जा रहा है। सरकारी अधिकारी मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहे हैं। मैं इस वक्तव्य द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, ताकि गेहूं के भण्डारण की व्यवस्था को युद्ध-स्तर पर लिया जाए और देश को इस हानि से बचाया जाए।

(आठ) खाड़ी के देशों में काम कर रहे भारतीयों, विशेषकर मलयालियों, की समस्याएं

श्री बी०एस० विजयराघवन (पालघाट)** गैर प्रवासी भारतीयों की सामान्य समस्याओं पर सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है। लेकिन खाड़ी के देशों में काम कर रहे भारतीयों की समस्याओं की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। यह तथ्य कि विदेशों से भेजे गए धन का काफी बड़ा भाग खाड़ी के देशों से प्राप्त होता है, इस आवश्यकता को उजागर करता है कि हमें उनकी अत्यावशयक समस्याओं की ओर तत्परता से ध्यान देना चाहिए। उनकी कुछ समस्याएं निम्नलिखित हैं, जिन पर भारत सरकार को तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है।

(1) खाड़ी के अधिकतर देशों में अधिकांश भारतीय मलयाली है जो कुशल तथा अकुशल कार्य कर रहे हैं। चूंकि वे मलयालम के सिवाय कोई अन्य भाषा नहीं जानते, उन्हें अपनी नौकरी, सरकारी पत्र-व्यवहार आदि में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए, इन देशों के प्रत्येक वाणिज्य-दूतावास में मलयालम जानने वाले वाणिज्य दूत की नियुक्ति करना आवश्यक है।

(2) खाड़ी के देशों में रह रहे भारतीयों की एक और मांग यह है कि शुल्क मुक्त भत्ता बढ़ाकर कम से कम पांच हजार रुपए कर दिया जाना चाहिए।

(3) इसी प्रकार, जब वे भारत लौटते हैं और इस देश में कोई उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो उन्हें सस्ती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।

(4) जिन व्यक्तियों की खाड़ी के देशों में नौकरी छूट जाती है और वे इस देश में सरकारी

** मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर

नौकरी में आना चाहते हैं, उन्हें आयु में छूट दी जानी चाहिए।

(5) खाड़ी के देशों से आने वाले यात्रियों को बम्बई तथा त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डों पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा अनावश्यक रूप से परेशान किए जाने का सिलसिला तुरन्त बन्द होना चाहिए।

मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस सम्बन्ध में तुरंत कदम उठाए जाएँ।

पंजाब आन्दोलन संबंधी श्वेत-पत्र पर चर्चा

गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि यह सभा 23 जुलाई, 1984 को सभा पटल पर रखे गए पंजाब आन्दोलन से सम्बन्धित श्वेत-पत्र पर विचार करती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि यह सभा 23 जुलाई, 1984 को सभा पटल पर रखे गए पंजाब आन्दोलन से सम्बन्धित श्वेत-पत्र पर विचार करती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रो० अजित कुमार मेहता, डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी तथा श्री इन्द्रजीत गुप्त ने इस प्रस्ताव में संशोधन के नोटिस दिए हैं। इन्हें प्रस्तुत किया गया माना जाएगा, बशर्ते कि ये स्वीकार्य हों। इन्हें सदस्यों में भी परिचालित किया जाएगा।

प्रो० अजीत कुमार मेहता (समस्तीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"और पंजाब की स्थिति से अंकुशल ढंग से निपटने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाये पर अपना असंतोष व्यक्त करती है।"

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तरपूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"और इस श्वेत पत्र को अस्वीकृत करती है क्योंकि यह पूरी तरह अधूरा है और इसमें प्राधिकृत दस्तावेज नहीं हैं।"

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये :—

"और खेद व्यक्त करती है कि इसमें निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं है—

(क) भिंडरावाले का उद्भव तथा उसे इतनी अधिक ख्याति मिलने के कारण ;

(ख) 1982-83 के दौरान अकाली मांगों का राजनैतिक हल निकालने में सरकार की असफलता ;

(ग) पंजाब प्रशासन की विफलता तथा मिलीभगत ;

(घ) स्वतन्त्र खालिस्तान के नारे का समर्थन करने वाले विदेशी स्रोतों तथा शक्तियों के नाम , और

(ङ) स्वर्ण मन्दिर परिसर में जब्त किये गये विभिन्न अति आधुनिक हथियारों का प्राप्ति-स्रोत "

श्री अटल विहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, आप चाहेंगे कि श्वेत पत्र पर अर्थपूर्ण चर्चा हो । लेकिन अर्थपूर्ण चर्चा तब तक सम्भव नहीं है जब तक सारे तथ्य सदन के सामने न आ जाएं । इस श्वेत पत्र में नौ गुप्त बैठकों का उल्लेख है, जो कि सरकारी नेताओं और अकाली दल के नेताओं के बीच हुई । मगर उनका कोई विवरण हमारे पास नहीं है ।

व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : अपने आर्ग्युमेंट तो दीजिए ।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : आर्ग्युमेंट कहां से आएगा ? हम तो तथ्य मांग रहे हैं ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : तथ्यों को छुपाया गया है ।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : यह आर्थपूर्ण चर्चा नहीं हो सकती । यह बैठक 26 मई को हुई थी । सैनिक कार्यवाही से एक हफ्ते पहले गुप्त बैठक हुई । सदन को अन्धेरे में क्यों रखा जा रहा है ? ..... (**व्यवधान**)

सुब्रह्मण्यम स्वामी : उन बैठकों के कार्य-वृत्त सदन में प्रस्तुत किए जाने चाहिएं.....

श्री अटल विहारी वाजपेयी : क्या आप गृह मन्त्री को उन गुप्त बैठकों के कार्य-वृत्त सभा पटल पर रखने के लिए कहेंगे ? सदन को अन्धेरे में क्यों रखा जाए ? यह एक महत्वपूर्ण मामला है और इसे इस तरह नजर अन्दाज नहीं किया जाना चाहिए ।

श्री हरिकेश बहादुर : इसे श्वेत पत्र क्यों कहा जाए ? यदि सभी कुछ गुप्त रखा जाना है तो इसे श्वेत पत्र नहीं कहना चाहिए ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : चूंकि ये बैठकें गुप्त थीं, इन्हें इसमें से बिलकुल निकाल दिया जाना चाहिए था । इनका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए था । जब इन्हें श्वेत पत्र के परिशिष्ट में सारणीवद्ध तथा सूचीवद्ध किया गया है, तो हमें अवश्य बताया जाना चाहिए । इन्हें पूरी तरह छोड़ा जा सकता था । कोई नहीं जानता कि ये गुप्त बैठकें हुई थीं ।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मन्त्री महोदय हमें बताएं कि इसमें कौन सी विदेशी ताकतों का हाथ था ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकता दक्षिण) मैं यह बिलकुल स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि जब तक सभी तथ्य सदन में प्रस्तुत नहीं किए जाते, कोई भी अर्थपूर्ण चर्चा सम्भव नहीं है ।

जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है, जब तक हमें यह पता नहीं चलता कि गुप्त बैठकों में क्या हुआ, सरकार की ओर से क्या पेशकश थीं तथा अकाली नेताओं का क्या रवैया था, तबतक हमारे लिए यह जानना बहुत कठिन है कि वार्ता की असफलता के लिए विशेषतौर पर कौन जिम्मेदार है—तथा ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके कारण 6 जून की दुःखद घटनाएं घटीं ।

स्वयं श्वेत पत्र के बारे में सरकार ने जनता को बता दिया था कि वह श्वेत पत्र निकालने जा रही है स्वभाविक तौर पर जनता को आशा थी कि इसमें पंजाब अन्दोलन या पंजाब की घटनाओं की पूर्ण तस्वीर होगी । इस श्वेत पत्र को निकालने में सरकार ने काफी समय लिया । मैं नहीं जानता कि इसे जारी करने में इतना बिलम्ब क्यों हुआ । ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि कुछ विदेशी ताकतें भारत सरकार को यह चेतावनी दे रहीं थीं कि यदि उसने कुछ रहस्य प्रकट किए तो उन देशों के साथ भारत के सम्बन्ध बिगड़ जाएंगे ।

इसमें इतना विलम्ब क्यों हुआ, तथा इसमें इतने अधिक तथ्यों को क्यों छोड़ दिया गया यह स्पष्ट करना गृह मन्त्री का काम है । हमें आशा थी कि इसमें पूरी तस्वीर होगी लेकिन इसमें हमने देखा है कि तस्वीर को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है । हो सकता है कि इसमें जो कुछ तथ्य प्रकट किए गए हैं, वे महत्वपूर्ण हों, लेकिन इसमें जो प्रकट नहीं किया गया है, वह और अधिक महत्वपूर्ण है । और मैं नहीं जानता की सरकार संसद सदस्यों को यह जानकारी क्यों नहीं देना चाहती ।

श्वेत पत्र बहुत चतुरता से पंजाब की सभी घटनाओं के किए अकाली दल को दोषी ठहराता है सेना की कार्यनाही, जिसे स्वर्ण मन्दिर परिसर में आपरेशन ब्लु स्टार के नाम से जाना जाता है, की परिस्थितियां पैदा करने के लिए भी यह अकाली दल तथा इसके नेताओं को जिम्मेदार ठहराता

है । श्वेत-पत्र सरकार की ऐसी तस्वीर पेश करता है जैसे की सरकार की कोई जिम्मेदारी ही न हो, लगभग एक निर्दोष मान्नने की तरह । क्या ऐसा ही है ?

जहां तक विदेशी शक्तियों की भूमिका की बात है, श्वेत पत्र भारत की जनता को विश्वास में लेने से भी इन्कार करता है । इसमें कहा गया है कि न केवल पंजाब में बल्कि देश के अन्य भागों में भी विदेशी तत्व सक्रिय हैं और ये विदेशी शक्तियां हमारे देश में अस्थिरता पैदा करने, पृथकतावादी शक्तियों को प्रोत्साहन देने तथा देश के सामाजिक आर्थिक ढांचे को तहसनहस करने में रुचि रखती हैं । लेकिन दुर्भाग्यवश, यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि ये किस प्रकार ऐसा करने का प्रयत्न कर रही हैं, सरकार के पास इसके क्या प्रमाण हैं तथा ऐसे कौन से लक्ष्य हैं जिनसे सरकार इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है । मेरा विश्वास है, और हम कई बार इस सदन में चेतावनी दे चुके हैं कि यह सच है कि कुछ ऐसी विदेशी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर बनाना चाहती है तथा देश के टुकड़े करना चाहती हैं हमने अपने दल की ओर से यहां इस सदन में कई बार चेतावनी दी है कि ऐसी शक्तियां हैं, लेकिन, दुर्भाग्यवश, सरकार ने किसी देश का नाम ही नहीं बताया है और इसके कारण सरकार को ही भलि भांति मालूम हैं । मैंने कल का समाचार पढ़ा था, प्रधान मन्त्री ने यह कहा है कि उनका नाम बताना सम्भव नहीं है; इसका परिस्थितिक साक्ष्य है । ऐसे महत्व पूर्ण मामले में भी यदि पारिस्थितिक साक्ष्य है तो मेरे विचार से, यदि यह देश की एकता और अखण्डता का प्रश्न है, तो सरकार को चाहिये कि वह इन ताकतों का पता लगाये और देश की सुरक्षा और अखण्डता के हित में भारत के लोगों को उनके बारे में जानकारी दें ।

केन्द्रीय गृह सचिव ने अपने प्रैस विवरण में जो कुछ कहा था उसका उल्लेख श्वेत पत्र में नहीं है । उन्होंने विदेशियों का हाथ होने के बारे में कुछ कहा था किन्तु, दुर्भाग्यवश, श्वेत पत्र में उसका जरा भी उल्लेख नहीं है । मुख्य प्रश्न यह है कि श्वेत पत्र इस बात का उत्तर देने में असमर्थ रहा है कि सरकार पंजाब में उग्रवादियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने में क्यों असफल रही है । इन हथियारों की तस्करी क्यों हुई और श्वेत पत्र का कथन है कि सरकारी गुप्तचर विभाग असफल नहीं रहा । यदि सरकारी गुप्तचर विभाग पूर्णत: सचेत था, और वह भली प्रकार कार्य कर रहा था ; और यदि सरकार को उग्रवादियों की गतिविधियों की पूरी जानकारी थी तो सरकार ने स्वर्ण-मन्दिर में चोरी-छिपे हथियार ले जाने की रोकथाम के लिए कोई उपाय क्यों नहीं किया ? श्वेत पत्र इसके बारे में मौन है और उसकी मौनता पूर्णत मूक बना देने वाली है क्योंकि प्रश्न यही है और समस्या का रहस्य भी यही है । उग्रवादियों की गतिविधियां किसी एक निश्चित दिन तो आरम्भ नहीं हुई थी । यदि वे सक्रिय थे और सरकार को इस बात की जानकारी थी किन्तु सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की, श्वेत पत्र देश को यह बताने में असफल है कि सरकार कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर सकी अथवा उसने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की । अथवा वह कोई कार्यवाही क्यों नहीं करना चाहती थी । मैं चाहता हूं कि गृह मन्त्री इसके बारे स्पष्टीकरण दें और इस सदन में इस बातको पूर्णत: स्पष्ट रूप से बताये कि जब सरकार को पूरी जानकारी थी तो उसकी इस निष्क्रियता का क्या कारण था ।

श्वेत पत्र में इस बात का उल्लेख है कि सरकार बात-चीत करनेको तैयार थी और सरकार ने उनसे बात-चीत की थी, बात-चीत हुई भी किन्तु बात-चीत के असफल होने, समझौता न होने के लिए अकाली नेता उत्तरदायी है। क्या श्वेत पत्र में जो कहा गया है वह तथ्यों के अनुरूप है। तथ्य तो तथ्य ही रहेंगे और तथ्य यह है कि जो श्वेत पत्र में जो कुछ कहा गया है वह सच नहीं है। इसलिए, अकाली दल नहीं, अपितु सरकार समझौता करने को तैयार नहीं थी। यदि आप मुझे तथ्यों को प्रगट करने की अनुमति दें तो यह बात पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगी कि सरकार समझौता करने को तैयार नहीं थी।

इतना ही नहीं, बल्कि इस सदन में हम लोग विरोधी पक्ष की ओर से इस बात की वकालत करते रहे हैं कि इसका समाधान हो और वे उनकेसाथ बात-चीत करें, उग्रवादियों को निकाल बाहर करे, और प्रशासनिक उपायों पर विश्वास करने की अपेक्षा राजनीतिक हल निकालें। किन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं किया गया। अकालियों ने अपना आन्दोलन आरम्भ किया। ढाई महीने बाद प्रधान मन्त्री ने बात-चीत करने के लिए उन्हें आमन्त्रित किया और हुआ क्या? जब बात-चीत हुई और 3 नवम्बर को एक समझौता हुआ था और जब तत्कालीन गृह-मन्त्री दूसरे दिन एक वक्तव्य देने वाले थे, तब सरकार ने वक्तव्य में अचानक परिवर्तन कर दिया। क्या यह सच है कि 3 नवम्बर को समझौता हो गया था और दूसरे दिन सदन में गृह मन्त्री को वक्तव्य देना था और अचानक सरकार ने वक्तव्य में परिवर्तन कर दिया। मैं गृह मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वह सही है अथवा गलत क्योंकि मैं एक ऐसे सदस्य की बात का हवाला दे रहा हूं जिसने बात-चीत में भाग लिया था। मैं चाहता हूं कि गृह मन्त्री जी सच बात कहें और मुझेब तायें कि क्या यह सच है कि 3 नवम्बर को एक समझौता वक्तव्य में परिवर्तन किया गया था? यदि हां, तो क्या सरकार यह बतायेगी कि ऐसा क्यों किया गया?

इसके बाद 18 नवम्बर को एक समझौता हुआ था और उसे लिखित रूप में तैयार किया गया था। अकाली नेताओं और सरकारी प्रवक्ताओं को अमृतसर ले जाने तथा वहां से घोषणा करने के लिए जहाज तैयार था। किन्तु अन्तिम प्रारूप में अन्तर था। यही कारण है कि अकाली नेता उससे सहमत नहीं हो सके और घोषणा नहीं हो सकी।

पुनः सरकार ने दिसम्बर जनवरी में बात-चीत आरम्भ की किन्तु उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। प्रधान मन्त्री ने त्रिपक्षीय सम्मेलन के लिए विरोधी दलों को 24 जनवरी, 1983 को आमन्त्रित किया। समझौता लगभग हो चुका था किन्तु सरकार ने उसे कार्यान्वित नहीं किया। उस समय तत्काली गृह मन्त्री थे—वर्तमान गृह मन्त्री नहीं पिछले गृह मन्त्री थे—जिन्होंने कहा था कि विरोधी दलों के भाग लेने से मतभेदों में कमी हुई है। यदि हां, तो यदि मतभेदों में कमी हुई थी और यदि विरोधी दलों में नेता सहायक थे और वे अकाली नेताओं पर प्रभाव डाल सकते थे और यदि अकाली नेता भी सहमत हो सकते थे तो सरकार क्या सहमत हो सकती थी तो इसका कारण भी था कि विरोधी दलों को साथ लेकर और त्रिपक्षीय सम्मेलन सम्पन्न होने के बाद भी सरकार सहमत क्यों नहीं हो सकी? इसका उत्तर वर्त्तमान गृह मन्त्री को जो कि पहले विदेश मंत्री थे; देना है।

30 जून, 1983 को फिर दिल्ली में विरोधी दलों की बैठक हुई थी। उन्होंने एक विशेष सूत्र का सुझाव दिया था और वह सूत्र भारत सरकार को मान्य नहीं था। वह सूत्र क्या था ? वह यह था कि चण्डीगढ़ पंजाब को दे दिया जाना चाहिए और हरियाणा को मुआवजा दिया जाना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : सूत्र क्या था ?

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : चण्डीगढ़ पंजाब को दे दिया जाना चाहिये और कुछ क्षेत्र-हिन्दी भाषी क्षेत्र मुआवजु के रूप में हरियाणा को दे दिया जाना चाहिये ; जल विवाद का मामला न्यायाधिकरण को सौंपा जाना चाहिये और सीमा विवाद भी न्यायाधिकरण को सौंपा जाना चाहिये। प्रधान मन्त्री जी ने इसे रद्द कर दिया। किन्तु 3 जून को प्रधान मन्त्री जी ने स्वयं वही प्रस्ताव दिया। जिन प्रस्तावों को एक वर्ष-पूर्व आपने रद्द कर दिया था, जिन प्रस्तावों को विरोधी दलों ने और अकाली नेताओं ने रखा था, उन्हीं प्रस्तावों को आपने आकाशवाणी पर घोषित किया। आप यह स्पष्ट करें कि उनमें क्या अन्तर था। यदि आप उन पर तीन जून 1984 को सहमत थे तो क्या कारण था कि 30 जून, 1983 को आप उन पर सहमत नहीं हो सके ? यही सब तथ्य हैं। मुझे मालूम है कि अकाली दल का आनंदपुर साहिब का अपना संकल्प था। किन्तु सरकार या आयोग की नियुक्ति के बाद अकाली दल अपने अन्नद पुर साहिब के संकल्प को आगे न चलाने को तैयार था। किन्तु जहां तक सीमा विवाद और जल विवाद का संबंध है, मुझे पता है कि किसी प्रकार का समझौता हुआ था। किन्तु मैं ठीक-ठीक नहीं बता सकता कि नीति क्या थी, किन कारणों परिस्थितियों की विवशता के कारण और किस राजनैतिक दूरदर्शिता के कारण सरकार को विरोधी दलों के उन नेताओं के सुझाव स्वीकार नहीं थे जिन्होंने चर्चा में भाग लिया था और पंजाब की गुत्थी सुलझाने में उनकी समान रुचि थी। और, इसके बाद, प्रधान मन्त्री जी ने उन्हीं बातों को एक वर्ष बाद स्वीकार किया। किन्तु परिस्थिति तब तक नियन्त्रण से बाहर हो चुकी थी। इसलिए मेरा आरोप है कि इसे आप पहले भी सुलझा सकते थे किन्तु आपने सुलझाया नहीं गृह मन्त्री इस बात को निश्चित रूप से स्पष्ट करें कि सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया ?

संसद में हुए वाद-विवाद को मैंने सुना है। यहां इस श्वेत पत्र में उन्होंने यह ठीक ही कहा है कि कुछ कारण हैं :—

> "पंजाब में पिछले तीन वर्षों के दौरान अनेक आन्दोलन होते रहे हैं। वहां स्पष्ट रूप से चार प्रकार के तत्व सक्रिय हैं। कभी-कभी ऐसा लगता था कि इनमें परस्पर कोई संबंध नहीं है पर अन्तिम विश्लेषण से यह स्पष्ट हो गया कि ये एक ही ताने-बाने के हिस्से थे। इनसे हिंसा और आतंक का ऐसा दौर शुरू हो गया था जिससे न केवल पंजाब बल्कि सारे देश की सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक स्थिरता को खतरा पैदा हो गया था। ये तत्व थे :—

शिरामणि अकाली दल द्वारा उन कुछ मांगों के समर्थन में चलाया गया आन्दोलन जो सरकार की पेशकश की गई थी और जिनके बारे में बात-चीत चल रही थी ;"

पहला तत्व है अकाली दल का आन्दोलन, उनकी मांगें और बात-चीत चल रही थी। दूसरा तत्व क्या है ?

"एक जबरदस्त साम्प्रदायिक और उग्रवादी आन्दोलन जिसमें खुले आम हिंसा की वकालत की जाने लगी और बेकसूर एवं असहाय नागरिकों के विरुद्ध तथा राज्य के खिलाफ जघन्य अपराध किये गये हैं ;"

जैसा कि आपने अपने श्वेत पत्र में वर्णन किया है—दूसरा तत्त है—उन साम्प्रदायिक और उग्रवादी तत्वों की गतिविधियां, जो बेकसूर लोगों की हत्या कर रहे थे और साम्प्रायदिकता का जहर फैला रहे थे। तीसरा तत्व है —

"बाहरी समर्थन से सिखों के लिये एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना के घोषित उद्देश्य से चलाई जा रही पृथकतावादी और राष्ट्र बिरोधी गतिविधियां।"

तीसरा तत्व वे पृथकता वादी हैं, जो एक पृथक स्वतंत्र राज्य अर्थात खालिस्तान चाहते थे। और चौथा है—

"इनमें अपराधियों, तस्करों, अन्य समाज बिरोधी तत्वों तथा नक्सलवादियों का शामिल होना जिन्होंने स्वार्थ की पूर्ति के लिए स्थिति की नाजायज फायदा उठाया।"

वास्तव में बहुत अच्छी बात है। आपने चार तत्व बताये हैं। किन्तु इस श्वेत-पत्र से पहले आपने क्या किया ? सारे वाद-विवाद पढ़िये। इन तीन वर्षों के दौरान संसद में आपने जो कहा है वह यह है कि पंजाब में जो कुछ हुआ है उसके लिये अकाली दल का आन्दोलन उत्तरदायी है। अनुदार और आतंकवादियों के बीच आपने कोई अन्तर स्पष्ट नहीं किया जबकि हम लोग इस बात निर्धारण करते रहे है कि यह आन्दोलन-धार्मिक और गैर-धार्मिक कुछ मांगो पर आधारित है।, आपने धार्मिक मांगें मान लीं। प्रधान मंत्री ने इस बात की घोषणा बंगला साहिब में की थी। किन्तु गैर-धार्मिक धर्म-निरपेक्ष मांगें आपने कभी भी स्वीकार नहीं की। किन्तु आपने ऐसा कभी नहीं कहा कि चार तागतें सक्रिय हैं—हो सकता है कि वे कहीं संयुक्त हो और कहीं हों ही नहीं। आपने सभी को बराबर समझ लिया।'''(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : थोड़ी देर रुकिये। एक बज चुका है। मध्याह्न भोजन का समय हो गया है। आप बैठना चाहेंगे अथवा'''

(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : मध्याह्न भोजन के उपरांत।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : महोदय, कृपा करके उन्हें अपना भाषण पूरा कर लेने दीजिये और उसके बाद हम लोग मध्याह्न भोजन के लिये अवकाश करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप बीस मिनट ले चुके हैं और आप पांच मिनट और ले सकते हैं ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं अधिक समय तक आपको भूखा नहीं रखना चाहता हूं । अतः आपने श्वेत-पत्र में आज जो कुछ कहा है, पहले ऐसा कुछ नहीं कहा था । श्वेत पत्र में भिंडरवाला को उग्रवादियों का नेता बताया है । मैं चाहता हूं कि सत्तारूढ़ दल के सदस्य अपने ही भाषणों का हवाला दें कि इस सदन में उन्होंने श्री भिंडरवाला की गतिविधियों की भर्तस्ना की थी । जी हां; मैं यही चाहता हूं । यह मेरा दावा है । जी हां, आप अपने ही भाषण में से उसका हवाला दें कि आपने एक आतंकवादी नेता के रूप में उसकी भर्तस्ना की है जो सिक्ख पृथक राज्य की इस भावना को वास्तव में उभार रहा था । आपने यह बात पहले कभी नहीं कही थी । आपने अकालियों पर चोट की थी । आपने यह बात कभी सुस्पष्ट नहीं की थी कि मानों खालिस्तान के लिये अकाली ही उत्तरदायी थे । और इन सभी आतंकवादी गतिविधियों के लिये अकाली ही उत्तरदायी थे ।किन्तु यहां, श्वेत पत्र में, मुझे प्रसन्नता है कि आपने यह बात स्पष्ट की है...

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : आप हमारे बारे में गलत कह रहे हैं । हम लोगों ने सदा उसकी भर्तस्ना की है । मैंने अपने अनेक भाषणों में उसकी भर्तस्ना की है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिए। प्रो० तिवारी, इसका खण्डन करने के लिए आपको काफी समय मिलेगा...

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, मैं तथ्यों पर निर्भर कर रहा हूं । यदि वह कल्पना पर अिर्भर करना चाहते हैं तो वह ऐसा कर सकते हैं । जब मैं यह कहता हूं तो उन्हें गुस्सा आता है । श्री राजीव गांधी ने क्या कहा था । भिंडरांवाले एक धार्मिक नेता थे···

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी (अमेठी) : अध्यक्ष महोदय, भिंडरांनाले के बारे में मैंने जो कुछ कहा था, उसके बारे में श्री चक्रवर्ती ने प्रश्न उठाया है । मैं इस सभा में इसके बारे में स्पष्ट कर चुका हूं और मैं उनसे निवेदन करता हूं कि समाजार पत्रों में शरारत भरी रिपोर्टों पर निर्भर करने की बजाए वे कृपया मेरे इस सभा में वक्तव्य में दिए एगको पढें ।

श्री ए० नीलालोहितदासन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : परन्तु आपने इसका खण्डन कभी नहीं किया।

श्री राजीव गांधी : समाचार पत्रों में मैंने इसका खण्डन किया है। इस सभा में मैंने इसका खण्डन किया है। इस सभा के कार्य अथवा सभा में क्या होता है, इसके बारे में विपक्ष को सूचना देना मेरा काम नहीं है...

...(**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (नई दिल्ली) : अभी भी पता नहीं लगा कि पहले क्या कहा था और बाद में क्या कहा।

अध्यक्ष महोदय : लाइब्रेरी में मेरे पास पूरा रिकार्ड मौजूद है, आप आकर देख लिया करें।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री राजीव गांधी से केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब यह सभा में बताया गया तो उन्होंने इसका स्पष्टीकरण इस सभा में किया। यह सब समाचार पत्रों में छपने के इतने दिनों बाद बताया गया। उस समाचार पत्र को उन्होंने इसका खण्डन क्यों नहीं भेजा ? उन्होंने ऐसा नहीं किया।

श्री राजीव गांधी : अगले दिन ही समाचार पत्र में खण्डन के बारे में छपा था। कुछ दिनों के पश्चात् मैंने बम्बई में एक प्रेस सम्मेलन बुलाया था। उस सम्मेलन में मैंने इससे कहीं अधिक विस्तृत स्पष्टीकरण दिया था। उसके बाद तीसरा स्पष्टीकरण मैंने इस सभा में दिया था। मुझे खेद है कि मेरी दायी तरफ बैठे सदस्यों के पास अदयतन जानकारी नहीं है और वे अपने आंख और कान खुले नहीं रखते हैं।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : उसके बाद भी वे पहले स्पष्टीकरण को लेकर ही बहस करते रहे। समाचार पत्रों को पढ़ने और कार्यवाही पर ध्यान देने की बजाए वे उसी स्पष्टीकरण पर जोर देते रहे।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : उग्रवादियों की गतिविधियों की निंदा करने में मैं किसी से पीछे नहीं हूं। उग्रवादियों ने जो पंजाब में जो कुछ किया है अर्थात मारधाड़, कत्ल, शस्त्रों की तस्करी और हिंसा की प्रवृत्ति को फैलाना, यह सब देख कर प्रत्येक भारतीय का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए।

महोदय, आपको याद होगा कि विपक्ष के सदस्यों ने मांग की थी कि भिंडरावाले को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उग्रवादियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। परन्तु जब हम कड़ी कार्यवाही की मांग कर रहे थे तब सरकार रुख क्या रहा ? यह सब दार्शनिक था।

मुझे अब भी ग्रह मंत्री का चेहरा याद है—आपका चेहरा नहीं अपितु पिछले गृह मंत्री का चेहरा वह लगभग उदासीन और दार्शनिक सा था।

एक माननीय सदस्य : बुद्धम शरणम गच्छामि।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हमने उनके वक्तव्य कि पंजाब में सब कुछ पूरी तरह से सामान्य हैं और सरकार ने पूरी तरह से स्थिति पर नियन्त्रण कर लिया है, पर ध्यान दिया है।

उग्रवादियों की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कौन जिम्मेदार हैं ? हमें तथ्यों की ओर ध्यान देना चाहिए। यदि कुछ सदस्य तथ्यों को बर्दाक्त नहीं कर सकते तो में उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे मेरे बोलने में बाधा न डालें, क्योंकि मेरा काम सारे देश को तथ्यों से अयगत कराना है।

अब आप श्वेतपत्र में भिंडरावाले को बुरा-भला कह रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आपने ऐसा किया है। परन्तु भिंडरावाले कौन थे और उसको लोक प्रसिद्ध किसने किया ? श्रीमती इन्दिरा गांधी के आपात कालीन शासन के विरुद्ध जब अकाली लड़ रहे थे तभी कांग्रेस (ई) द्वारा भिंडरावाले को लोक प्रसिद्ध किया गया।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : अपनी स्थिति को साबित करने के लिए आपको पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। किंतु जब मैं तथ्यों के बारे में बता रहा हूं, तो क्या आप कृपया मुझे सुनने की कोशिश करेंगे ? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है अथवा नहीं कि भिंडरावाले ने श्रीमती इन्दिरा गांधी की पार्टी अर्थात कांग्रेस (ई) के लिए 1980 के चुनावों में तथा जून 1980 के चुनावों में भी प्रचार किया।

(व्यवधान)

इसका उत्तर देना आप का काम है। भिंडरावाले को लोक प्रसिद्ध किसने किया ? जब भिंडरावाले बिना लाइसेंस की बन्दूक के साथ दिल्ली आया था और सारे विपक्ष ने यह मांग की थी कि उसे गिरफ्तार किया जाए तो आपने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया ? क्या कारण था कि भिंडरावाले के समर्थक अमरीक सिंह और अन्यों को छोड़ दिया गया। क्या कारण था कि वे उग्रवादी जो गिरफ्तार किए गए थे, उन्हें भी पुलिस दवारा छोड दिया गया ?

श्वेत पत्र में आपने कहा है कि आपको हर बात की जानकारी है यदि ऐसा है तो आपने उग्रवादियों को स्वर्ण मन्दिर में कार्य तथा शास्त्रों की तुस्करी क्यों करने दी ? हमने कई बार यह कहा था कि धार्मिक स्थानों को धर्म के अलावा किसी और उपयोग में लाने के हम विरुद्ध हैं, चाहे वह गुरुदवारा हो अथवा मस्जिद हो अथवा मन्दिर हो। हमने गुरुद्वारे में शास्त्रों की तस्करी की

निन्दा की थी। मैं इस बात का लिखित सबूत दे सकता हूं कि श्री भिंडर, जिन्हें पंजाब में भेजा गया था, ने ही घोषणा की थी कि स्वर्ण मन्दिर में कोई साम्प्रदायिक तत्व नहीं है, कि स्वर्ण मन्दिर में कोई शास्त्रास नहीं हैं जिसका पंजाब के मुख्य मन्त्री द्वारा खण्डन किया गया था। ऐसा क्यों किया गया था। ऐसा क्यों किया गया था। ऐसा क्यों किया गया था ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : डा० स्वामी को बोलने दिया जाए

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : क्या मैं व्यक्तिगत् स्पष्टीकरण भी दे सकता हूं ?

एक माननीय सदस्य : उन्होंने अपना नाम नहीं बताया।

श्री सत्यरमय चक्रवर्ती : महोदय मैंने उनका नाम नहीं बताया है।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : यदि आप इसे रिकार्ड में से निकालेंगे, तो मैं नहीं बोलूंगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : परन्तु मैंने उसका नाम नहीं बताया है

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी : मैं इसलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि इसे मेरे विरुद्ध प्रचार के एक भाग के रूप में प्रयोग किया जा रहा है।

महोदय, मैं स्वर्ण मन्दिर गया था और वापस आने के बाद मैंने एक लेख लिखा जिसके अन्तर्गत चित्रों सहित मैंने शास्त्रों के बारे में विभिन्न प्रकार का वर्णन किया। किंतु यह मैंने कभी नहीं कसा कि वहां पर शस्त्र नहीं थे। परन्तु कुछ समाचार पत्र विशेष रूप से जालंधर के समाचार पत्र इस बारे में झूठा प्रचार करते रहे हैं। मैं खेद पूर्वक कहता हूं कि यह उस समाचार पत्र की गलती है। मैं फिर जोर देता हूं कि मैं यह कभी नहीं कहा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार ने एस बार यह क्यों घोषणा की कि स्वर्ण मन्दिर में कोई शस्त्र नहीं थे, वहां कोई अपराधी नहीं थे ? क्या वास्तव में यह घोषणा इस सिए की गई थी और मैं शत प्रतिशत सही हूं जब ऐसा कहता हूं क्योंकि केन्द्रीय सरकार भिंडरा वाले के समय समझोता करने का प्रयत्न कर रही थी ? क्या यह सत्य नहीं है कि गुप्त बैठकों के कार्य वृत जनता को इस लिए नहीं बताए गए क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी अकाली नेताओं के साथ एक सम्मिलित सरकार बनाना चाहती थी ?

महोदय, मै उस समय प्रधान मंत्री के साथ एक हूं जब वह यह कहती हैं कि हमारे देश में उलगाववादी और विघटन कारी ताकतें काम कर रही है और वे हमारे देश की एकता और अखण्डता के लिए खतरा पैदा कर रही है। आखिर इन सब बातों द्वारा, इन बड़ी-बड़ी घोषणाओं द्वारा कांग्रेस (ई) कर क्या रही है ? क्या यह सच नहीं है कि वह मिजोराम के लालडेंगा जिसके विदेशों के साथ संपर्क है, के साथ साथ समझौता करने का प्रयत्न कर रही है ? क्या यह सच नहीं

है कि चुनाव में विजय प्राप्त करने के लिए, चुनाव के दौरान लालडेंगा की रिकार्ड की हुई टेप का प्रयोग किया गया था ?

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, यह शासकीय गुप्त, बात अधिनियम का उल्लंघन् है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हमारी प्रधान मन्त्री उग्रवादियों की गतिविधियों के बारे में बात कर रही हैं। वे सही हैं। यह हमारे देश के लिए खतरा है। उग्रवादियों से लड़ने के लिए हमें एक होकर रहना चाहिए। किंतु उनकी अपनी पार्टी त्रिपुरा में क्या कर रही है? वह अपने आपको टी० यू० जे जो शस्त्रों से लड़ रहे हैं और जिनकी विदेशों के साथ साठगाठ है, के साथ गठबधन कर रही है। अपनी कथनी और करनी के बारे में वे कैसे स्पष्टीकरण देंगी ? साम्यवाद की बात करते हुए वे यह कैसे समझाएंगी कि केरल में साम्यवादी ताकतों के साथ उनका मेल जोल है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : आप शिव सेना के बारे में क्या कहेंगे ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यदि आप शिव सेना को फासिस्तवादी ताकत के रूप में बता रहे हैं तो तब इसे आप क्या कहेंगे जब आप इसे अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयोग करते हैं ? यह सब बताना प्रधान मंत्री का काम है। महोदय, मैं उन पर अविश्वास नहीं करता हूं जब वह यह कहती हैं कि वह वास्तव में देश को एक करने का प्रयत्न कर रही हैं परन्तु वह अपने कार्यों द्वारा जनता के सामने यह साबित क्यों नहीं करती कि वह ऐसा करने के लिए प्रयत्न कर रही हैं ? ऐसी कौन सी ताकतें है जिन पर निर्भर होने के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं ? जब विदेशी ताकतें कार्य कर ही रही हैं तो क्या यह सच नहीं है कि अपने अल्पावधि लाभ, अर्थात चुनाव में, सफलता, के लिए आप उन्हीं ताकतों पर निर्भर रहने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं जिनकी आप प्रतिदिन निंदा करते हैं ? आप विपक्षी पार्टियों पर आक्रमण कर रहे हैं। आप कहते हैं कि विपक्षी नेता खतरे को नहीं देखते। हम खतरे को देखते है। हम खतरों के बारे में सरकार को चेतावनी भी देते हैं परन्तु हम कांग्रेस (ई) द्वारा अपनाई जा रही नीति के खतरे को भी देखते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं केवल एक यह या दो मिनट और लूंगा।

महोदय, उनकी गुटबंटी-चाहे यह गुट हो या वह गुट हो-अलगाववादी ताकतों पर निर्भर है।

महोदय, ऐसा क्यों है कि श्वेत पत्र में सरकार ने पंजाब के बारे में बहुत बातें कही है। सरकार ने उग्रवादियों की गतिविधि तो की निंदा ठीक ही है और समूची सभा उग्रवादियों की गतिविधियों की निंदा करने में एक हो जायगी। परन्तु सरकार के पास हरियाणा में हुई वारदातों के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है, जहां प्रशासन की सहायता से सांप्रदायिक दंगे कराये गए।

(व्यवधान)

.....जिनके बारे में चार संसद सदस्य प्रधान मन्त्री को सूचना देते रहे। हमने इसे देखा है और आप मानते नहीं है।

महोदय, अपनी बात समाप्त करते हुए मैं कहूंगा कि आपका दल एक धर्मनिरपेक्ष दल है। आप पंजाब में धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? धार्मिक मामलों को धार्मिक नेताओं तक ही रहने दो, परन्तु आप ऐसा पंजाब में नही कर रहे हैं। आप आज भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसका कोई कारण नहीं है कि आप क्यों .....।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब उन्हें अपनी बात समाप्त करनी चाहिये।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप तो एक दम से निष्पक्ष हैं, आपको मुझे कुछ और समय देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें और कितना समय चाहिये?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : केवल दो या तीन मिनट।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें पहले ही दस मिनट अधिक दे चुका हूं। मैं तो इतना उदार रहा हूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं जब ये सब बातें कहता हूं तो ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई राजनीतिक लाभ उठाना चाहता हूं। (**व्यवधान**) यह करना तो आपका काम है। परन्तु आप भारत पर शासन कर रहे हैं।

(व्यवधान)

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (सीतापुर) : चक्रवर्ती जी, क्या आप यह बात ईमानदारी से कह रहे है?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, कांग्रेस गत 37 वर्षों से भारत पर शासन करती आई हैं और आज कांग्रेस (इ) कर रही है क्या आप सदन को यह स्पष्ट करेंगे कि आप राष्ट्र की एकता को बनाकर क्यों नहीं रख सकते हैं, उस एकता को जो कि स्वन्त्रता आन्दोलन के दौरान बनाई गई थी? अब उस एकता को नष्ट किया जा रहा है। आप सत्ता में हैं, आप इसके उत्तरदायी हैं और एकता को बनाए रखना आपका कर्त्तव्य है।

अन्त में, मैं अपील करूंगा कि सभी सिख उग्रवादी नहीं हैं और हम उग्रवादियों के कार्य-कलापों के समर्थक नहीं हैं। उनकी अपनी उचित शिकायतें हैं और उनकी भाषाओं को शांत करना

होगा । हमें अपने भाइयों, उन शूरवीर भाइयों की भावाओं को शान्त करने के लिए एक जुट होकर कार्य करना होगा जो कि स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान लड़े और जो हमारे अस्तित्व का ही एक अन्ग है । और चूंकि वे सत्ता में है तो, मैं सत्तारूढ़ दल से निवेदन करता हूं कि वह अनुकूल वातावरण पैदा करें, साम्प्रदायिक ताकतों से लड़े तथा उन्हें, राजनीतिक रूप से अलग-थलग कर दें और केवल प्रशासनिक उपायों पर ही निर्भर न करें । धन्यवाद ।

1.18 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजकर बीस मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

2.22 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर बाईस मिनट पर पुन: समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री ए० के० सेन (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और ऐसा करते हुए यह मेरा सौभाग्य है कि अपनी ओर से और समग्र राष्ट्र की ओर से इस सभा के माध्यम से, राष्ट्र के प्रति सिख समुदाय के भारी त्रध्या को स्वीकार करता हूं ।

उनके इतिहास उनके गुरुओं की शिक्षाओं और जीवन ने हमारे समाज के सुगठित ढांचे को आलोकित किया है और उस महान इतिहास तथा उन महान सिद्धान्तों के प्रति अपनी निष्ठा में हम सामान्य भागीदार हैं । स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान; हम युवा लोग गुरु गोविन्द सिंह तथा अन्य गुरुओं से, गदर पार्टी के शहीदों से, क्रान्तिकारी भगतसिंह, जिन शहीदों ने जलियां वाले बाग में अपना खून बहाया और हजारों अन्य देश भक्त सिखों से जिन्होंने देश की मुक्ति हेतु अपने जीवन की बाले दे दी प्रेरणा लेते थे । जब वे जलियां वाले बाग में शहीद हुए और उनका खून बहा तो वे सिखों या हिन्दूओं के रूप में नहीं मरे, वे भारतवासी के रूप में, उन शहीदों के रूप में मरे, जिनका रक्त भारतीय राष्ट्र की धारा में वहा । और वह इतिहास अभी तक चलता आ रहा है । निस्सन्देह, हम एक ऐसे संकट के किनारे पर खड़े हैं, जिसे निस्सन्देह, इस देश के महान नेतृत्व द्वारा दूर कर लिया जायेगा और यह समस्या हमेशा के लिए हल कर ली जायेगी क्या इस सभा के परिसर में केन्द्रीय सभागार में बैठकर बनाए गया यह रास्ट्र का यह महान प्रजातंत्र जिसकी हिन्दुओं, सिखों और मुस्लमानों के सामूहिक प्रयत्नों और बलिदानों द्वारा संस्थापना की गई थी, बना रहेगा या नष्ट हो जाएगा । और मुझे उसमें कोई सन्देह नहीं है कि उस सामूहिक प्रयास में, हरेक भारतवासी स्वच्छा से भागीदार बनेगा । जब मैंने दूरदर्शन पर कार-सेवा के स्वयं सेवकों द्वारा हाल ही के सप्ताहों में पहुचाई गई क्षति को स्वर्ण मन्दिर की चारदिवारी के अन्दर मरम्मत

करने के भव्य दृश्य को देखा तो मुझे प्रसन्नता और उल्लास का अनुभव हुआ, इससे पता चलता है कि राष्ट्र की आत्मा निर्मल और अटूट रही है। जिन्होंने उन बन्धनों को तोड़ने का प्रयास किया जो सिख समुदाय को हमारे राष्ट्र से बान्धते हैं, वे देख चुके हैं कि उनके मनसूबे मिट्टी में मिल गए हैं और हमें बांधने वाले अटूट बन्धन कभी भी तोड़े नहीं जा सकते हैं।

जैसा कि मैं कह चुका हूं हम सभी के लिए यह दुःख और सन्ताप की बात रही है कि उस धर्म के नाम पर जिसके हम सभी भक्त हैं, भारतीय समुदाय के एक बहुत बड़े भाग की हमसे अलग करने के घृणित प्रयास किए जा रहे हैं। जब मैं स्वर्ण मन्दिर गया और वहां पूजा में भाग लिया तो मैंने भी अपने को किसी भी सिख की तरह भक्त अनुभव किया क्योंकि इसने मेरे मन, मस्तिष्क में सिखों के लम्बे इतिहास को लाकर रख दिया। और देश के पुनर्जागरण और स्वतन्त्रता के लिए उनके योगदान को स्पष्ट कर दिया। गुरु गोबिन्द सिंह जी केवल सिखों के ही नेता नहीं हैं, वह तो समग्र भारत राष्ट्र के नेता हैं। वह तो भारतीय इतिसास के निर्माताओं में से एक हैं। उसी प्रकार अन्य गुरु और वे अन्य शहीद भी हैं जिन्होंने हमारी सामूहिक लड़ाई में अपने जीवन का बलिदान दे दिया था। जब 1965 में, हमारे जवान पंजाब की सीमाओं पर लड़े और 1971 में एक बार फिर कठोर मेहनत के बाद प्राप्त स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए वे लड़े तो वे सिख, या हिन्दू अथवा मुसलमान के रूप में नहीं मरे, वे सब समान उद्देश्य से भारतवासी के रूप में मरे। वही आदर्श उदाहरण हमारे भविष्य को प्रकाशित कर और हमारे जीवन में जो जख्म रह गए हैं उन्हें भूल जाए।

जब मैं श्वेत पत्र को पढ़ रहा था तो मैं इसकी उस स्पष्ट वादिता एवं पूर्णता को देखकर दंग रह गया, जिससे एक, ऐसी सर्वाधिक जटिल समस्या का विलेश्षण किया गया और राष्ट्र के समक्ष पेश किया गया।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : क्या आप इस श्वेत-पत्र का उल्लेख कर रहे हैं ?

श्री ए० के० सेन : हां इसी का और इसके बारे में, मैं एकदम स्पष्ट हूं। यह एक 90 पृष्ठ का दस्तावेज है और मैं चाहता हूं कि कोई और भी यह अभ्यास करके देख ले। जो कोई इसकी यह कहकर आलोचना करते हैं कि यह भूल-चूक से भरा पड़ा है, वे यहां मेजपर बैठकर कुछ अच्छा लिखकर दिखाए। वे देखेंगे कि यह कितना कठिन प्रयास है। मैंने इसका प्रत्येक पृष्ठ पढ़ा है और जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मुझे अमरीका के उस महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का वह स्मरणीय भाषण स्मरण हो आया जो स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र विचार और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के इतिहास में, मानवता के महान नेताओं में से एक हैं। उन्होंने गिट्सबर्ग के युद्ध-स्थल पर भाषण दिया, जो उनका अन्तिम महान भाषण था और उसे उन्होंने युद्ध स्थल तक ले जाने वाली रेलगाड़ी में बैठकर लिखा था। इसे उन्होंने अपने हाथ से लिखा और जो वाशिंगटन गए हैं उन्होंने उनके हस्तलिखित भाषण के प्रारूप को देखा होगा। यह उस समय लिखा गया था जबकि अमरीका का

गृह युद्ध छिड़ा हुआ था और हजारों लोग रणक्षेत्र में बलि दे चुके थे। उस युद्ध-क्षेत्र में उनका दिया गया भाषण किसी महान नेता द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण भाषणों में से एक था।

उनका कथन था :—

> 80 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने इस भूमि पर एक ऐसा राष्ट्र बनाया था जो कि स्वतन्त्रता और इस सिद्धान्त के प्रति समर्पित था कि सभी मनुष्य समान पैदा होते हैं। आज इस बात की परीक्षा है कि क्या वह राष्ट्र जीवित रहेगा या नष्ट हो जाएगा, क्या जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार कायम रहेगी।"

यह परीक्षा 5 जून को हमारे भी समक्ष थी जब हमारे नेताओं को यह निर्णय करना था कि क्या वह राज्य और राष्ट्र जो चार दशक पूर्व इस सदन के परिसर में, यहां से कुछ कदम दूर, केन्द्रीय सभागार में 26 जनवरी, 1950 को इस युग के महानतम पुरुष पंडित ज्वाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में बना था, नष्ट हो जायेगा या कायम रहेगा। सेंट्रलहाल (केन्द्रीय सभागार) में एक नूतन राष्ट्र का जन्म हुआ उसकी यात्रा का शुभारम्भ हुयी और इसमें ही इसके भाग्य का फैसला हुआ। उस यात्रा ने हमें सशक्त से सशक्त बनाया विजय पर विजय दिलायी, उपलब्धि पर उपलब्धि दिलायी। उनके सपनों को समझना होगा और उन्हें सच्चाई में बदलना होगा, जिन्होंने हमारी स्वतन्त्रता के, धर्म निरपेक्ष प्रजातन्त्र के महान ढांचे को खड़ा किया था।

जिन लोगों ने हमारे बन्धन को काटने, हमारे देश के महान ढांचे की नीवों को कमजोर करने का प्रयास किया है उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि उनके इरादे ढेर होकर असफल हो जायेंगे। 5 जून को यही महान निर्णय लिया गया था। मैं अपनी नेता प्रधानमन्त्री महोदय को ऐसा महान निर्णय लेने के लिए बधाई देता हूं उस समय मैं विदेश में था और वहां पर मैंने देखा कि किस प्रकार बाहर के लोग इस महान निर्णय की प्रशंसा कर रहे थे। क्योंकि स्वतन्त्रता प्रेमी लोग जानते हैं कि यदि भारत नष्ट हो गया तो यह स्पष्ट स्वतन्त्रता, मानवता, सामाजिक न्याय की दुनिया और पददलितों की आशा, गरीबों के सपनों और अविकसित राष्ट्रों का सपनों पर कठोर आघात होगा। इसीलिए तो वे संकट की इस घड़ी में हमारे राष्ट्र कि विजय पर उल्लासित हुए थे।

जहां तक श्वेत-पत्र की बात है, जब मैंने इस पढ़ा तो मैंने महान प्रयासों के उन तीन वर्षों का सिंहावलोकन किया जो कि इस निर्णायक निर्णय को लेने से पूर्व, हमारे सैनिकों के आगे बढ़ाने और गोलियो, मशीन गनों, हथगोलों और उस मन्दिर से चलाए जा रहे अन्य भयंकर हथियारों का सामना करने से पहले बीते थे जो कि सभी की समान विशसत है। स्वर्ण-मन्दिर अकेले सिखों की ही विरासत नहीं है, यह तो उन हिन्दूओं और मुसलमानों की विरासत है जो कि हमारे युग के महानतम नेताओं से एक महान नेता गुरु नानक जी और गुरु गोविन्दसिंह जी के भक्त थे।

इन तीन वर्षों के दौरान क्या कुछ हुआ ? बातचीत के बाद बातचीत होती रही और रियायतों के बाद रियायते दी गई । वे सभी बातें यहां विस्तार से स्पष्ट की गई हैं । इससे पता चलता है कि प्रत्येक मुद्दे पर किस प्रकार वर्षों तक प्रयास चलते रहे । हम पहले आनन्दपुर साहिब के 1973 के संकल्प से बात आरम्भ करते हैं । यह प्रस्ताव 1973 में पास किया गया था । उसके बाद अकाली केन्द्रीय सरकार में आ गए थे और उन्होंने पंजाब पर लगभग तीन वर्ष तक शासन किया था । पंजाब राज्य उनके नियन्त्रण में था । मैं यह जानना चाहूंगा कि उस समस्या को हल करने के लिए जो उन्होंने स्वयं खड़ी की थी और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो राजनीतिक चाल के रूप में, राजनीतिक समस्या खड़ी थी उसे हल करने के लिए उन्होंने उन तीन वर्षों के दौरान क्या किया ।

मैं निस्सन्देह कह सकता हूं कि उस संकल्प पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया । श्वेत-पत्र के पृष्ठ पर यह बात इस प्रकार कही गई है :

"इस नए पंजाब में केन्द्र का हस्तक्षेप सुरक्षा, विदेश कार्य, डाक और तार, मुद्रा और रेलवे तक सीमित रहना चाहिए ।"

क्या उन्हें विश्वास था कि पंजाब शेष भारत के बिना समृद्ध हो सकेगा ? क्या उन्हें विश्वास था कि वह महान पंजाब राज्य जिसे विभाजन की राख में से हिन्दूओं और सिखों के समान प्रयासों से बनाया गया था वह जीवित रहेगा ?

क्या वे ऐसा समझते हैं कि हजारों की संख्या में जो सिख पंजाब से बाहर कार्य करते हैं, कन्या कुमारी से कश्मीर तक और बम्बई से असम तक जहां का सारा परिवहन कारोबार उन्होंने सम्हाल रखा है, जो बहादुर और मेहनत से कार्य कर रहे हैं, अगर पजाब को बाकी भारत से अलग कर दिया जाए तो क्या वह खुशहाल रह सकेंगे ? मैं नहीं समझता कि उन्होंने इस दिशा में सही ढंग से विचार किया है । यह एक राजनैतिक मुद्दा उठाया गया था, जो कि एक राजनैतिक चाल थी । यह इस बात से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जब वह तीन वर्षों तक लगातार केन्द्र में सत्ता में रहे, तो पंजाब के बारे में कोई बात नहीं सुनी गई । लेकिन जैसे ही वे सत्ता से बहार हुए, तो इस समस्या को फिर से उठाया गया और इसे राजनैतिक मुद्दा बनाये जाने की कोशिश की जाने लगी, और इस प्रक्रिया में सभी प्रकार के लोग जैसे तस्कर से लेकर लूट-मार करने वाले, धोखेबाज से मोमबत्ती बनाने वाले,शामिल हुए और ईमानदार व्यक्तियों को गुमराह किया गया और बहुत से लोगों को यह मानने पर मजबूर किया गया कि पंजाब के लिए यही प्राप्त करना सबसे बड़ा लक्ष्य है ।

उसके बाद क्या हुआ ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती ने पूछा है कि जब हम इस समस्या का सामना कर थे तो प्रधान मन्त्री इन तीन वर्षों में क्या करती रहीं ?

2 जून, 1984 को प्रधान मन्त्री ने अपने भाषण मेंजिन तीन मुद्दों की तरफ ध्यान दिलाया है, पहले हम उन पर विचार करें। उन मुद्दों में पहले सिख समुदाय को एक धार्मिक-ग्रुप के रूप में मानने से संबंधित है। दूसरा वह है जो कि पंजाब के अलावा अन्यों राज्यों से संबंधित हैं और तीसरे तराई और सिखों द्वारा हवाई जहाजों में कृपाण ले जाने से संबंधित सामान्य मालले हैं। इसके अलावा कई एक छोटे मोटे प्रश्न हैं जिन्हें बाद में बड़ी समस्याओं का रूप प्रदान करने का प्रयास किया जाता है।

आइये, पहले धार्मिक भागों पर विचार करें। पहला प्रश्न अमृतसर के पवित्र-शहर के बारे में है। जैसा कि मैंने कहा अकालियों ने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा। प्रत्येक व्यक्ति अमृतसर को पवित्र शहर मानता है और वहां जाता है। मैं वहां पर और दिल्ली के बंगला साहिब गुरूद्वारे में जाता हूं और धार्मिक धर्मानुष्ठानों में भाग लेता हूं और वहां हलवे का प्रसाद ग्रहण करता हूं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दार (दुर्गापुर) : आप वहां कितनी दफा गये हैं ?

श्री ए०के०सेन : आप मेरे साथ आइये। मैं वहां आता जाता रहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वे बोलने में पहले ही काफी ताकतवर हैं। उन्हें किसी हलवे की आवश्यकता नहीं हैं।

श्री ए०के०सेन : आप मेरे साथ आइये। मैं आपको बताता हूं कि यह काफी पवित्र स्थान है हमारे मन्दिरों की अपेक्षा मैं कहना चाहता हूं कि यह काफी शान्तिमय स्थान है। वहां पर जो भक्तिसंगीत होता है काफी प्रेरणाप्रद होता है। जब मैं वहां जाता हूं तो मैं कभी भी नहीं समझता मै हिन्दू हूं।

जब तक वे शासन में रहे, अमृतसर को पवित्र-शहर का दर्जा देने की मांग को बिल्कुल ही भुला दिया गया। श्वेत पत्र में पृष्ठ 8 के पैरा 9 में इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है :

> "शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबन्धक कमेटी (एस०जी०पी०सी०) ने इस मामले में संबन्धित अधिकारियों के साथ सहयोग करने में कोई रुचि नहीं दिखाई।"

मैं जानना चाहता हूं कि अमृतसर को पवित्र-शहर का दर्जा देने के मामले को मूर्त रूप में प्रदान करने में उन्होंने कैसे सहयोग किया है। मैं यह मानता हूं कि लोगों के मन में यह बात है कि किसी शहर को पवित्र शहर का दर्जा है। किसी शहर को पवित्र शहर का दर्जा देने के बारे में कोई विधान नहीं है। मैं नहीं समझता कि मक्का और वेरूसलम को किसी कानून के अन्तर्गत पवित्र-शहर का दर्जा दिया गया है। मुसलमानों और ईसाइयों के मन में सदियों से पवित्रता बनी हुई है।

स्वर्ण मन्दिर में ट्रान्समीटर को स्थापित करना कितनी बड़ी समस्या थी ?

जहां तक हवाई जहाजों में उड़ान के समय कृपाण ले जाने का संबन्ध है, देश के भीतर की उड़ानों के बारे में किसी ने भी आपत्ति नहीं उठाई। किसी ने भी इस पर कभी भी आपत्ति नहीं की। मैं जानता हूं कि सिख हमेशा ही अपनी पगड़ियों में छोटी कृपाणें रखते हैं, चण्डीगढ़ उच्च न्यायलय में आप पायेंगे कि न्ययालय-कक्ष के बाहर एक स्थान है, जहां कृपाण आदि जमा कराये जाते हैं क्योंकि यह समान्य प्रथा है कि वहां कृपाण जमा किए जायें। प्रो० मधु दण्डवते वहां खुद जाकर देख सकते हैं। मैं वहां अक्सर जाता हूं और यह देखता हूं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : वह अब कुछ नहीं कह रहे हैं।

श्री ए०के०सेन : मैं समझता हूं कि आप हैरान हैं कि यह सत्य है या नहीं

प्रो० मधु दण्डवते : जो कुछ आपने कहा, मैं उससे सहमत हूं।

श्री ए० के० सेन : मुझे खेद है, आप समझदार हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इसीलिए मैं आपकी इज्जत करता हूं।

इसके अलावा अखिल भारतीय गुरुद्वारा अधिनियम की बात है। इनमें खुद इस पर सहमति नहीं है कि अधिनियम का स्वरूप क्या होना चाहिए क्योंकि वे लोग जो पंजाब से बाहर रहते हैं, गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के अन्तर्गत नहीं आना चाहते और उन्होंने अभी तक केन्द्रीय सरकार को इस संबन्ध में कोई प्रारूप भी नही दिया है। जैसा कि आप जानते हैं यह एक केन्द्रीय अधिनियम होगा और इसे राज्यों की सहमति से बनाना होगा, क्यें कि यह विषय विशेष संवर्ती सूची में आता है, सभी राज्यों को इससे सहमत होना अनिवार्य है।

श्वेत पत्र के पृष्ठ 11 में कहा गया है—

"लेकिन इसमें आने वाली दिक्कतों को महसूस किए बिना अकाली दल देरी के लिए सरकार को ही दोषी ठहराता आया है।"

"ऐसा कोई कानून बनाते समय, सरकार को संबन्धित अन्य पार्टियों और राज्य सरकारों के विचारों को भी ध्यान में रखना होगा।"

प्रारूप कहां हैं ? हम तीन वर्षों तक इधर-उधर भटकते रहे हैं। सिख-धर्म के नाम पर हजारों भोले-भाले लोगों को सड़कों पर मारा गया। जिन लोगों ने सिख धर्म की प्रतिष्ठा को कम किया है उन्हें धिक्कार है। पहली दफा, एक बस से 9 नौजवानों की इसलिए गोली मारकर हत्या कर दी गई, क्योंकि उन्होंने पगड़ी नही बांधी हुई थी या उनकी दाड़ी नहीं थी। उसी दिन इस आन्दोलन की खुद ही निन्दा हो गई। सभी का सिर, चाहे वह हिन्दू था, सिख था, एक भारतीय होने के नाते शर्म से झुक गया। इससे विभाजन के इन काले दिनों की याद आ जाती है, जबकि गर्भवती महिलाओं को धर्म के नाम पर सम्मानित किया गया और हजारों पुरुषों, महिलाओं को

केवल इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया, क्योंकि वे किसी एक विशेष धर्म या समुदाय के सदस्य थे। जब पंजाब की सड़कों पर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो हमें उन काले दिनों की याद आ जाती है। क्या सरकार ऐसी स्थिति में खामोश बैठी रहती ? मैं प्रधान मंत्री और अपनी सरको 5 जून को उठाए गए ठोस कदम के लिए धन्यवाद देता हूं। उस समय हम हिंसा के उस चरण में पहुंच गए थे, जब हमें निर्णय लेना था कि यह देश रहेगा या नहीं।

इसके अलावा नदी-जल का सम्बन्ध है। नदी जल के बारे में राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में 1955 तक समझौता था। इस पर सहमति हो गई थी। श्वेत पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि फरवरी, 1983 को हुई बैठक में इस बात पर सहमति थी कि पुराने समझौतों को पुनः नहीं खोला जायेगा क्योंकि इन समझौतों के तहत राजस्थान, हरियाणा और पंजाब ने पहले ही करोड़ों रुपये का निवेश किया है, और जहां तक अन्य मामलों का सम्बन्ध है, उन्हें न्यायाधिकरण को सौंपा जा सकता है। जब वे प्रधान मंत्री से मिले और जब उनके सामने ये छः मुद्दे रखे गये तो वे इस सहमति से मुकर गये, जैसा कि पैरा 20 में कहा गया है ; नहीं सभी कुछ खत्म होना चाहिए। इसका मतलब है कि जिन समझौते के तहत राजस्थान नहर पर करोड़ों रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। उन पर पुनः विचार किया जाए या समाप्त किया जाए। हरियाणा में जो करोड़ों रुपए खर्च किए गये हैं वह सब भुला दिया जाये.....

श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : वह भी भारत का एक अंग है।

श्री ए० के० सेन : मुझे खुशी है कि आपभी हमारी भावनाओं से सहमत हैं और सारे राष्ट्र की भी यही भावनाएं हैं और उन्हें भी हमारे साथ, आपके और मेरे साथ इन भावनाओं को महसूस करना चाहिए। वे इस समझौते से मुकर गए। प्रो० चक्रवर्ती ने पूछा—"उन्होंने ऐसा कब किया ?" इस में लिखा हुआ है कि जब वे प्रधान मंत्री से मिले, वे सहमति पर टाल मटोल करने लगे। सहमति पैरा 17 में कही गई है, उन्हें ऐसा कहने दें कि उन्होने ऐसा नहीं किया है। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो यह एक अच्छा समाधान है। अन्य न्यायाधिकरण के पास भेजिए।

इसके अलावा सीमा-सम्बन्धी मामला चण्डीगढ़ को दिए जाने से संबंधित है। इसे हरियाणा को दिया गया था। भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री जे० सी० सार की सिफारिश पर श्री शार को जनता सरकार ने जिसके की मेरे मित्र सदस्य थे, निश्चय ही मैं उनकी पसन्द की निन्दा नहीं कर सकता क्योंकि वह भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं– सत्ता के दुरुपयोग के विभिन्न मामलों, समस्याओं की की जांच करने के लिए चुना था। परन्तु यह हरियाणा को कभी नहीं मिला। सज्जन व्यक्ति श्री जे० सी० शाह को 1977 में जनता शासन ने शाह जांच आयोग के अफसर के रूप मे चुना था.....

एक माननीय सदस्य : कुख्यात।

श्री ए० के० सेन : मैं कुछ नहीं करना चाहता। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में सरकार के सिफा-

रिश की थी कि उस समय के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए चण्डीगढ़ हरियाणा को अवश्य दिया जाना चाहिए।

लेकिन उसके बाद केन्द्र द्वारा पारित किए गए पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के परिणामस्वरूप हरियाणा की उत्पत्ति 1966 में हुई थी। उससे पहले उन्होंने हरियाणा की ओर गौर नहीं किया था। तथापि वे सहमत हो गए थे कि यह पंजाब को दिया जाएगा और इस मामले के बारे में हरियाणा की जोरदार भावनाओं की परवाह नहीं की गई थी। मैं आशा करता हूं कि जो लोग इस प्रकार की उग्र मांगें करते हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि हरियाणा में भी अपना दिमाग रखने वाले लोग बसते हैं और वे अपने अंगों को टुकड़ों में विभाजित करने के प्रति अत्यन्त महसूस करते हैं। तथापि वह सहमत हो गये। अन्य मांगों को आयोग के पास भेज दे। इस बारे में क्या कठिनाई है? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नई मांगें रखी गई। अनुच्छेद 25 को समाप्त किया जाए? विमानों में कृपाण पहन कर तथा इस प्रकार की अन्य बातें उठाई गई। केन्द्र राज्यों के संबंध क्या हैं? 1973 के संकल्प को अकाली दल द्वारा 1980 तक किस प्रकार भुला दिया गया था। मैं इसे पढ़ना चाहता हूं क्योंकि यह पढ़ा जाना है ताकि यह सदन स्पष्ट रूप से घोषणा करे कि इस देश में इस प्रकार फूट नहीं डाली जा सकती और हमने संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयोजनार्थ इतिहास के लम्बे मार्ग पर अग्रसर होना है और इस प्रकार का राष्ट्र नहीं बनना है जिसमें इस प्रकार की फूट और खून-खराबा हो। इस देश का दोबारा विभाजन नहीं होगा। मै बंगाल से आया हूं और मैं विभाजन की टीस को जानता हूं। जो लोग पंजाब से आये हैं वे विभाजन की टीस को जानते हैं। इस सदन में यह संकल्प पारित किया जाएगा कि इस देश को दोबारा विभाजित नहीं होने दिया जायेगा। यह संकल्प इस प्रकार है और मैं आशा करता हूं कि हम इस संकल्प पर अपना निर्णय घोषित करने में सर्वसम्मत होंगे।

> "आन्नदपुर साहिब संकल्प के अनुसार शिरोमणि अकाली दल को पक्का यकीन है कि केन्द्र की समृद्धि के लिए राज्यों की प्रगति आवश्यक है जिसके लिए राज्यों को अधिक अधिकार और प्रान्तीय स्वयत्ता देने के लिए संविधान में उपयुक्त संशोधन किए जाने चाहिए। केन्द्र को अपने पास विदेशी मामले, रक्षा, मुद्रा और संचार (यातायात के साधनों सहित) विषय रखने चाहिए जबकि शेष विभाग राज्यों के पास होने चाहिए·····

इस प्रकार हम प्रसिद्ध जगन्नाथ देवता के समान हो जायेंगे—हाथ और पांव रहित। आपको मालूम होगा कि जगन्नाथ देवता सर्व शक्तिमान माने जाते हैं जिनके हाथ और पैर नहीं हैं। लेकिन मानव जगन्नाथ नहीं हैं। वे कमजोर मानव हैं। हाथ और पैर के बिना मानव कार्य नहीं कर सकते हैं और एक राष्ट्र शक्ति और संसाधनों के बिना कार्य नहीं कर सकता है। इस शताब्दी में यह देश विश्व में मजबूत राष्ट्रों में से एक है जो एक प्रयोजन तथा लक्ष्य के लिए समर्पित है और यह कम विकसित देशों तथा अभागे व्यक्तियों की अगुवाई करेगा।

इस बारे में सरकार ने क्या किया था ? केन्द्र-राज्यों के सम्बन्ध में रिपोर्ट देने के लिए उच्चतम न्यायालय के एक सुख्यिात सिख न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी। और उस व्यक्ति ने जो अपनी प्रतिभा के बल एर एक अत्यन्त विद्वान और देश के अत्यन्त सम्माननीय न्यायाधीश माने जाते हैं, मेहनत के साथ अपना कार्य शुरू कर दिया है क्योंकि उन्होंने जो प्रश्नावली भेजी है वह मैंने देखी है और फिर भी इन लोगों ने रूचि नहीं दिखाई है। वे इस बारे में कुछ नहीं जानते हैं। और इस प्रकार श्वेत पत्र में घोषणा की गई है और मुझे कोई शक नहीं है कि यह सदन सर्व-सम्पति से इसका अनुमोदन करेगा।

पैराग्राफ 30

"सरकार का इस सन्दर्भ में मत कई अवसरों पर स्पष्ट किया जा चुका है। केन्द्र राज्य सम्बन्धों पर आनन्दपुर साहिब संकल्प में जिन प्रस्तावों का उल्लेख है वे राष्ट्र की एकता और अखण्डता की बुनियादी संकल्पना से कतई मेल नहीं खाते जो हमारे संविधान में बतायी गयी है। इन्हें विचार-विमर्श के आधार के रूप में भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है।"

कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर बातचीत नहीं की जा सकती है। भारत की स्वाधीनता के मामले की तरह वैयक्तिक स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे सभी मामलों पर सम्मेलन में बातचीत नहीं हो सकती है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप अब पश्चिम बंगाल में क्या कर रहे है ?

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : वहां पुरी स्वतंत्रता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : पश्चिम बंगाल को उद्धृत करें।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : अध्यक्ष महोदय, वे वहां पर एक सम्मेलन का आयोजन करते हैं और वे वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं।

श्री ए० के०सेन : जब वह बोल रहे थे तो मैंने उन्हें बीच में नही टोका था।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : जब मैं बोल रहा था तो मुझे बीच में टोका गया था।

श्री ए० के० सेन : मैंने नहीं टोका था।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आपने नहीं टोका था लेकिन आपकी पार्टी के सदस्यों ने मुझे टोका था।

श्री ए० के० सेन : उन्हें नहीं टोकना चाहिये था। में आपसे ज्यादा सहमत नहीं हूं।

प्रो० मधु दंडवते : आपात काल के दौरान हमने भी अपना सम्मेलन जेल के अन्दर आयोजित किया था।

(व्यवधान)

श्री जगदीश टाईटलर (दिल्ली सदर) : आप चुनाव जीत गए।

अध्यक्ष महोदय : बीच में मत बोलें।

श्री जगदीश टाईटलर : आप देखेंगे कि इस देश का दोबारा विभाजन कभी नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें बोलने दें। बीच में बार-बार टोकना बहुत बुरी आदत है।

श्री ए० के० सेन : स्वर्ण मन्दिर को ट्रांसमीटर स्टेशन में बदलने के लिए एक बेतुकी मांग की गई थी। हमारी स्मृति में यह प्राचीन स्वर्ण मन्दिर हजारों शहीदों के खून से पवित्र हुआ है और सभी समुदायों के लाखों लोगों द्वारा इसकी पूजा की जाती है और अब इसे एक ट्रांसमीटर स्टेशन के रूप में बदला जा रहा है। जब यह मांग की गई तो हमारी प्रधान मन्त्री ने कहा कि हम सिखों के सभी भजनों और गुरुबानी आदि का प्रसारण करेंगे। (व्यवधान) सभी का आशय सभी से है। मैं आशा करता हूं कि श्री बाजपेयी मुझसे सहमत होंगे कि यह गुरुबानी समस्त भारतीय इतिहास के लिए गर्व का विषय है। पूरे विश्व के लिए अभिप्रेत हैं। उनके भजन ऐसे हैं जो प्रत्येक मानव की आत्मा को अनन्दित करते हैं। अतः तथाकथित सिख धर्म के अनुयायियों द्वारा इस मन्दिर को ट्रांसमीटर स्टेशन में बदलना हमारी समझ में नहीं आता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसे तथाकथित सिख धर्म क्यों कहते हैं ?

श्री ए० के० सेन : आपका अंग्रेजी का ज्ञान मेरे से अच्छा है। जब मैंने तथाकथित सिख धर्म कहा है तो मैं वहां पर ठीक हूं। यह सिख धर्म नहीं है अपितु यह तथाकथित सिख धर्म है। मैं इसे ऐसा ही कहता हूं। हमें इस बारे में बहस नहीं करनी चाहिये क्योंकि हम इस महान इतिहास में सभी सांझे उत्तराधिकारी हैं। अतः सरकार ने यह कहकर अत्यन्त बुद्धिमता दिखाई है कि हम सब कुछ प्रसारित करेंगे। जब उनकी मांगे रखी गई तो हजारों बन्दूके, हथगोले और हर तरह के सामान की तस्करी की गई थी। उनकी तस्वीर स्पस्ट है। जिन व्यक्तियों ने ऐसा किया उन्होंने महान गुरु अथवा इस मन्दिर के इतिहास की यादगार का सम्मान नहीं किया था। श्वेत पत्र में कहा गया है कि जब अकाली दल के लोग- पुरुष और स्त्रियां-अपना समर्पण करने आये और यह घोषित करने आये कि वे आंतकवादियों से अलग हैं तो इन सभी व्यक्तियों को मशीन गनों से उड़ा दिया गया। पुरुष और स्त्रियां मारी गई। यह तथाकथित सिख धर्म है और मेरा कहना है कि वे सिख धर्म के वास्तविक अनुयायी नहीं हैं। हम सिख धर्म के वास्तविक अनुयायी हैं। वास्तव में समस्त भारत देश इसका अनुसरण करता है। समस्त भारत देश को इस पर गर्व है।

अत: मैं प्रधान मन्त्री तथा सरकार को इस निर्णय पर और की गई कार्यवाही के लिए बधाई देता हूं। देश को मुक्त करा लिया गया है और हम संकट पर काबू पाने के रास्ते पर हैं और यह दोबारा नहीं कहा जायेगा कि हमारे मजबूत राष्ट्र जिसके लिए हम सभी बचन बद्ध हैं के संयुक्त ढांचे को तोड़ने के प्रयासों को यह सदन सहन नहीं करेगा।

स्वामी इन्द्रवेश (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, श्वेत पत्र पर चर्चा हो रही है। मैं इसे श्वेत पत्र न कहते हुए सरकार की नपुंसकता और अयोग्यता का प्रमाण-पत्र कहना चाहता हूं। पिछले तीन सालों में जो पंजाब में हुआ और जो घटनायें इसमें लिखी हैं, उससे यह मालूम होता है कि सरकार तीन साल क्या करती रही है।

पंजाब बहादुरों की धरती है। सरदार भगतसिंह, सरदार उधम सिंह जैसे देश भक्त नौजवान जहां पैदा हुए और पंजाब के अन्दर दूसरे हिस्सों के मुकाबले में कोई इतनी गरीबी नहीं, तो वे कौन से कारण हैं कि पंजाब के लोग हथियार लेकर दूसरा देश बनाने के लिए तैयार हो गए, देश को तोड़ने के लिए वातावरण बन गया, लेकिन इस श्वेत पत्र में इस बात की कोई चर्चा नहीं की। मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि पिछले तीन सालों के अन्दर जो पंजाब में हुआ, यदि इसका समाधान ढूंढना चाहते हैं तो इसका एक ही समाधान है कि आज हमारे देश के प्रदेशों में कटपुतली सरकारें चल रही है। पंजाब के अन्दर पहले भी आन्दोलन चले हैं और मास्टर तारा सिंह अकाली दल की लड़ाइंया लड़ते, लेकिन उस समय सरदार प्रताप सिंह कैरों चीफ मिनिस्टर होते थे। जनता में जड़े होती थीं और पूरी कोशिश करने के बाद भी कभी कोई आन्दोलन हत्याओं तक नहीं पहुंचा। लेकिन आज वे कौन से कारण थे ? इसका एक मात्र कारण यह था कि आज प्रधानमन्त्री अपनी कठपुतली सरकारें बनाती हैं, चाहे जनता में उस आदमी की जड़ें हैं या नहीं। इस बात की कोई परवाह नहीं। सारे देश में आज घटनायें हो रही हैं अभी पंजाब में हुआ और जम्मू-काश्मीर का ताजा उदाहरण है। सारे देश में यह हो रहा है। यदि प्रजातन्त्र प्रजा के द्वारा, लोगों के विश्वास पर नहीं चलेगा, केवल ऊपर से थोपे जायेंगे, लोग बेचारे निराश हो जाते हैं और इस दिशा में डाल दिए जाते हैं। इसका सबसे पहला कारण पिछले तीन सालों की कठपुतली सरकारें हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या कर रहे हैं, आप।

...(व्यवधान)...

स्वामी इन्द्रवेश : आप कोई व्यवस्था नहीं कर सके। ऐसे अयोग्य लोग प्रदेशों की छाती पर बैठा दिए गए और उसके ये परिणाम निकले हैं। मैं समझता हूं कि आज राष्ट्रीय धारा से देश भक्त सिक्खों को निकालने का काम प्रधान मन्त्री जी ने किया है और इसलिए अभी हमारे साथी बोल रहे थे और हमारे दूसरे साथी तालियां बजा रहे थे। इसलिए मुझे याद आ रहा है—

उष्ट्राणां विवाहेषु गीतं गायन्ति गर्दभाः।
परस्परं प्रशंसन्ति अहोरूपं अहो ध्वनि ॥

मै देख रहा था कि देश को बर्बाद करके रख दिया। हजारों लोगों की हत्यायें कर दी और फौजी जवानों को मरवा दिया तथा देश को तोड़ने के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है और अब तालियां बजाई जा रही हैं।

3.00 म०प०

यह जो तरीका है, यह देश को बरवाद करने वाला तरीका है जब तक यह नहीं बदला जायगा, उस समय तक देश के यही हालत बनते जायेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले तीन सालों में जो काण्ड हुए, हजारों लोगों को बिना अपराध मार दिया, बैंको से अरबों रुपयों की डकैती की गई, कितना ज्यादा आतंक पैदा हो गया था कि हजारों लोग पंजाब छोड़ कर देश के दूसरे हिस्सों में जाने लगे थे, यह तीन साल का समय थोड़ा नहीं होता हैं, तीन साल तक आप सोये रहे इस का क्या कारण था ? मैं आभार मानता हूं और मैं समझता हूं आप भी आभार मानेंगे - चौधरी चरण सिंह का, जिन्होने सबसे पहले यह कहा था कि इस का इलाज होना चाहिये, इसका इन्तजाम होना चाहिए। लेकिन हमारी प्रधान मन्त्री जी, हमारे गृह मन्त्री जी क्या कहते थे। हम गुरुद्वारे में पुलिस नहीं भेजेंगे, हम गुरुद्वारे में फौज नहीं भेजेंगे। मैं पूछना चाहता हूं। हजारों बार कहने के बाद, यह घोषणा करने के बाद कि हम पुलिस और फौज नही भेजेंगे, आप फौज लेकर वहां गये, लेकिन हमारे एन० डी० ए० के नेता, चौधरी चरण सिंह, श्री अटल बिहारी बाजपेयी और दूसरे अपोजीशन के नेताओं ने जो सुझाव दिये थे, उन को तीन साल तक आपने नहीं माना, लेकिन अन्त में आप को मानना पड़ा। यदि थोड़ी सी भी नैतिकता आप की सरकार में होती तो आप को इस्तीफा देना चाहिए था। हमारे फौजी जवानों ने कुर्बानियां दे कर देश को बचा दिया, उसको लेकर आप देश में दौड़ रहे हैं कि हम ने देश को बचा दिया आप ने देश को नहीं बचाया, फौज के जवानों ने देश को बचाया है। आपकी नीतियों ने तो देश को डुबों दिया था, देश को खण्डित कर दिया था। यह सारा रक्तपात टाला जा सकता था, ये सारी हत्यायें टाली जा सकती थीं, मांस और नाखून का जो रिश्ता है, सिख और हिन्दू का जो रिश्ता है उसको आपने बिगाड़ कर रख दिया। यह आपकी नीतियों का परिणाम है। यह सब श्वेत-पत्र में आना चाहिए था, आपको देश से माफी मांगनी चाहिए थी कि यह सारी गलती हम से हुई है। लेकिन आप किसी की बात को सुनने को तैयार नहीं हैं, आप सच्चाई पर चलने को तैयार नहीं हैं, आपने देश को बरबाद करके रख दिया।

मैं इस मौके पर एक विशेष बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। तीन साल से जो आन्दोलन हुए, उसके पहले जो हालत बनते रहे, जहां पंजाब के लोग बरबाद हुए, हजारों मारे गए, वहां हरियाणा प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है, हरियाणा ने सबसे ज्याद सफर किया है। प्रधान मन्त्री जी यहां बैठी हुई हैं। 1970 में आपने एक एवार्ड दिया था, श्वेत पत्र में आप ने लिखा है कि शाह कमीशन ने चण्डीगढ़ पंजाब को नहीं दिया था लेकिन हमने समझौता कराने की गर्ज से पंजाब को देने का रास्ता निकाला, 14 साल हो चुके, वे सारे दस्तावेज खटाई में डाल दिए गए। आपने जो समझौता कराया था उसमें पंजाब, राजस्थान

और हरियाणा तीनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा आपने हस्ताक्षार किए थे, लेकिन उस समझौते को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। जब किसी फैसले को कार्यान्वित नहीं किया जायगा, तो आन्दोलन चलते रहेंगे, देश लगत रास्ते पर चलता रहेगा और इस सबका खमियाजा हरियाणा को भुगतान पड़ा। पिछले दो महीनों के अन्दर भाखड़ा की मुख्य नहर दो बार काट दी गई, अरबों रुपयों का नुकसान हुआ, धान सूख गया, कपास पैदा नहीं हो सकता, पीने का पानी नहीं है। वहां के लोग प्यासे मर रहे हैं लेकिन आपकी सरकार, आपके गवर्नर आराम से सो रहे हैं जहां पर पहले काटी गई, वहीं पर फिर से कांटी गई कोई देखने वाला नहीं है। वहां का प्रशासन आप के हाथ में है, लेकिन कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। आपकी अयोग्यता के कारण, प्रशासन के निकम्मेपन के कारण पूरी तरह से देश को वरबाद किया जा रहा है। हरियाणा के साथ जो अन्याय हो रहा है, राजस्थान के साथ जो अन्याय हो रहा है उसकी मिसाल देखने को नहीं मिलेगी। हरियाणा के लोग देश भक्त हैं, वे उग्रवादी नहीं हैं, वे देश को प्यार करते हैं, इस बात का दण्ड आप उनको दे रहे हैं।

प्रधान मन्त्री जी ने श्वेत पत्र में एक बात लिखी है। हमने दृढ़ता दिखाई है कि हम ने चण्डीगढ़ नहीं दिया। कुछ मजबूरी रही। लेकिन मैं प्रधान मन्त्री जी से पूछना चाहता हू कि 26 मई की जो गुप्त बैठक हुई थी, उसमें आपने क्या फैसला किया था? आप 3 जून को घोषणा करने जा रही थीं कि चण्डीगढ़ पंजाब को दे रहे हैं। आप टोहरा को मुख्य मन्त्री बना रही थीं। प्रधान मन्त्री जी ने तो घुटने टेक दिए थे, यह तो भिण्डरावाला नहीं माना और उसके बाद यह झगड़ा खड़ा हो गया। (**व्यवधान**) मैं चाहता हूं कि प्रधानमन्त्री जी इस बात को बताएं कि 26 मई को आपने क्या फैसला किया था? (**व्यवधान**) आपने तो हरियाणा के ऊपर कुल्हाड़ी चला दी थी। हरियाणा के लिए आपने कोई इन्साफ नहीं किया है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हरियाणा के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि संसार में किसी भी देश ने अपने जवानों को हाथ-पैर बांध कर दुशमन के सामने नहीं डाला। इस तरह का उदाहरण इतिहास में कहीं भी नहीं मिलेगा कि किसी ने भी अपनी फौज के सैनिकों को कीर्तन करते हुए, हाथ जोड़ कर जाते हुए नहीं भेजा। आपने उन्हें यह कह कर कि तुम लोग गुरुद्वारे में जा रहे हो, इसलिए हाथ जोड़कर जाओ, उग्रवादी भेड़ियों के सामने डाल दिया। इससे बड़ी लज्जा की बात क्या हो सकती है कि सामने से बन्दूक के फायर आ रहे हैं और हमारे नौजवान कीर्तन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हां, जब आपकी प्रतिष्ठा का सवाल बन गया तो आपने टैंक भेजे। क्या आपको इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि कहां पर हथियार रखे हुए हैं और वे कहां से लाकर रखे गए हैं? इस बात की कोई चर्चा इस श्वेत पत्र में नहीं की गई है। इसकी चर्चा इसमें होनी चाहिए थी। प्रधान मन्त्री जी यह तो मानती हैं कि हमको यह जानकारी नहीं थी कि कितने हथियार वहां पर हैं। इस बात को भी इसमें लिखा जाना चाहिए था कि सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं कि गुरुद्वारों में कितने हथियार हैं।

यह सरकार ऐसे ही चल रही है और यह देश भी ऐसे ही चल रहा है। साढ़े चार सालों से आप शासन में हैं। अब आप यह नहीं कह सकते कि पुरानी सरकार के बाद यह हुआ। आपको शासन करते हुए साढ़े चार साल हो गए हैं और साढ़े चार साल के बाद आपने यह आप्रेशन किया है। आपने अमृतसर के गुरुद्वारे में जवानों को हाथ जोड़कर, कीर्तन करते हुए भेज दिया। सैंकड़ों की संख्या में वहां जवान मारे गए। आप गांवों में जा कर देखिए कि कितने जवानों की बहिनें अनाथ हो गईं, कितने जवानों की पत्नियां विधवा हो गईं। ऐसा नहीं होता, यदि आपको कोई इस बात की जानकारी होती कि गुरुद्वारे में कितनी तैयारी हो चुकी है, कितना वहां हथियार जमा हो चुका है। इस बात की आपको कोई जानकारी नहीं थी। ऐसी हालत में यह जो आपका श्वेत पत्र है यह आपकी अयोग्यता का प्रमाण है। अगर सरकार में कोई भी गैरत होती तो सरकार त्यागपत्र दे देती। आपको त्यागपत्र देना चाहिए था। मुझे पूरा विश्वास नहीं है कि आपके नेतृत्व में देश का कुछ बन सकेगा, देश की समस्याओं का कोई समाधान निकल सकेगा।

अब मैं एक-दो मिनट में दो-तीन सुझाव भी देना चाहता हूं। अगर आप देश को बचाना चाहते हैं तो आपको राजनीति में हिंसा को छोड़ना पड़ेगा। आज कांग्रेस के लोगों द्वारा जगह-जगह पर लोगों को गुण्डों के द्वारा मरवाया जा रहा है। ये जो भिंडरांवाले थे,···**···और कुछ नहीं थे। इन्होंने ही उन्हें तैयार किया था। क्या यह हिंसा की राजनीति नहीं थी ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : स्वामी जी, आपको बोलते समय, अपनी सभी शब्दों का इस्तेमाल करने के बारे में कुछ ध्यान रखना चाहिए। ये शब्द कार्यवाही से निकाल दिए जाएं।

श्री स्वामी इन्द्रवेश : दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं उन पर सभी दलों के नेताओं को बुला कर फैसला लेना चाहिए। जो वोट बटोरने की नीति है वह देश को तोड़ने में सहायक बनती है। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि राजनीति में जो साम्प्रदायिक पार्टियां काम कर रही हैं उन पर पाबंदी लगनी चाहिए। बहुत पहले देश ने यह मान लिया था। संविधान सभा के अन्दर यह स्वीकार कर लिया गया था। पाकिस्तान बना, जिस कारण से बना, लेकिन अपना लाभ उठाने की दृष्टि से, अपनी रोटी सेकने की दृष्टि से इसको लागू नहीं कर सके। इसलिए यदि हम देश को अखण्ड रखना चाहते हैं तो सांप्रदायिकता को खत्म करना पड़ेगा।

अंत में मुझे उम्मीद है कि सरकार विचार-विमर्श के बाद श्वेत पत्र को पुनः प्रकाशित करेगी। मैं यह समझता हूं कि इस देश की जनता महान है, इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि यह देश अखण्ड रहेगा। सिक्ख, हिन्दू और मुसलमान और किसी भी मजहब को मानने वाले एक साथ मिलकर चलेंगे।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया गया।

अंत में मैं वेद के शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा :

"वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता : ।"

देश के नेता हैं, विद्वान है, वे जागते रहें, मिलकर चलें । अभी तक तो आपकी नीतियां रही हैं उनसे देश बरबाद हुआ है । आगे भी अगर यही नीतियां रहीं तो देश का विकास नहीं हो सकता । इसलिए नीतियों को बदलने की आवश्यकता है ।

श्री वी० आर० भगत (सीतामढी) : अध्यक्ष महोदय, 5-6 जून की दुर्भाग्यपूर्ण रात्रि को समूचे विश्व तथा इस देश की समूची जनता ने तथा उन लोगों ने, जो हमारे हितेषी नहीं हैं, जान लिया कि सरकार द्वारा समय पर की गई कार्यवाही से देश खण्ड खण्ड होने मे बच गया

(व्यवधान)

मैं० माननीय सदस्यों, विशेष रूप से अपने पूर्व वक्ता, महान स्वामी, स्वामी इन्द्रवेश (व्यवधान) की टिप्पणियां सुन कर स्तब्ध रह गया हूं कि सरकार ने अपनी अक्षमता सिद्ध कर ही है । मैं उन्हें केवल यह याद दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया जैसे व्यक्ति जो हमारा मित्र नहीं है, ने कहा था कि पंजाब में की गई कार्यवाही साहसपूर्ण थी और इससे हमारा देश बच गया था । जिया ने यह व्यक्तव्य दिया था । समस्त विश्व में विशेष रूप से पश्चिमी प्रेस में इसी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त की गई थी । मैं यह बातें केवल माननीय सदस्यों के लाभ के लिए उद्घृत कर रहा हूं ।

किन्तु मुझे इस बात से धक्का पहुंचा है कि श्री सत्य साधन चक्रवर्ती जैसे सुविज्ञ सदस्य ने हमारे महान भारतीय सिपाहियों, जिन्हें इस कार्य का दायित्व सौंपा गया था और जिन्होंने इस कार्य को अत्यन्त अनुकरणीय रूप से सम्पन्न किया, की वीरता और बलिदानों का कोई उल्लेख नहीं किया । उन्हें यह आदेश दिया गया था कि हर मन्दिर साहिब पर कोई गोली नही चलाई जाएगी; और उन्होंने तदनुसार कार्य किया । इस कार्य के लिए उन्हें अपने बहुमूल्य प्राणों का उत्सर्ग करना पड़ा । यह कार्यवाही अत्यन्त धर्म-निरपेक्ष ढंग से सम्पन्न की गई थी । यह बहुत ही धर्म-निरपेक्ष कार्यवाही थी । तीन जनरल तो सिख थे - ले जनरल तथा जनरल । बटालियन कमांडरों में 4 कमांडर सिख थे । पहली बटालियन, जिसने हरमन्दर साहिब में प्रवेश किया था, के कमांडर एक मुसलिम व्यक्ति थे । उन्होने यह कार्यवाही दुःखी मन से की थी । एक जनरल, जनरल बरार ने कहा था कि "उन्हें सम्मान और होंगे पर प्रर्थना लिए और अत्यन्त दुःखी मन से वहां जाना पड़ा ।" हमारी सेना की परम्परा बड़ी गौरवमर्य रही है उन्होंने एक बार पुनः अपना कार्य अत्यन्त अनुकरणीय ढंग से किया है और बलिदान दिए हैं । इसका हमारे सम्मानित सहयोगी, श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती ने कोई उल्लेख नहीं किया है । वे अब हुई भूलों को लेकर श्वेत पत्र में कमियां निकालने में व्यस्त हैं । वे कहते है, आपने गुप्त वार्ता का कोई उल्लेख नहीं किया है ; वे विभिन्न चरणों में हुई वार्ताओं का कोई उल्लेख नहीं करते । पहले तो प्रधान मन्त्री ने स्वयं अकाली नेताओं से दो बार बातचीत की थी । तब एक मन्त्रिमण्डलीय समिति की स्थापना की गई

थी। तब इस समिति के सदस्यों द्वारा अनेक वार्ताएं की गईं। तब उस समय प्रधान मन्त्री ने विपक्ष को भी इसके साथ सम्बद्ध किया था कितनी बार त्रिपक्षीय वार्ताएं की गई थी ? इसके अतिरिक्त इस वर्ष मई अथवा जून में औपचारिक अथवा गुप्त वार्ताएँ भी की गई थी। श्री इन्द्रजीत गुप्त एक तरह से सही कहते हैं कि आपने उसका उल्लेख क्यों दिया। यदि आप इसका उल्लेख करते हैं तो आपको इसके बारे में कुछ बताना भी पड़ेगा। अतः इस सम्बन्ध में गृह मन्त्री महोदय को स्पष्ट करना चाहिएं।

किन्तु आप यह सरकार पर आरोप नहीं लगा सकते कि वे तथ्यों को छिपा रहे हैं। (व्यवधान) श्री इन्द्रजीत गुप्त यह सही कहते हैं कि आप गुप्त बैठकों का उल्लेख नहीं कर सकते; इसका उल्लेख नहीं किया जा सकता था। मैं इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं कि यदि सरकार कुछ छिपाने का प्रयास कर रही है तो वे उसका उल्लेख नहीं करते। किन्तु श्री इन्द्रजीत गुप्त यह ठीक कहते हैं कि आपने इसका उल्लेख क्यों किया यदि आपने इसका उल्लेख किया है तो आपको इस बारे में कुछ बताना चाहिए। अतः बात यह है कि वह दोष निकालने का प्रयास कर रहे हैं जबकि कहीं कोई दोष नहीं हैं। दोष निकालने की उलझन के शिकार हो रहे हैं।

यह एक राष्ट्रीय संकट था और प्रधान मन्त्री ने राष्ट्रीय सहयोग की बात कही थी। इस देश की संसद की यही परम्परा है। इस देश के इतिहास में कुछ ऐसे क्षण भी आये हैं जब समूचे देश को संकट का समाना करना पड़ा। इस बार खतरा देश के अन्दर और देश के बाहर दोनों ओर से था। इस बार दोनों पक्षों के सदस्यों ने, प्रधान मन्त्री और गृह मन्त्री ने राष्ट्रीय सहयोग की मांग की उन्होंने वार्ताओं के सभी स्तरों पर विपक्ष को सम्बद्ध किया था। अब विपक्ष के माननीय सदस्य यह कहते हैं कि हमने अपना कर्त्तव्य नही निभाया है ; हम कुछ छिपा रहे हैं। (व्यवधान) दो बातें हैं ; एक बातचीत के बारे में है ; दूसरी बात विदेशी हाथ होने की है, विदेशी ताकतों की संसंक्ति की बात है। उसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता (बसीरहार) : मैंने कहा है, नाम बताओ

श्री बी० आर० भगत : श्वेत पत्र में स्रोतों का नाम बताया गया है। श्वेत पत्र एक सरकारी दस्तावेज है एक सरकारी दस्तावेज में एक प्रमाण के अभाव में आप यह नहीं कह सकते कि फलां फलां सरकार इसमें संसक्त है। इस संबंध में पर्याप्त साक्ष्य है। प्रधान मन्त्री ने इस बारे में कहा है। सरकार ने इस बारे में बताया है। श्वेत पत्र यह भी बताता है कि जो लोग, जो विदेशी बाहरी ताकतें वहां थी, उनके बारे में विभिन्न प्रकार का परिस्थितिक साक्ष्य उपलब्ध है। उन्होंने इस बारे में कह है कि एक देश विशेष में समाचार पत्रों में क्या लिखा जा रहा है वहां टेलीविजन पर क्या कहा जा रहा है। बी० बी० सी० रेडियो ने श्री जगजीत सिंह चौहान को एक बहुत ही नृशंस व्यक्त देने की अनुमति दी थी। तत्पश्चात उन्होंने इस संबंध में खेद प्रकट किया था। बी० बी० सी० कुछ कहता है तो यह उस देश के मिजाज को प्रकट करता है। आधुनिक युग में कोई भी सरकार इस प्रकार से कार्य नही कर सकती। सी० आई० ए० के लोग किन्ही देश विशेष में सक्रिय हैं। सेवा-निवृत हो अथवा धन के लालच में उन्होंने रिपोर्ट लिखी हैं कि वे सेन्ट्रल

अमरीका और कुछ अन्य देशों में इस प्रकार सक्रिय रहे हैं। यदि आप सरकार से ऐसे तथ्य चाहते हैं जो समान्य तौर पर उसके पास उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए ऐसा करना कैसे संभव होगा, किन्तु क्या हुआ, मैं यह आपको बताता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : उनका नाम बताने से आपको कौन रोकता है?

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर, आपने कुछ कहा है, अब आप उन्हें भी कुछ कहने दीजिए।

श्री बी० आर० भगत : मैं उत्तर दूंगा।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वे श्री चर्कवर्ती को उत्तर देंगे।

श्री बी० आर० भगत : मैं उत्तर दूंगा। आपके देश के बाहर, कांउसिल आफ खालिस्तान, तथाकथित स्व-घोषित राष्ट्रपति जगजीत सिंह चौहान और सौंधी के विभिन्न वक्तव्य देखे होंगे वे अमरीका में सिनेटरों तथा अन्य प्रतिनिधियों से मिले थे यह जगजीत सिंह चौहान भूतपूर्व सेक्रेटरी आफ स्टेट डा० अलक्जेंडर हेंग से भी मिले थे। तब उन्हें बीसा मिला। अब अमरीका के भारत में राजदूत श्री वर्नीस ने पंजाब की स्थिति की पयुर्टो रीओ की जानता के संघर्ष के साथ तुलना की है। इसका अर्थ क्या है? क्या यह पर्याप्त साक्ष्य नहीं है जिससे उन ताकतों विशेष का पता चलता है जो भारत के हितों के विरुद्ध कार्यरत हैं, जब प्रधान मन्त्री यह कहती है कि परम्परागत रूप से पश्चिमी जगत में अथवा पश्चिमी देशों में कुछ वर्ग, कुछ शक्तियां हैं जो यह चाहती है कि भारत सशक्त न बने, कमजोर बने ताकि वह उनके प्रभाव में बना रहे? यह उनके नव साम्राज्यवाद अथवा नव उपनिदेशवाद का रूप है। इन तथ्यों को सभी जानते हैं। और इन बातों के साथ आप को अपना निष्कर्ष स्वयं निकालना होगा कि यह देश विशेष कौन-सा है। मुझे विश्वास है कि श्री इन्द्रजीत गुप्त निश्चय ही उस देश विशेष अथवा अमरीका का नाम लेंगे। सरकार यह कभी नहीं कह सकती। आप जानते है कि अमरीकी सरकार के नेता इसमें हैं।

(व्यवधान)

अब, मैं अन्य प्रश्नों को लूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कम से कम, आप यह कहते हैं।

श्री० बी० आर० (भगत) : मैं यह कह रहा हूं। आप सरकार से यह नहीं पूछ सकते।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जो मैं कह रहा हूं आप उसे स्वीकार करते हैं ।

श्री बी० आर० भगत : हम यह बात संसद में कह रहे हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आप उन्हें अमरीका का प्रभारी क्यों बना रहे हैं ?

श्री बी० आर० भगत : यह बता रहा हूं कि श्वेत पत्र में क्या बात आ सकती थी और क्या नहीं आ सकती । जो बात उसमें नहीं आ सकती, उसे हम और आप और अन्य लोग कह सकते हैं । यह तो प्रकाशित तथ्य हैं । अब हमारे नजदीकी पड़ोसी पाकिस्तान द्वारा इस सम्बन्ध में ली गई रुचि की ही बात देखिए । विपक्ष के कुछ सदस्य जैसे श्री बीजू पटनायक और श्री फर्नांडीस पिछले अधिवेशन के दौरान पाकिस्तान गए थे । वे पाकिस्तान गए थे और वहां से आने के बाद उन्होंने कहा था, "ओह, भारत के प्रति पाकिस्तान में बहुत मित्रता है । वह भारत की पूरी भलाई चाहता है । वे पाकिस्तान से आये और यहां भाषण दिया । वे किनकी हित रक्षा कर रहे थे, मैं नहीं जानता । किन्तु पाकिस्तान क्या कर रहा था ? आपने उसके द्वारा दिये गए प्रशिक्षण की बात सुनी है । प्रशिक्षण के बारे में समाचार प्रकाशित हुए हैं ।

(व्यवधान)

पश्चिमी समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों में यह कहा गया है कि पाकिस्तान में जम्मू सीमा पर पंजाब और राजस्थान में उग्रवादियों के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाये गए थे और उनमें से अनेक शिविरों में, प्रत्येक शिविर में तीन सौ से चार सौ तक प्रशिक्षणार्थी थे और उन्हें इन गतिविधियों के लिए पंजाब में भेजा गया था । मुझे आशा है आपने हथियार देखे हैं यदि पाए हथियारों की सूची आपके पास है तो आप देख सकते हैं ।

चीन में बनी ए० के० 47 हैं । साथ ही गैस चालित कुछ शास्त्र है, एंटी टैंक मिजाइल तथा एंटी टैंक राइफलें हैं जो चीन की बनी हुई हैं । बुलेट प्रूफ पहनने के वस्त्र इजराइल के हैं । कुछ शास्त्र पश्चिमी जर्मनी के हैं जो नाटो के अभियान में प्रयोग किये जाते हैं, जी II राइफलें पश्चिमी जर्मनी की हैं । अनेकों हथियार बाहर से चोरी-छिपे यहां लाये गये । उन पर करोड़ों रुपये व्यय किये गये । स्विटरलैंड में हबीब बैंक के माध्यम से भारी मात्रा में धन इन लोगों को मिला । अन्य देशों में मौजूद खालिस्तानी तत्वों के जरिये यह रुपया पहुंचाया गया । मैंने इस बारे में कुछ अध्ययन किया है । इसलिए मैं आपको बता रहा हूं (व्यवधान) । यह सब छप चुका है । आप पाकिस्तान के समाचार-पत्रों को देखिये वे क्या लिख रहे हैं । इग्लैंड में संदेश तथा कुछ अन्य पत्रों ने प्रशिक्षण आदि के सम्बन्ध में लिखा है ।

17 गुरमत प्रशिक्षण केन्द्र जम्मू-काश्मीर मुक्ति मोर्चा, जमात-ए-इस्लामी, तुलबा आदि सभी की उग्रवादियों से साठ-गांठ थी और बाह्य शक्तियां, भी उनसे मिली हुई थी । इन्हीं संगठनों से सिखों में उग्रवादी तथा साम्प्रदायिक तत्वों को आशा थी । सौभाग्य से ऐसे लोगों की संख्या अत्यधिक

सीमित थी। उन्होंने गलत दिशा चुन ली थी क्योंकि सिख न केवल बहादुर और साहसी लोग ही नहीं हैं अपितु उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष में भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया था। राष्ट्रीय एकीकरण की वे सबसे जोरदार कड़ी हैं। हर क्षेत्र में उन्हें प्रमुख स्थान प्राप्त हैं। पंजाब सर्वाधिक गतिशील तथा प्रगतिशील राज्य है-हर क्षेत्र में सबसे आगे। सिख धर्म सबसे महान धर्म है। सिख समुदाय धर्म निरपेक्षता में भी सबसे आगे है चाहे उनकी संख्या कुल जनसंख्या का केवल 2 प्रतिशत है। गुरु गोविन्द सिंह अकेले सिखों की बात नहीं करते बल्कि वह कहते हैं कि जो मानवता की सेवा करता है, वह भगवान की सेवा करता है। आप बुद्ध से लेकर आज तक भारतीय संस्कृति की विशालता, धर्म-निरपेक्षता और परम्पराओं को देखिए। यहां तो बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की बात है। इसी प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी ने जो बुद्ध से 1500 या 2000 वर्ष बाद हुए थे, कहा है कि मानवता की सेवा भगवान की सेवा हैं। उग्रवादियों ने इस धर्म में साम्प्रदायिकता, अलगाववाद लाने का प्रयास किया है। लेकिन सौभाग्य से ऐसे लोग बहुत कम हैं।

सैनिक कार्यवाही ऐसे लोगों के अंत की शुरुआत है। जैसा प्रधान मंत्री ने कहा है, यह सर्वाधिक दुःखद कार्य है। लेकिन यह अपरिहार्य है क्योंकि यदि शरीर में कोई अंग खराब हो जाता है तो शल्य चिकित्सा द्वारा उसे ठीक किया जाता है। जनरल बराड़ ने क्या ही अच्छी भावना प्रदर्शित करते हुए कहा है कि हम ओठों पर प्रार्थना और दिल में श्रद्धा लेकर अन्दर गये थे। हम इसी भावना को अपनाएं। हम नेता हैं। संसद को नेतृत्व प्रदान करना है और इस सकट की घड़ी में हम दलीय भावना से ऊपर उठकर काम करना है। चुनाव निकट हैं। मुझे पता है कि आप चिन्तित होंगे विशेष रूप से जबकि विपक्ष बिल्कुल अस्थिरता की स्थिति में है। डूबते को तिनके का सहारा वाली बात उनके साथ है। लेकिन इस राष्ट्रीय संकट को दलीय भावनाओं से मत मिलाइये। आप अवसर के अनुकूल सिद्ध होने का प्रयास करें। हमें देखना है कि स्थिति से कैसे निपटा जाये। मेरे विचार से श्वेत पत्र में समस्या के सही रूप का चित्र खींचा गया है और यह बताया गया है, कि अब हमें क्या करना है। प्रधान मंत्री ने इसे जख्म पर मरहम लगाने की बात कही है। लेकिन इस मरहम को हम पूरी तरह समझें। उसमें कुछ भी अस्पस्ट नहीं रहना चाहिये मूल बात यह है कि यह कार्यवाही न तो सिखों के खिलाफ थी और न ही सिख धर्म के खिलाफ थी और न ही सिख धर्म के खिलाफ। यह तो आतंकवाद और राजद्रोह के विरुद्ध थी। पिछले एक या दो वर्षों से पंजाब में भयंकर उथल-पुथल थी, पूरी अराजकता थी।

पाकिस्तान के कुछ समाचार पत्रों में लिखा हुआ गया था कि पंजाब में विद्रोह हो रहा है। सैनिक कार्यवाही के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा था कि सिखों और पंजाबियों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। यदि अराजकता की स्थिति होती तो विद्रोह की स्थिति पैदा हो जाती और गांव स्तर तक राज्य में अस्थिरता हो जाती। तब पाकिस्तान सेना लाकर उसे आजाद कराने की बात सोचता। पाकिस्तानी नेताओं का दिमाग इस ओर काम कर रहा था। वह 1971 में हुई घटनाओं का बदला लेना चाहता था। सिखों में कुछ भटके हुए तथा राष्ट्र-विरोधी तत्व समझते थे कि वे बाहर की सहायता से खालिस्तान बना सकते हैं।

हमें यह बात स्वीकार करनी चाहिये कि देश को बचाने में प्रधान मंत्री ने एतिहासिक भूमिका निभायी है। मुझे खुशी है कि प्रधान मंत्री के साथ विपक्ष की बातचीत के समय विपक्ष ने देश के प्रति उत्पन्न खतरे की बात स्वीकार करते हुए कहा था कि सैनिक कार्यवाही से देश को खतरा टल गया है।

जख्म पर मरहम लगाने के बारे में मैं बताता हूं कि क्या किया जाये। मैं सभा से पुनः अनुरोध करूंगा कि यह अवसर हमारी आजादी तथा राष्ट्रीयता के मूल तत्वों पर पुनः जोर देने का है। भारत की एकता का आधार क्या है। यह धर्म-निरपेक्षता पर आधारित है। यह सब धर्मों और भाषाओं की भूमि है जिसमें सभी बराबर हैं। अपने संविधान में भी हमने यही घोषणा की है। यदि हमारे देश का एक भाग कमजोर होता है तो राष्ट्र का अस्तित्व नहीं रह पायेगा। चाहे विकेन्द्रीकरण का प्रश्न हो या राज्यों को अधिक अधिकार देने का, हमें मिलकर काम करना है। प्रधान मंत्री ने कहा है कि हमने सदैव पंजाब और पंजाबियों के हितों का ध्यान रखा है। यह हरियाणा के हितों के विरुद्ध जाने की बात भी नहीं है। प्रधान मंत्री ने कहा है कि हम सारे विवाद हल कर सकते हैं लेकिन हमें दोनों पक्षों का ध्यान रखना है। जो निर्णय हम लें, उस पर सभी की सहमति होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि अकाली या तो शक्तिहीन हो गये थे या आतंकवादियों से इतने भयभीत थे कि कोई निर्णय नहीं ले पाते थे। वार्ताओं के असफल होने का कारण यह था कि जिस समझौते से वे सहमत होते थे, उसे लागू नहीं करवा सकते थे। यह कई बार कहा जा चुका है कि यदि वे अपनी भूमिका अदा करते तो समझौता हो सकता था। वे तो आतंकवादियों से अत्यधिक डरे हुए थे। प्रधान मंत्री ने कहा ही है कि हर बार वार्ता करने के बाद अकाली नया आन्दोलन चलाते हैं। हर तीसरे महीने ऐसा होता था लेकिन प्रधान मंत्री ने सदैव कहा कि आन्दोलन अकालियों के हाथ से निकलकर उग्रवादियों के हाथ में चला जायेगा और बिल्कुल यही हुआ। अतः पहला काम तो यह है कि आपसी विश्वास और मित्रता का वातावरण तैयार किया जाये। इस मामले में तो दलगत भावना नहीं होनी चाहिए। चुनाव का काम तो हो जायेगा। यदि आप अच्छा काम करेंगे तो हम सभी को लाभ होगा। आप चुनाव में भी विजयी हो सकते हैं। लेकिन यदि आप देश में अविश्वास और शत्रुता का वातावरण तैयार करते हैं तो आप कहीं के न रहेंगे और देश भी आपको क्षमा नहीं करेगा।

अंत में मैं स्वामी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि यह सुनिश्चित किया जाये कि दोबारा ऐसी कोई बात न हो। धार्मिक स्थानों को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए या शस्त्र संग्रह के लिए इस्तेमाल न किया जाये तथा वहां पर कोई अवैध या आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा न दिया जाये। मैं श्री जवाहर लाल नेहरू की कही एक बात उद्धृत करके समाप्त करता हूं जो उन्होंने संविधान सभा में साम्प्रदायिकता पर प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी चर्चा के दौरान कही थी। यदि हम जख्मों पर मरहम लगाना चाहते हैं और देश की एकता बनाये रखना चाहते हैं और पंजाब को मुख्य धारा में सम्मिलित करना चाहते हैं तो हमें उनकी कही यह बात माननी चाहिये।

"राजनीति और धर्म को मिलाकर साम्प्रदायिका राजनीति चलाना सबसे खतरनाक तालमेल है जिसे अवश्य समाप्त किया जाना चाहिये। यह देश के लिए और सभी के लिए हानिकारक है। बहु संख्या के लिए हानिकारक है।..."

यह मैं बहुसंख्यक लोगों के लिए बता रहा हूं। अब मैं सभी के लिए आगे कह रहा हूं।

"...लेकिन जो अल्पसंख्यक इससे लाभ उठाना चाहते हैं, उनके लिए तो यह सबसे अधिक खतरनाक है।"

अतः हम यह जान ले कि साम्प्रदायिकता एक विभाजक शक्ति है।

अध्यक्ष महोदय : यह उचित समय है कि इसे कार्य रूप से परिणत किया जाये।

श्री बी० आर० भगत : अतः इस विषय में कोई मतभेद न होकर मतैक्य होना चाहिये और हम पंजाब में या देश में किसी भी अन्य स्थान पर एकता के लिए कार्य करें। राष्ट्रीय एकता में पंजाब एक महत्वपूर्ण कड़ी है और हमें भावनात्मक, राजनीतिक तथा आर्थिक तौर पर इसे जोड़े जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए।

प्रो० मधु० दण्डवते (राजापुर) : महोदय, अंतिम वक्ता मेरे मित्र श्री भगत ने बात को जहां छोड़ा है, मैं वहीं से प्रारम्भ करता हूं। उन्होंने राष्ट्रीय एकता की बात कही है। मेरे विचार से यह तो ऐसी बात होनी चाहिए जिस पर हम सब एकमत हो सकें। जब हम गांधी जी के देश में राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं तो इसका अर्थ केवल भारत की क्षेत्रीय अखण्डता ही नहीं वरन् मस्तिष्क की एकता हो।

श्री बी० आर० भगत : दिलों की भी।

प्रो० मधु दण्डवते : शरीर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो मस्तिष्क में दिल भी आ जाता है। मैं प्रारम्भ में ही करना चाहता हूं कि आज मस्तिष्क की एकता, विभिन्न समुदायों की एकता और विभिन्न धार्मिक समूहों में एकता की जरूरत है। आज जब सेना बुलाई गई है, उग्रवादियों का सफाया हो चुका है, तो इस समय राष्ट्र की और सरकार को अपने को विजेता नहीं मानना चाहिये जब हमने प्रधान मंत्री से यही बात कही तो वह मान गई और उन्होंने विपक्ष से कहा कि संकट की इस घड़ी में हमें विजेता का-सा व्यवहार नहीं करना चाहिये। मैं भी यही बात मानता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह कोई विजय नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : यदि हम इस समय विजेता के रूप में व्यवहार करते हैं तो इतनी कड़ी कार्यकारी करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : हम अपने विरुद्ध विजेता नहीं हो सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : सभा से बहुत से हस्तक्षेप किए गए हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पीठासीन अधिकारी की ओर से कोई हस्तक्षेप न किया जाये। वास्तव में यह मंत्रोपूर्ण हस्तक्षेप है।

मैं आपसे उल्लेख करना चाहता हूं कि कार्यवाही के बाद कुछ वातावरण बना है। सैनिक कार्यवाही आवश्यक थी अथवा नहीं इस बारे में अलग-अलग दृष्टि कोण हो सकते हैं। कुछ प्रारंभिक कार्यवाही न किये जाने और सरकार द्वारा सुदृढ़ रवैया न अपनाये जाने के कारण पंजाब में भिंडरावाले वास्तव में सरकार चला रहे थे हालांकि कानूनन सरकार कहीं अन्यत्र थी। पंजाब में आसूचना तंत्र की पूरी जानकारी : उग्रवादियों को मनमानी करने की अनुमति दी गई थी तथा गुरुद्वारों में हथियार ले जाने की भी अनुमति दी गई थी और वे हथियारों को जमा करने के लिये किला बन गया था। जब यह सब कुछ हो रहा था और जो शासक होने का दावा करते हैं, यह उनका अनिवार्य दायित्व था कि वे शासन करें और वे इस देश में तथा किसी विशेष राज्य में वास्तव में किसी अन्य को शासक बनने की अनुमति न दें। लेकिन ये पूर्वोपाय नहीं किये गए थे।

चूंकि लोकतंत्र में स्पष्ट और निर्भीक तथा कभी-कभी आलोचनात्मक चर्चा की अनुमति होती है, अतः हममें से कुछ सदस्यों की राय है कि जानबूझकर पूरी स्थिति को हाथ से निकने और इस स्थिति तक बिगड़ने दिया गया जहां सैनिक हस्तक्षेप से बचा नहीं जा सकता था और इस सैनिक हस्तक्षेप से बचा नहीं जा सकता था और इस सैनिक कार्यवाही का आशय पराजित होने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध एक महान विजय है। यह मानसिकता है जिसका मैं विरोध करता हूं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : यह बात सदन में बताने की जरूरत नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : प्रो० रंगा, यही एकमात्र सदन है जहां मैं बोल सकता हूं।

प्रो० एन० जी० रंगा : जब आप कहते हैं कि लोगों ने कहा है तो आप स्वयं पर दायित्व क्यों नहीं लेते हैं ? मेरे विचार से यह किसी ने नहीं कहा है।

(व्यवधान)

श्री सी० टी० दंडपाणि (पोल्लाची) : महोदय, आप मद्रास और मदुरै जा सकते हैं। वहां आप विभिन्न स्थानों पर लगे हुए पोस्टर देख सकते हैं जिनमें कहा गया है कि यह सरकार की विजय है।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, विपक्षी नेताओं के साथ हुई बैठक में हममें से कुछ ने प्रधान मंत्री को उल्लेख किया था और उस बैठक में श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री चरण सिंह, श्री समर मुखर्जी, श्री इन्द्रजीत गुप्त, ये सभी उपस्थित थे। हमने इस बात का उल्लेख उनसे किया और वास्तव में उन्होंने हमारे इस दृष्टिकोण और इस पीड़ा का समर्थन किया।। हमने उल्लेख किया कि जब सैनिक कार्यवाही की गई और वहां पर कुछ लोग मारे गये तो कुछ ऐसे व्यक्ति थे

जिन्होंने मिठाइयां बांटी । दुर्भाग्य से यह हमारे सार्वजनिक जीवन की पथभ्रष्टता है । और मैंने जो प्रधान मंत्री को बताया था वह मैं यहां पर दोहराना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया बीच में मत टोंके । मैंने अपने जीवन में कभी बीच में व्यवधान नहीं डाला है । कुछ नाजुक मसलों पर मैं आपसे केवल मौन रहने के लिए कहूंगा । आप सदन के बाहर मुझ पर आक्षेप लगा सकते हैं लेकिन मैं आपसे केवल यह अनुरोध करूंगा कि चुप रहें ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : बाहर ही क्यों हम यहां पर भी आक्षेप लगायेंगे ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने उस बैठक में प्रधान मंत्री को बताया था कि मुझे इस पथभ्रष्टता और विकृति के बारे में हैरानी नहीं हुई है क्योंकि जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की गई थी तो उस समय भी ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने मिठाइयां बांटी थीं । यदि यह विकृति उस समय हो सकती है तो मैं इस विकृति को समझ सकता हूं । और मुझे खुशी है कि प्रधान मन्त्री ने स्वयं को इससे अलग किया है · हालांकि ये बातें हुई हैं तथापि विपक्षी नेताओं के साथ हुई बैठक में उन्होंने कहा "मैं जो कुछ हुआ उसका पूरी तरह से निरनुमोदन करती हूं ।"

मैं आपके समक्ष यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये तथ्य हैं ।

इस समय सेना स्वर्ण मंदिर परिसर में मौजूद है ।

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : महोदय, उन्हें यह आरोप नहीं लगाना चाहिये कि हमारी पार्टी यह दर्शाने में शामिल थी कि यह एक जीत थी । मैं सही स्थिति बताना चाहता था ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैंने उन पर कभी आरोप नहीं लगाया है । यदि यह अनजाने में महसूस करते हैं कि यह आरोप उन पर है तो मैं मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना है ।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : आप इससे हम पर आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : आप हमारे इरादों को किस प्रकार जानते हैं ?

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से कोई भी समझदार व्यक्ति यह नहीं करेगा। केवल बुरा व्यक्ति अथवा अत्यन्त दुष्ट व्यक्ति अथवा समाज विरोधी तत्व जो मानव नहीं हैं अथवा मानवता

ऐसा कर सकते हैं । अन्य कोई से गिरे हुए है, ऐसा नहीं करेगा । इसका समझना बहुत आसान बात है ।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, दोबारा एक दूसरे मौके पर मैं आपसे सहमत हूं ।

महोदय, इस समय सेना बैरकों में वापस नहीं गई है । सेना स्वर्ण मदिर में है । ना पंजाब में है । तब भी वहां शांति नहीं है । उग्रवादी अभी भी अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए हैं । लोगों को अभी भी कत्ल किया जा रहा है । दोबारा हम देखते हैं कि भाखड़ा बांध को क्षति पहुंचाई गई है और इसमें दरार की गई है जिसके परिणामस्वरूप न केवल हरियाणा के लोगों को अपितु देश अन्य भागों को भी हानि हुई है । इस प्रकार की शरारतें अभी जारी हैं । लेकिन इस सन्दर्भ में मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं क्योंकि प्रो० रंगा जैसे बहुत से स्वाधीनता संघर्ष के योद्धा हैं और मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि सेना के बिना काम नहीं चल सकता था लेकिन यह याद रखना चाहिए कि केवल सेना ही सभी समस्यायें हल नहीं कर सकती है और याद रखें कि मैं यह क्यों कह रहा हूं···

श्री रघु नन्दन लाल भाटिया : यह कौन कहता है ?

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है । आप बीच में मत बोलें ।

प्रो० मधु दंडवते : वे प्रत्येक क्षण हस्तक्षेप करना चाहते हैं । मैं उसका बुरा नहीं मानता हूं और अपनी सीट ग्रहण करता हूं ।

महोदय, मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि विभाजन होने पर भी, जिसमें विभाजन से पूर्व और विभाजन के बाद दंगे हुए, इस देश में एक ऐसा व्यक्ति हुआ था जिसे हम राष्ट्रपिता कहते हैं । वह पश्चिम बंगाल में नौआखली में अपने मिशन को जारी रखे हुए थे । उस समय पंजाब में सेना थी । मैं समानता बताना चाहता हूं । पंजाब में सेना है, स्वर्ण मंदिर परिसर में सेना है । और याद करें कि विभाजन से पूर्व और विभाजन के बाद के दिनों में पंजाब में सेना विद्यमान थी । सेना के बारे में माउंटबेटन ने क्या कहा था और महात्मा गांधी के बारे में जो उस समय कलकत्ता की गलियों में गये हुए और लोगों को एक दूसरे की हत्या न करने के लिये कह रहे थे, उन्होंने क्या कहा था ?

माउन्टबेटन द्वारा महात्मा गांधी को 26 अगस्त, 1947 को लिखा गया एक पत्र इस प्रकार है :

> "प्रिय गांधी जी, पंजाब में हमारे पास 55,000 सिपाही हैं और वहां पर बड़े पैमाने पर दंगे हो रहे हैं । बंगाल में हमारी सेना में एक व्यक्ति है और वहां कोई दंगे नहीं हैं । एक सेवा अधिकारी तथा प्रशासक के नाते सेंकड-इन कमांड श्री सोहाखर्दी को न भुलाते हुए मुझे एक व्यक्ति की सेना प्रशंसा करने की अनुमति दी जाये ।"

मैंने जानबूझ कर यह पत्र उद्धृत किया है और सदन के समक्ष यह बात लाना चाहता हूं कि सेना उग्रवादियों को पकड़ने, उनका सफाया करने और तस्करी के हथियारों, जो कुछ प्राधिकारियों की सांठ-गांठ से मंदिर के अन्दर ले जाये गये थे, को निकालने में सफल हुई है। इससे हथियारों को निकालने और उग्रवादियों का सफाया करने की समस्या हल हो सकती है। लेकिन अनन्तः कार्यक्रमों की विभिन्न पद्धतियों द्वारा सभी धर्मों और ग्रुपों के हस्तक्षेप से अलग एक नया वातावरण उत्पन्न किया जाना है। गांधी ने हमें वह रास्ता दिखाया था। केवल महात्मा गांधी के मार्ग पर चल कर ही हम पंजाब की समस्या का स्थायी रूप से समाधान कर सकेंगे। यही एकमात्र शाश्वत रास्ता है जो भारत अपना सकता है और यदि हम राष्ट्र पिता पर गर्व करते हैं।

हमने कल सभा पटल पर श्वेत पत्र रखा था। इसे पहले रिलीज किया गया था। श्वेत पत्र के सन्दर्भ में मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं। जहां तक श्वेत पत्र का सम्बन्ध है यह मेरा पक्का मत है कि श्वेत पत्र बहुत से तथ्यों को छुपाने के लिए तैयार किया गया है जिनसे बिलकुल अलग विश्लेषण होता है। श्वेत पत्र में जहां एक ओर पंजाब की समस्या का वार्ता द्वारा समाधान किये जाने के बारे में सरकार की सभी विफलताओं को छुपाने का प्रयास किया गया है वहां दूसरी ओर उग्रवादियों की गतिविधियों पर रोक लगाने, हथियारों के प्रवेश पर रोक और भिंडरावाले पर नियंत्रण करने के लिए सरकार पूरी तरह विफल रही है। मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप नहीं लगाना चाहता हूं। लेकिन यह अत्यन्त स्पष्ट हो जाना चाहिये कि सत्तारूढ़ पार्टी ने ही भिंडरावाले का सृजन किया। भिंडरावाला ही वह व्यक्ति था जिसने वर्ष 1980 में कांग्रेस (आई०) का समर्थन किया था। भिंडरावाला ही वह व्यक्ति था जिसके व्यक्तियों ने अकाली दल के सदस्यों को पराजित करने के लिये 1978-79 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के चुनाव लड़े थे। गुरुद्वारा एस० जी० पी० जी० की 140 सीटों के लिये चुनाव हुआ था और इन सभी चुनावों में भिंडरावाले के समर्थक अकाली नेताओं को पराजित करने के लिये खड़े गये थे। वे सफल नहीं हुए थे। भिंडरावाले द्वारा समर्थित कोई व्यक्ति चुना नहीं गया था। उस समय से ही उन्होंने कार्यवाही शुरू कर दी। मैं यह बात रिकार्ड में लाना चाहता हूं और इस सदन को बताना चाहता हूं, जिसके खंडन किये जाने की कोई आशंका नहीं है, कि पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने भिंडरावाले के खिलाफ ठोस कार्यवाही करनी चाही थी। यहां तक कि एक वारंट तैयार किया गया था। हरियाणा के मुख्य मंत्री के साथ विचार-विमर्श हुआ था। पुलिस की गाड़ी इन्तजार में थी। वारंट तैयार किया गया था। भिंडरावाले को लगभग गिरफ्तारी का वारंट मिलने ही वाला था। उसे गाड़ी में ले जाना था। केन्द्र से अनुदेश प्राप्त हुए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं जिससे प्रक्रिया नियमों का उल्लंघन होता हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक उच्चाधिकारी व्यक्ति ने अनुदेश भेजे कि भिंडरावाले को गिरफ्तार न किया जाये। आप इस बात की पुष्टि पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मंत्री और हरियाणा के मुख्य मंत्री से कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि जो कुछ मैंने सदन में बताया है वह सच है अथवा किसी प्रकार की मनगढंत

बात है । इस सदन के अध्यक्ष के रूप मे आप इसकी पुष्टि कर सकते है । मैं अपनी आत्मा की शपथ लेता हूं कि ये तथ्य हैं । इस प्रकार भिंडरावाले पर नियंत्रण नहीं किया गया । हथियारों को ले जाने की अनुमति दी गई ।

हम प्रधान मंत्री से पूछते है कि किस प्रकार इतने ज्यादा हथियार गुरुद्वारे में ले जाये गये और इन्हें वहां ले जाने से रोका नहीं गया ? सैनिक कार्यवाही के बाद हम प्रतिदिन दूरदर्शन पर हथियार देखते हैं । मैंने विपक्ष की बैठक में प्रधान मन्त्री से पूछा कि गुरुद्वारे में हथियार कैसे पहुंच गये ? आप जानते हैं कि एक मन्त्री महोदय ने क्या कहा ? श्री दंडवते, क्या किया जाए, तस्करी के यह सभी हथियार गुरुद्वारा में लंगर के लिए ट्रकों से ले जाये गये खाद्यों के साथ अन्दर पहुंच गये । मैंने मंत्री महोदय से कहा कि थोड़ी देर के लिए पंजाब की बात भूल जाएं । कल भारत के किसी अन्य क्षेत्र में विदेशी अथवा भारत के दुश्मन हथियारों की तस्करी करते हैं—क्या वे हथियारों की तस्करी यह झंडा लगा कर करेंगे—हम तस्करी किए हुए हथियार ले जा रहे हैं । कृपया हमारा स्वागत करने के लिए तैयार रहें । वे हथियारों को घास के नीचे, खाद्यान्न के नीचे छिपा कर ला रहे थे तस्कर हमेशा ही ऐसे ही हथियार लाते हैं । ऐसा क्यों हुआ कि जब वह उन हथियारों को गुरुद्वारे के अन्दर ला रहें थे तो क्यों किसी ने उन्हें रोका नहीं ? हम, इस संसद के सदस्य जब भी हम हवाई जहाज से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो प्रत्येक हवाई अड्डे पर हमें मेटल डिरेक्टर से जांचा जाता है । चाहे हम सत्तारूढ़ दल से हो अथवा विपक्ष से, हमें मेटल डिरेक्टर से जांचा जाता है । हम इस विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकते कि हम सुरक्षा सम्बन्धी दायित्वों से मुक्त हैं । हमें जांचा जाता है । इस सम्बन्ध में मेरी कोई शिकायत नहीं है । नागरिकों और संसद सदस्यों में हवाई अड्डों में प्रवेश पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए । इस देश के उच्चतम संसदीय फोरम के सदस्यों की इस देश की सुरक्षा के हित में जांच की जाती है । गुरुद्वारों में हथियार ले जाने वाले तस्करों की जांच बिल्कुल नहीं की जाती है । अतः अनेक टन हथियार, जिनमें अधुना हथियार भी शामिल हैं, वहां ले जाने दिये गये ? इन सब के लिए कौन उत्तरदायी है ? यदि आज की सरकार हथियारों की तस्करी पर रोक नहीं लगा सकी तो उसे गंगा के समक्ष यह स्पष्ट करना चाहिए कि धार्मिक गतिविधियों का अर्थ क्या होता है । उन्हें देश पर शासन नहीं करना चाहिये और पंजाब अथवा दिल्ली में प्रशासन नहीं चलाना चाहिए । मैं उनके विरुद्ध यह आरोप लगाना चाहता हूं । इसका कोई उल्लेख नहीं है । भिंडरावाले का कोई उल्लेख नहीं है, इसका भी कोई उल्लेख नहीं कि हथियार अन्दर कैसे पहुंचें । इसमें भूतकाल का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया और अब इस अलगाव की बात की जा रही है । यहां पर भी मैंने बैठक में प्रधान मंत्री को बताया था कि आप अपने दल के सिख सदस्यों से मिलिए, भारतीय जनता पार्टी के सिख सदस्यों से मिलिए, किन्तु आपको कोई अपवाद नहीं मिलेगा । आप लोक दल के सिख सदस्यों से मिलिए और उनसे पूछें कि उनकी भावना क्या है;

उनकी भावना गलत हो सकती हैं कि चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल के क्यों न हों, आप न्यायपालिका के सिख सदस्यों से मिलिए, आप पत्रकारों में सिख सदस्यों से मिलिए। आप सब में यहीं देखेंगे कि उन सबकी भावना को कुछ न कुछ आघात पहुंचा है और उनमें अलगाव की भावना आ गई है। उनमें यह अलगाव की भावना मुझे चुभती है। मैं एक सिख नहीं हूं किन्तु मैं भारतीय तो हूं। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं उस राष्ट्र का हूं जिसका महात्मा गांधी ने नेतृत्व और निर्माण किया था। इस देश में कोई भी जाति अपनी भूल के लिये भी अलगाव का अनुभव नहीं करती। मेरे मानस में इस बात से चोट पहुंची है कि इस देश की एक जाति यह अनुभव कर रही है कि वह देश की मुख्य धारा से अलग हो गई है। इस अलगांव की भावना को आपको अपनी रचनात्मक भावना से दूर करना होगा।

जहां तक भाखड़ा बांध का सम्बन्ध है, निसन्देह, इसके लिये तोड़-फोड़ करने वाले तत्व उत्तरदायी हैं। किन्तु हमारे जैसे देश में यदि सरकारी तन्त्र और खुफिया तन्त्र सन्देहास्पद हो जाता है और वह बड़े पैमाने पर तोड़-फोड़ की अनुमति देता है तो आप कल्पना कर सकते हैं, कि कल यदि देश पर विदेश से आक्रमण होता है और यदि देश में आन्तरिक तोड़-फोड़ होती है तब इस देश का क्या होगा। उसका अर्थ यह होगा कि हमारी स्वतन्त्रता नष्ट हो जाएगी। अतः यह सरकारी तन्त्र की असफलता होगी।

मैं त्रिपक्षीय वार्ता के बारे में भी एक शब्द कहना चाहता हूं। सौभाग्य से, मुझे आरम्भ से लेकर अन्त तक अकाली दल के साथ हुई त्रिपक्षीय वार्ताओं में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं यह बात रिकार्ड में लाना चाहता हू कि मैंने इस सदन में पंजाब पर स्थगन प्रस्ताव पर जो बहस आरम्भ की थी उसका उत्तर भूतपूर्व गृहमन्त्री श्री पी० सी० सेठी दे रहे थे। उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी कि देश में विपक्षी दलों ने मतभेदों को कम करने में काफी योगदान किया था तथा केवल थोड़े से ही मतभेद रह गये थे। इस देश की प्रधान मन्त्री तथा सरकार को इस सम्बन्ध में बनी सहमति को क्रियान्वित करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए था। विपक्षी दल तथा अकाली दल भी उपस्थित थे। उन्होंने इस मामले पर निर्णय कर लिया था। एक दिन गृह मन्त्रालय के अधिकारियों ने यह घोषणा की थी कि दो या तीन दिन के अन्दर पत्रकारों को सत्यापित सूचना उपलब्ध हो जाएगी। किन्तु ऐसी बात नहीं हो सकी। स्थिति को आगे और खराब हो जाने दिया गया और अनन्तः सैनिक कार्यवाही आवश्यक समझी गई।

कीर्तन के प्रसारण पर श्री सेन को अभिलेखों की जांच करनी चाहिए। पहले उन्होंने यह रवैया अपनाया था कि स्वर्ण मन्दिर से कीर्तन और भजनों का प्रसारण किया जायेगा। हमने उनसे यह बात मनवाई कि यह मांग अव्यवहार्य है। हमने उन्हें इस बात सन्तुष्टि दिलाई कि यह कीर्तन आल इंडिया रेडियो जलंधर से प्रसारित किया जा सकता है। वे यह मान गये थे।

अखिल भारतीय गुरुद्वारा अधिनियम का भी प्रश्न था। प्रधान मन्त्री कहती हैं—क्या गुरुद्वारा इसके लिये सहमत होंगे और कितने गुरुद्वारा होने चाहिए ? अकाली दल ने हमें बताया कि केवल ऐतिहासिक गुरुद्वारों को ही एक समान अखिल भारतीय गुरुद्वारा अधिनियम के क्षेत्राधिकार में लाया जाना चाहिए। वे केवल उनके बारे में ही कह रहे थे। समस्या का समाधान हो गया था।

केन्द्र राज्य सम्बन्धों के बारे में हमने कहा कि यह प्रश्न केवल पंजाब और केन्द्र का ही नहीं है। यह प्रश्न कर्नाटक और केन्द्र का है, महाराष्ट्र और केन्द्र का है; बंगाल और केन्द्र का है, आन्ध्र और केन्द्र का है और इसलिए हमें उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश के निरीक्षण अथवा अध्यक्षता में एक आयोग के सुझाव को स्वीकार कर लेना चाहिए। सरकारियां आयोग की स्थापना की गई और हमने इस सभा में उसका स्वागत किया। अकाली दल ने भी इसे स्वीकार कर लिया था। जहां तक नदी जल विवाद का सम्बन्ध है, उन्होंने इस बात को भी स्वीकार कर लिया कि सारे मामले को 1956 अधिनियम के अन्तर्गत एक न्यायाधिकरण को प्रेषित किया जाए। इसके बाद, एक बात अनुच्छेद 25 की व्याख्या के बारे में थी। अब, बहस के दौरान इस बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मेरी यह राय है और मैं इस सम्बन्ध में सरकार के रवैये का स्वागत करता हूं। जिस दिन श्री सेठी ने यह वक्तव्य दिया था, "हम अनुच्छेद 25 की कानूनी विशेषज्ञों तथा सिखों के विभिन्न संगठनों से जांच करवायेंगे, तो कुछ लोग इससे अप्रन्न हो गये। किन्तु मैं प्रसन्न हूं। यदि आप संविधान सभा में हुई बहसों को पढ़ें और यह देखने का प्रयास करें कि डा० अम्बेडकर अथवा पंडित नेहरू ने क्या कहा था, तो आप देखेंगे कि उन्होंने इसे बहुत ही स्पष्ट कर दिया था। और मेरे सहयोगी, श्री सेठ ने भी इसे स्पष्ट कर दिया था। उस समय भी संविधान निर्माताओं ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अनुच्छेद 25 की शब्दावली के होते हुए भी, सिखों की धार्मिक पहचान सुनिश्चित है। यह बात इस अनुच्छेद में उप-खण्ड (ख) तथा स्पष्टीकरण दो में स्पष्ट किया है। इसमें कहा गया है कि केवल कल्याण और सुधार के कुछ मामलों में सिखों को हिन्दू माना जाएगा। इससे तो सिख जाति को ही लाभ होगा। इसमें उनके विरुद्ध कुछ नहीं है। इसलिये हमें यह विश्वास है कि यह ऐसा है और यदि विधि विशेषज्ञ उन्हें बताते हैं अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश उन्हें बताते हैं कि इस अनुच्छेद से उन्हें कोई हानि नहीं होगी, मेरे विचार से यह एक अच्छी बात है। मैं श्री बादल से तिहाड़ जेल में मिला था और उन्होंसे बताया, 'चूंकि इसकी जांच की जा रही है और मैं सन्तुष्ट हूं।" कुछ ही दिनों में हमारे गृह मन्त्री ने वक्तव्य दिया कि इसकी जांच की जाएगी। उन्होंने आन्दोलन समाप्त कर दिया। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। किन्तु इस सरकार में सही कार्य गलत समय पर करने की विशेषता है। आन्दोलन आरम्भ होने से पहले, उन्होंने इसकी घोषणा की होती तो अच्छा था, किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया।

निश्कर्ष में मैं यह बात कह सकता हूं। सेना के बारे में मैं अपनी बात रिकार्ड करना चाहता हूं। जहां तक सेना का सम्बन्ध है, बम्बई में, भिवंडी में दंगे हुए। हमने वहां सेना भेजी। पंजाब में ऐसा हुआ, हमने वहां सेना भेजी। यदि हम हर अवसर पर सेना का प्रयोग करते रहे—यह एक खतरनाक खेल है—आप सेना में राजनीतिक आकांक्षाएं जगाने का प्रयास न करें। भारतीय संविधान तथा प्रशासन के निर्माताओं के हम अत्यन्त आभारी हैं कि समूची रक्षा सेनाओं को तीन भागों में बांट दिया गया है। हमारी सेना में अद्भुत अनुशासन, एकता, वफादारी और देशभक्ति है। उन्हें विमुख मत करें। उनमें राजनीतिक आकांक्षाएं पैदा करने का प्रयास मत करें। मुझे भय है कि उन्हें निमन्त्रण पर विभिन्न राज्यों में भेजा जाता है। यदि हम उनमें राजनीतिक आकांक्षाएं जागृत कर देंगे, कल वे यह सोच सकते हैं, "उन्हें स्वयं वहां जाना चाहिए।" और इस देश में सत्तारूढ़ दल को उसके साथ सत्ता को बांटना होगा और यह बात संसदीय लोक तन्त्र के विरुद्ध होगी।

(व्यवधान)

महोदय, उन्होंने पंजाब स्थिति से लाभ उठाने का प्रयास किया है। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में संशोधन कर दिया है। उन्होंने नजरबन्दी के कारणों सम्बन्धी पृथकत्व सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया है। न्यायालय का निर्णय भी है। अर्थात मान लीजिए, नजरबन्दी के लिए 15 कारण दिये गए हैं और 14 कारण विद्यमान हैं और यदि एक कारण भी मानने योग्य नहीं है, उस स्थिति में नजरबन्दी समाप्त हो जाती है और इस सम्बन्ध में पहले यही स्थिति थी। अब उन्होंने इस सम्बन्ध में संशोधन कर दिया है महोदय, अब उन्होंने पृथकत्व सिद्धांत सम्बन्धी खंड को समाप्त कर दिया है। 15 में से यदि एक कारण भी विद्यमान रहता है, नजरबन्दी जारी रहेगी। यह बिल्कुल बेकार चीज है जो हो रही है। अतः मैं यह बात कपकर अपना भाषण समाप्त करता हूं किन्तु मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश की अखंडता के लिए खतरनाक आनन्दपुर साहिब संकल्प के बारे में बहुत चर्चा है। आनन्दपुर साहिब संकल्प के होते हुए, अकाली दल के नेताओं ने सही व्याख्या प्रस्तुत की है। मैं दो पत्रों से दो वाक्य उद्धृत कर अपना भाषण समाप्त करूंगा। एक पत्र शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष श्री हरचरण सिंह लोंगोवाल तथा दूसरा पत्र श्री बादल द्वारा लिखा गया है। श्री फर्नांडीज को 23 अगस्त, 1982 को लिखे अपने पत्र में श्री लोंगोवाल ने कहा है :

> "मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि अकाली आन्दोलन किसी तरह से भी किसी उग्रवाद अथवा पृथकतावाद से सम्बद्ध नहीं है। हम देश की एकता और अखण्डता के लिए बद्ध हैं। हमारी परम्पराएं और हमारा रिकार्ड देशभक्ति में अग्रणी रहने का है और लोकतन्त्र में हमारी गहरी आस्था है।"

दूसरे पत्र में, जिसे श्री बादल ने लिखा है, कहा गया है :

"श्री फर्नान्डीज मैं आपको पुनः विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी कोई भी मांग किसी भी धर्म के अथवा अपने प्रिय देश, जिसके लिये हम किसी भी बलिदान के लिए सर्वदा तत्पर हैं, के विरुद्ध नहीं है।"

अतः समूची सभा से मेरी अन्तिम अपील यह है कि हम हिन्दू-सिख एकता को बनाए रखें महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमें यह महान और ऊंची विरासत प्राप्त हुई है। हम इस महान विरासत को कमी नहीं छोड़ेंगे।

महोदय, आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं।

श्री गिरधारी लाल डोगरा (जम्मू) : पंजाब के अतिरिक्त सेना का कहीं प्रयोग नहीं किया गया।

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपको बताऊं कि भिवंडी और बम्बई में सेना भेजी गई काश्मीर में सेना भेजी गई, असम में सेना भेजी गई ; पंजाब में सेना है। यह तथ्य है।

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : क्या वे कम से कम स्वर्ण मन्दिर से सेना हटाने को तैयार हैं?

अध्यक्ष महोदय : केवल पांच मिनट शेष हैं। हम उसके बाद विधेयक लेंगे।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी असल पक्ष और विपक्ष की बात कहीं रह नहीं गई। गलत बोलते हैं विपक्ष के लोग भी अगर अकाली दल को विपक्ष मान रहे है। सरकारी पक्ष के लोग भी अगर अकाली दल को विपक्ष मानते हैं तो वे भी गलत मान रहे हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में अकाली दल ने और फारुख अब्दुल्ला ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था। अपोजीशन पार्टी को वोट नहीं दिया था।

मैं एक बात स्पष्ट और साफ कहना चाहता हूं कि भारत की फौज को कम से कम किसी काम में हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन अगर फौज को हुक्म मिल गया है तो उस फौज की लड़ाई के वक्त उसकी आलोचना करना देश के साथ गद्दारी है। फौज की अंदरूनी हालात के अंदर कम से कम...।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने आर्मी की आलोचना नहीं की।

श्री मनीराम बागड़ी : मैं आपको कब कह रहा हूं?

(व्यवधान)

आज हिन्दू और सिक्ख की यूनिटी की बात की जाती है। आज जो लोग ये बात करते हैं

वे जरा सोच कर बात करें। आज लड़ाई हिन्दु और सिक्ख की नहीं है। हिन्दू और सिक्ख में तो रोटी-बेटी का सम्बन्ध है। इस देश के स्वार्थी, औरंगजेबी दिमाग और गांधी दिमाग की लड़ाई हैं। और किसी की लड़ाई नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह का सिक्ख स्पैरो, जिसका फार्म जला दिया गया। हिट लिस्ट पर सिक्ख भी आता है और हिन्दू भी आता है तो फिर वहां पर क्या फर्क रह जाता है। यह हिन्दू-सिक्ख की लड़ाई नहीं है। अगर हिन्दू सिक्ख की लड़ाई होती तो उसकी आग को बुझाने की शक्ति न शासन में थी और न विपक्ष में।

एक साहब कहते हैं कि हरियाणा को 15 गांव दिलवा देते हैं और चण्डीगढ़ पंजाब को दे देते हैं। क्यों साहब क्या तुम्हारे अब्बा की जायदाद है ? हम ये फैसला कर रहे हैं, वह फैसला कर रहे हैं, क्या मजाक बना रखा है। अकाली दल से फैसला, क्या मजाक बना रखा है। अकाली दल हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे लोकदल हो, देश की किस्मत को अगर तलवार की नोक पर तोलता है और कांग्रेस उसकी मदद करती है तो वह भी गद्दार है और विरोधी पक्ष करता है तो वह भी गद्दार है।

(व्यवधान)

एक बात और कहना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह जी का नाम आता है तो आप लोग सकपका जाते हैं। मैं फख्र करता हूं, इसलिए नहीं कि मेरी पार्टी की आदमी है, मैं फख्र करता हूं, कि चौधरी चरण सिंह एक अटल आदमी था। वह एक बात पर अटल रहा। यह नहीं कि गंगा गए तो गंगादास और यमुना गए तो यमुना दास। सिर्फ एक आदमी, जिसने इस बात को कहा और मैं आपको बताता हूं। आप हंस रहे हैं। जरा आप कड़वाहट सुनने के लिए भी तैयार रहें।

अच्छा हुआ प्रधान मंत्री जी अभी सामने नहीं बैठी हैं। औरत को सुई से काटा निकलना अच्छा आता है। सबसे पहले लोक सभा में मैंने खालिस्तान का सवाल उठाया था। जब गायों के सिर काटकर मन्दिर पर लटकाए गए तो मैंने यहां पर धरना दिया था। अकालियों का एजीटेशन चाहे नहर रोको या रेल रोको का था, उसको एक सुई से निकाला जा सकता था। जब कहा गया कि पुलिस भेजो तो कहते हैं कि पुलिस नहीं भेजेंगे, फौज भेजेंगे। उसके बाद आपरेशन किया और सारे हाथ को काटना पड़ा। यह प्लेग की बीमारी क्यों फैली ? तलवार के जोर पर लोगों को कत्ल करके हरियाणा का हक हासिल किया जाए तो कहते है कि काट दो इनका सिर, क्या लगता है ? किसकी छाती में दर्द है ? यह तो राष्ट्र का दर्द है। कोई कहता है कार सेवा, कोई कहता है सरकार सेवा और कोई बेकार सेवा कहता है।...

(व्यवधान)

कोई कहता है, अकाल तख्त बनाऊंगा और कोई कहता है कि वह बनायेगा तो मैं गिरा

दूंगा। धर्म का मजाक बना रखा है। सरकार क्यों किसी धर्म के मामले में दखल देती है? दर्द की एक बात आपको बता देता हूं। का धनाना में मेरे सगे भतीजे का साला शहीद हुआ है। उस लड़की ने छाती पीटकर कहा कि क्या हमने इसीलिए आपको मेम्बर बनाया था? अध्यक्ष जी, आपको याद होगा कि पाली गाव के अन्दर आपका भतीजा साढ़े छह फुट का नौजवान कैप्टन शहीद हुआ। मैंने दुनिया की कोई सरकार नहीं देखी जो फौज को इस तरह से हुक्म दिया करती है। हमारे हिन्दुस्तान के नौजवानों के हाथ बांधकर देश के गद्दारों के सामने डाल दिया, तुमको कभी माफ नहीं किया जायेगा। इस देश के सबसे बड़े व्यक्ति ने यह कहा है कि मैं दोषी हूं। यह दोष माना जा सकता है कि मैंने जल्दी नहीं की देर की। खुद, हिन्दुस्तान की मंत्री मानती हैं कि यह मेरा कसूर है क्योंकि मैंने देर से एक्शन लिया। आज हमारे साथ क्या हो रहा है? पानी कट रहा है, भाखड़ा कट रही है और लोग प्यासे मर रहे हैं। वहां जाकर आप हमारे बच्चों की हालत देखो। चार-चार मील से पानी लेकर आते हैं। फसलें तबाह हो गई हैं। कपास की फसल भी तबाह हो गई है। जब 1962 में चीन ने हमला किया तो पण्डित जवाहर लाल नेहरू से यह बात कही कि हवाई हमला क्यों न करें? पण्डित जी ने कहा कि कभी डैम न टूट जाए। आपने कहा कि हमारा डैम, तो उस वक्त भी हमने कहा था कि आपने ऐसा डैम क्यों बनाया जो देश को गुलाम कर सके। उस पर पाकिस्तान ने हमला नहीं किया, चीन ने हमला नहीं किया, लेकिन उस पर कुछ भारत के लोगों ने, जिनको भारतीय कहने में मुझे शर्म आ रही है, उन कौम के गद्दारों ने इस देश को चीरने का प्रयत्न किया और उसको नुकसान पहुंचाया। उन लोगों को वकालत करने वाले कुछ लोग आप में भी बैठे हुए हैं।

श्री जगदीश टाइटलर : उन सब ने जम्मू कश्मीर में ट्रेनिंग ली है, जिनके लिए आप सब रोते हो।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : उन सबके साथ वे लोग जगदीश टाइटलर जी के यहां ट्रेनिंग लेकर गए थे, मेरी जानकारी ऐसी है।

(व्यवधान)

श्री मनी राम बागड़ी : अध्यक्ष जी, आप तो विदेशों में कई बार जा चुके हैं। मेरे दोस्त मधु जी ने ठीक ही कहा, कैसे जम्मू और कश्मीर से हवाई जहाज उड़ गया। क्यों साहब, उसकी आदत तो आप लोगों ने ही डाली थी। एक को एम० एल० ए० बना दिया, अब की बार शायद किसी को एम० पी० बनाना होगा। हवाई जहाज का उड़ाना चाहे इधर से हो, चाहे उधर से हो, हिन्दू हो या मुसलमान हो, उसके लिए मौत की सजा का प्रावधान हो। यदि आप कुछ परम्पराएं रखना चाहते हैं तो उस एम० एल० ए० को निकाल दो और गिरफ्तार कर लो, जिसने हवाई जहाज उड़ाया था। इसलिए कृपा करके किसी को आपस में लड़ाओ मत, अकालियों की वकालत करने वालो दया करो, अपनों की वकालत करने वालो दया करो, वोट की खातिर, ऐसे काम मत करो।

4.13 म० प०

लेवी चीनी समान कीमत निधि (संशोधन) विधेयक, 1984

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव* करता हूं :

"कि लेवी चीनी समान कीमत निधि अधिनियम, 1976 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए)

जैसा सभा को ज्ञात है, लाखों उपभोक्ताओं के हित में सरकार 1967-68 चीनी वर्ष से चीनी पर आंशिक नियंत्रण की नीति अपना रही है केवल 25-1-1971 से 30-6-1972 और 16-8-1978 से 16-12-1979 तक की संक्षिप्त अवधि दौरान यह नियंत्रण नहीं रखा गया । इस नीति के अधीन चीनी के उत्पादन का काफी भाग (जिसे लेवी चीनी कहा जाता है) प्रत्येक वर्ष निर्धारित मूल्य पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन खरीदा जाता है जिसे उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरित किया जाता है । 1972-73 से पूर्व क्षेत्रीय एक्स फैक्टरी मूल्य, परिवहन तथा सम्भाल व्यय आदि के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में खुदरा उपभोक्ता मूल्य अलग-अलग होते थे और लाइसेंसधारी थोक तथा खुदरा व्यापारियों के माध्यम से उसका वितरण किया जाता था । वर्ष 1972-73 के बाद से थोक व्यापारियों के स्थान पर भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य सरकारी एजेंसियां आ गई है और देश भर में लेवी चीनी का वितरण समान मूल्य पर किया जाता है ।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्ताव किया गया ।

सरकार द्वारा निर्धारित कारखाना द्वारा मूल्य के बारे में चीनी उत्पादकों द्वारा उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है । अधिकांश मामलों में न्यायालयों ने रिट याचिकाओं पर निर्णय दिये जाने तक चीनी उत्पादकों को अधिक मूल्य लेने की अनुमति दे दी । वर्ष 1972-73 से पूर्व अधिक मूल्यों का प्रसार उत्पादक पर डाल दिया जाता था । पर उसके बाद से अधिक मूल्यों का प्रसार गैर सांविधिक लेवी चीनी समीकरण निधि पर पड़ा है जो लेवी चीनी को समान मूल्य पर वितरित करने की योजना को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में भारतीय खाद्य निगम द्वारा परिचालित की जा रही है ।

जब 1972 में कुछ चीनी मिलों द्वारा 1971-72 के लिए लेवी चीनी के मूल्यों को चुनौती दिये जाने के सम्बन्ध में दायर की गई रिट याचिकाएं खारिज हो गईं तो चीनी उत्पादकों ने लिए गए अतिरिक्त मूल्य की वापसी की सरकार की मांग को चुनौती दी । उत्पादकों द्वारा दिए गए अतिरिक्त मूल्यों की धनराशि वापस लेने के लिए लाखों उपभोक्ताओं को मुकदमेबाजी से

बचाने और चीनी उत्पादकों द्वारा अनुचित रूप से कमाई गई भारी धनराशि को हड़पने से बचाने के लिए सरकार ने 1976 में लेवी चीनी समान मूल्य निधि अधिनियम बनाया ताकि चीनी उत्पदकों से यह राशि 12.50% वार्षिक ब्याज की दर से लेने और जिन उत्पादकों ने उपभोक्ताओं से अधिक मूल्य लिया उन्हें वापस करने और जिस राशि के सम्बन्ध में दावा नहीं किया गया उसे लेवी चीनी के उपभोक्ताओं के लाभ हेतु प्रयोग करने के लिए लेवी चीनी के खुदरा मूल्यों को समान रखा जाये।

4.16 म० प०

(श्री एन० के० शजवलकर पीठासीन हुए)

अधिनियम के परिचालन से हुए अनुभव और अनेक न्यायालयों में उठाये गये मामलों को देखते हुए इस अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय किया गया है ताकि उसमें से उन त्रुटियों को दूर किया जाये जिनसे चीनी उत्पादक अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करते हैं और अधिनियम को अधिक कठोर बनाया जा सके। इसी उद्देश्य से लेवी चीनी समान मूल्य निधि (संशोधन) विधेयक, 1984 को सभा के समक्ष विचार तथा पास करने के लिए लाया गया है। चीनी उत्पादकों ने मुख्य रूप से जो अनुचित लाभ उठाने का प्रयास किया वे ये हैं :

(1) अधिनियम में विशिष्ट उपलब्ध के अभाव में चीनी पर लगाये गए अतिरिक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जो न्यायालयों द्वारा आन्तरिक उच्च मूल्यों की अनुमति दिये जाने के फलस्वरूप एकत्रित की गई, से प्राप्त राशि को निधि में जमा नहीं किया जाता। उत्पादकों ने कहा "हम अतिरिक्त वसूल की गई राशि वापस नहीं करेंगे।" अतः संशोधन की जरूरत है।

(2) वर्ष 1972-73 से पहले वसूल की गई राशि को निधि में नहीं मिलाया जाता क्यों कि समान खुदरा मूल्य को 1972-73 से लागू किया गया और अधिनियम में लेवी चीनी का अर्थ वही दिया गया है जो लेवी चीनी पूर्ति (नियंत्रण) आदेश, 1972 में दिया गया है और जो पिछले मामले पर भी लागू होता है। हम संशोधन में इस बात को भी ले रहे हैं।

(3) निर्धारित ब्याज की राशि निधि में जमा नहीं की जाती क्योंकि अधिनियम की धारा 3 की उपधाराओं में विशिष्ट उपबन्ध नहीं रखा गया और उपभोक्ता द्वारा दी गई अतिरिक्त कीमत पर ब्याज भी वापस करने का भी उपबन्ध नहीं है। इस त्रुटि को इस संशोधन से दूर किया जा रहा है।

उन्होंने कहा "हम इसे नहीं देंगे।" अब हम इस विधेयक में यह उपबन्ध कर रहे हैं कि उन्हें यह देना पड़। अब हम यह कर रहे हैं कि न्यायालयों में मामलों का निर्णय होने के बाद

उपभोक्ताओं से ली गई अतिरिक्त राशि को उत्पादकों द्वारा उन्हें वापस करने के लिए वाध्य किया जा सके।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) कितना पैसा है ?

श्री भागवत झा आजाद : इसका हिसाब नहीं लगाया है। लेकिन जब हमें विभिन्न उपभोक्ताओं से पता चल जायेगा तो हम बता सकेंगे।

मुझे आशा है कि इस पवित्र सभा के सदस्यों के सहयोग से यह सम्भव हो सकेगा कि इस संशोधी विधेयक को शीघ्र पास कर लिया जाये ताकि उत्पादकों द्वारा वसूल की गई चीनी की अतिरिक्त एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में वसूली की गई अतिरिक्त राशि को उस पर ब्याज की राशि को निधि में जमा कराने के लिए उत्पादकों को बाध्य किया जा सके आदि।

पुरःस्थापना सम्बन्धी इन टिप्पणियों के साथ मैं विधेयक को सभा में विचारार्थ पेश करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि लेवी चीनी समान कीमत निधि अधिनियम, 1976 में संशोधन करनेवाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

***श्री सत्य गोपाल मिश्र (तामलुक)** : सभापति महोदय, जो विधेयक हमारे समक्ष चर्चा के लिए है वह लेवी चीनी समान कीमत निधि अधिनियम, 1976 को संशोधित करने के लिए लाया गया है इस विधेयक में ऐसी कोई भी बात नहीं कही गई है जिसका कि विरोध किया जाए। अतः, मैं इस विधेयक को अपना समर्थन देता हूं। गत कुछ वर्षों में मुख्य अधिनियम को लागू करने के दौरान कुछ खामियों का अनुभव किया गया है और उन खामियों को दूर करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। अतः मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। परन्तु इसका समर्थन करने के साथ ही साथ, मैं कुछके प्रश्न उठाऊंगा जो कि समग्र परिप्रेक्ष्य में अपरिहार्य रूप से उठ खड़े होते हैं। महोदय, चीनी मिल मालिक विभिन्न क्षेत्रों में अनवरत रूप से अपना शोषण जारी रखे हुए हैं। एक ओर तो वे गन्ना-उत्पादकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं देते हैं और दूसरी ओर अपनी चीनी मिलों में काम करने वाले मजदूरों को अपेक्षित और उचित मजदूरी नहीं देते हैं। तीसरे, वे जनता से चीनी के ऊंचे दाम लेते हैं। चीनी मिल मालिकों द्वारा जनता पर इन ऊंचे दामों के थोपे जाने को कुछ सीमा तक रोकने के लिए, इस प्रकार के विधेयक, संशोधन आदि इस सभा के समक्ष लाए जाने चाहिए। इस समस्या का व्यापक रूप से अध्ययन किया जाना चाहिए। देखना यह है कि किस प्रकार सरकार को देय धनराशि अदालती मुकदमों द्वारा रोकली गयी है। ऐसे बहुत से दृष्टान्त गुजर चुके हैं।

*बंगाली में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

मन्त्री महोदय ने भी यह स्वीकार किया है कि जब मूल विधेयक को इस सदन के समक्ष लाया गया था तो यह कहा गया था कि उसके पीछे यह उद्देश्य है कि सारे देश में लेवी की चीनी की एक समान कीमत निर्धारित कर दी जाए। उस लक्ष्य उद्देश्य को निष्फल करने के लिए, मिल मालिक बार-बार अदालतों की शरण लेते रहे हैं और अपने निजी हितों की रक्षा कार्य के लिए वे उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय आदि से आदेश लेने में सफल रहे हैं। ऐसी स्थिति क्यों चलते रहने दी जाए। सरकार जो लेवी चीनी की कीमतें निर्धारित करती है परन्तु मिल मालिक उसका पालन नहीं करते हैं स्वतन्त्रता के इतने वर्षों बाद भी हमें ये बातें सुनने को क्यों मिल रही हैं? दूसरे, जो अधिक भुगतान किया जा रहा है वह तो इस कोष में जमा करा दिया जाता है जो कि स्थापित किया जा चुका है। न्यायालयों के आदेशों के आधार पर उपभोक्ताओं को अधिक कीमत या अधिक भुगतान करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। भविष्य में इन उपभोक्ताओं को उनके द्वारा किए जा रहे अधिक भुगतान इस कोष से वापिस मिल जायेंगे। इस वापसी का प्रश्न अब तक सदैव अधंकार में ही रहा है। जब लोक सभा और राज्य सभा में क्रमश: 5 फरवरी, 1976 और 6 फ़रवरी, 1676 को इस विधेयक पर बहस हुई थी तो यही प्रश्न दोनों सदनों में उठाया गया था। उस समय भी इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं उपलब्ध था और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज भी इसका कोई उत्तर उपलब्ध नहीं होगा। अदालतों के आदेशों के बल पर मिल मालिकों द्वारा जो अधिक धन वसूल किया जाता है वस इह कोष में जमा और एकत्र किया जाता है। जब न्यायालय के आदेशों को रद्द कर दिया जाएगा तो, कोष का यह धन उपभोक्ताओं या खरीददारों को वापिस कर दिया जायेगा। खरीददारों की दो कोटियां हैं। एक तो हैं थोक विडेता जो कि सहकारी संस्थायें भी हो सकती हैं और जो कि सरकार की ओर से चीनी उत्पादकों से चीनी क्रय करते हैं और फिर उसे विभिन्न उचित दर की दुकानों आदि को सप्लाई करते हैं तथा फिर आम जनता को बेचते हैं। अब प्रश्न यह खड़ा होता है कि यह आम जनता जो की न्यायालयों के आदेशों के कारण वास्तव में अधिक भुगतान कर रही है, उसे वापसी कैसे की जाएगी? यह प्रश्न 1976 में उठाया गया था और आज फिर मैं इसे उठाना चाहता हूं। क्या सरकार के पास ऐसा कोई तन्त्र है, जिसके द्वारा वह आम जनता को उसके द्वारा दिए गए अधिक धन को वापिस कर सकती है? यदि ऐसा नहीं किया जा सकता है तो इस संशोधन को लाने और इस विधेयक को पास करने में क्या तुक है? उन लोगों को लाभ पहुंचाना जो वास्तव में इसके अधिकारी हैं और जिनको लाभान्वित करने के लिए यह विधेयक लाया गया है, उन्हें लाभ पहुंचाना संभव नहीं है। इन मिल मालिकों के विरुद्ध सरकार जब-तब ऐसा कोई न कोई विधान लोगों की आंखों में धूल झोंकने और वोट लेने के लिए लाती रहती है। वास्तव में सरकार का मिल मालिकों पर कार्यवाही करने का कोई इरादा नहीं है। इस रवैये के फल स्वरूप सरकार अभी तक कोई ऐसा विधान प्रस्तुत नहीं कर सकी है जो मिल मालिकों के हितों से उपर जन हित को वास्तव में

स्थापित कर सके। यही बात चीनी उत्पादकों के बारे में भी कही जा सकती है। अपने भाषण के आरम्भ में ही मैंने उल्लिखित किया है कि चीनी मिल मालिक गन्ना उत्पादकों को घाटे में डाल रहे हैं, वे सरकार को भी ठग रहे हैं और आम उपभोक्ताओं से भी चीनी की अधिक कीमत ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें यह सोचना होगा कि चीनी उद्योग को नियन्त्रित करने का क्या उपचार है, जहां पर इन सभी श्रेणियों को शोषण और अनुचित दबाव से बचाया जा सके? इसका एक-मात्र उपाय है चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाए इसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई चारा नहीं है। यदि चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, केवल तभी विधेयक का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। आम उपभोक्ताओं को लाभ होगा और उन बिभिन्न खामियों को जिनके माध्यम से उत्पादक लाभ उठाते हैं बन्द कर दिया जायेगा। इस उद्योग के राष्ट्रीयकरण द्वारा ही सभी सम्बद्ध व्यक्तियों को सभी प्रकार के लाभ प्रदान करना सम्भव हो सकता है। अंतः, इस विधेयक का समर्थन करते हुए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार के खण्डशार विधान से मिल मालिकों को नियन्त्रित करना या उन पर कार्यवाही करना सम्भव न होगा। केवल राष्ट्रीयकरण ही वह अभावी उपचार है, जिससे गन्ना उत्पादकों को अपने गन्ने की सामाजिक और उचित कीमत मिलेगी। मिल मजदूरों को उचित मजदूरी मिलेगी और आम जनता पर अधिकाधिक दामों का भार नहीं पड़ेगा। सारे देश में जनता को सस्ती दरों पर चीनी उपलब्ध कराई जानी चाहिए और हमारे दिमांगों में गन्ना उत्पादकों के हित सर्वोपरि होने चाहिए इस आशा के साथ, मैं एक बार फिर अपना समर्थन इस विधेयक को देता हूं कि जो बातें मैंने कहीं हैं, उनके आधार पर सरकार [illegible] विषय में, सारे मामले पर व्यापक ढंग से पुनः विचार करेगी।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह (महाराजगंज): सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वैसे इस विधेयक की सीमा बहुत कम है, फिर भी मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उस क्षेत्र में शुगर इन्डस्ट्री के सिवाय और कोई इन्डस्ट्री नहीं है और जो उसकी स्थिति है उसके मुख्य कारणों में चीनी और गन्ने की मूल्य-निर्धारण नीति भी है, इसलिए मैं कुछ बाते कसने के लिए खड़ा हुआ हूं। सौभाग्य से प्रभारी मन्त्री बिहार के ही हैं। वह भी जानते हैं कि उत्तर बिहार में चीनी उद्योग के सिवाय कोई दूसरा उद्योग नहीं है। केवल शुगर मिल्स वहां हैं और उनमें बिहार की 12 शुगर मिलें ऐसी हैं जो सारन और चम्पारन में हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां तीन शुगर मिलें हैं सिवान में जिनकी हालत बहुत खराब है - पंचरुखी शुगर मिल, न्यू सिवान शुगर मिल और एस के जी शुगर मिल, ये तीनों मिलें बन्द हैं। वहां के किसान पिछले पांच सात वर्षों से अपना गन्ना बो कर बैठे रहते हैं और अभी भी आशा और विश्वास के साथ वहां के लोग गन्ना बोते हैं और प्रति वर्ष जाकर मिलों को गन्ना देते हैं। वहां का जो स्टेट शुगर कारपोरेशन है उसकी हालत भी बहुत खराब है। राज्य सरकार के अधीन जो न्यू शुगर फैक्ट्री ले

ली गई है वहां भी प्रति वर्ष लाखों और करोड़ों का घाटा स्टेट शुगर कारपोरेशन को हो रहा है। इसलिए केन्द्रीय स्तर पर शुगर कार्पोरेशन को मजबूत किया जाय। आजकल मिल मालिकों को काफी सुविधायें दी जा रही हैं, राष्ट्रीयकृत बैंकों से वे काफी ऋण लेते हैं, मिलों को माडर्नाइजेशन करने के नाम पर और इस तरह से करोड़ों रुपया लेकर चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि इण्डस्ट्रियलिस्ट्स इस शुगर इन्डस्ट्री से काफी उदासीन होते जा रहे हैं और मैं समझता हूं इसकी जवाबदेही सरकार पर आयेगी। शुगर मिलों के पूंजीपतियों पर निर्भर करना इस उद्योग के साथ विश्वासघात होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय स्तर पर जो शुगर कार्पोरेशन हैं उसके अधीन सिवान और न्यू सिवान शुगर फैक्टरीज को लेकर चलाने की व्यवस्था की जाए।

इन शब्दों के साथ, जो बिल माननीय मन्त्री जी ने इस सदन में प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : इस सदन में इस समय हम लेवी चीनी समान कीमत (निधि संशोधन) विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। इसका समर्थन करते हुए आजाद साहब के शासन में चीनी मिलों के काम करने का जो तौर तरीका है उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस बिल की जो मंशा है उसका तो मैं समर्थन करता हूं, विरोध नहीं करता लेकिन यह कहना चाहता हूं कि इस बिल के प्राविजन्स को इम्प्लीमेंट करने में सरकार को बहुत एलर्ट रहना पड़ेगा वरना न आपके बस में यहां के व्यापारी हैं, न यहां के कारखानेदार हैं। केवल चीनी के दाम ही नहीं, हर चीज के दाम इस सरकार ने बहुत तेजी के साथ बढ़ाए हैं और एक बार जिस चीज के दाम बढ़ गए फिर उसके दाम घटाना असम्भव लगता है और न ही आज तक किसी भी चीज के दाम कभी घटे हैं।

उपभोक्ताओं को आपने जो रिलीफ देने की कोशिश की है उसका मैं समर्थन करता हूं। दो तरीके की चीनी होती है। एक तो लेवी की चीनी होती है और उसके बाद मिल मालिक के पास जो अपनी चीनी बचती है उसके सम्बन्ध में भी मेरा सुझाव है कि आप विचार करें। लेवी चीनी निकलने के बाद भी उनके पास काफी बड़ा स्टाक चीनी का रहता है और लेवी की चीनी दूसरी चीनी को कंपीट नहीं कर पाती है। मिल मालिक उस चीनी को मनचाहे दामों पर बाजार में बेचते हैं। इस सम्बन्ध में भी पुनर्विचार करके मन्त्री जी को कोई रास्ता निकालना चाहिए।

श्रीमन्, हमारे सहारनपुर में दो चीनी फैक्टरियों पर किसानों का 7 करोड़ रुपया बकाया है - एकबालपुर शुगर फैक्टरी और देवबन्द शुगर फैक्टरी पर, अकेले देवबन्द शुगर फैक्टरी पर ही 4 करोड़ का किसानों का बकाया है और वहां पर किसानों को कोई पेमेन्ट नहीं हो रहा है। एकबालपुर शुगर फैक्टरी में तो न केवल किसान बल्कि जो वहां का वर्किंग क्लास है उसको भी पिछले तीन चार महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है। मन्त्री जी कृपया इन दोनों फैक्टरियों के बारे में नोट कर लें। वहां के किसान आन्दोलन करने जा रहे हैं, भूख हड़ताल शुरू है, रोजमर्रा

किसान भूख हड़ताल कर रहे हैं। दूसरी तरफ मंहगाई बढ़ती जा रही है। ऐसी हालत में उपभोक्ताओं को रिलीफ देने के साथ-साथ किसानों की समस्याओं की तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए गवर्नमेंट आफ इंन्डिया के डायरेक्शंश हैं कि यदि किसी मिल मालिक के पास किसान का पैसा बाकी रहता है तो किसान को 15 परसेन्ट ब्याज की राहत दिलाई जाए लेकिन आज तक गवर्नमेंट आफ इन्डिया किसी भी फैक्टरी में कोई ब्याज नहीं दिलवा पायी है।"मन्त्री जी ने भी एक बार इसी सदन में एक सवाल के जवाब में कहा था कि ब्याज तो तब दिलवायें जबकि मिल मालिक मूल देने की स्थिति में हों। माननीय राव बीरेन्द्र सिंह जी का बयान था कि हम ब्याज तो तब दिलवायें, जब मूल देने की स्थिति में हों। जब कैबिनेट स्तर का मन्त्री सदन में गैर-जिम्मेदाराना बात कहे तो मिल-मालिकों के दिमाग तो खराब होंगे ही। इसको आप नहीं रोक सकते हैं। अखबारों में स्टेटमेंट छपा कि मिल-मालिकों को पेमेंट देना पिछले महीने शुरू करना चाहिए था। मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने पेमेंट नहीं दिया है। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार उनको रुपया नहीं दिलवा पाई है। आजाद जी चाहें आप हों, राव बीरेन्द्र जी हो या कोई भी मन्त्री हो, इस तरह का गैरजिम्मेदारागा स्टेटमेंट उनको नहीं देना चाहिए था। अभी पिछले दिनों मीटिंग में आपने मिल-मालिकों की इस तरह से खिचाई की थी कि उनको लगा कि अबकी बार गवर्नमेंट आफ इन्डिया हमको बख्शने वाली नहीं है। लेकिन राव बीरेन्द्र जी के ब्यान ने आपकी सारी कोशिशों को नाकामयाब कर दिया। पता नहीं आपके ऊपर राव बीरेन्द्र जी का दबाव पड़ा या प्रधान मन्त्री जी का दबाव पड़ा, यह तो आप ही बतायेंगे।

एक माननीय सदस्य : चुनाव का दबाव है।

श्री जगपाल सिंह : हो सकता है, चुनाव का दबाव हो। लेकिन एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर किसान को पैसा नहीं मिला और उपभोक्ता को सही दाम पर चीनी नही मिली, तो मिल मालिक आपको जिताकर भेजने वाले नहीं हैं। वे आपको बिल्कुल भी नहीं भेज पायेंगे। आप मिल-मालिकों से पैसा ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं ले सकते हैं।

इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि जिस मंशा के साथ आप यह बिल लाए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप किसी के दबाव में न आकर सही रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे ताकि इस बिल की मंशा पूरी हो। इन शब्दों के साथ, सभापति जी, मैं अपनी बात खत्म करते हुए माननीय मन्त्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की दो मिलों की ओर आकर्षित करता हूं। इन दोनों मिलों में किसानों का सात करोड़ रुपया बकाया है, जिसका पेमेंट पिछले चार महीने से नहीं हुआ है। किसान मिल के गेट पर भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप उत्तर प्रदेश की सरकार पर दबाव डालकर पेमेंट कराने की प्रक्रिया को शुरू करायें। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास(भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत

विल लैवी शुगर इक्वेलालजेशन फंण्ड का समर्थन करता हूं। जैसा कि स्टेटमेंट आफ आवजैक्ट्स एंड रीजन्स में आपने कहा है।

"अधिक वसूली के अन्तर्गत न केवल वह अधिक कीमत ही है जो उत्पादक द्वारा प्रभारित की जाती है किन्तु कोई ऐसी रकम भी है जो उत्पादक द्वारा एसे शुल्कों के रूप में संदेह रकम से अधिक उत्पाद शुल्कों के रूप में प्रभारित की जाती हैं।"

एक्सैस प्राइस या एक्सैस डयूटी आप ज्यादा चार्ज कर लें, लेकिन आप इस एमाउन्ट को किस तरीके से वापिस दिलायेंगे। इसके सम्बन्ध में इस बिल में आपने क्या किया है। इस फायदा रिटेलर को जिसने कि लेवी की शुगर प्राप्त की है, उनको किस प्रकार से मिलने में कितना समय लगेगा ? चूंकि आपके रिटेलर समय-समय पर बदलते रहते हैं और जो रिटेलर कन्ज्यूमर को देते हैं, उस कन्ज्यूमर को लैवी की शुगर मंहगी दी गई है, तो भविष्य में उसको यह किस प्रकार से वापिस की जाएगी। व्यवस्था यह होनी चाहिए कि भविष्य में शुगर सस्ती मिले। इस बारे में आपने क्या व्यवस्था की है, इस बारे में मैं जानना चाहता हूं।

दूसरे आवने लैवी शुगर की डैफिनिशन रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से दी है। क्या इसको रिट्रास्टैक्टिव इफेक्ट देने से लैवी-शुगर की डेफिनीशन में किसी प्रकार का फर्क पड़ गया है ? रिट्रास्पैक्टिव इफेक्ट का क्या मतलब है। इसके बारे में मैं जानना चाहता हूं।

तीसरा प्वाइन्ट-क्लाज (सी) में आपने कहा है कि इन्टरेस्ट साढ़े-बारह परसेन्ट होगा, यदि समय 60 दिन का होगा, यदि 60 से एक्सेस दिन हो जायेंगे तो इन्टरेस्ट 15 परसेन्ट होगा। आप 15 परसेन्ट का इन्टरेस्ट किस तरह से लेंगे ? इसके पीछे आपका क्या मकसद है ? जब एक्सेस प्राप्त कर लिया है तो 15 परसेन्ट ब्याज प्राप्त करना चाहिए। आप किसी भी इंटीचूशन में देख लीजिए, जो इंस्टीचूशन पैसा देती है, वह कभी भी इस प्रकार का फर्क नहीं रखती है कि 60 दिन में 12 परसेन्ट और उसके बाद 15 परसेन्ट वसूल करेंगे। इसका बेसिज क्या है, आपने यह फर्क क्यों रखा है, इसके बारे में हमें बतलाइये ?

उद्देश्यों और कारणों के कथन के (घ) में यह कहा गया है।

"भूलक्षी प्रभाव से यह उपबन्ध भी किया जा रहा है कि किसी ऐसी कालावधि के संबंध में, जिसके दौरान कोई अधिक वसूली, न्यायालय के किसी आदेश के कारण, उत्पादक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या किसी बैंक या सरकार के पास वृत है, उत्पादक ब्याज के रूप में केवल ऐसी रकम का, यदि कोई हो, संदाय करने के लिए दायी होगा, जो ऐसी कालावधि के सम्बन्ध में ब्याज के रूप में प्रोद्भूत हुई हो।"

इसके बारे में हम यह जानना चाहते हैं - यह कोर्ट के आर्डर की क्या बात है ? जो आदमी एक्सेस पेमेन्ट ले लेता है तो जितना एक्सेस लिया है उसका इन्टरेस्ट पे करना चाहिए। आपने इसमें

बेइमानी का एक रास्ता निकाल दिया है कि कोर्ट का आर्डर होगा तो एक्सेस एमाउन्ट जो होगा, उसका इन्टरेस्ट पे करना होगा, कोर्ट का आर्डर नहीं होगा तो इन्टरेस्ट पे नहीं करना होगा। यह फर्क क्यों रखा है ? उसने जो भी एक्सेस एमाउन्ट प्राप्त किया है, उसपर इन्टरेस्ट लेना चाहिए, इसमें फर्क नहीं होना चाहिए। कोर्ट का आर्डर हो या न हो, इसमें फर्क नहीं होना चाहिए।

कथन के (घ) में कहा गया है :

"अधिनियम की धारा 3 को उपधारा (4) के अनुसार किसी न्यायालय में ऐसी कार्यवाहियों के जिसमें कीमत नियतन आदेश पर आक्षेप किया गया है। लम्बित रहने के दौरान, उत्पादक के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह नियन्त्रित कीमत और प्रभारित उच्चतर कीमत के बीच के अन्तर को निधि में जमा करे, जब तक कि वह न्यायालय जिसने, अन्तरिम आदेश दिया था, ऐसा करने का निदेश न दे।

जो आदमी कोर्ट में चेलेन्ज करता है- आप की प्राइस को- और उसके तेहत ज्यादा पैसा ले लेता है तो जो ज्यादा पैसा लेता है उसको वापस दिलवाने की व्यवस्था होनी चाहिये। अगर वह कोर्ट में चला जाता है तो इसका मतलब है कि आपने जो प्राइस फिक्स की है क्या उससे ज्यादा पैसा वसूल कर लेगा ? मेरे ख्याल में यह गलत धारणा है। जो पूंजी पति हैं, जिन्होंने शुगर इण्डस्टी लगा रखी है वे निश्चित तरीके से कन्ज्यूमर और रिटेलर से ज्यादा पैसा वसूल करेंगे, इसको रोकने के लिए इस व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिये।

कथन के (घ) में भी कहा गया है :

"किंतु चूंकि इस उपबंद के आधार पर ये तर्क दिए गए हैं कि कार्यवाहियों के निपटारे के पश्चात् भी, न्यायालय के विनिश्चय के अनुसार अवधारित अधिक वसूली की निधि में तब तक जमा किए जाने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि इस आशय का विनिर्दिष्ट आदेश उस न्यायालय द्वारा न किया गया हो।"

अगर स्पेसिफिक आर्डर कोर्ट नहीं देती है तो वह पैसा फण्ड में जमा नहीं होगा, जबकि वह उसके पास एक्सेस एमाउन्ट है। उसने एक्सेस कीमत वसूल की है, ऐसी हालत में कितनी एक्सेस कीमत उसने वसूल की है वह फण्ड में जमा होनी चाहिए। यह जो पावधान किया गया है यह कन्ज्यूमर के हित में नहीं है, इसलिए इस व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है।

कथन के (ङ) में कहा गया है :

"ऐसी रकम की निधि में शीघ्र ही जमा कराने की दृष्टि से (जिससे प्रसंगवश संबंधित उत्पादकों पर से उसके ब्याज के दायित्व को कम करने में सहायता मिलेगी) ऐसी

रकमों के अन्य व्यक्तियों द्वारा सीधे ही निधि में जमा किए जाने के लिए उपबन्ध किया जा रहा है (विधेयक के खंड 3 का उपखंड (च) देखिए)।

इसमें भी आपने फण्ड में एक्सेस अमाऊण्ट डालने की कोई व्यवस्था नहीं की है। इसमें एक्सेस अमाऊंट के बारे में है—

"वर्तमान में उत्पादक द्वारा न्यायालय के किसी आदेश के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति के पास धारित अधिक वसूली के रूप में रकम ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा सीधे ही निधि में जमा नहीं की जा सकती, क्योंकि यह दायित्व उत्पादक पर है कि वह अधिक वसूली की निधि में जमा करे।"

तो जिसने एक्सेस अमाऊण्ट रिएलाइंज किया, उसको अगर कोर्ट की तरफ से आर्डर हो गये कि वह पैसा थर्ड पार्टी के पास जमा कर दो तो वह पैसा थर्ड पार्टी के पास जमा रहेगा जबकि यह पैसा फण्ड में जमा होना चाहिए न कि थर्ड पार्टी के पास जिससे कि इसका फायदा फण्ड को मिल सके।

"अधिनियम की धारा 6, जो लेवी चीनी के क्रेताओं को अधिक वसूली के प्रतिदाय के लिए उपबंध करती है, केवल ऐसे क्रेताओं को उपलब्ध होने के लिए आशियत है, जिन्होंने अधिक कीमत का भार अन्य व्यक्तियों को संकेत नहीं किया था। यह प्रस्थापना है कि इस आशय को यह उपबंध करके भूतलक्षी रूप स्पष्ट कर दिया जाये कि इस धारा के अधीन प्रतिदाय यथास्थिति, लेवी चीनी के ऐसे क्रेताओं को, जो व्योहारी नहीं है, किंतु जिन्होंने अधिक कीमत के भार को किसी ऐसे उत्पाद की कीमत का भाग के रूप में संक्रांत कर दिया था जिसके विनिर्माण में उनके द्वारा क्रम की गई लेवी चीनी का उपयोग कर लिया गया था अथवा उस उपभोक्ता को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जिसके द्वारा ऐसी चीनी की कीमत का संदाय किया गया था। इस धारा को, भूतलक्षी प्रभाव से यह उपबंध करने के लिए भी संशोधित किया जा रहा है कि इस धारा के अधीन प्रतिदाय केवल अधिक वसूली को ही नहीं किंतु उस पर उस ब्याज का भी, यदि कोई हो किया जायेगा, जो निधि में जमा कर दिया गया है।"

इसका मतलब यह हुआ कि आपने जो पैसे की वापसी की, उसका लाभ कंज्युमर को तो नहीं हुआ। आपने इस क्लाज के जरिये से जो एक्सेस प्राईस ली वह कंज्युमर को वापिस नहीं होगी। आपको यह देखना चाहिए कि आपने जो एक्सेस अमांऊट लिया है भविष्य में उसका लाभ कंज्युमर को मिले। यह ठीक है कि सभी कंज्युमर को तो पैसा वापिस नहीं हो सकता है लेकिन आप रिटेलर के जरिये से कंज्युमर को सस्ती शूगर उपलब्ध करा सकते हैं। इस सम्बन्ध में भी

व्यवस्था करना नितांत आवश्यक है जो एक्सेस प्राईस वसूल की गई है उसके एवज में कंज्युमर को आप सस्ती शूगर दिलाने की व्यवस्था करें।

"अधिनियम की धारा ।।में, जिसमें भू-राजस्व की बकाया के रूप में अधिक वसूली की व्यवस्था है, यह उपबन्ध करने के लिए संशोधन किया जा रहा है कि अधिक वसूली पर ब्याज, जिस निधि में जमा करने की आवश्यकता है की भी वसूली उसी रीति से की जा सकती है।"

आप एक्सेस प्राईस के हिसाब से इन्ट्रेस्ट वसूल कर सकते हैं। यह ठीक है।

ये जो बातें मैंने आपसे निवेदन की हैं, मैं समझता हूं कि आप इन बातों पर गौर फरमायेंगे और जो एक्सेस प्राईस वसूल की जाती है, वह अल्टीमेटली कंज्युमर को वापस पहुंच सके और उसे सस्ती शूगर उपलब्ध हो सके, इसकी आप कोई व्यवस्था करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, मैं इस पर कुछ अधिक नहीं कहना चाहूंगा। यह जो संशोधन विधेयक है, इस पर बोलते हुए मैं सिर्फ एक बात की ओर सरकार का ध्यान खींचना चाहूंगा। यह बिल 1976 में पास हुआ था उसका यह संशोधित रूप आया है। सन् 1976 में एमर्जेंसी लागू थी। उस एमर्जेंसी से अब क्या लेना देना है। लेकिन मैं एक सवाल पर सरकार से बुनियादी जानकारी चाहूंगा।

ये बिल कौन लोग बनाते हैं ? बिल पास हो जाने के बाद मामला कोर्ट में चला जाता है और उसके बाद फिर सरकार को उसको संशोधित करना पड़ता है। मैं नहीं समझता कि कोई गांव का आदमी बैठकर बिल बनाता है। बिल लाने वाले सरकारी अफसर होते हैं जिनके ऊपर सरकार का काफी खर्चा होता है। फिर सरकार स्वयं भी बिल को पास करती है। तो ऐसा एक बिल नहीं है, हजारों बिल मिलेंगे जिनमें जानबूझ कर लूपहोल छोड़ दिये जाते हैं या जानबूझ कर कोई खराबी रख दी जाती है जो कि कभी वर्कर के इन्ट्रेस्ट में नहीं जाती है। वह चीज मालिक लोगों या बड़े-बड़े लोगों के इन्ट्रेस्ट में जाती है। जब मामला कोर्ट में चला जाता है तो सरकार फिर परेशान होकर पार्लियामेंट के सामने संशोधन विधेयक लाती है। इसलिए मेरा सरकार के सामने सुझाव है कि एक स्टेंडिंग कमेटी क्यों नहीं बनाई जाती जो इन कानूनी दाव-पेचों को देखे। इसलिए कोई इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे भविष्य में कंज्यूमर्स का नुकसान न हो। किसान को परेशानी न हो। कानून की आड़ लेकर बड़े-बड़े लोग फायदा न उठा सकें। भविष्य में कोई भी बिल लाया जाए तो बहुत सोच समझकर कानूनी बांध-पेचों को देखकर लाने की कोशिश की जाए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि जो गन्ना उत्पादक हैं, उत्तर प्रदेश में, बिहार में,

उनका मिल मालिकों पर काफी पैसा बकाया है। सरकार के बार-बार आश्वासन के बावजूद अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। जनता पार्टी की सरकार के समय किसी का एक पैसा भी बकाया नहीं रह गया था। अब चार वर्ष के अंदर ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो गई है।

श्री रामप्यारे पणिका (रावर्ट्सगंज) : आपके समय में तो गन्ना खेतों में जलाया गया था।

श्री रामविलास पासवान : आज कल तो लकड़ी का भाव गन्ने से चौगुना हो रहा है।

इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, बड़े लोगों द्वारा किसानों का शोषण नहीं होना चाहिए। आजाद साहब तो बहुत ही प्रोग्रेसिव विचारों के हैं। पिछली बार भी उन्होंने आश्वासन दिया था। हमें विश्वास है कि अब वे निश्चित रूप से किसानों की परेशानी को दूर करेंगे।

ज्यादा समय न लेते हुए मैं यही आग्रह करना चाहूंगा कि इस बीमारी का एक ही इलाज है "नेशनाइजेशन"। सरकार इसको अपने हाथ में ले। जब तक राष्ट्रीयकरण नहीं होगा तब तक बड़े लोगों से किसान को न्याय नहीं मिल सकता। सरकार के हाथ बंधे रहेंगे। इसलिए आम लोगों के हित में यही सबसे अच्छा उपाय है कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कीजिए। इससे कंज्यूमर्स का शोषण नहीं होगा और किसानों का शोषण नहीं होगा।

श्री बाबासाहिब बिखे पाटिल (कोपरगांव) : सभापति महोदय, अपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका अभारी हूं।

यह एक्ट 1966 में लाया गया और अब इसमें संशोधन किया जा रहा है। अभी तीन प्रकार से चीनी मिल चल रहे हैं। एक सरकारी क्षेत्र में हैं, एक निजी क्षेत्र में हैं और एक सहकारिता के आधार पर चलते हैं। इस तरह से अलग अलग राज्य में पेमेंट का तरीका अलग हो सकता है। इसी तरह से अनुभव भी अलग-अलग हो सकते हैं। इस साल चीनी के उत्पादन में भारी कमी आई है। हिन्दुस्तान के अन्दर 40 प्रतिशत चीनी का उत्पादन कम हुआ और विश्व में 6 प्रतिशत की कमी आई है। देश को चीनी का आयात करना पड़ा और अगले वर्ष भी 60 लाख टन से ज्यादा उत्पादन होने की संभावना नहीं है। देश में 1102 लाख टन का चीनी का स्टाक है। लेकिन मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि किसान को सही दाम मिलने चाहिए। आज कृषि मन्त्री जी ने जवाब दिया है कि आंध्र और महाराष्ट्र में गन्ना उत्पादन का खर्च कम से कम 15 रुपए प्रति क्विंटल है और महाराष्ट्र में कम से कम 15 रुपए गन्ने का दाम तय किया गया है। जब किसान को दाम कम मिलते हैं तो गन्ने की बुआई कम होती है। गए साल काफी बकाया था छठी पंचवर्षीय योजना से 60 करोड़ रुपए प्लान से भारत सरकार ने एडवांस दे दिए।

154 करोड़ रुपया अभी तक किसान का मिल मालिकों पर बकाया है। जब चीनी का उत्पादन कम है तो उसका असर मूल्यों पर भी पड़ता है। इसके साथ साथ अलकोहल इन्ड्रस्ट्रीज और कागज उद्योग भी इससे प्रभावित होते हैं और अन-एंप्लायमेंट का सवाल भी आ जाता है। जब दूसरे मुल्कों से चीनी आयात की जाती है तो उपभोक्ताओं को महंगे दामों पर देनी पड़ती है। इसलिए, मैं यह आग्रह कर रहा हूं कि लेवी चीनी के दाम ठीक रखे जाने चाहिए। जितना दाम बढ़ाया जाए, उतना ही किसानों को भी दिया जाना चाहिए। इस लिए चीनी मिलों को निर्देश दिए जाने चाहिए चाहे वह प्राईवेट सैक्टर में होया गवर्वमेंट अन्डरटेकिंग हो। चीनी के उत्पादन में हमारे देश का नम्बर पहला था। लेकिन अभी जो इन्टरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है, वह हमारे हित में नहीं हुआ है। पांच साल के लिए कम से कम चीनी उद्योग की नीति होनी चाहिए। हमने इस बिल का समर्थन किया है। जब लेवी चीनी के दाम कम हो गए सभी हाईकोर्ट में चले गये और स्टे-आर्डर ले आए। इस प्रकार उनको ज्यादा दाम प्राप्त करने की राहत मिली। मेरे ख्याल से हिन्दुस्तान में चीनी मिलों का कारोबार ठीक से नहीं हो रहा है। बकाया के बारे में इंटरेस्ट दिखाते हैं लेकिन इन्टरेस्ट नहीं देते हैं। एफण्ड इक्वेलाइजेशन के बारे में महाराष्ट्र का एक उदाहरण देना चाहता हूं। चीनी मिलों का दाम बनता है चालीस करोड़, लेकिन इन्टरेस्ट दिया जाता है 44 करोड़। इसके कारणों का पता नहीं है। मैं मन्त्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि जरा शान्ति से सोचे। किसानों को बकाया किस प्रकार से दिया जा सकता हैं, इस बारे में सोचना चाहिए। लेवी चीनी की जो यूनिफार्म पालिसी है, वह बहुत अच्छी है। हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में एक ही लेवी चीनी का प्राइस हो। लेवी चीनी 65 परसेंट होती है जबकि खुली चीनी 35 परमेंट होती है। जब हम ज्यादा रिलीज करते हैं तो बाजार मूल्य कम हो जाते हैं। इसकी वजह से किसानों को जितना दाम मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता है। सहकारी आन्दोलन से महाराष्ट्र और गुजरात में कभी भी चीनी का उत्पादन नहीं घटा। गन्ने के दाम ठीक मिलने के कारण यह हुआ है। कानून के हिसाब से जो कुछ होगा, वह ठीक ही होगा। मैं यह चाहता हूं कि कुछ ऐसा काम होना चाहिए जिससे किसान भी सन्तुष्ट हो और उपभोक्ता को भी राहत मिले कि हमारे लिए कुछ-न-कुछ हो रहा है। गन्ने के दाम कम होने से किसान व उपभोक्ता दोनों को कठिनाई होती है। जब हम लोग टर्म प्लानिंग करें तो किसानों के हित में अवश्य सोचें। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि लेवी प्राइस बढ़ाई जाए और किसानों को अधिक से अधिक गन्ने के दाम दिए जायें। इन शब्दों के शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

5.00 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, यों तो मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, लेकिन यह बात सत्य है कि विगत आठ वर्षों से सरकार ने एक्सेन वसूली की तरफ ध्यान

नहीं दिया। यदि पहले इस पर विचार किया गया होता तो इससे तीन वर्ग प्रभावित होते है। पहला गन्ना उत्पादक, दूसरा मजदूर और तीसरा उपभोक्ता, उन तीनों को भी अधिक वसूली और शोषण से बचाया जा सकता था। परन्तु सरकार को शायद पता ही नहीं लगता है। बल्कि मिल-मालिकों या एक्सप्लायट करने वालों की तरफ से पैरवी होने के बाद ही कानून में संशोधन किए जाते हैं। यदि चीनी मिलों के आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाया जाता, जिन पर ये चीनी मिलें खड़ी हैं, जिनके जरिए देश के करोड़ों लोगों की चीनी की आवश्यकता पूरी की जाती है तो वह जनता के हित में होता। लेकिन उन गन्ना उत्पादकों, मजदूरों और उपभोक्ताओं के हितों की तरफ कोई नहीं देखता, बल्कि उसके स्थान पर शोषक लोगों का हित देखा जाता है, जो समाज में कोढ़ की बीमारी की तरह हैं और लगातार शोषण करते जा रहे हैं। उनके ही चोर दरवाजे से पैरवी करवाने के बाद हम कुछ कार्यवाही करते हैं अब वसूलियां अधिक ब्याज लेकर की जाएगी।

जहां तक केन्द्रीय निधि या राजस्व से देने का प्रश्न है, यदि सारे देश में देखा जाए तो गन्ना उत्पादकों का काफी रुपया बकाया है, खासकर बिहार में ही 30 करोड़ रुपया बकाया है। इसके अलावा यू० पी० और अन्य प्रदेशों में भी है। सारी राशि लगभग 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बनती है जो कि अदा की जानी है और जिसके लिए गन्ना उत्पादक समय समय पर हंगामा मचाते रहते हैं। परन्तु उनकी बातों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। यदि उसके स्थान पर उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया। जाता, मिल ओनर जिस तरह अधिक तरह पैसा अधिक वसूल करते हैं, उस लाभांश में मजदूरों को भी शामिल किया जाता तो हम उनका हित कर सकते थे। परन्तु अब तक ऐसा कुछ नहीं दो पाया। उस विषय पर हमें विचार करना चाहिए और हमारी रियलिस्टिक एप्रोच होनी चाहिए। लेकिन किस खास कारण-वश या जैसा हमारे कुछ मित्रों ने भी कहा, आने वाले चुनावों को मद्देनजर रखते हुए भी कुछ निर्णय लिए जाते हैं। मन्त्री जी भी हंस रहे हैं, क्योंकि मैंने जो कुछ कहा वह सच्चाई पर आधारित है। यदि चीनी के बारे में देखा जाए तो वह हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, भले ही कुछ लोगों के लिए वह हानिकर हो या कुछ लोगों के लिए लाभप्रद हो। हमारे देश में 70 लाख टन चीनी की प्रति वर्ष आवश्यकता है। जैसा आपने बताया इस समय हमारे यहां स्टाक में लगभग 102 लाख टन चीनी जमा है तो आवश्यकता के हिसाब से भी वह ज्यादा है। लेकिन उसके बावजूद भी आप विदेशों से और चीनी मंगवाना चाहते मैं समझ नहीं पाया कि उसकी क्या जरूरत है और क्यों आप इम्पोर्ट करना चाहते हैं। यदि आप इम्पोर्ट भी करते हैं तो क्या बाजार में चीनी का भाव गिर जाएगा। हमारी गलत नीतियों का ही परिणाम है चीनी का दाम बढ़ता ही जा रहा है। लेवी शुगर और ओपन मार्केट में मिलने वाली शुगर के दामों के बीच में दो-ढाई रुपए का प्रति किलो अंतर है। उसके कारण सारे देश में चीनी का ब्लेक चलता है, अवैध व्यापार चलता है। चूंकि हमारे मित्र बीच-बीच में टोक रहे हैं, इसीलिए मैं उनकी बातों का उत्तर देना चाहता हूं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि हमारी

ड्एल पौलिसी के कारण ही, दोहरी नीति के कारण ही शुगर का हमारे देश में अवैध व्यावहार होता है और इस कारण हमारे देश के 70 करोड़ लोग प्रभावित हो रहे हैं और चीनी के लिए उनको अधिक दाम देने पड़ रहे है और उनको अधिक दाम देना पड़ रहा है और जितने मिल मालिक हैं वह फायदा उठा रहे हैं, विचौलिए, ब्लेक मार्केटियस, हार्डर्स फायदा उठा रहे हैं। उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है। इस कुव्यवस्था को आपको रोकना चहिए।

अभी समान दाम नीति आप कर रहे हैं, यह अच्छी बात है। लेकिन इसका आज जनता पर क्या असर पड़ता है यह भी आपको देखना चाहिए। हर जगह शुगर कोरपोरेशन्स बनी हुई हैं, वह सब खाली चोरी कर रही हैं। इनको यदि चोरकोरपोरेशन कहा जाय तो गलत न होगा। इनमें सुधार की ओर कोई ध्यान नहीं देता है। अभी जैसे 40 करोड़ बकाया है तो 44 करोड़ उस पर ब्याज ही लगाया जा रहा है। यह कैसी व्यवस्था है? क्या सरकार ने कभी इस ओर ध्यान दिया है?

अगर चीनी उत्पादन को बढ़ाना है और किसानों को उचित मूल्य भी देना है और उसका प्रतिदाय आप ठीक से वसूल करेंगे कि नहीं, इस बारे में क्या व्यवस्था है? यह सब कमियां हैं जिनको दूर करने के लिये सरकार को संशोधन करना चाहिए। केवल बड़े लोगों के फायदे के लिए ही संशोधन नहीं करना चाहिए। हमारी व्यवस्था से आम जनता को कितना लाभ मिलता है वही अच्छा होता है। मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि चीनी का जो घपला है और बाहर से जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, यह ब्वल कमीशन खाने का धन्धा है जिसमें ब्यूरोक्रेट कमीशन खा जाते हैं। हम भी ऐक्सपोर्ट करते हैं। तो यह सब गड़बड़ क्यों चल रही है? इसके पीछे क्या राजनीति है, समझ में नहीं आता। मन्त्री जी चूंकि बैठने के लिए कह रहे है, इसलिए में अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।

प्रो० सत्य देव सिंह (छपरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस लेवी चीनी समान कीमत संशोधन विधेयक, 1984 का समर्थन करता हूं और मन्त्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। माननीय राम विलास पासवान जी ने कहा कि विधेयक बनता है तो न्यायालय उसमें संशोधन करता है। इसलिए विशेषज्ञों की स्टेंडिंग कमेटी बननी चाहिये। मैं जहां तक समझता हूं विधेयक समय के अनुसार बनाये जाते हैं और समय की प्रगति के अनुसार संशोधन भी किया जाता है। मैं उनके विचार से सहमत हूं कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए क्योंकि चीनी मिल मालिकों द्वारा किसानों को बड़ा शोषण होता है। हमारे संसदीय क्षेत्र छपरा में एक सरहौरा चीनी मिल है जिस पर कई सालों का किसानों का पैसा बकाया है। कोई सामान बेचता है तो उसको अपने माल की कीमत मिलती है। लेकिन गन्ना उत्पादक उससे वंचित रहता है। किसान जब अपना गन्ना मिल में लेकर बैलगाड़ी पर जाता है तो 3, 4 दिन तक उसकी बैलगाड़ी फैक्ट्री के दरवाजे पर खड़ी रहती है, बाद में उनको पर्चा मिल जाता है जिसमें ब्लैक मैलिंग होती है जिससे किसानों को बड़ी परेशानी होती है। इसलिये प्रदेश सरकार पर आप अपना प्रभाव डालें ताकि किसानों को

यह परेशानी न हो। और जब वह अपनी ईख मिल में दें तो तत्काल पैसा उनको मिल जाए। जिससे वह अपने भरण-पोषण की व्यवस्था कर सकें और अपने जीवन-यापन के साधनों का समुचित उपयोग समय पर कर सकें।

मढौरा की रेल लाइन छोटी लाइन थी वह बिक गई है। हमारे संसदीय क्षेत्र में एकमात्र मढ़ौरा चीनी मिल है, उसके चले जाने के बाद अपार जनता को असुविधा होगी। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस संकट से हमारे क्षेत्र के लोगों को बचावें।

मेरे भाई श्री आर० एल० पी० वर्मा ने कहा कि विदेशों से चीनी का आयतन होता है और इसमें कमीशन की व्यवस्था होती है। मैं नहीं समझता कि यह सन्देह उनके मन में क्यों है? जब किसी सामान का अभाव होता है तो सरकार सोचती है कि नागरिकों की समस्या को दूर करने के लिए अगर विदेशों से सामान आयात करना पड़े तो वह कर के इस प्रकार से देश के संकट को दूर करे। माननीय सदस्य कहते हैं कि पूंजीपतियों के हित में संशोधन किया जा रहा है। मैं नहीं कह सकता कि यह बात कहां तक सही है, लेकिन आमतौर पर जनता के मन में यह धारणा है कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि जनसंघ का परिवर्तित और परिवर्द्धित रूप है, पूंजीपतियों की पार्टी है और जनता का ये शोषण करते हैं यह कैसे किसी दूसरे पर आरोप लगाते हैं?

हमारी कांग्रेस (आई) की पार्टी प्रगतिशील है। उस पर इस प्रकार का आरोप लगाना कम-से-कम उनके लिये शोभा नहीं देता, जिनके लिये सामान्य रूप से सर्वविदित है कि यह पूंजीपतियों के हामी हैं, उनके ठेकेदार हैं। इस तरह का आरोप माननीय सदस्य के मुंह से हास्यास्पद लगता है।

मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि मढ़ौरा चीनी मिल की आज जो दुर्दशा है, किसानों का पैसा बाकी है, मजदूरों को वेतन नहीं मिलता है, वहां की रेल पटरी उखाड़ दी गई है, जमीन बेचे जाने की व्यवस्था हो रही है, इस तरह से यह चीनी मिल समाप्त होने के बाद भारी संकट इस उद्योग में आयेगा, मंत्री महोदय इसको बचाने की कृपा करें।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं।

*श्री एम० कंडास्वामी (तिरुचेंगोडे) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से लेवी चीनी समान कीमत निधि अधिनियम, 1946 में संशोधन करने वाले विधेयक के संबंध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। सर्वप्रथम, 1976 में पारित मूल अधिनियम की कमियों को दूर करने में सरकार को आठ वर्ष लग गये। दूसरे, इस विधेयक को संशोधित करके, 'लेवी चीनी' की जो परिभाषा लेवी चीनी सप्लाई (नियंत्रण) आदेश, 1972 में दी गई है, को स्वत: पूर्ण बनाया जा रहा है। मुझे ताज्जुब है क्या सरकार को इसके लिए 12 वर्ष चाहिए।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

किसी भी व्यक्ति को संदेह होता है कि क्या सरकार को 'लेवी चीनी' को उचित ढंग से परिमाणित करने में 12 वर्ष के विलम्ब से कोई फायदा हुआ है।

किन्तु यह निश्चित है कि इस विलम्ब से उपभोक्ताओं तथा गन्ना उत्पादकों का शोषण हुआ है। मूल अधिनियम में सरकार द्वारा कमियों एवं खामियों को दूर करने में वे अत्यधिक विलम्ब के शिकार बन गये। इसी बीच चीनी का उत्पादन भी अत्यधिक कम हुआ है। पिछले वर्ष चीनी का उत्पादन 82 लाख टन था और इस वर्ष यह 48 लाख टन रह गया है। चीनी उत्पादन में कमी का मूल कारण है गन्ना उत्पादकों को उचित लाभप्रद मूल्य न प्राप्त होना। जब उन्हें लाभप्रद मूल्य प्राप्त नहीं होते हैं और जब चीनी मिल मालिक उन्हें समय पर बकाया राशि नहीं देते हैं, तो स्वाभाविक ही है कि वे गन्ना उत्पादन की इच्छा नहीं रखते हैं। जब गन्ना उत्पादन में गिरावट होती है तो इसका प्रभाव चीनी उत्पादन पर होता है। सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम चीनी का निर्यात करने में समर्थ नहीं हैं अपितु हमें स्थानीय आवश्यकया की पूर्ति करने के लिए चीनी का आयात करना पड़ता है।

तमिलनाडु में गन्ना उत्पादकों को सिर्फ 165 रुपए प्रति टन मिल रहा है। इसे बढ़ाकर कम से कम 250 रुपए प्रति टन कर देना चाहिए। तमिलनाडु में चीनी मिल मालिक सत्ता दल के साथ मिले हुए हैं और गन्ना उत्पादकों पर अन्याय हो रहा है।

**...मैंने इसका उल्लेख किया क्योंकि तमिलनाडु में ऐसा हुआ है। और गन्ना उत्पादकों पर अन्याय हुआ है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : महोदय, वह आरोप लगा रहे हैं**...

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कंडा स्वामी, जब आप आरोप लगाते हैं तो आपको इसे लिखित रूप में मुझे देना चाहिए और तभी आप आरोप लगा सकते हैं। खैर, मैं कार्यवाही वृतान्त को पढ़ूंगा और देखूंगा कि आपने क्या कहा था।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सिर्फ नियमों को उद्धृत कर रहा हूं। अगर कोई भी आरोप लगाना है तो आपको इसे लिखित में देना होगा। मै कार्यवाही वृतान्त को देखूंगा और अगर यह नियमानुसार है तो मैं इजाजत दूंगा। इस सदन में कोई भी आरोप नहीं लगाया जा सकता जब तक कि आप उसे लिखित रूप में न दें।

श्री एम० कंडा स्वामी : मैंने कहा कि गन्ना उत्पादकों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। सरकार ने गन्ना-उत्पादकों के लिये लाभकारी मूल्य निश्चित नहीं किए हैं। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि गन्ना उत्पादकों को उचित मूल्य मिलना चाहिए।

**कार्यवाही—वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने आरोप लगाया है। इसलिये, मैं कहता हूं कि मैं कार्यवाही वृतान्त को पढ़ूंगा। आप अध्यक्ष महोदय को लिखित में दिए बिना आरोप नहीं लगा सकते।

श्री एम० कंडा स्वामी : मुझे मालूम हुआ है कि वर्तमान में मौजूदा चीनी का भण्डार सिर्फ दो महीने में खत्म हो जायेगा। मैं नहीं जानता चीनी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार क्या करना चाहती है। अगर यह सुनिश्चित कर दिया जाए कि गन्ना उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाया जाएगा तो गन्ना उत्पादन में कमी नहीं आयेगी। वर्तमान में चीनी मिल मालिक गन्ना उत्पादकों तथा आम व्यक्ति दोनों से ही लाभ उठाते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि चीनी उत्पादन में और अधिक गिरावट न आए, केन्द्र सरकार को तुरन्त ही देश की सभी चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। तभी गन्ना उत्पादक तथा आम व्यक्तियों को न्याय मिल सकेगा। यदि केन्द्र सरकार देश के सभी चीनी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करे तो मेरा दल द्रविड़ मुनेत्र कषगम इसका पूरा-पूरा समर्थन करेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने जो लेवी चीनी समान कीमत निधि अधिनियम, 1976 में संशोधन करने वाला विधेयक पेश किया है उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह जो बिल पेश हुआ है उसमें हमको कुछ भ्रम हो रहा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसका निवारण करें। इसका मतलब शायद यह है कि समूचे देश में लेवी चीनी का मूल्य एक समान हो। लेकिन समूचे देश में, दक्षिण भारत में जो चीनी मिले हैं और उत्तर भारत में जो चीनी मिलें हैं दोनों में बड़ा अन्तर है। दक्षिण भारत में रिकवरी 12-13 परसेंट तक होती है और वहां की उपज भी उत्तर भारत की गन्ने की उपज से बहुत अधिक है। उत्तर भारत में हालत यह है कि नौ दस परसेंट से अधिक रिकवरी कभी नहीं हुई। तो जहां एक तरफ नौ दस परसेंट रिकवरी होगी और दूसरी तरफ दूसरे प्रदेशों में 12-13 परसेंट रिकवरी होगी, दोनों में बहुत अन्तर पड़ जाता है। दक्षिण भारत के जो गन्ना किसान हैं उनकी लागत के कम्पेरिजन में उत्तर भारत में लागत भी अधिक है। उत्तर भारत में उपज भी कम है, लागत अधिक है और रिकवरी कम है। मैं समझता हूं कि अगर यह स्थिति रही तो क्या उत्तर भारत की चीनी मिलें रह पाएंगी ? मैं समझता हूं आज उत्तरप्रदेश और बिहार की चीनी मिलों की हालत जर्जर हो चुकी है और जो मौजूदा स्थिति हैं और जो नियम हैं उनके रहते इस बात का डर है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की चीनी मिलें रहें ही नहीं। केवल उत्तर प्रदेश में 98 करोड़ रुपए गन्ना किसानों के बकाया है और शायद 45 करोड़ बिहार में बकाया है। दूसरी ओर दक्षिण भारत में जो बकाया होगा वह नहीं के बराबर होगा। अभी मेरे मित्र ने चीनी मिलों का विश्लेषण करते हुए बताया था कि दक्षिण भारत की चीनी मिलें अधिकांश रूप में कोआपरेटिव बेसिस पर चलती हैं, उनके बैलेंस-शीट बनते हैं और जो नफा होता है वह किसानों और मजदूरों में बांटा

जाता है लेकिन उत्तर भारत में ठीक इसके विपरीत स्थिति है। मन्त्री जी कृपया स्पष्टीकरण देने की कृपा करेंगे कि मैंने जो अन्तर उत्तर भारत और दक्षिण भारत का बताया है उसके ऊपर कोई ध्यान दिया जायेगा ? यदि नहीं तो उत्तर भारत की चीनी मिलें सदा के लिए समाप्त हो जायेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो नियम बन रहा है, इससे पहले भी कुछ नियम बने हैं। केन्द्र की ओर से एक यह भी नियम बना हुआ है कि किसान जो गन्ना सप्लाई करे उसका पेमेन्ट यदि 15 दिन में न कर दिया जाए तो उस पर किसान को इन्ट्रेस्ट दिया जायेगा। लेकिन तीन साल हो गए अरबों रूपया किसानों के बकाया हैं, क्या कहीं पर उस रूल का पालन किया गया है ? इन तीन सालों में खास तौर से उत्तर भारत के गन्ना किसान तो तबाह हो गए हैं। उनके घर में पर्चियां रखी हैं लेकिन वे शादी-ब्याह करने के लिए तरस रहे हैं। वे अपने लड़कों की फीस भी नहीं दे पाते हैं। आपका कानून तो है लेकिन क्या उस पर अमल किया गया है ? हमारे पास भी दस-बीस हजार की पर्चियां पड़ी हुई हैं। हमारे ऊपर जो कोआपरेटिव का बकाया है वह वसूल किया जाता है, मालगुजारी भी वसूल होती है, जितना भी किसानों पर देय है उसकी वसूली की जाती है और न देने पर उसको हवालात में भी बन्द कर दिया जाता है लेकिन हमारे गन्ने के बकाए के लिए कोई भी माई-बाप नहीं है जो कानून है उस पर यदि अमल किया जाता तो किसानों को दाम मिल जाता लेकिन वह नहीं हुआ।

अभी हमारे भाई ने शंका प्रकट की कि अगले साल कम गन्ना होगा। मैं स्वयं किसान हूं, मैं बताना चाहता हूं कि पिछले साल किसानों को अच्छी गन्ने की कीमत मिली थी और 80 लाख टन चीनी का उत्पादन भी हुआ था लेकिन पारसाल अरबों रुपया किसानों का बकाया रहा। हम उत्तर प्रदेश के तमाम एम पीज इन्दिरा जी के पास गए थे और उनसे अनुनय विनय की थी तो सेन्टर की तरफ से स्टेट गवर्नमेन्टस को लोन दिया गया जिससे काफी बकाया बेबाक किया गया परन्तु फिर भी बहुत बकाया रह गया था। इस साल भी वही हालात है। अगर किसान को गन्ने का दाम नहीं मिलेगा तो वह गन्ना क्यों बोयेगा ? यह सही है कि इस साल कम चीनी पैदा हुई और भविष्य में और भी कम चीनी का उत्पादन होगा। यह बात सत्य है। मैं समझता हूं गन्ने की नीति ही दूषित है। यदि 100 क्वींटल चीनी पैदा होती है तो उसमें से 65 क्वींटल चीनी लेवी में ले ली जाती है और मिल मालिक के पास 35 क्वींटल चीनी बचती है। लेकिन आश्चर्य है कि जो किसान गन्ना पैदा करता है उसको कन्ट्रोल के दाम पर चीनी नसीब नहीं होती है। क्या यह किसान के साथ अन्याय नहीं है कि उसको गन्ने का दाम भी न मिले और कन्ट्रोल रेट पर चीनी भी न मिले ? हम गन्ने की खेती करते हैं, उसमें हमारा हक नहीं रहता है। क्या यह जरूरी नहीं है कि इस कानून में अमेंडमेंट किया जाए कि गन्ना बोने वाले किसान को भी रिटेल दाम पर चीनी मिले। शादी ब्याह में किसान को फ्री-कन्ट्रोल की चीनी खरीदनी पड़ती है, जबकि 20 हजार की पर्ची गन्ने की किसान के पास होती है। उधर मिल-मालिक 35 प्रतिशत चीनी मनमाने दामों पर

बेचता है। आप कह सकते हैं कि हमारी वितरण प्रणाली में दोष है। शहर के लोगों को ही इस प्रणाली से चीनी मिलती है, लेकिन देहात के लोगों को चीनी नहीं मिलती है। मैं कहना चाहता हूं सुयोग्य हाथों में यह विभाग सौंपा गया है, इसलिए मंत्री जी को ठोस कार्यवाही करनी चाहिए। उत्तर भारत में कई तरह की चीनी मिलें। को-आपरेटिव सैक्टर में हैं सैन्ट्रल सैक्टर में हैं, कारपोरेशन की हैं, कुछ राज्य सरकारों की हैं तथा 36 मिलें प्राइवेट सैक्टर में है। सबकी रिकवरीज में अन्तर हैं। किसी की 8.5 है, किसी की नौ है और किसी की पौने नौ है। इसकी वजह से सारी छोटी फैक्ट्री बैठ जायेंगी। इसे ओर मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए।

हमारे मित्र राष्ट्रीयकरण की बात कह रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारी सरकार कब राष्ट्रीयकरण करेगी ? जब मिल की हालत जर्जर हो जायगी, तो मिल को ले लिया जायगा मैं कहता हूं कि अगर राष्ट्रीयकरण करना है, तो सरकार को तुरन्त कदम उठाने चाहिए। इन शब्दों के साथ पुनः मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे उत्तर प्रदेश, बिहार के किसानों का जो अरबों रुपया बकाया है, उसको वे दिलवा दें, ताकि किसानों को राहत मिल सके। पिछले साल भी स्टेटगवर्नमेंट ने 27 करोड़ रु० की छूट दी है और इस साल भी छूट दे रही है। यह घाटे का सौदा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उत्तर भारत और दक्षिण भारत की चीनी मिलों में समन्वय स्थापित करना चाहिए, ताकि उत्तर भारत की चीनी और दक्षिण भारत की चीनी एक मूल्य पर मिल सके। आज उत्तर भारत की चीनी मिलें घाटे में जा रही हैं आप कोई ऐसा पुल बनाइए, शासन से उनको अनुदान दीजिए, जिससे हमारी उत्तर भारत की चीनी मिलें बरकार रह सकें। यदि उत्तर भारत की चीनी मिलें बरकरार नहीं रहेंगी तो हालत पहले ही खराब है, और खराब हो जायगी। इस ओर भी मंत्री जी का ध्यान जाना बहुत ही जरूरी है।

अंत में मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जब मैं यहां से जाऊंगा तो आपकी तरह से एनाउन्स होगा और मैं पेपर में मोटे कालम में पढ़ूंगा कि आजाद जी ने एनाउन्स किया है कि उत्तर भारत में किसानों के गन्ने का जो बकाया है, वह दस-बीस दिन में मिल जाएगा। इस उम्मीद के साथ मैं पुनः इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री पीताम्बर सिंह (बेतिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस बिल को पढ़ा है और समझने की कोशिश की है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि माननीय मंत्री महोदय को न किसानों की चिन्ता है, इन गन्ना उत्पादकों की चिन्ता है और न उपभोक्ताओं की कोई चिन्ता है, लेकिन अगर कोई चिन्ता है, तो लैवी प्राइस इक्वेलाइजेशन कोष में पैसा आ जाए। इसके अलावा इस बिल में कोई और मंशा नहीं है। इस सिलसिले में आपने यह व्यवस्था रखी है कि जो अतिरिक्त मूल्य चीनी उत्पादकों ने वसूल किया है, यदि दो महीने में जमा कर देगें तो उसे साढ़े-बारह सूद यह बात मेरी समझ में आती है। देखने में तो ऐसा लगता है कि आपका उद्देश्य देर से देने में थोड़ा दण्ड देने का है जो उचित भी है, लेकिन जो सबसे अनुचित बात इसकी खेती के सम्बन्ध में है वह यह है कि चीनी की पैदावार पिछले वर्ष 84 लाख 32 हजार टन हुई, इस वर्ष 82 लाख टन हुई और अगले वर्ष में 60 लाख टन होने जा रही है और उसके बाद देश में

चीनी का भयानक संकट आने वाला है। सरकार ने किसानों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया है, चीनी उद्योग ने जिस तरह का व्यवहार किसानों के साथ किया है, उस किसान विरोधी नीति, धांधली और अत्याचार का यह नतीजा है कि एक साल बाद देश के सामने चीनी का अभाव मुंह बाये खड़ा है। किसान को इतनी मुसीबत झेलने के बाद भी उसको सजा मिलनी ही है और उसके साथ सरकार और समाज को भी सजा उठानी पड़ेगी।

आज स्थिति यह है कि उत्पादक इतनी मुसीबत झेलने के बाद गन्ना पैदा करता है, उसके बाद बिना पैसा दिये उसे पुर्जी नहीं मिलती, उसके बाद मिलों में गन्ने की आपूर्ति करनी है, परन्तु आपूर्ति के बाद रसीद लिये इस उम्मीद से बैठा रहता है कि उसको पैसा मिलेगा, लेकिन वह पैसा उसे नहीं मिल रहा है। अभी आपने सुना कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का 95 करोड़ रुपया बकाया है, हमारे बिहार में भी 26 करोड़ रुपया बकाया है। इसमें चम्पारन में, जहां 9 चीनी मिलें हैं, 90 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है, बल्कि 1982-83 का भी बकाया है। मुख्यतः बकाया लौरिया चनवारी सुगौली, चकिया और बगहा मिलों के यहां अधिक है।

अभी एक चर्चा बिहार के सीवान जिले के सदस्य ने की थी, वहां तीन शुगर फैक्ट्रीज हैं, पहले चार थीं लेकिन अंग्रेजी राज के जाते-जाते एक बन्द हो गई थी, पिछले सालों में पंयरुखी, एस० के० और न्यू सीवान ये तीनों फैक्ट्रीज भी बन्द हो गई और बिहार के सीवान जिले के किसानों को उत्तर प्रदेश की मिलों को गन्ना पहुंचाने की आज्ञा बड़ी मुश्किल से मिली, उसके बाद पिछले साल का बकाया और इस साल का बकाया पैयरुखी में उनको अभी तक नहीं मिला है। यह इस सरकार की सफलता का प्रमाण है। देश के किसानों ने उपज बढ़ाकर देश के चीनी संकट को दूर किया, न केवल देश की जरूरत को पूरा किया बल्कि विदेशों में भेजकर विदेशी मुद्रा का अर्जन किया, लेकिन अभी भी उसको पैसा नहीं मिला।तो 10 साल का न केवल गन्ना किसानों बल्कि मिल-मजदूरों का भी वेतन आदि का बकाया है दो दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा कि सरकार ने साढ़े-तीन लाख टन चीनी बाहर से मंगाई है। मेरे जैसे किसान को, जो चीनी मिलों के इलाके का है, इस खबर को पढ़कर बहुत तकलीफ हुई। आपके पास चीनी का इतना स्टाक था कि अगले साल तक खर्च चलाने के लिये कोई संकट नहीं था। आपके यहां कल तक भण्डारन का भयानक अभाव था, पूंजी का अभाव था, आप बफर स्टाक बनाने में असमर्थ थे, कितनी कठिनाइयों से अपने थोड़ा बफर-स्टाक बढ़ाने का प्रयास किया, भण्डारन को बढ़ाने का प्रयास किया, चीनी की आपके यहां कोई कमी नहीं थी, फिर भी आपने विदेशों से चीनी मंगाई। आपने देश की विदेशी मुद्रा को बरबाद किया, मेरी दृष्टि में यह किसानों के लिये ही नहीं, बल्कि देश के लिये भी राष्ट्र-विरोधी काम है। जो साढ़े तीन लाख टन चीनी मंगाई गई है, इसे मैं बहुत ही तकलीफदेह घटना मानता हूं। इस देश में बाहर से चीनी मंगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर सही नीति अपनाई जाए तो इस देश में जरूरत के लायक चीनी उपलब्ध हो सकती है। यह काम किसान-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी है। अगर सरकार अपनी नीतियों में संशोधन और सुधार करने को तैयार हो तो चीनी की कमी को पूरा किया जा सकता है और किसान पैदावार बढ़ाने में सहयोग करने के लिए

तैयार हैं इसके लिए गन्ना उत्पादकों को लाभकारी मूल्य और गन्ना किसानों को गन्ने की कीमत बिक्री केन्द्रों को आपूर्ति समय से ही भुगतान करनी होगी।

जब कांग्रेस दो टुकड़ों में बंटी थी तो उसमें से एक कांग्रेस जो कि सत्ता में है ने बम्बई में प्रस्ताव पास किया था कि हम चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करेंगे क्योंकि चीनी का सवाल मजदूरों का सवाल है, गन्ना-उत्पादकों का सवाल है और चीनी उपभोक्ताओं का सवाल है। यह सवाल बिना चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किये हल नहीं हो सकता है। इस देश में चीनी उद्योग के संकट को दूर करने लिए इसका राष्ट्रीयकरण किया जाना ही एक समाधान है। उसके बाद एक कमीशन बहाल हुआ था। उस कमीशन ने केवल एक के बहुमत से चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हैं। मैंने उस कमीशन की रिपोर्ट देखी है। उसको देखने के बाद ही मैं यह सब कह रहा हूं कि राय नहीं दी लेकिन उसने जितने भी तर्क दिये वे सभी राष्ट्रीयकरण के पक्ष में इस उद्योग में बिना राष्ट्रीयकरण किये कोई सुधार नहीं हो सकता है।

आज बिहार की स्थिति यह है कि वहां के गन्ना किसानों का 26 करोड़ रुपया बकाया है। अभी तीन करोड़ रुपये का भुगतान कारपोरेशन के द्वारा किया जा रहा है। बिहार सरकार ने भारत सरकार से बीस करोड़ रुपये के मीडियम टर्म लोन की मांग की है, इस उद्योग को संकट से उबारने के लिए। अगर बिहार में इस उद्योग को जिंदा रखना है तो भारत सरकार 20 करोड़ रुपया बिहार को दे जिससे बिहार के गन्ना उत्पादकों का बकाया भुगतान किया जाए।

दूसरी तरफ किसान बाढ़ से परेशान हैं। चम्पारण में एक-तिहाई फसल बाढ़ से बर्बाद हो गई है। बिहार के 50 हजार लोग उत्तरप्रदेश की सीमा पर मधुबनी, ठकरास, बेरिया और नक्तन अंचलों के खड़े हैं। रिलीफ के लिए हैं, वह भी उनको नसीब नहीं है। ऐसी स्थिति में बिहार का जो 26 करोड़ रुपया बकाया है और उसमें से चम्पारण का 11 करोड़ रुपया है, उसको दिलाने का मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूं। वे इसको यथा शीघ्र दिलाएं। उसके बिना इस स्थिति में सुधार नहीं आ सकता है। आगे अगर आपको चीनी की पैदावार बढ़ानी है, सारे को अगर चीनी के मामले में आपको आत्म-निर्भर रखना है तो इस समस्या का आपको समाधान करना होगा। अन्यथा देश में भारी संकट आने वाला है। इस देश को इस संकट से बचाने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि गन्ना-उत्पादकों के साथ जो सुलूक भारत सरकार, राज्य सरकारों का हो रहा है और उनके बकाया के भुगतान के सवाल पर हो रहा है वह न हो। इसके चलते यह संकट दूर होने वाला नहीं है।

जनता पार्टी के शासन के समय, 1978 में भारत सरकार ने किसानों की बकाया के बारे में एक्जोंक्युटिव आर्डर जारी किये थे कि किसानों को स्टेच्युटरी प्राइस पर उनका जो भुगतान चीनी मिलों को करना है उस पर सूद भी दिया जाए। जब मिल वाले किसानों को अपना पैसा देते

हैं तो उस पर 16 से 18 परसेट तक का सूद लेते हैं। करोड़ों रुपया किसानों का चीनी मिलों पर महीनों से नहीं, सालों से बकाया है। उस पर किसानों को सूद नहीं दिया जाता है। उनके रुपये पर भी सूद चढ़ता है, जिस तरह से मिल-मालिकों के रुपये पर चढ़ता है। करोड़ों रुपये पर किसानों को एक पैसा सूद नहीं दिया जाता है। जब मिल- मालिक अपने पैसे पर 16 से 18 परसेंट तक सूद वसूल कर रहे हैं तो किसानों को भी उनकी बकाया पर सूद मिलना चाहिए। मैं आग्रह करूंगा कि मंत्री जी इस बात का एलान करें और इस सदन के माध्यम से किसानों को आश्वस्त करें कि बिरला की मिलों या अन्य सेठों की मिलों को भी किसानों की बकाया पर सूद देना पड़ेगा। किसानों के दिल में सूद न मिलने का बहुत बड़ा दर्द है। जिस दर्द को मैं महसूस कर आया हूं, अपने इलाके में किसानों की जिस मुसीबत को देख-कर आया हूं, उससे मुझे मजबूर होना पड़ रहा है कि मैं इन कड़े शब्दों का प्रयोग करके मंत्री महोदय का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करूंगा।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्स गंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन विधेयक का हार्दिक समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं कहूंगा। कोई ज्यादा परिवर्तन इसमें नहीं होने जा रहा है और आमतौर पर सभी लोगों ने इसका समर्थन किया है। मैं दो तीन बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

चीनी उद्योग के साथ कुछ इस तरह की बात है कि हर दो वर्ष में कुछ उतार-चढ़ाव आता रहता है। इसका एक ही कारण है कि जिस साल गन्ने का उत्पादन कम होता है, उस वर्ष किसान को अच्छी कीमत मिल जाती है और समय पर मिल जाती है। इसको देखकर वह गन्ने का उत्पा-दन बढ़ा लेता है। नतीजा यह होता है कि उत्पादन अधिक होने की वजह से उसको फिर समय पर कीमत नहीं मिल पाती और कम कीमत मिलती है। आप पिछले तीस वर्षों का इतिहास उठा-कर देखेंगे तो यही तथ्य आप पायेंगे। जनता सरकार के समय तो वह हालात थी कि 6 रुपए प्रति क्विंटल पर भी कोई गन्ना लेने को तैयार नहीं था और बाकी जगहों का तो मैं नहीं कह सकता लेकिन उत्तरप्रदेश के पश्चिमी जिलों में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ना खेतों में जलाना पड़ा था। जनता सरकार तो समाप्त हो गई लेकिन चीनी का अभाव उत्पादन हो गया जिसका दोषारोपण हम पर किया गया लेकिन मैं अपनी सरकार को और खासकर मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : उस वक्त एक बोरी चीनी भी इंपोर्ट नहीं की गई थी।

श्री राम प्यारे पनिका : आप तो स्वयं जनता सरकार की गलत नीतियों के कारण कांग्रेस में आ गए थे। 80 में चुनाव जीतकर फिर उधर चले गए थे। आप तो अवसरवादी हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार : आपको गलत फहमी है। मैं बहुगुणा जी के साथ आया था

और उन्हीं के साथ वापिस आया हूं।

श्री रामप्यारे पनिका : हमारे शासन काल में हर क्षेत्र में सुधार आया है। हमें 1980 में जो जर्जरित अर्थ व्यवस्था मिली थी उसको हमने काफी सुधारा है। गन्ने का 15 करोड़ टन रिकार्ड उत्पादन किया है। उद्योगों को आगे बढ़ाया है। जहां तक खाद्य विभाग का संबंध है, इसके लिए मैं मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी समझ बूझ से काम लिया है। सीमेंट के बारे में भी दोहरी मूल्य नीति अपना कर उस पर होने वाली चोर बाजारी को समाप्त किया है। इसका परिणाम अच्छा हुआ है।

इन सब के बावजूद हम दो तीन बातों की अपेक्षा मन्त्री महोदय से करते हैं। एक तो संतुलन की बहुत आवश्यकता है। इस साल अगर गन्ने की कीमत 12 रुपए है तो अगले साल बाकी चीजों की कीमत जिस अनुपात में बढ़ती है, उसी अनुपात में गन्ने की कीमत भी बढ़ाई जानी चाहिए। पिछले साल यह बात सही है और हम इसके लिए सरकार के आभारी हैं कि भारत सरकार और वित्त मंत्रालय में बड़ा प्रयास करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को लोन दिलाया गया और वहां पर गन्ने की कीमत का भुगतान किया जा सका। यही हाल बिहार का है। इस साल भी हम बकाया नहीं दे पा रहे हैं। इसका नतीजा क्या हुआ। पिछले साल जहां 80 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था, वहां आज 57-69 लाख टन हो गया है। आज हम लोगों के रहन-सहन का स्तर बढ़ा है। इसका नतीजा यह है कि जो खपत 60 लाख टन थी, वह अब बढ़कर 80 लाख टन होने जा रही है। यह इस बात का सुबूत है कि देशवासियों का रहन-सहन बढ़ा है। साढ़े तीन लाख टन चीनी का आयात किया गया। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। यह मन्त्री महोदय की दूरदर्शिता है। अगर किसी चीज की कमी का अंदेशा है तो बाहर से मंहगाई जानी चाहिए। लेकिन हमें इस समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए। हर क्षेत्र में हमने उन्नति की है। चावल के क्षेत्र में, गेहूं, तिलहन, दलहन, सब क्षेत्रों में हम आगे बढ़े हैं तो क्या कारण है कि गन्ने उत्पादन कम है। गन्ने का उत्पादन कम होने के तीन चार कारण हैं। सेन्टर से अच्छा पैसा मिलता है तो प्रदेश की ओर से नहीं मिल पाता। इससे असंतोष पैदा हो जाता है। सरकारी मिलों पर किसानों का जो बकाया रहता है, वह ठीक से नहीं मिल पाता है। जब हम कहते हैं कि एडजस्ट कीजिए तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता है। जिस रूप में कीमत दी जाती है, उससे बड़ी परेशानी हो जाती है। एक कानून पास हुआ है कि 12 दिन से अधिक किसानों का बकाया हो जाए तो मिल-मालिक मार्किट रेट पर इन्टरेस्ट देगा। काफी शोर-गुल के बाद भी वह नहीं दिया जाता। मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी राज्य सरकारों को सख्ती से लिखें कि वह कानून का पालन करें। इससे गन्ना उत्पादकों में जो असंतोष है, वह दूर हो सकेगा। राष्ट्रीयकरण का निर्णय तो कई बार हुआ है। अगर, हम राष्ट्रीयकरण नहीं चाहें तो राष्ट्रीयकरण जैसा व्यवहार होना चाहिए। .....(**व्यवधान**) आज हमको मिलों की संख्या बढ़ानी है। मैंने जब मिर्जापुर का दौरा किया तो किसानों ने अपनी दुखद कहानी सुनाई। मैं चाहूंगा कि चीनी मिलों को सेन्ट्रल सैक्टर में अवश्य खोलें और किसानों के हितों का ध्यान रखें। दूर स्थानों पर जाकर किसानों को अपना गन्ना बेचना

पड़ता है। गन्ना किसानों को गन्ने की परची लेने में भी पैसा देना पड़ता है। आज जरूरत इस बात की है कि इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक कम्प्रीहेन्सिव बिल लाए। चीनी मिल के जो मजदूर हैं उनका ध्यान रखने के लिए और उपभोक्ताओं के हित में लेवी का ध्यान रखने के लिए, हमारी सरकार बधाई की पात्र है। बड़े-बड़े लोग तो लेवी चीनी की परवाह नहीं करते हैं। लेकिन, जो गरीब, हरिजन और मजदूर लोग हैं, उनको लेवी चीनी नहीं मिल रही। हमारे यहां जो वितरण व्यवस्था है, उसको भी दुरूस्त किया जाना चाहिए। शहर के लोगों को तो कार्ड पर चीनी मिल जाती है लेकिन दूर-दराज के लोगों को नहीं मिल पाती है। मैं, जब बनारस गया तो मुझे लोगों ने बताया कि ईद के समय उनको चीनी नहीं मिली। एक गांव में पता चला कि एक दुकानदार को पांच बोरी चीनी मिली थी। उसने एक ही गांव बांट दी और बाकी ब्लैक कर दी। इन्डीविजुअल यूनिट के हिसाब से चीनी बटे, इसकी आप व्यवस्था करें। मैं जानता हूं कि आपकी लिमिटेशन्स क्या हैं ? आपका स्टेट गवर्नमेंट्स पर कंट्रोल नहीं है। लेकिन आप कोई न कोई ऐसी व्यवस्था अवश्य करें जिससे राशन में मिलने वाली चीनी का सही तरीके से वितरण हो सके, उसकी वितरण की उचित व्यवस्था हो। वैसे आपने प्रयास तो काफी किए हैं, काफी दुकानों की संख्या आपने बढ़ाई है, फिर भी हम व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि जितनी आवश्यकता हमारे यहां है, उसके हिसाब से चीनी मिलें खोली जाएं और एक मिल मेरी कान्सटीटूएंसी मिर्जापुर में भी खोली जाए जहां के लोग बहुत परेशानी अनुभव कर रहे हैं और उनको राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष जी, अब मैंने इस बिल के उद्देश्य और कारणों को पढ़ा तो मुझे लगा कि उसमें उद्देश्य और कारणों को स्पष्ट नहीं किया गया है, बल्कि सिर्फ हैडिंग दिया हुआ है। ऑब्जैक्टस एण्ड रीजन्स। जब कभी कोई बिल पेश किया जाता है तो उसको पेश करते हुए लिखा जाता है कि इसके अन्तर्गत निम्न धाराओं में संशोधन किए जाने का प्रावधान है। उस प्रकार की बात इसमें नहीं कही गई है, आप स्वयं पढ़ लीजिए। आपको बताना चाहिए था कि हम पिछले एक्ट की फलां फलां धाराओं में परिवर्तन करना चाहते हैं, फलां प्रावधान के कारण यह हानि हुई या उसमें यह कमी रही और उन कमियों को दूर करने के लिए ही हम नया बिल ला रहे हैं और इन नई धाराओं से वह कमी दूर होगी। तब हम आपके ऑब्जैक्ट्स एण्ड रीजन्स का औचित्य समझ सकते थे। मैं समझता हूं कि मन्त्री जी ने कभी इसको देखने की कृपा नहीं की। गांवों में चीनी पैदा करने वाले किसान की तरफ शायद कभी इनका ध्यान नहीं गया।

इसके अलावा इस बिल के अन्दर और कोई खास बात नहीं है। सिर्फ लेवी चीनी पर एक्साइज ड्यूटी का जो पैसा है, डिफरेंस है, उसको आप जमा करवा रहे हैं, यदि किसी कोर्ट का निर्णय हो तो उसके 60 दिन के अन्दर, अथवा जो आपने पहले वसूल किया है, उससे 60 दिनों के

अन्दर । उस पर साढ़ बारह प्रतिशत ब्याज लगेगा और यदि समय पर जमा नहीं करवाया गया तो ब्याज की दर 15 परसेंट हो जाएगी । इसके अलावा इसमें और कोई खास बात नहीं कही गई है । मैं समझता हूं कि यह भी मात्र दिखावे के लिए है क्यों कि सरकार पूंजीपतियों से आज तक एक नया पैसा भी वसूल नहीं कर पाई है । यदि कहीं किया हो तो आप हमें बताइए ।

श्रीमन्, रामप्यारे पनिका जी कहां चले गए । मेरा ख्याल है कि यदि उनकी बातों को अच्छी तरह से देखा जाए तो जैसा उन्होंने शुरू में कहा कि में इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, लेकिन उसके बाद जो कुछ उन्होंने कहा, उससे इसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि वे इसके विरोध में बोले हैं । यदि आप वास्तव में किसानों के हिमायती हैं तो सरकार आपकी है, फिर किसान दुखी क्यों है । आप छोड़कर के इधर आ जाओ । जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं कभी चार आने का या एक रुपये का कांग्रेस का मैम्बर नहीं रहा । बहुगुणा जी के जमाने में न जाने कहां से उन्होंने मुझे टिकट दिलवा दिया और मैं जीत कर आ गया । लेकिन कोई भी कांग्रेस का आदमी, ऊपर से नीचे तक, मेरे चुनाव प्रचार में कभी नहीं गया । सिर्फ उनके साथ मिल कर जो कुछ हुआ, उसके अलावा किसी ने मुझे कोई सहायता नहीं की । इसलिए आपकी धारणा गलत है कि मैं कभी कांग्रेस में रहा । न आपकी मेहरवानी के कारण कभी मैंने चुनाव जीता । अगली बार भी सब कुछ आपके सामने आ जाएगा कि किस की मेहरबानी से चुनाव जीतता हूं । इस सम्बन्ध में मुझे रहीम जी का एक दोहा याद आता है - रहिमन बुरो न मानिए, जो गंवार कह जाए । इसलिए जो बातें उन्होंने की, उनका मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता है ।

श्रीमन् जो भी चीनी मन्त्री होता है, मैं आपको यहां एक बेधड़क बनारसी का उद्धरण सुनाना चाहता हूं । एक बार कुछ किसान उनके पास पहुंच गए । चूंकि वे व्यंग्य रस के कवि थे, इसलिए उन्होंने किसानों की चीनी से सम्बन्धित समस्याओं को सुनने के बाद एक छोटा सा पद्य रच डाला । वह चीनी मन्त्री जी आपके ऊपर है ।

करें क्या नेह तिलचट्टे हो तुम,
और दोस्ती के नाम पर बट्टे हो तुम ।

शर्म आती है यह कहते बेधड़क,
नाम चीनी है मगर खट्टे हो तुम ।।

किसानों की बातें सुनकर बेधड़क बनारसी ने जो कुछ कहा उनकी भावनाओं को ही मै यहां उद्धत करना चाहता हूं । क्यों कि हमारे चीनी मन्त्री के ऊपर भारी दायित्व है । भले ही हमारे राव वीरेन्द्र सिंह जी चीनी पैदा करने वाले मन्त्री हों या चीनी का वितरण करने वाले आजाद सहाब हों, दोनों ही चीनी से सम्बन्धित हैं और दोनों ही जगह गड़बड़े है । भले ही हमारे आजाद सहाब कह दें कि यह सब्जैक्ट तो राव बीरेन्द्र सिंह जी का है, चीनी मिलों को उससे संबंध है' उसमें मैं क्या करूं । राव वीरेन्द्र सिंह कहते हैं कि दाम तय करना मेरा काम नहीं है, और

आप इस तरीके से हट जायेंगे कि वह हमारा क्षेत्र नहीं है। तो इस तरह की बातों से काम नहीं चलता है। चूंकि जौइंट रैस्पांसिबिलिटी है इसलिए आप सभी संबंधित मंत्रीगण बैठकर के नीति निर्धारण करें। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं।

एक तो चीनी की कमी इसलिए है कि उत्पादन कम हो जाता है क्योंकि किसान को आप सहूलियत नहीं देते हैं। 5, 6 साल तक उसको गन्ने का दाम नहीं मिलता। और कोई दूसरी सहूलियत नहीं देते इसलिए वह गन्ना कम पैदा करता है। और अगर ज्यादा गन्ना पैदा करे तो आप पैसा नहीं देते, पर्चियां देर मिलती हैं, कोई दूसरी फसल करने के लिए खेत खाली करना पड़ता है इसलिए मजदूर हो कर कम दाम पर क्रशर्म को गन्ना देता है जहां रिक्वरी कम होती है जिससे किसान को नुकसान होता है।

एक बात माननीय पनिका जी ने कही कि उस समय चीनी नहीं मंगाई गई इसलिए स्टाक खत्म हो गया। जनता पार्टी ने कोई पाप करे थे इसलिए हम इधर आ गए। लेकिन अब आप भी वही पाप कर रहे हैं इसलिए जनता जो भगवान का रूप होती है वह आपको अब इधर भेजने वाली है। इस साल को आप चीनी बाहर से मंगा रहे हैं, जबकि स्टाक मौजूद है। और कहते हैं कि कोई कमी न पड़े इसलिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन पिछले साल आपने चीनी बाहर भेजी और फिर मंगाई। इसके पीछे क्या रहस्य है? इसका मतलब है कि कहीं बंगलिंग है, अफसर कमीशन ले रहे हैं। अतः जब जबाव दें तो आप बताये कि चीनी बाहर क्यों गई, और फिर बाहर से क्यों आयी?

उपभोक्ता की क्या हालत है इसको भी देखिए। जब दुकानदार चीनी की बोरी लेता है, चाहे काआपरेटिव समिति आबंटन कर रही हो या एफ. सी. आई. के गोदाम से वह दुकानदार चीनी लाता है तो मोटी होती है। लेकिन जब उपभोक्ता के पास पहुंचती है बारीक दाने वाली क्रशर वाली चीनी होती है। मोटी दाने वाली चीनी खुले बाजार में पहुंच जाती है और उसके बदले में 100 रु० बोरी कम कीमत वाली चीनी उपभोक्ता को पीले, लाल रंग वाली मिलती है। उधर बंगलिंग ही किसान के साथ, इधर बंगलिंग हो उपभोक्ता के साथ मैं अभी बरेली से आया हूं, वहां चीनी नहीं थी। पता नहीं कहां चली जाती है। आप कहेंगे कि स्टेट गवर्वमेंट का डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम खराब है। तो हम तो नहीं जानते हैं कि दोनों जगह आप की ही पार्टी की सरकार है। यह जिम्मेदारी आप की है। कैसे आप उपभोक्ता को चीनी पहुंचा रहे हैं यह आपका काम है, हमारा नहीं तो हमें अपनी जगह बैठा दीजिए, देखिए हम ठीक करते हैं कि नहीं।

6.00 म० प०

जो चीनी मिलें प्राइवेट हाथों में हैं या प्राइवेट हाथों से निकलकर सरकारी मैनेजमेंट में चली गई हैं, उनके ऊपर जो 10, 10 साल का किसानों का बकाया पैसा है, अगर आप वही उन्हें दिलवा दें तो आपकी वाहवाही हो जायेगी।

पीलीभीत के अन्दर एक एल० एस० शुगर फैक्टरी है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गंगवार, आपको अपना भाषण समाप्त करने में कितना समय और लगेगा? आप 10 मिनट बोलना चाहते थे, मैंने आपको 10 मिनट दिए हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार : मैं अपने मुद्दे कुछ ही मिनटों में समाप्त कर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप अपना भाषण दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री हरीश कुमार गंगवार : यह फैक्टरी प्राइवेट हाथों में है और इस पर किसी बड़े मंत्री का वरद-हस्त है। उस पर करोड़ों रुपया कई वर्षों का बकाया है, आज का नहीं। किसान मारा जा रहा है। वह जिस मजदूर या क्लर्क को चाहे निकाल देता है, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही होने वाली नहीं है।

सिर्फ इतना ही वह नहीं करता, गन्ने के लिए जो वैगन देते हैं, वह उसे सेंटर से एलाट होते हैं। उसमें अगर 200 क्विंटल की एक वैगन की कैपेसिटी है तो वह उसमें 300 क्विंटल भरकर लाता है। किराया 200 क्विंटल का देता है और 100 क्विंटल का बचाता है। मैंने इस सम्बन्ध में शिकायत की थी जिस पर काफी जांच-पड़ताल हुई। उसमें यह बात सत्य पाई गई। हर तरीके से यह मिल मालिक पैसा कमाता है।

यही नहीं, जिन गन्ना क्रय केन्द्रों से गन्ना आता है, उनकी नीलामी करता है। जो पैसा ज्यादा लगता है महीने का उसको वह सेंटर अपनी तरफ से देता है। आप कहेंगे कि कैसे नीलाम करता है। जायज होता है सूख 5 परसेंट। मान लीजिए 100 क्विंटल गन्ना तोलता है, 95 क्विंटल फैक्टरी को सप्लाई कर देंगे तो वह मान लिया जायेगा, 5 क्विंटल जायज मान लिया जायेगा। वह क्या करता है कि 10 क्विंटल एक्सेस तोल देगा। यह सैंटर के पास कहां से आयेगा? वह किसान की गाड़ी को अंडर-वे करके लेता है। 20 क्विंटल की गाड़ी है तो 15, 16 क्विंटल तोलेगा और शाम को जो 100, 150 क्विंटल बढ़ेगा, उसकी फर्जी पर्ची बनेगी और सबसे पहले उसकी कीमत मिलेगी। किसान को नहीं मिलेगी। इस तरह से किसान को लूटा जा रहा है।

किसान को पर्ची मिलने में देर, वह गन्ना टाइम से नहीं डाल सकता, क्रय-परचेज सैंटर पर जाये तो वहां अण्डर-वे हो, उसके बाद पैसा मिलने में सालों चक्कर लगाने पड़ें तो गन्ने और चीनी की पैदावार कैसे बढ़ेगी? अगर बढ़े तो आपका अफसर उसका निर्यात कर दे और कमी का ढ़ोंग दिखाकर आयात कर दे। पिछले दोनों साल आयात भी हुआ और निर्यात भी हुआ। आप कह रहे हैं कि चीनी की कमी हो गई थी। लेकिन किसी जमाने में भी चीनी की कमी हो थी। ना उपभोक्ता के लिये और ना बाजार में कमी थी। उसके बाद भी आप निर्यात कर रहे हैं। अपके आंकड़ों के अनुसार आपका निर्यात कम है और आयात ज्यादा है। इसी से आपकी गवर्नमेंट की साख दिखाई देती है।

इसका इलाज यह है कि जहां यह प्राइवेट फैक्टरी हैं उनके साथ आपको-आपरेटिव मिलों को सेचुरेट कर दो। ज्यादा से ज्यादा आप ये खोल दें तो यह बेईमानी नहीं करेंगे। किसान वहां जायेगा और वहां उसका गन्ना आसानी से लिया जायेगा।

अगर इन फैक्टरियों का नेशनलाइजेशन करना है तो देख लें कि ये मरम्मत के नाम पर अगर 1 लाख की जरूरत है तो 10 लाख सरकार से ले जाते हैं और वहां पर 1 लाख मुश्किल से खर्च करते हैं और बाकी 9 लाख नैनीताल, मसूरी और शिमला के बंगलों में खर्च करते हैं। मेरा जाती तजुर्बा है, मैंने देखा है।

बरेली की एच० आर० शुगर फैक्टरी का मालिक 20 लाख रुपए उत्तर प्रदेश सरकार से ले गया और उसके बाद बहुत थोड़ी सी मरम्मत उसने कराई होगी, मुश्किल से लाख, सवा लाख इस पर खर्च किया होगा, उसके बाद नई गाड़ी लेकर नैनीताल में विहार कर रहा है, सुरा और सुन्दरी में मस्त है। ये सब लूट करना चाहते हैं। जिस दिन आप इसका नेशनलाइजेशन करेंगे, तो वहां आप देखेंगे कि एक भी पुर्जा साबुत नहीं है। और जब आप उसको लेंगे तो और आप पर वर्डन पड़ेगा, यह आपको दिखाई देगा। इसलिए ज्यादा अच्छा यह है कि इनको कुछ मत दीजिए और इनके बदले में ज्यादा से ज्यादा कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज आप खोल दीजिए, सैचुरेट कर दीजिए।

पिछले पांच साल से मैं मांग कर रहा हूं, हमारे शाहजहांपुर की पुवायां तहसील का जो क्षेत्र है वह सबसे ज्यादा गन्ना, सबसे ज्यादा गेहूं और सबसे ज्यादा धान के उत्पादन का क्षेत्र है, पूरे प्रदेश में उसका नाम है और एक फैक्ट्री के लिए हम मांग कर रहे हैं, यू० पी० गवर्नमेंट ने रेकमेंड करके भेजा है लेकिन आज तक उसके लिए लाइसेंस नहीं मिला। तो वहां सब क्रशर वाले वहां के किसानों को खा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप अपने गुड आफिसेज का इस्तेमाल करें, आप समझदार आदमी हैं और आप तो वैसे ही आजाद हैं, आप के ऊपर किसी का रोब-दाब नहीं चलता, बिल्कुल आजाद हैं, आप मेहरबानी करके इस बात को देखते हुए पुवायां में शाहजहांपुर के अन्दर एक चीनी मिल खोलवा दीजिए। चार पांच साल से प्रोपोजल चल रहा है, सब तरीके से ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने रेकमेंड करके भेजा है, वह आप खोलवा दीजिए और वहीं नहीं जहां तक हो सके कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज का एक जाल बिछा दीजिए पूरे स्टेट में। इस तरह से ये जो चीनी मिलों के मालिक बैठे हुए हैं उनको आगे बढ़ाने का और खाने पीने का मौका मत दीजिए वरना आप पर यह इल्जाम लगेगा कि आप पूंजीपतियों का समर्थन करते हैं। आपने देखा है कि पूरे देश की राजनीति एक समय इन्हीं चीनी मिल मालिकों के हाथ में थी। ये जिधर चाहते थे सरकार बनाते थे, जिधर चाहते थे, गिरा देते थे, खास तौर से महाराष्ट्र में यह स्थिति थी। वह समय मत आने दीजिए और कम से कम अपने ऊपर यह इल्जाम मत आने दीजिए, राव वीरेन्द्र सिंह पर आए तो कोई बात नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जब, इस विधेयक के लिए दिया गया समय पहले ही समाप्त हो चुका है; दो घण्टे का समय दिया गया था। अतः मैं अब मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिए बुलाऊंगा। श्री काबुली और श्री रामावतार शास्त्री बोलना चाहते हैं यद्यपि उनके दल के सदस्य पहले ही बोल चुके हैं। मैं तीसरे वचन में प्रत्येक को कुछ मिनट बोलने की अनुमति दूंगा।

हम कुछ अधिक समय तक बैठेंगे और इस विधेयक को आज ही पारित कर देंगे क्योंकि कल का सारा दिन पंजाब के श्वेत पत्र पर चर्चा के लिए निर्धारित किया गया है।

श्री भागवत झा आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने गन्ना उत्पादकों, उपभोक्ताओं और समूचे उद्योग के प्रति सहानुभूति प्रकट की है। गन्ना उत्पादकों की बकाया राशि का भुगतान न किए जाने के कारण उनकी चिंता और व्यथा से मैं सहमत हूं। यह सहानुभूति दिखावा मात्र नहीं है अपितु मैं माननीय सदस्यों की तरह मैं स्वयं भी चिंतित हूं। मंत्री होने के नाते, मैंने हमेशा बकाया राशि का भुगतान करने की जोरदार अपील की है और जब कभी मुझे राज्य सरकारों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है, मैंने उनके साथ इस मामले पर बात की हैं, और जब कभी अवसर मिला, मैं उन्हें इस बारे में लिखता भी रहा हूं।

दो तरह से इसकी आलोचना की गई है; एक तो वर्तमान संशोधन विधेयक के सम्बन्ध में है और दूसरी देश में चीनी नीति के समूची तस्वीर से सम्बन्धित है। पहले मैं संशोधन विधेयक के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा जिस पर माननीय सदस्य एकमत से सहमत हैं और उन्होंने संशोधन का समर्थन किया है।

प्रश्न सीधा है। जब लेवी चीनी के मूल्य निर्धारित किए, मिल मालिक न्यायालय में गए और न्यायालय ने उन्हें अधिक मूल्य की अनुमति दे दी और हम कुछ नहीं कर सके। और उन याचिकाओं के रद्द होने के पश्चात, उन्होंने कहा कि चूंकि स्पष्ट रूप से यह विनिर्दिष्ट नहीं किया गया था कि उन्हें वसूल किया गया अधिक मूल्य वापस करना होगा उसे वह वापिस नहीं करेंगे। लेकिन उस पर जो अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया था वह वापस करना होगा। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि आपके पास विशेषज्ञ हैं। आप विधयक का प्रारूप तैयार कीजिए। "श्री रामविलास पासवान यहां उपस्थित नहीं है। उन्होंने कहा कि आप जान-बूझकर कमियां रहने देते हैं।" वह प्रश्न नहीं हैं। अधिकारी हमारी सहमति से विधेयक बनाते हैं। मंत्रिमंडल उसे स्वीकृत करता है। अन्ततः सदन ही विधेयक पारित करता है और यह अधिनियम बनता है। अतः इसके लिए वे नहीं हम जिम्मेदार हैं। उदाहरण के लिए, हमें यहां समूचे मामले की जांच करने अवसर मिला। आप इसे पारित करते हैं और इसे लागू करने के बाद इसमें हमें कुछ कमियां नजर आती है। इसीलिए हम यहां आते हैं।

संशोधन विधेयक के सम्बन्ध में, कि मैंने अब विधेयक में जो प्रावधान किया है सदस्य इस बात से सहमत हैं कि इन उत्पादकों में, जो सर्वप्रथम, उपभोक्ताओं से हमारे द्वारा निर्धारित लेवी मूल्य से अधिक मूल्य वसूल करते हैं और दूसरे अधिक मूल्य के कारण अतिरिक्त उत्पाद शुल्क है, बकाया राशि उसकी निधि में जमा कर दी जानी चाहिए। वे इससे सहमत हैं और हमने ऐसा कर दिया है। विधेयक में जो कमियां थीं, वे दूर कर दी गयी हैं। मुझे आशा है माननीय सदस्यों ने इसे देखा होगा। मुझे आशा है वे इसे दोहराना नहीं चाहते। उन लोगों को ब्याज का भुगतान भी कर देना चाहिए।

श्री गिरधारी लाल व्यास और अन्य सदस्यों ने पूछा है कि हमने ऐसा क्यों कहा कि यदि वे इसका 60 दिन में भुगतान करते हैं तो ब्याज दर 12.50% होगी और यदि वे 60 दिन के बाद भुगतान करते हैं तो दर 15% होगी ?" यह मेरी इच्छा पर निर्भर नहीं है। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं। आज भी मैंने अपने अधिकारियों से बातचीत की और पूछा कि आरंभ से ही 15% दर क्यों नहीं लिया जाए ? ये बातें तभी सामने आती हैं जब लोग न्यायालय में जाते हैं। यह कहा गया है कि हम पर्याप्त समय नहीं देते हैं। अतः उन्होने भुगतान इसलिए नहीं किया क्योंकि वह न्यायालय का मामला था। चूंकि न्यायालय ने उनकी याचिका रद्द कर दी है अतः उन्हें पर्याप्त समय मिलना चाहिए। मैं नहीं जानता कि क्या सभी कानून और पर्याप्त समय देने का प्रश्न सभी के लिए है या कुछ लोगों के लिए। लेकिन तथ्य यह है कि मुझे जबरदस्ती उन लोगों के लिए, जिन्होंने अधिक मूल्य वसूल किए हैं और उसे जमा नहीं किया, उचित समय की कठिनाई के कारण 60 दिन का समय देना पड़ेगा। अतः मुझे ऐसा करना पड़ा। इस मामले में मैं इतना ही स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

इस सम्बन्ध में एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उपभोक्ता को, जिससे अधिक मूल्य वसूल किया गया हैं, कैसे लाभ मिलेगा ? जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, मैं भी उससे सहमत हूं कि उपभोक्ता को लाभ पहुंचाने के लिए उसे वह धन राशि वापिस करना जो उससे खरीद के समय वसूल किया गया था बहुत कठिन है। लेकिन इसका अन्य रास्ता भी है, यदि कोई व्यक्ति इतना चालाक, अच्छा और समझदार है कि उसके पास रिकर्ड है, तो हम एक विज्ञापन दे सकते हैं। वह अपनी रशीद लेकर आ सकता है और हम उसका भुगतान करेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि वह संभव नहीं है।

हम देश के लिए लेवी चीनी का एक समान मूल्य निर्धारित कर देते हैं। देश में 16 क्षेत्र हैं। अधिकांश क्षेत्रों में, लेवी मूल्य औसत लेवी मूल्य से अधिक है। हम उपभोक्ताओं के लिए इस लेवी मूल्य को घटाकर जो कि औसत से अधिक है, उन्हें लाभ पहुंचते हैं। हम केवल यही कर सकते हैं।

संशोधन विधेयक के बारे में माननीय सदस्यों ने जो आलोचना की है। अब उस पर कहना

चाहूंगा। मुझे आशा है कि वे वर्तमान विधेयक के बारे में बोल रहे थे। विस्तृत रूप से यदि देखा जाय तो उन्होंने बकाया राशि के बारे में कहा है। निश्चित रूप से मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है जैसा कि श्री राम नगीना मिश्रा और श्री पीताम्बर को हुआ है। उन्होंने उसे जोरदार शब्दों में अभिव्यक्त किया है। उन्होंने मुझ पर आरोप लगाते हुए कहा है :—"आपको उपभोक्ताओं और उत्पादनों की कोई चिंता नहीं है।" मैं इतना अवश्य कहूंगा कि मेरे मित्र श्री पीताम्बर, जो मेरे सहपाठी हैं, एक नए मसीहा हैं, जो इस सदन में आए हैं। जनवक्ता के रूप में अपनी आवाज उठाते हुए उन्होंने जोरदार शब्दों में अपनी चिंता व्यक्त की है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि मुझे उतनी ही अधिक चिंता है जितनी उन्होंने उसे अभिव्यक्त की है और जितने जोरदार ढंग से श्री नगीना राम, श्री पनिका तथा अन्य सदस्यों ने अभिव्यक्त किया है।

इस सदन में हुए वाद-विवाद के अनुरूप मैं राज्य सरकारों को पुनः लिखूंगा। मैं इसकी घोषणा 20 दिन के अन्दर नहीं कर सकता, जैसा कि आपने मुझसे करने को कहा है। किन्तु मैं अपने उन मित्रों जिन्होंने इसके बारे में मुझे सलाह दी थी, से, इतना अवश्य कहूंगा कि 8 या 10 दिन के भीतर ही मैं राज्य सरकारों को लिखूंगा कि गन्ना उत्पादकों की बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाये।

श्री नगीना मिश्रा ने उत्तर-दक्षिण समन्वय की बात कही है अर्थात् एक संतुलन रखा जाये जिससे कि उत्तर-भारत के मिलों का उत्पादन समाप्त न हो जाये। वह संतुलन क्या है। यह सच है कि हम लोग गन्ना उत्पादकों को यथा संभव भुगतान करें। इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा आबादी की बढ़ोतरी का है जिसके लिये अधिक गेहूं, अधिक चावल, अधिक चीनी, अधिक दाल, अधिक खाद्य तेल की आवश्यकता है जबकि भूमि उतनी ही है। हम लोग कृषि मन्त्रालय में सरकार के रूप में प्रोत्साहनों, अनेक प्रकार के प्रोत्साहनों के माध्यम से सभी प्रकार के उत्पादनों को बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। हम लोग हेक्टेयर तो नहीं बढ़ा सकते किन्तु प्रति एकड़ पैदावार बढ़ा सकते हैं तथा निश्चित रूप से प्रति हेक्टेयर उत्पादन में काम आने वाली वस्तु को बढ़ा सकते हैं और यही सम्भव है। अब तक हम लोग भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, मध्य-प्रदेश में तिलहनों के लिए हम वही कर रहे हैं—जिस भूमि में सिंचाई नहीं होती है, उस भूमि में हम सोया-बीन पैदा करने की चेष्टा कर रहे हैं। हमें अधिक चावल चाहिए इसलिये चावल की अधिक पैदा-वार के लिए हम बिहार और बंगाल में प्रोत्साहन दे रहे हैं। हमारे पास गेहूं है। उदाहरण के तौर पर, हम लोग लगभग 800 से 900 करोड़ का खाद्य तेल का आयात कर रहे हैं। अत : इस प्रकार किसानों को दिये जाने वाले विभिन्न प्रतिस्पर्द्धी प्रोत्साहनों के अन्तर्गत किसानों को अपने विचार से सर्वोत्तम फसल पैदा करने का विकल्प है। ऐसी स्थिति में कभी-कभी किसी चीज की पैदावार कम होती है। किन्तु जहां तक चीनी का प्रश्न है, उसकी ऐसी स्थिति इस कारण से नहीं है। यह सच है कि इस वर्ष इसका उत्पादन 82 लाख टन से घटकर 59-60 लाख टन हुआ है क्योंकि दक्षिण में सूखा पड़ा था जो एक कृषि-प्रतिकूल स्थिति थी। उत्तर में, जाड़े में जब ईख के पकने

का मौसम आया तब भारी वर्षा हुई। इसलिए, श्री राम नगीना मिश्रा जी, यह कहना ठीक नहीं है कि भुगतान न करने के कारण हमें नुकसान हुआ है बिहार और उत्तर-प्रदेश में भुगतान न किये जाने की बात है किन्तु उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश और बिहार की तुलना में महाराष्ट्र में उसकी पैदावार और भी कम रही है जहां अदायगी कर दी गई थी और कोई राशि बकाया न थी। अन्य कुछ सदस्यों की तरह मैं ऐसी भविष्य वाणी नहीं करता हूं कि अगले वर्ष चीनी उद्योग में स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगी। मेरे एक मित्र ने कहा कि आप आयात कर रहे हैं, और आप आहित कर रहे हैं, आप किसानों के हितैषी नहीं है और साथ ही इस देश के व्यपारियों और जमा खोरों की आवाज को प्रतिध्वनित करते हुए उन्होंने कहा कि उस चीनी उद्योग के लिए अगला वर्ष कमायत का वर्ष होगा। इस सदन को और देश को मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि चीनी उद्योग में कयामत नहीं आने वाली है। इसका आगे लाया गया समाय स्टाक 46 लाख टन है। 59 से 60 लाख टन तक हमारी पैदावार हो जायगी। देश में हमारी खपत 75-78 लाख टन की है। हमने 6.5 लाख टन निर्यात करने का वायदा किया हुआ है? सम्भवत : हम लोग उतनी मात्रा में निर्यात न कर पायें किन्तु लगभग 3 लाख निर्यात करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। इस प्रकार नये चीनी वर्षा में अर्थात् 1 अक्तूबर को हमारे पास आय शेष माल लगभग 20 लाख टन होगा।

किन्तु 3 लाख टन आयात करने के बारे में प्रश्न उठाया गया है। उसका उत्तर बहुत ही सरल है। मैं एक ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहता हूं जिसको पूर्व चेतावनी दे दी गई हो और उसने फिर भी सावधानी न बरती हो। अत्यधिक सावधानी बरतते हुए मैंने आयात करके 3.50 लाख टन चीनी खरीदी है और मैं आपसे यह कह सकता हूं कि इस चीनी का मूल्य लेवी चीनी के मूल्य के बराबर नहीं है। आज का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य कम हो गया है। अब तक हमने जो कुछ भी निर्यात किया उसे हमने कम मूल्य पर निर्यात किया। हम लोग उसका लाभ उठाना चाहते हैं। माननीय सदस्यों को इसके लिए ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। हम लोग अहित नहीं कर रहे हैं, हम लोग बम्बई और कलकत्ता के इन जमाखोरों के विरुद्ध कुछ कर रहे हैं। कलकत्ता और बम्बई में मैंने उनको चेतावनी दी थी। मैंने जो वयक्तव्य दिया था उसे उन्होंने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा। मैंने उनका भण्डार करा दिया है और मैंने उनके भण्डारन का समय घटाकर 10 दिन कर दिया है। दूसरी सावधानी हमें जमाखोरों और व्यापारियों के विरुद्ध बरतनी हैं और उनके विरुद्ध बरतनी है जो ऐसा करते हैं। एक मिनट में माननीय सदस्यगण यह न सोचे कि इन सामाजिक तत्वों के प्रति मुझे कोई सहानुभूति है जब मैं सदस्य था तब भी मुझे उनसे सहानुभूति नहीं थी और अब एक मंत्री के रूप में भी मुझे उनसे सहानुभूति नहीं है। इसलिए, मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि उनके साथ मुझे भी चिंता है कि हमने ऐसा करना है और इस लिए हम लोगों ने ऐसा किया भी है। इसलिए आयात के बारे में वे लोग श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा के समान न सोचे, इसलिए अधिकारियों को दोषी न ठहरायें, ईश्वर का धन्यवाद है कि उन्होंने मंत्री के लिए ऐसा नहीं कहा। संभवत: वह भूल गए अथवा न जाने क्या बात है। किन्तु ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लोग चुनाव के बारे में कहते हैं। ठीक है, चुनाव के लिए हर एक को कुछ धन की आवश्यकता होती है। प्रोफेसर को भी इसकी आवश्यकता है। यह सभी जानते हैं कि वाहन

पानी से नहीं बल्कि पट्रोल से चलते है । इसलिए इन ओछी बातों से दोष नहीं छिपते बात यह है कि हमने ऐसा किया अथवा नही । हमें कुछ भण्डार करने का सुअवसर मिला । यदि उदन की अनुमति हो तो मैं यह कहना चाहूंगा कि हम लोग रक्षित भण्डार भी रखना चाहते हैं । किन्तु इसका यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि इससे गन्ना उत्पादकों का अहित होगा । श्री पीताम्बर सिंह ने जो कुछ कहा है, उसके बारे में मैं उनकी चिंता से अवगत हूं क्योंकि यह बिहार के उस क्षेत्र से निर्वाचित हैं जहां बहुत से चीनी के कारखाने हैं । साम्यवादी सदस्य होने के नाते उन्हें अधिक महसूस होता है । वह ऐसा महसूस करते हैं कि किसानों के रक्षक एक मात्र वही हैं और वह मिल मालिकों के विरोधी हैं क्योंकि उनके विचार से मिल मालिक किसानों के विरोधी हैं । वह मेरे बारे मैं जानते हैं । मैं उनका विरोधी हूं । किन्तु व्यक्ति रूप से, वे लोग नफा कराने वाले व्यक्ति हैं । किन्तु जहां तक किसी उद्योग का संबंध है, उद्योग में गन्ना उत्पादक, मिल-मालिक तथा अन्य सभी लोग शामिल हैं और मुझे यह देखना है कि उद्योग जीवित रहे । इसलिए, मूल्य के बारे में भी जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है, मैं राज्य सरकारों से जोरदार शब्दों में कहूंगा किन्तु समन्वय के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि इसके बारे में श्री राम नगीना राज्य सरकारों से बात चीत करें । मंत्री मण्डल का मंत्री होने के नाते मै किसी विशेष राज्य से नहीं कह सकता । ये दोनों राज्य सरकारें भार्गव सूत्र पर विचार करें । महाराष्ट्र और तमिलनाडू जैसा कर रहे है, उनके समान ही वे अग्रिम भुगतान करने जैसी बातों पर विचार करें ।

मूल्यों के युक्ति संगत बनाने के बारे में, जो राज्यों द्वारा अदा किए जाने चाहिए, कहना बहुत कठिन है । किन्तु मैं ऐसा करने का सांइस करूंगा । बिहार और उत्तर प्रदेश में उन्होंने न केवल किसानों को बल्कि उद्योगों को भी लाभप्रद मूल्य देना सुनिश्चित कर लिया है और इस प्रकार उन्होंने उपभोक्ताओं का भी ध्यान रखा है । किसी समय कोई मूल्य घोषित करना और इसके बाद उसका भुगतान करना बहुत कठिन है । आपको दोनों ही तरफ से हानि होगी । यदि आप अधिक मूल्य घोषित करेंगे तो लोग "वाह वाह" करेंगे । और जब आप उसका भुगतान नहीं करेंगे तो उससे आपको हानि होगी ।

मैं श्री राम नगीना मिश्र की इस बात से सहमत हूं "कि हमें युक्ति संगत आधार अथवा समन्वय को ध्यान में रखते हुए विचार करना पड़ेगा । युक्ति संगत आधार क्या है ? राज्य समर्थित मूल्य क्या है ? ऐसा कहने का कोई लाभ नहीं कि 23 रुपये का भुगतान करो ।" हम लोग ऐसा कर रहें है । आपका कहना है कि सांविधिक मूल्य वस्तुतः उपभोक्ताओं से संबंधित होता है कि किसानों से हैं आप संबंधित मूल्य से कहीं अधिक मूल्य दे रहे हैं । इसलिए, यही एक मात्र हल है कि जिसके आधार पर हमें सोचना चाहिए ।

मैं यह कहना चाहूंगा कि सबसे अधिक महत्व का प्रश्न लेवी चीनी की दर और खुला बाजार दर का है । मेरे मित्र श्री मिश्रा ने यह पूछा है कि हम उत्पादन का 65 प्रतिशत क्यों ले रहे हैं ? यह हम किसके लिए ले रहे हैं ? यदि पंजाब में गेहूं पैदा होता है तो बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडू को भी उसमें से हिस्सा मिलना चाहिए । यदि आपकी पैदावार अधिक है और उपभोक्ता उतनी पैदावार का उपभोक्ता नहीं कर सकते हैं, तो आपकी पैदावार का क्या होगा ?

इसलिए, आपको संतुलित नीति ध्यान में रखनी पड़ती है और वह मूल्य रखने पड़ते हैं जिस मूल्य पर उपभोक्ता उसे खरीद सके और जो उसके अनुकूल इसीलिए नगालैण्ड से गुजरात तक और कन्याकुमारी से कश्मीर तक, देश के सभी भागों में चीनी का मूल्य 4.1 रुपए प्रति किलो है।

श्री पीताम्बर सिंह : किन्तु वह निरन्तर मूल्य पर उपलब्ध नहीं है।

श्री भगवत झा आजाद : मैं उस बात पर भी आऊंगा। उसके लिए वहां वितरण प्रणाली होनी चाहिए। वस्तुत : इसका मुझसे कोई सम्बन्ध नहीं है, तो भी मैं उसका उत्तर दूंगा। किन्तु हमें शीघ्र ही इस मुद्दे को ले लेना चाहिये। श्री पीताम्बर सिंह का कहना है कि है लेवी चीनी बाजार में 4/- रुपये पर उपलब्ध नहीं है। कुछ स्थानों पर वह उपलब्ध है और कुछ पर नहीं। आप मुझ से क्या करवाना चाहते हैं ? यह एक सीधा प्रश्न है। आप चाहते हैं कि प्रशासन को कसा जाये कुछ माननीय सदस्यों ने मुझसे कहा, और मन्त्रालय जाकर-चाहे वह कोई साधारण व्यक्ति हो अथवा जनकपुरी में रहने वाले कोई लोक सभा का कर्मचारी हो दूसरे दिन मैंने एक निरीक्षण दल भेजा जिसमें गृहमंत्रालय के संयुक्त सचिव और अन्य अधिकारी भी थे।

प्रश्न यह है कि जब कभी भी आपने मुझसे कहेंगे तभी मैं सरकारी तंत्र को सक्रिय कर दूंगा। हम उन्हें भेज देंगे। वे उसकी जांच-पड़ताल करेंगे। किन्तु मैं जो कह रहा हूं, वह यह है कि एक मूल्य पर पूर्णतः उपलब्ध होने की तब तक कोई गारंटी नहीं है जब तक देश में कोई शक्तिशाली उपरोक्त रक्षा आन्दोलन नहीं होगा। एक मंत्री की हैसियत यदि आप यह चाहते हैं कि मैं यह आन्दोलन चलाऊं तो मैं किसी संगठन को चुनूंगा और उसे अधिक राशि दूंगा। किंतु उनका भी यही परिणाम होगा जो सहकारी तन्त्र का हो रहा है। इसलिए उत्तर मन्त्री के मुख में अथवा जेब में नहीं होता है उत्तर यह है कि श्री पीताम्बर सिंह, श्री मिश्र तथा अन्य लोग शक्तिशाली उपभोक्ता अन्दोलन चला वें। आप मुझे हर समय कहते रहते थे और मैं चुप हो जाता हूं। किंतु मैंने अपने निरीक्षक भेज दिया हैं। मैं यही कर सकता हूं। किंतु इसके अलावा, एक सदस्य की हैसियत से आप आन्दोलन चला सकते हैं। एक मंत्री के रूप में, मैं उपभोक्ता की उस प्रभुसत्ता की सुरक्षा करने को तैयार हूं जिसमें एक शक्ति शाली आन्दोलन विद्यमान हो कृपा करके आप उसे विकसित करें। सरकार के रूप में और एक मंत्री के रूप में आपको मेरा पूर्ण समर्थन है। किंतु मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूं वह सब जगह उपलब्ध नहीं है। यदि ऐसा होता, तो हर महीने और हर साल जो मूल्य खरीद होती हैं वह कहां जाती है वह समुद्र में नहीं जाती। मै यह मानता हूं कि कुछ स्थानों में यह समस्या है।

जहां तक राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है, देश में अनेक उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। प्रथम लोक सभा के समय से लेकर ही जब, मैं 1952 में स्वतंत्र भारत में सबसे कम आयु का सदस्य चुनकर आया था, मैं राष्ट्रीयकरण का अन्ध-समर्थक रहा हूं। अब भी मेरे विचार वही हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या राष्ट्रीयकरण स्वयं में एक सर्वरोगहर औषधि है या क्या गन्ने जैसे एक उद्योग में जहां सर्वाधिक मिलें सरकारी तथा सहकारी क्षेत्र द्वारा चलाई जाती हैं, हमें सहकारी संस्थाओं तथा सरकार को मिलें स्वयं चलाने के लिए समय देना चाहिए। श्री मंगवार ने अपने निर्वाचन क्षेत्र की सहकारी मिल के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, मैं उसके लिए उत्सुक हूं। कोई भी

सदस्य, चाहे वह सत्ताधारी दल का हो या विपक्ष का, सहकारी क्षेत्र के किसी भी प्रस्ताव को लेकर आ सकता है। यदि यह तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत ठीक उतरता है, अर्थात् अधिक गन्ना उपलब्ध है, तो मैं लाइसेंस देने से कभी नहीं हिचकूंगा। मैं यह बात अभी इसी समय कह सकता हूं। लेकिन प्रश्न यह है कि जब कोई सदस्य प्रस्ताव लेकर आएगा तो मैं भेद-भाव नहीं कर सकता। इसमें दो बातें अवश्य होनी चाहिए। यह सहकारी क्षेत्र में होनी चाहिए और गन्ने की उपलब्धता पर्याप्त होनी चाहिए। मैं आपको लाइसेंस दे दूंगा। लेकिन प्रश्न यह है कि आप ऐसा प्रस्ताव लेकर आते हैं जो शर्त पूरी नहीं करता और फिर आप अनुकम्पा चाहते हैं। मैं अनुकम्पा के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह बन्द हो जाएगी और फिर यह मेरा सरदर्द बनेगी - मैं इस पक्ष में नहीं हूं। कृपया उस क्षेत्र का विकास करें। मैं महसूस करता हूं कि देश में गन्ने के क्षेत्र में सहकारी आन्दोलन के बिस्तार के लिए गुंजाइश है। मैं उस कदम का राष्ट्रीयकरण से अधिक समर्थन करूंगा।

श्री बालासाहिब बिखे पाटिल (कोपरगांव) : आपने गन्ना उत्पादकों को दिए जाने वाले न्यूनतम अन्यो के बारे में कुछ भी नहीं कहा।

श्री भागवत झा आजाद : इस समय राज्य सरकारों ने गन्ने का जो मूल्य दिया है, वह सांविधिक मूल्य से काफी अधिक है। महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु अग्रिम भुगतान के एक युक्तियुक्त सूत्र का अनुकरण कर रहे हैं और तत्पश्चात मौसम के अन्त में वे भार्गव सूत्र का अनुसरण करते हैं। मेरा विचार है कि जिस आधार का आप अनुसरण कर रहें हैं, उसे सुदृढ़ किया जाना चाहिए। मैं उत्तरी भारत में को भी इसकी सिफारिश कर रहा हूं, क्योंकि वही एकमात्र युक्तिसंगत दृष्टि-कोण है जिसमें हम निर्णय कर सकते हैं और भुगतान के मामले में इस कमी को दूर कर सकते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों का रचनात्मक आलोचना के लिए धन्यवाद करता हूं। मैं कठिनाइयों के बारे में उनसे सहमत हूं तथा उनके साथ सहानुभूति रखता हूं। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं अपनी ओर से भरसक प्रयास करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लेवी चीनी समान कीमत निधि अधिनियम 1976 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरम्भ करते हैं।

खण्ड 2 से 8

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 8 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 से 6 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री भागवत झा आजाद : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : मुझे इस अवस्था में कुछ कहना है, श्रीमन् ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने सभी मुद्दों का उत्तर दे दिया है । वास्तव में, मैं सोच रहा था कि मंत्री ने आवश्यकता से कहीं अधिक उत्तर दिया है । ठीक है, आप दो मिनट ले लीजिए । मैं भी देखूं आप कौन से नए मुद्दे उठाते हैं ।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में दोनों तरफ से जो मुद्दा सामने आया वह राष्ट्रीयकरण का था । कांग्रेस सरकार का यह कमिटमेंट है कि वह राष्ट्रीयकरण का रास्ता अपनाएगी । लेकिन आजाद साहब का कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता इसका मतलब यह हुआ कि सरकार का जो कमिटमेंट है जनता के साथ, उस पर से उसका विश्वास उठ गया है । पिछले 37 सालों से सरकार का जो कमिटमेंट रहा है, उसके बारे में आज आजाद साहब का यह कहना है । आज दोनों पक्षों के लोग इस बात की मांग कर रहे हैं । सभी तरफ से यह बात सामने आ रही है कि मिल मालिकान की तरफ से भ्रष्टाचार हो रहा है और किसान और कंज्यूमर्स दोनों का नुकसान हो रहा है । मंत्री महोदय जो बात यहां कहते हैं वह बात सरकार की तरफ से कही जाती है । कलेक्टिव रेसपोंसिबिलिटी मानी जाती है । आज किसान और कंज्यूमर्स दोनों के हुकूक पर डाका डाला जा रहा है । यह मिल मालिकों के द्वारा किया जा रहा है तो फिर उसका उपाय क्यों नहीं सोचा जा रहा ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री ने सहकारी प्रणाली का समर्थन किया है । आपको राष्ट्रीयकरण के स्थान पर इसके बारे में क्या कहना है ?

श्री अब्दुल रशीद काबुली : दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान में फ्रूट उत्पादन करने वाले किसान हैं, तिलहन और पल्सेस पैदा करने वाले किसान हैं, गदम पैदा करने वाले किसान हैं, लेकिन इस सदन में बताया गया कि गन्ना उत्पादक जो किसान है उसकी हालत इनसे बहुत बुरी है । बाकी किसान काफी हद तक संतुष्ट हैं लेकिन गन्ना उत्पादक काफी

नाराज हैं। जैसा कि बताया गया कि उत्तर प्रदेश में 95 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है। बिहार में 25 करोड़ रुपए बकाया है और अकेले चंपारण जिले में 10 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है। इससे जाहिर है कि किसानों को पैसा अदा नहीं किया जाता। इसलिए सरकार को हिम्मत से आगे आना चाहिए। सरकार को पूरे मुल्क की रहनुमाई करनी चाहिए और इसके लिए एक कांप्रीहेंसिव बिल लाना चाहिए। इस सदन की यही मंशा है और तभी सदन की तसल्ली होगी।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी, मैं पहली बात यह कहना चाहता हूं कि दोहरी मूल्य नीति की आवश्यकता क्यों है ?···(**व्यवधान**) इस दोहरी मूल्य नीति की वजह से ही यह बिल लाना पड़ रहा है। 35 परसेंट चीनी बेचने की इजाजत जो मिल-मालिक को दी जाती है, उसको समाप्त किया जाए और सारे स्टाक को अपने कब्जे में लेकर वितरण प्रणाली के जरिये से चीनी को बांटा जाए। इसमें क्या कठिनाई है ? इस नीति की वजह से लोगों के दिलों में संदेह होना स्वाभाविक है कि इनकी साठ-गांठ तो नहीं है। चीनी की क्वालिटी तो बहुत ही खराब है। कुछ सदस्यों ने तो यह भी कहा कि इसमें मिलावट चल रही है चीनी गल जाती है और जो मिलाई हुई चीज रहती है, वह जम जाती है इस मिलावट को रोकने के लिए आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ? मजदूरों के बारे में तो यहां कुछ भी नहीं कहा गया। सबसे खराब हालत चीनी उद्योग में काम करने वाले मजदूरों की है। उनके लिए जो कानून बने हुए हैं, वह भी लागू नहीं होते हैं। वेतन आयोग की सिफारिशों को मालिक लोग रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। इस तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। आखिरी बात अपने इलाके की कहना चाहता हूं। हमारे, विक्रम नौबतपुर और बिहटा में गन्ने की पैदावार होती है। वहां साऊथ बिहार शुगर मिल बिहटा में हैं। सरकार के कब्जे में होते हुए भी उसकी हालात अच्छी नहीं है। अब यह सुनाई पड़ रहा है कि इस चीनी मिल को सरकार उत्तर बिहार में ले जाना चाहती है। अगर यह बात सही है तो किसान अपना गन्ना इतनी दूर नहीं ले जा सकेंगे। मैं चाहूंगा कि बिहार सरकार कोई ऐसा निर्णय ले, जिससे उसको वहीं पर रहने दे ताकि वहां के किसानों के गन्ना उस मिल में जा सके।

श्री भागवत झा आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मैम्बर, जम्मू-काश्मीर, से कहना चाहता हूं कि भारत सरकार मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में विश्वास करती है जिसमें पब्लिक सेक्टर को कमांडींग हाईट देने पर कटिबद्ध है। इसके अन्तर्गत जहां-जहां राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता है, वहां-वहां समय और आवश्यकता के अनुसार किया जा रहा है। इसलिए, यह कहना सही नहीं है कि राष्ट्रीयकरण से हमारा विश्वास उठ गया है। हमारा विश्वास सिर्फ राष्ट्रीयकरण के लिए हो, ऐसा न है। जब भी ऐसी आवश्य पड़ती है, हम राष्ट्रीय भी करते हैं। जिन उद्योगपतियोंनेअपने स्वार्थ के लिए इसको खोखला बनाया है, उसका जवाब यही है कि को-आपरेटिव और सरकारी क्षेत्र में अधिक उद्योग चलाए जाएं ताकि उनको हम बाहर निकाल सकें। साथ ही, इन पर और नियंत्रण की आवश्यकता होगी, वह हम करेंगे। इसी संदर्भ में माननीय रामावतार शास्त्री जी ने जो कुछ, कहा मैं मानता हूं कि हमारी दोहरी नीति है, लेकिन दोहरी नीति इसलिए है कि यदि हम उद्योगों

के सारे उत्पादन को खुले बाजार में छोड़ दें तो उनकी कास्ट आफ प्रोडक्शन के अनुसार चीनी का मूल्य अधिक होगा। इसी कारण हमने निर्णय लिया है कि 6 प्रतिशत चीनी को हम लेकर उपभोक्ताओं को सम्पूर्ण देश में एक ही दर-चार रुपये प्रति किलो के हिसाब से, जो लागत मूल्य से कम बैठता है, बेचेंगे और बाकी 35 प्रतिशत चीनी को छोड़ेंगे ताकि हमारे उद्योग भी पनप सकें और आगे बढ़ सकें। यदि शत प्रतिशत हम करने लगें तो जैसा नगीना जी ने कहा, तो आप उत्पादन करने वालों से पूछ लीजिए, वे क्या चाहते हैं। इन्होंने स्वयं कहा कि हम सब चीनी ले लेते हैं, हमको भी कुछ छोड़नी चाहिए। लेकिन हम उनको भी मर्जी के मुताबिक कीमत नहीं लेने देते। हमारा अकुंश उन पर भी रहता है। इसलिए हमारे पास जितनी चीनी आती है उसका बाजार में जाने वाली चीनी के साथ एक निश्चित अनुपात रहता है। आपका यह कहना गलत है कि वह उसमें तीन रुपये प्रति किलो का डिफरैंस हैं। क्योंकि लेवी शुगर का दर चार रुपया प्रति किलो है और बाजार में उपलब्ध चीनी 5-10 रु० या 5-40 के बीच में है। इसलिए दोहरी नीति का पूरा औचित्य है।

जहां तक चीनी में मिलावट और उसकी गुणवता का प्रश्न है, जैसा आपने कहा, हो सकता हूं कि हमारे समाज में कुछ ऐसे दुष्ट लोग हों जो दवाईयों तक में मिलावट कर देते हैं। उसका उत्तर यही है जिस तरह के विद्वान और जोरदार मैम्बर आप हैं, आप और हम सब मिलकर एक कन्ज्यूमर्स मूवमैंट चलायें और उन पर रोक लगायें। सरकार अपनी तरफ से जो सम्भव होगा, आपकी शिकायतों पर उचित कार्यवाही करेगी।

जहां तक मजदूर की स्थिति का सम्बन्ध है, मैं आपसे सहमत हूं मैं आपसे सहमत हूं कि उन पर भी भारत सरकार के नियम लागू होने चाहिए। यदि कोई मिल वाला उन नियमों के विरुद्ध जाता है तो उस समय आप मुझसे जैसा चाहेंगे अपनी शक्तियों और सीमा-अधिकार के अन्तर्गत रहते हुए, मैं आपकी सहायता करूंगा। लेकिन आप भी ट्रेड यूनियन लीडर हैं और इधर भी कई यूनियन लीडर हैं, आप लड़कर के उनको न्याय दिला सकते हैं। मेरा सहयोग आपको रहेगा।

आपने यहां साउथ बिहार में मिल के ले जाने की बात कही, उसके बारे में मुझे मालूम नहीं है। मुझसे अधिक शक्तिशाली मैम्बर आप हैं। बिहार सरकार को मैं भी कह सकता हूं, मगर आप भी कहिए कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। उचित तरीके से कहने की ही आवश्यकता है। मैं भी आपकी बात को वहां तक पहुंचा दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

6.42 **म. प.**

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार 25 जुलाई, 1984/3 श्रावण, 1906 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———

प्रबन्धक—आर० आर० गुप्ता प्रैस, 472, पं० रामचन्द्र देहलवी मार्ग, दिल्ली-110006
द्वारा मुद्रित